मुख्य परीक्षा 2019 के सॉल्व्ड पेपर्स

निबंध

प्रिय पाठको,

इस बार हमने यूपीएससी मुख्य परीक्षा सॉल्व्ड पेपर्स के प्रस्तुतीकरण में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया है। हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस बार के यूपीएससी मुख्य परीक्षा में लगभग 65-68 प्रश्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मैगज़ीन से आए हैं जिसमें मूल रूप से पिछले डेढ़ वर्षों के मैगज़ीन कवरेज़ शामिल हैं। यह बात लगभग निर्विवाद है कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा जैसी विविधतापूर्ण और व्यापक पाठ्यक्रम की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हू-ब-हू मिलान का दावा करना करीब-करीब असंभव होता है। इसलिये जब हम मैगज़ीन से प्रश्नों के मिलान का दावा कर रहे हैं तो इसके साथ यह भरोसा भी दिलाने का प्रयास करना ज़रूरी हो जाता है कि ये दावे ठोस आधार के साथ रखे गए हैं। यह ज़रूर है कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा में शब्दशः प्रश्नों का मिलान करना कठिन है, यह दावा हम भी नहीं कर रहे हैं, परंतु प्रश्न के मूल भाव से संबंधित कंटेंट, प्रश्न से संबंधित कंटेंट और प्रश्न के आस-पास के भावों से युक्त कंटेंट जिससे आसानी से प्रश्न लिखे जा सकते हों, का दावा हम ज़रूर कर सकते हैं।

प्रश्नों के मिलान का हमारा दावा ठोस तथ्यों के आधार पर हो इसके लिये हमने हर प्रश्न के साथ मैगज़ीन से संबंधित स्रोत कंटेंट की इमेज (Image) भी शामिल की है जिससे हम आपके भरोसे को और मज़बूती प्रदान कर सकें। उम्मीद है कि हमारी यह पहल मैगज़ीन के प्रति आपकी विश्वसनीयता को मज़बूती देने में सार्थक साबित होगी।

धन्यवाद

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 निबंध विशेषांक
1. विवेक सत्य को खोज निकालता है	—	—	Oct. 19 Page No. 55-56
2. मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिये	—	—	Oct. 19 Page No. 71
3. व्यक्ति के लिये जो सर्वश्रेष्ठ है, वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिये भी हो	—	—	—
4. स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं	—	—	Oct. 19 Page No. 66
5. दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आस-पास नहीं, बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने-बाने से बने हैं	—	—	Sept. 19 Page No. 50-51
6. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण हैं	April 19 Page No. 20-24	—	Sept. 19 Page No. 46-47
7. पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है	—	—	—
8. कृत्रिम बुद्धि का उत्थान: भविष्य में बेरोज़गारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्चकौशल के माध्यम से बेहतर रोज़गार के सृजन का अवसर	Nov. 17 Page No. 24-27	Sept. 19 Page No. 168	Sept. 19 Page No. 54, 58

पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है

-डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

"हत्या हुई सनसनी बनी,
बलात्कार हुआ सनसनी बनी,
चोरी हुई सनसनी बनी,
डकैती हुई सनसनी बनी,
हत्यारा कोई खास था,
आज भी अखबार छपा, पर
न खबर बनी न सनसनी!"

युवा कवि अशोक कुमार की यह कविता हमें मीडिया व लोकतंत्र के संबंधों पर सोचने के लिये मजबूर करती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और यह मान्यता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के प्रति अपनी जवाबदेही न भूल जाए, यह सुनिश्चित करना मीडिया का काम है। सच्चा लोकतंत्र वह होता है जहाँ जनता को अपनी सरकार के निर्णयों की समुचित जानकारी हो तथा उन निर्णयों से होने वाले लाभ-हानियों की गहरी समझ हो ताकि वह लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में सार्थक हिस्सेदारी निभा सके। वर्तमान में ऐसा दिखता है कि मीडिया सिर्फ एक उद्योग बनकर रह गया है जो अपने व्यावसायिक नैतिक दायित्वों से दूर है। यह सरकारों, अमीरों और हर तरह के अभिजन वर्ग का हथियार बन चुका है। जिसकी भूमिका जनता को सच बताने की थी, सरकारों की खबर लेने की थी, समाज को कदम-कदम पर आईना दिखाने की थी, वह मीडिया वैश्विक पूंजीवाद के इस दौर में कब सत्ता व धनिकों का गुलाम बन गया, पता ही नहीं चला।

भारत में लोकतंत्र के समक्ष निःसंदेह कई खतरे मौजूद हैं, लेकिन लोकतंत्र की मूल भावनाओं और दर्शन पर जो खतरा सीधा आघात करता है, वह है- मीडिया का अपनी ज़िम्मेदारियों से विमुख होना। इस मीडिया में अखबार-पत्रिकाएँ भी शामिल हैं, टेलीविज़न-रेडियो भी और सोशल मीडिया एवं फिल्में भी। यदि हम इन सबमें दिखाई जाने वाली सामग्री का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि मीडिया जाने-अनजाने में कई स्तरों पर पक्षपात करता है और उसका हर पक्षपात हमारे लोकतंत्र को पीछे धकेलता है।

सबसे पहले लोकतंत्र के उस पक्ष को देखते हैं जो राजनीतिक है, जिसका संबंध चुनावों की प्रक्रिया से है। लोकतंत्र में नेताओं और दलों की मजबूरी है कि उन्हें सत्ता में आने के लिये जनता का प्रिय बनना होता है। बड़ी आबादी वाले भू-भाग में कोई नेता सभी से कैसे संपर्क करे? इसी यक्ष प्रश्न का उत्तर है- मीडिया। मीडिया नेताओं के भाषणों की प्रस्तुति करके, उनके इंटरव्यू आयोजित करके जनता के सामने एक छवि लाता है। यह छवि ही उस नेता या पार्टी का 'ब्रांड' बनती है और सामाजिक मनोविज्ञान के पर्यवेक्षक हज़ारों बार दोहरा चुके हैं कि चुनाव में मतदाता किसे वोट देगा, यह मतदाता के नीर-क्षीर-विवेक से तय नहीं होता बल्कि उन छवियों व कोलाहल से तय होता है जिनमें वह लगातार घिरा रहता है। 20वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक एन्टोनियो ग्रामशी ने हैजीमनी (वर्चस्व) की अवधारणा में छवियों के निर्माण के इस प्रपंच पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव कौन जीतेगा यह तय करने में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की होती है क्योंकि छवियों के निर्माण व विध्वंस के लिये जैसी ताकत उसके पास है, वैसी समाज के अन्य संगठनों के पास नहीं है। इसलिये सारी सरकारें और सभी दल मीडिया को अपने पक्ष में झुकाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। यदि मीडिया सत्ता या धन के लोभ में सत्ता का 'चारण' हो जाता है और 'चंदबरदायी' बनकर राजा की महानता के किस्से सुनाता है तो वस्तुतः यह जनता के साथ छल है। खतरा यह भी है कि मीडिया किसी अच्छे नेता के विरुद्ध न हो जाए ताकि जनता उसे पसंद न करने लगे। दोनों ही सूरतों में लोकतंत्र की बुनियाद कमज़ोर होती है। अगर सत्ता को मीडिया का साथ मिल जाए तो सफेद झूठ भी कैसे सच बन जाता है, वह निम्नलिखित कविता से देखा जा सकता है-

राजा बोला रात है
रानी बोली रात है
मंत्री बोला रात है
संतरी बोला रात है
ये सुबह-सुबह की बात है!

मुझे अपने गाँव के पिछले पंचायत चुनाव की घटना ध्यान है, एक पढ़ी-लिखी महिला, जो गाँव को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की ज़िद में चुनाव लड़ने पर आमादा थी, उसकी लोकप्रियता से गाँव के पुराने कई नेता आशंकित थे। उन्हें डर था कि सत्ता उनके हाथ से फिसल जाएगी, और यह भी डर था कि पुरानी फाइलें खुलेंगी तो भ्रष्टाचार के मामले बनेंगे और सज़ा होगी। उन्होंने उस महिला के विरुद्ध एक प्रपंच रचा, गाँव के कुछ लोगों के माध्यम से उसके विरुद्ध कुछ झूठे आरोप लगाए गए जो उसके चरित्र पर प्रश्न खड़ा करते थे। फोटो एडिटिंग की मदद से कुछ नकली फोटो तैयार किये गए और चटपटी खबरों की तरह उन्हें सोशल मीडिया पर परोसा गया। पत्रकारों व सोशल मीडिया के कुछ ठेकेदारों की मदद से यह अफवाह इस कदर फैलाई गई कि वह महिला चुनाव हार गई और अवसादग्रस्त हो गई। जिनके पास सत्ता थी वे आज भी सत्ता में है, भ्रष्टाचार भी बेरोकटोक चल रहा है। हाँ, उस महिला की हालत देखकर यह तय है कि अगले 10-20 वर्षों तक शायद फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा।

अगर हम राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति की बात करें तो हम आसानी से भाँप सकते हैं कि कौन-सा अखबार या चैनल किस दल के पक्ष में है और किसके विरुद्ध है। कुछ मीडिया संस्थान तटस्थ दिखने की कोशिश करते हैं जबकि कुछ ने तो यह कोशिश भी छोड़ दी है और वे खुलकर सरकार/विपक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं।

ध्यातव्य है कि पक्षपात का अर्थ केवल अंध समर्थन नहीं होता, अंधविरोध भी पक्षपात का ही एक रूप है। अंधअविश्वास भी उतना ही बुरा होता है, जितना बुरा अंधविश्वास। इसलिये यदि कुछ चैनल 24 घंटे सरकार का गुणगान करते हैं और कुछ को सरकार के हर कार्य में साज़िश ही नज़र आती है तो यह दोनों बराबर चिंता की बातें हैं। और यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, मीडिया वर्चस्व के इस युग में यह समस्या दुनिया के हर लोकतंत्र की है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप व हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले में मीडिया ने कितनी भूमिका निभाई यह किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में चीन में पत्रकारों को लाइसेंस देने के लिये एक परीक्षा अनिवार्य की गई है जिसमें राष्ट्रपति शी-जिनपिंग के जीवन व दर्शन से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, सामाजिक व आर्थिक भी होता है और पक्षपातपूर्ण मीडिया राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है। सामाजिक लोकतंत्र से आशय है कि समाज में सभी धर्मों, नस्लों, जातियों और लिंगों के व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी का बराबर मौका मिले और वे सिर्फ अपने धर्म, जाति या लिंग के कारण किसी निर्योग्यता या भेदभाव के शिकार न हों। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह और भी ज़रूरी है क्योंकि सामासिक संस्कृति हमारे लिये रुचि का नहीं, बल्कि अस्तित्व का विषय है।

मीडिया का पक्षपात सामाजिक लोकतंत्र को भी आघात पहुँचाता है। हिंदी में ऐसी तमाम फिल्में आसानी से देखी जा सकती हैं जिनमें किसी थर्ड-जेंडर और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का मज़ाक बनाया जाता है। दिव्यांगों का मज़ाक उड़ाना भी एक सामान्य रीति है। हिंदी की फिल्मों में दक्षिण भारतीयों का मज़ाक खूब बनाया जाता है, तो मौका मिलते ही सिखों पर भी व्यंग्य बाण छोड़े जाते हैं। गोरे रंग के पक्ष में हज़ारों फिल्मी गीत व संवाद हमें गाहे-बगाहे सुनने को मिल ही जाते हैं। महिलाओं के घरेलू श्रम को दोयम दर्जे का साबित करना, उनके द्वारा अपना हक मांगने पर उन्हें दोषी ठहराया जाना; यह सब भी हमारे मीडिया के सामान्य लक्षण हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि मीडिया के उच्च पदों पर पुरुषों और तथाकथित सवर्ण समुदाय का वर्चस्व है। कभी जानबूझकर तो कभी-कभी अनजाने में इस समूह के व्यक्ति ऐसी टिप्पणियाँ और विमर्श प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक समरसता के विरुद्ध होता है। कई मामलों में तो यह भी लगता है कि मीडिया किसी पीड़ित के विरुद्ध (विशेषत: यदि वह महिला अदिवासी, दलित या अल्पसंख्यक हो) जनमत बनाने का प्रयास करता है, उदाहरणस्वरूप- राजा हिन्दुस्तानी (थर्ड जेंडर का मज़ाक) तथा अलीगढ़ (होमो सेक्सुअल का मज़ाक) आदि फिल्में।

आर्थिक लोकतंत्र भी पक्षपाती मीडिया की वजह से खतरे में रहता है। मीडिया के अधिकांश कर्मी मध्यवर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से होते हैं और इसलिये समस्याओं को देखने-समझने का उनका एक खास वर्गीय नज़रिया होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें निम्न वर्ग की आर्थिक समस्याएँ उतना उद्वेलित नहीं करतीं जितनी करनी चाहिये। फिर, चूँकि अधिकांश मीडियाकर्मी महानगरों या बड़े शहरों में रहते हैं, इसलिये गाँव की आर्थिक समस्याएँ, किसानों की आत्महत्याएँ आदि उन्हें उतना बेचैन नहीं करतीं। रोचक तथ्य है कि अखबारों में वेतन आयोग से जुड़ी खबरें, मनरेगा से जुड़ी खबरों की तुलना में अधिक स्थान घेरती हैं। कुछ महीने पहले जब जेट एयरवेज़ के कर्मियों को वेतन मिलने में देरी हो गई थी, एक अखबार के मुख्यपृष्ठ पर पाँच दु:खी विमान परिचारिकाओं का चित्र था क्योंकि उन्हें वेतन मिलने में 10 दिनों की देरी हो गई थी। उसी अखबार के पृष्ठ के एक किनारे में एक छोटी-सी खबर यह भी थी कि खदान धँसने से 20 मज़दूरों की मौत हो गई। मीडिया की ऐसी प्राथमिकताएँ सुनिश्चित करती हैं कि वह आर्थिक लोकतंत्र, जिसका सपना महात्मा गांधी, डॉ. अम्बेडकर व नेहरू, सबने देखा था वह अब तक साकार नहीं हो सका।

गौरतलब है कि पक्षपात हमेशा बुरा नहीं होता, वह अच्छा भी हो सकता और काम्य भी। जब किसी परिवार में एक बच्चा बीमार होता है तो उसे अपनी माता की अतिरिक्त संवेदनाएँ व स्नेह प्राप्त होता है और यह कहीं से भी अनुचित नहीं है। किसी को बचाने के लिये किया गया भेदभाव बुरा नहीं होता; वह बुरा तब होता है जब किसी को नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाए। मेट्रो ट्रेनों व बसों में महिलाओं के लिये विशेष सीटों का आरक्षित होना महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिये है, इसलिये उचित भी है। संरक्षणात्मक भेदभाव व आरक्षण की संपूर्ण नीति के मूल में यही बुनियादी तर्क है कि वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिये सकारात्मक पक्षपात ज़रूरी है। हमारे मीडिया का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो इस तरह का सकारात्मक पक्षपात करता है और यह निश्चय ही श्लाघ्य है। उदाहरण के लिये, चक दे इंडिया जैसी फिल्म यदि उत्तर-पूर्व के समुदाय को भारत की मुख्यधारा का हिस्सा साबित करती है; यदि मुल्क जैसी फिल्म समझाती है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, यदि आर्टिकल-15 जैसी फिल्म दिखाती है कि समाज में दलित व वंचित वर्ग किस हद तक शोषण का शिकार है, यदि 'अलीगढ़' फिल्म यह एहसास जगाती है कि किसी समलैंगिक व्यक्ति को अपनी नैसर्गिक रुचि की वजह से कितने लांछन सहने पड़ते हैं और यदि 'छपाक' जैसी फिल्म इस बात को प्रस्तुत करना चाहती है कि तेज़ाब के हमले से पीड़ित लड़की का जीवन कितना कठिन होता है, तो इस तरह के पक्षपात को हम बुरा नहीं कहेंगे। यदि पी. साईनाथ जैसे पत्रकार को गरीबी व भुखमरी पर जीवन भर अनुसंधान करने का जुनून सवार हो जाता है और वे अमीरों की ज़िंदगी पर ध्यान नहीं दे पाते तो यह पक्षपात भी काबिल-ए-तारीफ है।

संपूर्ण चर्चा का सार यह कि लोकतंत्र चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, उसमें लोगों की भागीदारी इस बात से बेहद प्रभावित होती है कि मीडिया समाज के सामने कैसी छवियाँ गढ़ता है। यदि मीडिया वंचित वर्ग के पक्ष में खड़ा होता है तो देश का समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। इसके विपरीत, यदि मीडिया अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी भुलाकर ताकतवर व्यक्तियों एवं समूहों का पिछलग्गू हो जाता है तो वह जाने-अनजाने लोकतंत्र को धनतंत्र (प्लूटोक्रेसी) एवं भीड़तंत्र (मोबोक्रेसी) में तब्दील करता है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारतीय मीडिया का अधिकांश हिस्सा अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर खड़ा है और बड़े सेठों व सत्ताधीशों के सामने सजदा कर रहा है। यह स्थिति अत्यंत चिंता योग्य है, और यदि समय रहते मीडिया ने इस पर आत्ममंथन नहीं किया तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब हम अपने लोकतंत्र के अंधकार युग में होंगे और भविष्य की पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा होने को बाध्य होंगे।

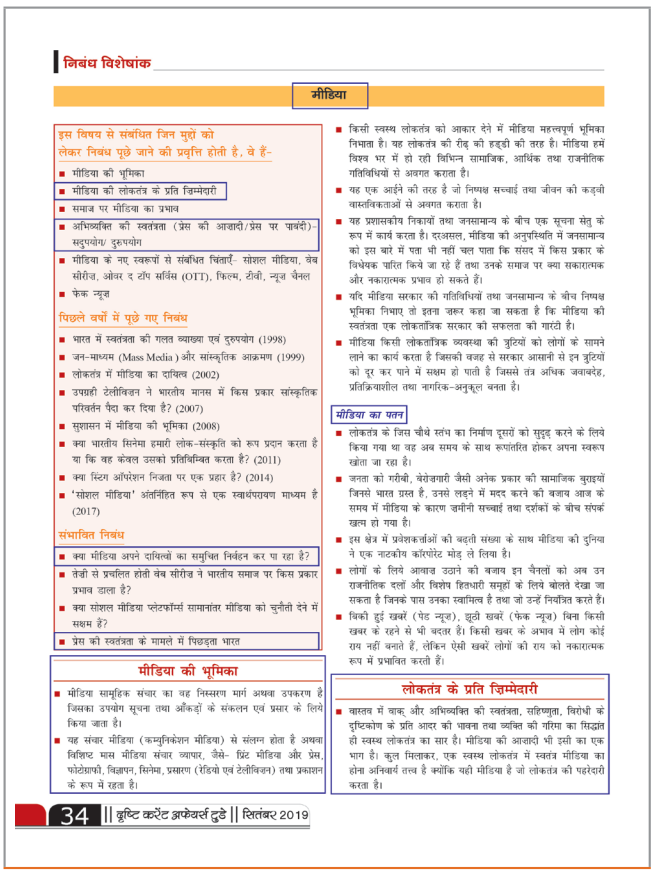

निबंध विशेषांक

मीडिया

इस विषय से संबंधित जिन मुद्दों को लेकर निबंध पूछे जाने की प्रवृत्ति होती है, वे हैं-

- मीडिया की भूमिका
- मीडिया की लोकतंत्र के प्रति ज़िम्मेदारी
- समाज पर मीडिया का प्रभाव
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (प्रेस की आज़ादी/प्रेस पर पाबंदी)- सदुपयोग/ दुरुपयोग
- मीडिया के नए स्वरूपों से संबंधित चिंताएँ- सोशल मीडिया, वेब सीरीज़, ओवर द टॉप सर्विस (OTT), फिल्म, टीवी, न्यूज़ चैनल
- फेक न्यूज़

पिछले वर्षों में पूछे गए निबंध

- भारत में स्वतंत्रता की गलत व्याख्या एवं दुरुपयोग (1998)
- जन-माध्यम (Mass Media) और सांस्कृतिक आक्रमण (1999)
- लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व (2002)
- उपग्रही टेलीविज़न ने भारतीय मानस में किस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन पैदा कर दिया है? (2007)
- सुशासन में मीडिया की भूमिका (2008)
- क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोक-संस्कृति को रूप प्रदान करता है या कि वह केवल उसको प्रतिबिम्बित करता है? (2011)
- क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर एक प्रहार है? (2014)
- 'सोशल मीडिया' अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है (2017)

संभावित निबंध

- क्या मीडिया अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन कर पा रहा है?
- तेज़ी से प्रचलित होती वेब सीरीज़ ने भारतीय समाज पर किस प्रकार प्रभाव डाला है?
- क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सामानांतर मीडिया को चुनौती देने में सक्षम हैं?
- प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पिछड़ता भारत

मीडिया की भूमिका

- मीडिया सामूहिक संचार का वह निस्सरण मार्ग अथवा उपकरण है जिसका उपयोग सूचना तथा आँकड़ों के संकलन एवं प्रसार के लिये किया जाता है।
- यह संचार मीडिया (कम्युनिकेशन मीडिया) से संलग्न होता है अथवा विशिष्ट मास मीडिया संचार व्यापार, जैसे- प्रिंट मीडिया और प्रेस, फोटोग्राफी, विज्ञापन, सिनेमा, प्रसारण (रेडियो एवं टेलीविज़न) तथा प्रकाशन के रूप में रहता है।

- किसी स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में मीडिया महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी की तरह है। मीडिया हमें विश्व भर में हो रही विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराता है।
- यह एक आईने की तरह है जो निष्पक्ष सच्चाई तथा जीवन की कड़वी वास्तविकताओं से अवगत कराता है।
- यह प्रशासकीय निकायों तथा जनसामान्य के बीच एक सूचना सेतु के रूप में कार्य करता है। दरअसल, मीडिया की अनुपस्थिति में जनसामान्य को इस बारे में पता भी नहीं चल पाता कि संसद में किस प्रकार के विधेयक पारित किये जा रहे हैं तथा उनके समाज पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।
- यदि मीडिया सरकार की गतिविधियों तथा जनसामान्य के बीच निष्पक्ष भूमिका निभाए तो इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मीडिया की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक सरकार की सफलता की गारंटी है।
- मीडिया किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की त्रुटियों को लोगों के सामने लाने का कार्य करता है जिसकी वजह से सरकार आसानी से इन त्रुटियों को दूर कर पाने में सक्षम हो पाती है जिससे तंत्र अधिक जवाबदेह, प्रतिक्रियाशील तथा नागरिक-अनुकूल बनता है।

मीडिया का पतन

- लोकतंत्र के जिस चौथे स्तंभ का निर्माण दूसरों को सुदृढ़ करने के लिये किया गया था वह अब समय के साथ रूपांतरित होकर अपना स्वरूप खोता जा रहा है।
- जनता को गरीबी, बेरोज़गारी जैसी अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों जिनसे भारत ग्रस्त है, उनसे लड़ने में मदद करने की बजाय आज के समय में मीडिया के कारण ज़मीनी सच्चाई तथा दर्शकों के बीच संपर्क खत्म हो गया है।
- इस क्षेत्र में प्रवेशकर्त्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ मीडिया की दुनिया ने एक नाटकीय कॉरपोरेट मोड़ ले लिया है।
- लोगों के लिये आवाज़ उठाने की बजाय इन चैनलों को अब उन राजनीतिक दलों और विशेष हितधारी समूहों के लिये बोलते देखा जा सकता है जिनके पास उनका स्वामित्व है तथा जो उन्हें नियंत्रित करते हैं।
- बिकी हुई खबरें (पेड न्यूज़), झूठी खबरें (फेक न्यूज़) बिना किसी खबर के रहने से भी बदतर हैं। किसी खबर के अभाव में लोग कोई राय नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसी खबरें लोगों की राय को नकारात्मक रूप में प्रभावित करती हैं।

लोकतंत्र के प्रति ज़िम्मेदारी

- वास्तव में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता, विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति आदर की भावना तथा व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत ही स्वस्थ लोकतंत्र का सार है। मीडिया की आज़ादी भी इसी का एक भाग है। कुल मिलाकर, एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया का होना अनिवार्य तत्त्व है क्योंकि यही मीडिया है जो लोकतंत्र की पहरेदारी करता है।

34 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || सितंबर 2019

निबंध विशेषांक

- मीडिया कई तरह से हमें प्रभावित करता है। वह हमें मुद्दों से परिचित रखता है, ताज़ा खबरें बताता है, अनेक सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर राय बनाने में हमारी मदद करता है और सूचना स्रोत के रूप में काम करते हुए कई प्रकार से हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्द्धन करता है। मीडिया जहाँ संचार का साधन है वहीं परिवर्तन का वाहक भी है। सरकारी नीतियों, योजनाओं की जानकारी को जनता तक सुगमतापूर्वक पहुँचाने का काम मीडिया ही करता है।
- इस प्रकार का प्रचारतंत्र समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है और लोकतंत्र को अर्थपूर्ण बनाता है।
- नागरिक अधिकारों की तरफदारी और शासन की पहरेदारी का नैतिक दायित्व प्रेस पर था इसलिये इसे एडमंड वर्क ने 'लोकतंत्र का चौथा स्तंभ' कहा।
- वैश्वीकरण के इस दौर में एक जनोपयोगी मिशन भी बाज़ारोपयोगी प्रोफेशन बनने को बाध्य हो गया है।
- मीडिया की सक्रियता कई बार गोपनीय रहस्यों को अति उत्साह में दिखा देने के कारण भी उजागर होती है।
- दंगा वगैरह के माहौल में भी मीडिया संयम से काम नहीं लेता बल्कि टीआरपी की चाह में उस खबर को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है तथा माहौल को और बिगाड़ता है।
- मीडिया को बाज़ार में रहते हुए भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी।

मीडिया की स्वतंत्रता

- दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली संस्था 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2019 में भारत दो पायदान नीचे खिसक गया है। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत जहाँ पिछले साल 138वें पायदान पर था, वहीं इस साल 140वें पायदान पर आ गया है।
- कानूनी ढाँचे की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता पर नियंत्रण करने के लिये वर्तमान में कोई ठोस कानून तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कानूनों में प्रेस पर नियंत्रण के प्रावधान ज़रूर हैं। कुछ दिनों पूर्व ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के तहत 'द हिन्दू' समाचार पत्र पर कार्रवाई की बात इसी का एक उदाहरण है।
- प्रेस से संबंधित बुनियादी ढाँचे की बात करें तो इसकी गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है। खबरों की रिपोर्टिंग करने के लिये जिन संसाधनों की ज़रूरत होती है उन्हें पत्रकारों को मुहैया न कराया जाना एक बड़ी समस्या है।
- इसके अलावा, प्रेस की आज़ादी में मीडिया का निगमीकरण भी एक बड़ी रुकावट है। ज़्यादातर मीडिया हाउसेज़ की कमान अब उद्योगपतियों के हाथों में चले जाने से सच्ची पत्रकारिता की बजाय अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना प्रेस की प्राथमिकता हो गई है।
- सर्वप्रथम, मीडियाकर्मियों के कामकाज की दशा को बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्हें सेवा की सुरक्षा देना, मीडिया की आज़ादी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। 1955 में मीडियाकर्मियों को काम की सुरक्षा देने के मकसद से वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट लाया गया था। लेकिन, इसके बेहतर क्रियान्वयन के अभाव में पत्रकारों पर हमेशा ही नौकरी के चले जाने का खतरा मँडरा रहा होता है। स्वाभाविक रूप से असुरक्षा की स्थिति में आज़ाद होकर पत्रकारिता करना एक कठिन कार्य होगा।

उदारीकरण का प्रभाव

- उदारीकरण के परिणामस्वरूप सर्वप्रथम यह परिवर्तन हुआ कि अब समाचार और मनोरंजन के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को निजी क्षेत्रों के लिये खोल दिया गया। प्रिंट मीडिया में निजी क्षेत्रों का प्रवेश तो शुरू से था लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अब निजी क्षेत्रों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इसी का परिणाम है कि दूरदर्शन के अलावा आज हमारे देश में 1000 के आस-पास निजी टीवी चैनल भी हैं। आगे चलकर एफ. एम. रेडियो में भी निजी क्षेत्रों को शामिल किया गया।
- उदारीकरण के इस दौर में मीडिया में एफडीआई की अनुमति दी गई। वर्तमान में टीवी न्यूज चैनल्स में 49 प्रतिशत तथा प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, जिसे बढ़ाने की बात चलती रहती है।
- मीडिया सिर्फ सूचनाओं की आवाजाही का माध्यम भर नहीं बल्कि संदेश भी है। दरअसल अपने शुरुआती दौर में 'प्रेस' विशुद्ध नैतिकता भाव से सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता था। प्रेस या पत्रकारिता ने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में न सिर्फ योगदान किया बल्कि उन्हें सींचा भी। शासन की ज़िम्मेदारी सरकार की थी तो लोकतंत्र की पहरेदारी की ज़िम्मेदारी पत्रकारों की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तो अधिकांश नेताओं ने अपने पत्र-पत्रिकाएँ निकालकर भारतीय जनता के ज़ेहन में स्वशासन, स्वराज्य तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूत किया। आगे भी पत्रकारिता में वही मिशन-सेंस विद्यमान रहा जिसे आपातकाल के दौरान प्रेस की भूमिका में देखा जा सकता था।
- उदारीकरण के पश्चात् उपभोक्तावादी संस्कृति ने जन्म लिया। उपभोक्तावादी जाल से आज का मीडिया भी अछूता नहीं रहा। इसलिये न्यूज़ चैनल उन्हीं तथ्यों को देखने और दिखाने के लिये तत्पर रहते हैं जो दर्शकों को सबसे ज़्यादा लुभावने लगें।

उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव

- मीडिया जगत् में काफी प्रतिस्पर्द्धी माहौल बना। लोगों के पास विकल्पों की अधिकता सुलभ हुई। अनेक विषयों की जानकारी, विश्लेषण तथा उससे संवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- जनता की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुँचाना संभव हुआ। युवाओं को इस क्षेत्र में रोज़गार के अनेक अवसर सुलभ हुए। जनमानस में अनेक विषयों के प्रति जागरूकता लाने की मुहिम चली।
- नवीन ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा-साहित्य तथा संस्कृति से आम जनता भी अवगत हुई। सामान्य लोग भी विश्व हलचलों से परिचित हुए।
- उदारीकरण के पश्चात् न सिर्फ टीवी चैनलों, समाचार-पत्रों, रेडियो चैनलों, पत्र-पत्रिकाओं की संख्या बढ़ी बल्कि नए-नए मीडिया माध्यम भी उभरे। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप आदि) के कारण सूचनाओं की आवाजाही ज़्यादा सरल तथा प्रभावी हुई है।

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || सितंबर 2019 || 35

विवेक सत्य को खोज निकालता है

-अंकित रावत

सूर्य केंद्र में है या पृथ्वी? कौन किसका चक्कर लगाता है? शायद आज किसी व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा जाए, तो वह आसानी से इसका जवाब दे सकता है कि सूर्य केंद्र में है।' लेकिन इस सत्य पर पहुँचने की राह वर्तमान में जितनी आसान दिखाई देती है, उतनी है नहीं। मध्यकाल तक इस तथ्य को लेकर संभवत: सर्वसम्मति रही होगी कि पृथ्वी केंद्र में है तथा सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है अथवा ऐसा हो सकता है कि जब चर्च या पादरियों ने बता ही दिया है कि पृथ्वी केंद्र में है, तो फिर हमने इस पर संदेह व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटाई कि इस तथ्य की प्रामाणिकता की जाँच करें। लेकिन कुछ विवेकशील मनुष्यों को इस तथ्य की प्रामाणिकता पर संदेह आया होगा और उनके विवेक ने सत्य की खोज के लिये उन्हें प्रेरित किया होगा। अंतत: वे इस सत्य पर पहुँच ही गए कि 'पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में है तथा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है।' परंतु कहा जाता है कि 'सत्य कड़वा होता है।' जब हमारे सामने सत्य आता है, तो उसे स्वीकारना आसान नहीं होता। मध्यकाल में चर्च की सत्ता को चुनौती देना कितना कठिन था, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद कॉपरनिकस, ब्रूनो व गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने अपने विवेक के बल पर यह खोज करने का प्रयत्न किया कि वास्तव में सत्य क्या है? और समाज के विपरीत अपने मत का प्रतिपादन किया। ब्रूनो को तो सत्य की खोज के लिये ज़िंदा जला दिया गया।

इसी क्रम में निबंध के शीर्षक के अनुरूप एक प्रचलित कहानी की भी चर्चा करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। एक बार एक राजा के दरबार में दो महिलाएँ आईं, जो किसी बच्चे को लेकर अपना-अपना दावा प्रस्तुत कर रही थीं। इस परिस्थिति में राजा के लिये न्याय करना मुश्किल हो गया। आधुनिक काल के समान उस समय डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जिससे समस्या का उचित समाधान किया जा सके तथा न्याय हो सके। अत: राजा ने अपने विवेक का प्रयोग किया और सत्य को खोजने का प्रयत्न किया। राजा ने क्रोधित होकर कहा कि इस बच्चे के तलवार से दो हिस्से कर दिये जाएँ एवं दोनों महिलाओं को एक-एक हिस्सा दे दिया जाए। राजा के इतना कहने पर उनमें से एक महिला ने तुरंत कहा- "महाराज, आप बच्चे को इस महिला को दे दीजिये।" उस महिला के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा समझ गया कि बच्चा किसका है और न्याय सामने आ गया।

उपर्युक्त संदर्भों के आधार पर प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत होता है कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। यद्यपि इसका सूक्ष्म विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। इससे पूर्व, सर्वप्रथम यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि ज्ञान (Knowledge) और विवेक (Wisdom) दोनों समानार्थी हैं या इनमें अंतर भी विद्यमान है। वस्तुत: वैसे तो सामान्यत: लोग ज्ञान और विवेक को समानार्थी ही मानते हैं। परंतु दोनों में मौलिक असमानता है। ब्रिटिश

निबंधकार, दार्शनिक और इतिहासकार 'बर्ट्रेंड रसेल' अपने निबंध 'Knowledge and Wisdom' में इनके मध्य अंतर की विस्तृत चर्चा करते हैं। रसेल Knowledge अर्थात् 'ज्ञान' को डाटा या सूचनाओं के संग्रहण अथवा किसी वस्तु के बारे में प्राप्त जानकारी के रूप में परिभाषित करते हैं। जबकि उनके अनुसार, Wisdom अर्थात् 'विवेक' अपने अनुभवों व परिश्रम से इन सूचनाओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग करने से संबंधित है। विशेष बात यह भी है कि इस व्यावहारिक अनुप्रयोग में नैतिक मूल्य अनिवार्यत: शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त विवेक में बुद्धि पक्ष के साथ-साथ भावनाओं का भी संतुलित सामंजस्य होता है। स्पष्ट है कि विवेक, ज्ञान से उच्चतम है। विवेक के अभाव में ज्ञान हानिकारक हो सकता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भलीभाँति समझ सकते हैं- किसी व्यक्ति को परमाणुओं और अणुओं का ज्ञान है, किंतु अगर उसमें विवेक नहीं है, तो हो सकता है कि वह अपने ज्ञान का उपयोग मानवीय सभ्यता के विकास में न करके परमाणु हथियारों का निर्माण करके मानव के विध्वंस में करे। दूसरी तरफ, अगर व्यक्ति में ज्ञान है, और विवेक भी है, तो वह अपने ज्ञान का उपयोग करके नए-नए आविष्कार करने के लिये प्रयत्नशील रहेगा। साथ ही इन आविष्कारों का प्रयोग मानवीय सभ्यता के विरुद्ध न कर उसकी भलाई व प्रगति में करेगा।

इसीलिये प्राचीनकाल से ही भारतीय एवं पश्चिमी दोनों परंपराओं में मनुष्य में 'विवेक-सद्गुण' के विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है, फिर चाहे वह 'ओल्ड टेस्टामेंट' हो अथवा भारतीय धर्मग्रंथ। ग्रीक नीतिशास्त्र में सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तू तीनों ने नैतिकता के लिये सद्गुणों के विकास को महत्त्व दिया है। प्लेटो की पुस्तक 'द रिपब्लिक' में वर्णित 'दार्शनिक राजा' विवेक व ज्ञान से युक्त है। साथ ही प्लेटो का शासन विवेक पर आधारित है। वहीं 'अरस्तू' ने बौद्धिक सद्गुण में 'विवेक' को प्रमुख माना है, जो सुकरात के ज्ञान-सद्गुण के नज़दीक है। इसी संदर्भ में सुकरात का प्रसिद्ध कथन भी है- "An unexamined life is not worth living".

अब सवाल यह उठता है कि विवेक, सत्य को कैसे खोज निकालता है? सत्य की खोज के लिये क्या विवेक ही रास्ता उपलब्ध कराता है? उल्लेखनीय है कि विवेक अनुभव, ज्ञान, नैतिकता से संपृक्त होने के कारण निर्णय की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। विवेकशील मनुष्य दूसरों की बातों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा बनाए हुए रास्ते का अंधानुकरण नहीं करता है बल्कि अपनी तार्किकता व स्वतंत्र चिंतन से उसे टटोलने का प्रयत्न करता है। जब उसका विवेक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उपर्युक्त बात में सटीकता है, तभी उस बात को स्वीकार करता है या उस रास्ते पर चलता है।

उदाहरणस्वरूप, 'नवजागरण' के दौर में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले इत्यादि समाज-सुधारक अपने विवेक से इस सत्य पर पहुँचे कि सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी समस्याएँ भारतीय समाज का सार्वकालिक सत्य नहीं हैं। और न ही ये रूढ़िवादी परंपराएँ अन्यत्र समाज में मौजूद हैं। अत: भारतीय समाज में व्याप्त इन रूढ़िगत प्रथाओं को दूर करने का इन्होंने आह्वान किया। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन 'श्वेत नस्ल भार का सिद्धांत' के तहत भारतीयों पर अपने शासन को वैध बताता रहा। यद्यपि भारतीय बुद्धिजीवियों के विवेक ने इस 'मत' या असत्य को सिरे से नकार दिया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस सिद्धांत के माध्यम से सत्य को विकृत करके भारतीयों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है तथा उनके धन को लूटकर ब्रिटेन पहुँचाया जा रहा है।

अब यहाँ पर अन्य सवाल यह भी उठता है कि क्या सत्य 'परिवर्तित' होता रहता है अथवा मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुरूप सत्य की व्याख्या भिन्न-भिन्न तरीके से करता है? यह प्रश्न इसलिये भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि एक समय तक जिस बात या मत को सत्य माना जाता था, उसे बाद में सत्य से असत्य की श्रेणी में क्यों शामिल कर दिया जाता है? वस्तुत: सत्य परिवर्तित नहीं होता है बल्कि उसके ऊपर अनेक परतें चढ़ी होती हैं। उन परतों को हटाकर हम सत्य की जड़ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसीलिये जो बात सत्य है, उसकी पहचान न करके हम उसके ऊपरी आवरण को ही सत्य समझ लेते हैं। फलत: भ्रम होना स्वाभाविक है। इसके अलावा मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुरूप सत्य की विकृत व्याख्या करता रहता है। साधारण जन विकृत मत को ही प्रामाणिक सत्य मान लेते हैं। इस भ्रम को फैलाने में वह अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है। लेकिन विवेक सत्य के ऊपर की परतों को हटाकर उसकी तह तक जाने में समर्थ होता है। इसके लिये विवेक अनेक राहों से गुज़रते हुए व उनसे सीखकर अपने अनुभव, परिश्रम व ज्ञान के सम्मिलित प्रयासों के ज़रिये सत्य को खोजता है। जैसे कि लंबे समय तक इसे सत्य माना जाता रहा कि महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में कमज़ोर व हीन हैं। अत: उनके अधिकार भी पुरुषों से कम होने चाहिये। परंतु आधुनिक काल में विवेक प्रामाणिक सत्य तक पहुँचा कि महिलाएँ किसी भी तरह से पुरुषों की तुलना में कमज़ोर नहीं हैं। बल्कि इस असत्य के मूल में- पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। सिमोन-द-बोउवार लिखती भी हैं- "स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है।"

उपर्युक्त विवरण के पश्चात् अंतत: निष्कर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि विवेक, तर्क-वितर्क, सत्य-असत्य, समस्त पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए व अभ्यास तथा व्यावहारिक अनुप्रयोग से सत्य को खोज लेता है। यह उन सभी मतों का एकसाथ खंडन कर देता है, जो असत्य होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीत होते हैं और जिन्हें लेकर समाज में लगभग स्वीकारोक्ति है कि ये मत सत्य हैं। लेकिन विवेक, इन बातों की अपने स्तर पर जाँच करता है। सभी कसौटियों पर पूर्णत: खरा उतरने के बाद ही उन्हें सत्य की श्रेणी में स्वीकार करता है, अन्यथा उन्हें अस्वीकार कर देता है। भले ही पूरा समाज उस बात से सहमत क्यों न हो। प्रसिद्ध कहावत है कि 'किसी झूठ को अगर हज़ार बार बोला जाए, तो वह लोगों को सत्य जैसा लगने लगता है।' किंतु विवेक गहराई में जाकर सत्य की खोज करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियाँ अत्यंत प्रासंगिक हो जाती हैं-

राजा बोला रात है
रानी बोली रात है
मंत्री बोला रात है
संतरी बोला रात है
ये सुबह-सुबह की बात है!

परंतु विवेक, किसी अन्य व्यक्ति या मत के द्वारा नियंत्रित नहीं होता अपितु निष्पक्षतापूर्वक सत्य तक पहुँच जाता है कि वास्तव में सुबह है या रात? इसीलिये प्राचीनकाल से ही विवेक को प्रमुख 'सद्गुण' की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के युग में जबकि सूचनाओं का अत्यधिक भ्रमजाल है और 'फेक न्यूज़' का प्रचलन भी काफी अधिक है, ऐसे में कौन-सी घटना सत्य है और कौन-सी असत्य, इस बात की पहचान कर पाना अत्यधिक कठिन हो गया है। इन परिस्थितियों में

विवेक की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है, वही सत्य को खोज सकता है। असत्य सूचनाओं के भ्रमजाल से विवेकशील मनुष्य ही स्वयं को दूर रख सकता है तथा उनकी पहचान कर सकता है। हालाँकि, सत्य को खोजने की प्रक्रिया अनवरत् चलने वाली है। हो सकता है कि आज जिसे हम सत्य मानते हैं, उसे कल विवेक के द्वारा परखा जाए, तो वह असत्य निकल जाए। आज भी हम संपूर्ण ब्रह्मांड एवं पृथ्वी के गर्भ में छिपे कितने ही सत्य की खोज नहीं कर सके हैं। आशा है कि भविष्य में विवेक के द्वारा हम इनसे जुड़े हुए बहुत से अनसुलझे सत्य की भी पहचान कर सकेंगे। कुल मिलाकर विवेक सत्य को खोज ही निकालता है, और यह प्रक्रिया मानवीय सभ्यता के प्रारंभ से चल रही है, तथा भविष्य में भी चलती रहेगी।

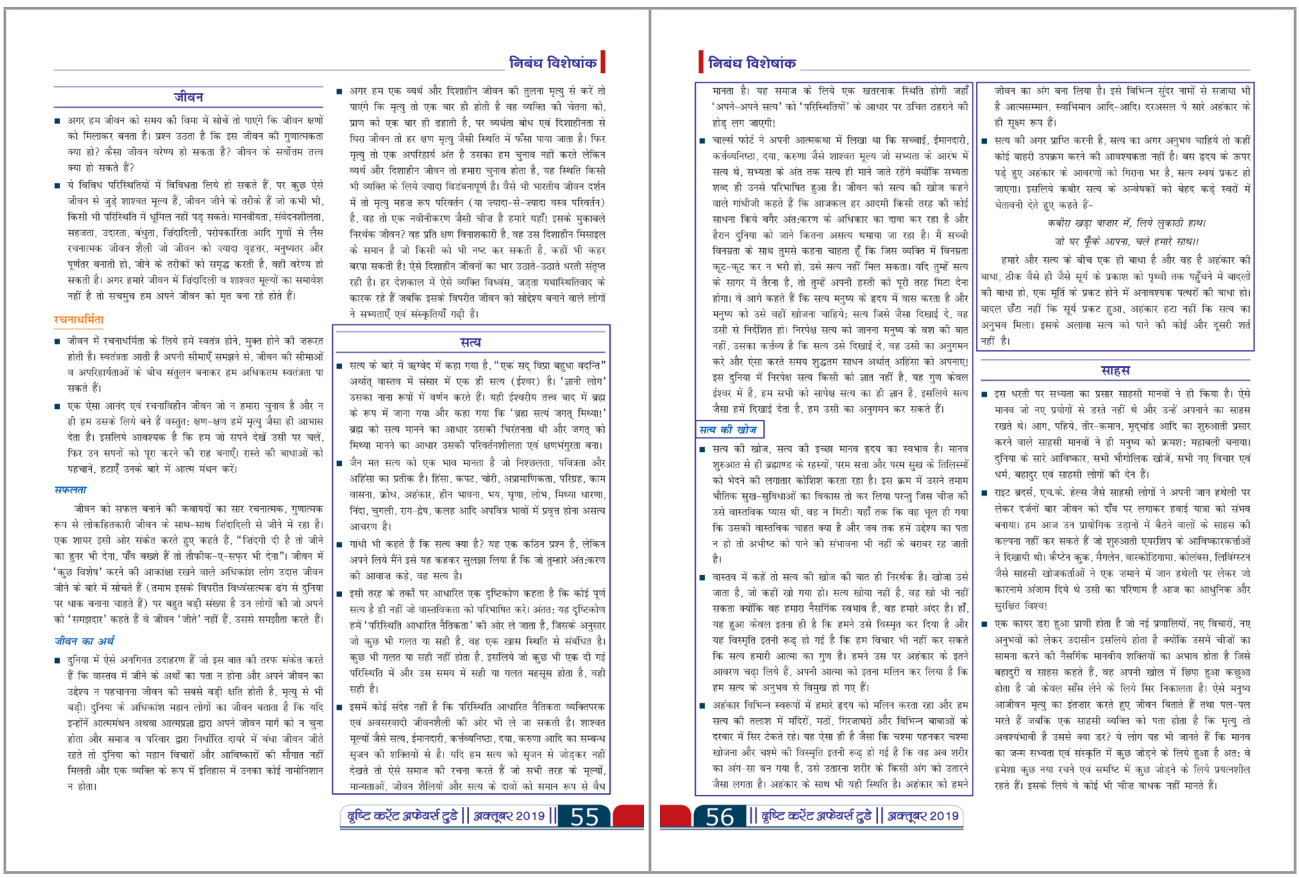

निबंध विशेषांक

जीवन

- अगर हम जीवन को समय की विमा में सोचें तो पाएंगे कि जीवन क्षणों को मिलाकर बनता है। प्रश्न उठता है कि इस जीवन की गुणात्मकता क्या हो? कैसा जीवन वरेण्य हो सकता है? जीवन के सर्वोत्तम तत्त्व क्या हो सकते हैं?
- ये विविध परिस्थितियों में विविधता लिये हो सकते हैं, पर कुछ ऐसे जीवन से जुड़े शाश्वत मूल्य हैं, जीवन जीने के तरीके हैं जो कभी भी, किसी भी परिस्थिति में धूमिल नहीं पड़ सकते। मानवीयता, संवेदनशीलता, सहजता, उदारता, बंधुता, जिंदादिली, परोपकारिता आदि गुणों से लैस रचनात्मक जीवन शैली जो जीवन को ज्यादा वृहत्तर, मनुष्यतर और पूर्णतर बनाती हो, जीने के तरीकों को समृद्ध करती है, वही वरेण्य हो सकती है। अगर हमारे जीवन में जिंदादिली व शाश्वत मूल्यों का समावेश नहीं है तो सचमुच हम अपने जीवन को मृत बना रहे होते हैं।

रचनाधर्मिता

- जीवन में रचनाधर्मिता के लिये हमें स्वतंत्र होने, मुक्त होने की जरूरत होती है। स्वतंत्रता आती है अपनी सीमाएँ समझने से, जीवन की सीमाओं व अपरिहार्यताओं के बीच संतुलन बनाकर हम अधिकतम स्वतंत्रता पा सकते हैं।
- एक ऐसा आनंद एवं रचनाविहीन जीवन जो न हमारा चुनाव है और न ही हम उसके लिये बने हैं वस्तुत: क्षण-क्षण हमें मृत्यु जैसा ही आभास देता है। इसलिये आवश्यक है कि हम जो सपने देखें उसी पर चलें, फिर उन सपनों को पूरा करने की राह बनाएँ। रास्ते की बाधाओं को पहचानें, हटाएँ उनके बारे में आत्म मंथन करें।

सफलता

जीवन को सफल बनाने की कवायदों का सार रचनात्मक, गुणात्मक रूप से लोकहितकारी जीवन के साथ-साथ जिंदादिली से जीने में रहा है। एक शायर इसी ओर संकेत करते हुए कहते हैं, "जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक-ए-सफ़र भी देना"। जीवन में 'कुछ विशेष' करने की आकांक्षा रखने वाले अधिकांश लोग उदात्त जीवन जीने के बारे में सोचते हैं (तमाम इसके विपरीत विध्वंसात्मक ढंग से दुनिया पर धाक बनाना चाहते हैं) पर बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो अपने को 'समझदार' कहते हैं ये जीवन 'जीते' नहीं हैं, उससे समझौता करते हैं।

जीवन का अर्थ

- दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि वास्तव में जीने के अर्थों का पता न होना और अपने जीवन का उद्देश्य न पहचानना जीवन की सबसे बड़ी क्षति होती है, मृत्यु से भी बड़ी। दुनिया के अधिकांश महान लोगों का जीवन बताता है कि यदि इन्होंने आत्ममंथन अथवा आत्मप्रज्ञा द्वारा अपने जीवन मार्ग को न चुना होता और समाज व परिवार द्वारा निर्धारित दायरे में बंधा जीवन जीते रहते तो दुनिया को महान विचारों और आविष्कारों की सौगात नहीं मिलती और एक व्यक्ति के रूप में इतिहास में उनका कोई नामोनिशान न होता।
- अगर हम एक व्यर्थ और दिशाहीन जीवन की तुलना मृत्यु से करें तो पाएंगे कि मृत्यु तो एक बार ही होती है वह व्यक्ति को चेतना को, प्राण को एक बार ही डहाती है, पर व्यर्थता बोध एवं दिशाहीनता से घिरा जीवन तो हर क्षण मृत्यु जैसी स्थिति में फँसा पाया जाता है। फिर मृत्यु तो एक अपरिहार्य अंत है उसका हम चुनाव नहीं करते लेकिन व्यर्थ और दिशाहीन जीवन तो हमारा चुनाव होता है, यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिये ज्यादा विडंबनापूर्ण है। वैसे भी भारतीय जीवन दर्शन में तो मृत्यु महज रूप परिवर्तन (या ज्यादा-से-ज्यादा वस्त्र परिवर्तन) है, वह तो एक नवीनीकरण जैसी चीज है हमारे यहाँ। इसके मुकाबले निरर्थक जीवन? वह प्रति क्षण विनाशकारी है, वह उस दिशाहीन मिसाइल के समान है जो किसी को भी नष्ट कर सकती है, कहीं भी कहर बरपा सकती है। ऐसे दिशाहीन जीवनों का भार उठाते-उठाते धरती संतृप्त रही है। हर देशकाल में ऐसे व्यक्ति विध्वंस, जड़ता यथास्थितिवाद के कारक रहे हैं जबकि इसके विपरीत जीवन को सोद्देश्य बनाने वाले लोगों ने सभ्यताएँ एवं संस्कृतियाँ गढ़ी हैं।

सत्य

- सत्य के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है, "एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति" अर्थात् वास्तव में संसार में एक ही सत्य (ईश्वर) है। 'ज्ञानी लोग' उसका नाना रूपों में वर्णन करते हैं। यही ईश्वरीय तत्त्व चार में ब्रह्म के रूप में जागा गया और कहा गया कि 'ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या!' ब्रह्म को सत्य मानने का आधार उसकी चिरंतनता थी और जगत् को मिथ्या मानने का आधार उसकी परिवर्तनशीलता एवं क्षणभंगुरता बना।
- जैन मत सत्य को एक भाव मानता है जो निश्छलता, पवित्रता और अहिंसा का प्रतीक है। हिंसा, कपट, चोरी, अब्रह्मचर्णिकता, परिग्रह, काम वासना, क्रोध, अहंकार, हीन भावना, भय, घृणा, लोभ, मिथ्या धारणा, निंदा, चुगली, राग-द्वेष, कलह आदि अपवित्र भावों में प्रवृत्त होना असत्य आचरण है।
- गांधी भी कहते हैं कि सत्य क्या है? यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन अपने लिये मैंने इसे यह कहकर सुलझा लिया है कि जो तुम्हारे अंत:करण की आवाज कहे, वह सत्य है।
- इसी तरह के तर्कों पर आधारित एक दृष्टिकोण कहता है कि कोई पूर्ण सत्य है ही नहीं जो वास्तविकता को परिभाषित करे। अंतत: यह दृष्टिकोण हमें 'परिस्थिति आधारित नैतिकता' की ओर ले जाता है, जिसके अनुसार जो कुछ भी गलत या सही है, वह एक खास स्थिति से संबंधित है। कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, इसलिये जो कुछ भी एक दी गई परिस्थिति में और उस समय में सही या गलत महसूस होता है, वही सही है।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिस्थिति आधारित नैतिकता व्यक्तिपरक एवं अवसरवादी जीवनशैली की ओर भी ले जा सकती है। शाश्वत मूल्यों जैसे सत्य, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा, दया, करुणा आदि का सम्बन्ध सृजन की शक्तियों से है। यदि हम सत्य को सृजन से जोड़कर नहीं देखते तो ऐसे समाज की रचना करते हैं जो सभी तरह के मूल्यों, मान्यताओं, जीवन शैलियों और सत्य के दावों को समान रूप से वैध

मानता है। यह समाज के लिये एक खतरनाक स्थिति होगी जहाँ 'अपने-अपने सत्य' को 'परिस्थितियों' के आधार पर उचित ठहराने की होड़ लग जाएगी!

- चार्ल्स फोर्ट ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि सच्चाई, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा, दया, करुणा जैसे शाश्वत मूल्य जो सभ्यता के आरंभ में सत्य थे, सभ्यता के अंत तक सत्य ही माने जाते रहेंगे क्योंकि सभ्यता शब्द ही उनसे परिभाषित हुआ है। जीवन को सत्य की खोज करने वाले गांधीजी कहते हैं कि आजकल हर आदमी किसी तरह की कोई साधना किये बगैर अंत:करण के अधिकार का दावा कर रहा है और हैरान दुनिया को जाने कितना असत्य थमाया जा रहा है। मैं सच्ची विनम्रता के साथ तुमसे कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति में विनम्रता कूट-कूट कर न भरी हो, उसे सत्य नहीं मिल सकता। यदि तुम्हें सत्य के सागर में तैरना है, तो तुम्हें अपनी हस्ती को पूरी तरह मिटा देना होगा। वे आगे कहते हैं कि सत्य मनुष्य के हृदय में वास करता है और मनुष्य को उसे वहीं खोजना चाहिये; सत्य जिसे जैसा दिखाई दे, वह उसी से निर्देशित हो। निरपेक्ष सत्य को जानना मनुष्य के वश की बात नहीं, उसका कर्त्तव्य है कि सत्य उसे दिखाई दे, वह उसी का अनुगमन करे और ऐसा करते समय शुद्धतम साधन अर्थात् अहिंसा को अपनाए। इस दुनिया में निरपेक्ष सत्य किसी को ज्ञात नहीं है, यह गुण केवल ईश्वर में है, हम सभी को सापेक्ष सत्य का ही ज्ञान है, इसलिये सत्य जैसा हमें दिखाई देता है, हम उसी का अनुगमन कर सकते हैं।

सत्य की खोज

- सत्य की खोज, सत्य की इच्छा मानव हृदय का स्वभाव है। मानव शुरुआत से ही ब्रह्माण्ड के रहस्यों, परम सत्ता और परम सुख के तिलिस्मों को भेदने की लगातार कोशिश करता रहा है। इस क्रम में उसने तमाम भौतिक सुख-सुविधाओं का विकास तो कर लिया परन्तु जिस चीज की उसे वास्तविक प्यास थी, वह न मिटी। यहाँ तक कि वह भूल ही गया कि उसकी वास्तविक चाहत क्या है और जब तक हमें उद्देश्य का पता न हो तो अभीष्ट को पाने की संभावना भी नहीं के बराबर रह जाती है।
- वास्तव में कहें तो सत्य की खोज की बात ही निरर्थक है। खोजा उसे जाता है, जो कहीं खो गया हो। सत्य खोया नहीं है, वह खो भी नहीं सकता क्योंकि वह हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, वह हमारे अंदर है। हाँ, यह हुआ केवल इतना ही है कि हमने उसे विस्मृत कर दिया है और यह विस्मृति इतनी रूढ़ हो गई है कि हम विचार भी नहीं कर सकते कि सत्य हमारी आत्मा का गुण है। हमने उस पर अहंकार के इतने आवरण चढ़ा लिये हैं, अपनी आत्मा को इतना मलिन कर लिया है कि हम सत्य के अनुभव से विमुख हो गए हैं।
- अहंकार विभिन्न स्वरूपों में हमारे हृदय को मलिन करता रहा और हम सत्य की तलाश में मंदिरों, मठों, गिरजाघरों और विभिन्न बाबाओं के दरबार में सिर टेकते रहे। यह ऐसा ही है जैसा कि चश्मा पहनकर चश्मा खोजना और चश्मे की विस्मृति इतनी रूढ़ हो गई है कि वह अब शरीर का अंग-सा बन गया है, उसे उतारना शरीर के किसी अंग को उतारने जैसा लगता है। अहंकार के साथ भी यही स्थिति है। अहंकार को हमने जीवन का अंग बना लिया है। इसे विभिन्न सुंदर नामों से सजाया भी है आत्मसम्मान, स्वाभिमान आदि-आदि। दरअसल ये सारे अहंकार के ही सूक्ष्म रूप हैं।
- सत्य की अगर प्राप्ति करनी है, सत्य का अगर अनुभव चाहिये तो कहीं कोई बाहरी उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। बस हृदय के ऊपर पड़े हुए अहंकार के आवरणों को गिराना भर है, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसलिये कबीर सत्य के अन्वेषकों को बेहद कड़े स्वरों में चेतावनी देते हुए कहते हैं-

कबीरा खड़ा बाजार में, लिये लुकाठी हाथ।
जो घर फूँके आपना, चले हमारे साथ॥

हमारे और सत्य के बीच एक ही बाधा है और वह है अहंकार की बाधा, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में बादलों की बाधा हो, एक मूर्ति के प्रकट होने में अनावश्यक पत्थरों की बाधा हो। बादल छँटे नहीं कि सूर्य प्रकट हुआ, अहंकार हटा नहीं कि सत्य का अनुभव मिला। इसके अलावा सत्य को पाने की कोई और दूसरी शर्त नहीं है।

साहस

- इस धरती पर सभ्यता का प्रसार साहसी मानवों ने ही किया है। ऐसे मानव जो नए प्रयोगों से डरते नहीं थे और उन्हें अपनाने का साहस रखते थे। आग, पहिये, तीर-कमान, मृद्भांड आदि का शुरुआती प्रसार करने वाले साहसी मानवों ने ही मनुष्य को क्रमश: महाबली बनाया। दुनिया के सारे आविष्कार, सभी भौगोलिक खोजें, सभी नए विचार एवं धर्म, बहादुर एवं साहसी लोगों की देन हैं।
- राइट ब्रदर्स, एच.के. हेल्म जैसे साहसी लोगों ने अपनी जान हथेली पर लेकर दर्जनों बार जीवन को दाँव पर लगाकर हवाई यात्रा को संभव बनाया। हम आज उन प्रायोगिक उड़ानों में बैठने वालों के साहस की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो शुरुआती एयरशिप के आविष्कारकर्त्ताओं ने दिखायी थी। कैप्टेन कुक, मैगलैन, वास्कोडिगामा, कोलंबस, लिविंग्स्टन जैसे साहसी खोजकर्ताओं ने एक जमाने में जान हथेली पर लेकर जो कारनामे अंजाम दिये थे उसी का परिणाम है आज का आधुनिक और सुरक्षित विश्व!
- एक कायर डरा हुआ प्राणी होता है जो नई प्रणालियों, नए विचारों, नए अनुभवों को लेकर उदासीन इसलिये होता है क्योंकि उसमें चीजों का सामना करने की नैसर्गिक मानवीय शक्तियों का अभाव होता है जिसे बहादुरी व साहस करते हैं, वह अपनी खोल में छिपा हुआ कछुआ होता है जो केवल साँस लेने के लिये सिर निकालता है। ऐसे मनुष्य आजीवन मृत्यु का इंतजार करते हुए जीवन बिताते हैं तथा पल-पल मरते हैं जबकि एक साहसी व्यक्ति को पता होता है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है उससे क्या डर? वे लोग यह भी जानते हैं कि मानव का जन्म सभ्यता एवं संस्कृति में कुछ जोड़ने के लिये हुआ है अत: वे हमेशा कुछ नया रचने एवं समृद्धि में कुछ जोड़ने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिये वे कोई भी चीज बाधक नहीं मानते हैं।

मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिये

-अंकित रावत

हम अक्सर एक ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जहाँ मानवता उच्च मूल्यों से संपृक्त हो अर्थात् जहाँ शांति, न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वसुधैव कुटुंबकम्, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, बंधुता, समानता आदि मूल्यों को मनुष्य के द्वारा आत्मसात् कर लिया गया हो। लेकिन जैसे ही समाचार पत्र की खबरों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कल्पना से यथार्थ जगत में प्रवेश करते ही हमारे सामने रोहिंग्या शरणार्थी संकट, आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि, वैश्विक मूल्यों की अपेक्षा राष्ट्रवादी व वैयक्तिक मूल्यों या हितों को वरीयता, मानवाधिकारों का हनन इत्यादि घटनाएँ आ जाती हैं। ये सभी घटनाएँ मानवता को गहन क्षति पहुँचाती हैं। एक ऐसे विश्व की कल्पना जहाँ सभी व्यक्ति सुख-सुविधाओं से संपन्न हैं, मानव विकास के सूचकांक पर सभी समुदायों, राष्ट्रों का प्रदर्शन बेहतर है, साथ ही उच्च मूल्यों से संपूर्ण समाज गहराई से जुड़ा हुआ है, यथार्थ से कहीं अधिक दूर नज़र आती है। सवाल केवल व्यक्ति में उच्च मानवीय मूल्यों के समावेश का ही नहीं है, अपितु एक अन्य प्रश्न यह भी उठता है कि क्या आज हम मानवता के दायरे को संकीर्ण अर्थों में देख रहे हैं? उपर्युक्त प्रश्नों का जवाब तलाशने से पूर्व यह जानना आवश्यक हो जाता है कि 'मूल्य' से तात्पर्य क्या है और मूल्य किस प्रकार मानवता के पथ-प्रदर्शक की भूमिका अदा करता है अर्थात् यह इंगित करता है कि मानवता को कैसा होना चाहिये?

वस्तुत: मूल्य किसी समाज या संस्कृति के आधारभूत नैतिक आदर्श या सिद्धांत होते हैं, जो व्यक्ति को नैतिक कार्य करने के लिये प्रेरित करते हैं। साथ ही इन सिद्धांतों या आदर्शों के आधार पर किसी व्यक्ति, समाज या समुदाय के कार्यों का परीक्षण किया जाता है कि वह नैतिक है या अनैतिक? इसके अतिरिक्त मूल्यों के संदर्भ में यह समझना भी ज़रूरी है कि मूल्य 'परिवर्तनशील' होते हैं। यह संभव है कि किसी समाज में किसी मूल्य को मान्यता प्राप्त हो; किंतु किसी अन्य समाज में उस मूल्य को स्वीकारोक्ति न मिले। साथ ही यह भी सत्य है कि समय की गति के साथ

समाज द्वारा कुछ मूल्यों को त्याग दिया जाता है, जबकि बदलते समय व परिस्थितियों के अनुरूप जो मूल्य कसौटियों पर खरे उतरते हैं, उन्हें अपना लिया जाता है। इस प्रकार विश्व के सभी समाज और संस्कृतियों में कुछ ऐसे मूल्यों की प्रधानता होती है, जो सभी संस्कृतियों में विद्यमान होते हैं। इन्हें 'सार्वभौमिक मूल्यों' की श्रेणी में रखा जाता है। सत्य, अहिंसा, सौहार्द, प्रेम, स्वतंत्रता इत्यादि मूल्य सार्वभौमिक मूल्यों के ही उदाहरण हैं।

गौरतलब है कि मूल्यों की व्याप्ति आदर्शों के स्तर पर होती है। चूँकि आदर्शों की प्राप्ति शत्-प्रतिशत नहीं की जा सकती और मूल्य मानव को मानवता की दिशा में प्रेरित करते हैं। इसीलिये मूल्य 'मानवता' न होकर यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि मानवता को कैसा होना चाहिये? उदाहरणस्वरूप, मानव को सिर्फ व्यक्तिगत हितों के आस-पास ही अपने जीवन को नहीं समेट लेना चाहिये; अपने ऊपर समाज को, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र के ऊपर विश्व को वरीयता देनी चाहिये। जब संपूर्ण विश्व में सुख, शांति व समृद्धि होगी, तो स्वाभाविक रूप से हमारे घर व परिवार में भी सुख, शांति और समृद्धि होगी। यही कारण है कि वसुधैव कुटुंबकम् अर्थात् विश्वव्यापी चेतना जैसे मूल्य बतलाते हैं कि मानव को कैसा होना चाहिये। तमिल कवि 'कनियन पुंगुनद्रनार' तमिल भाषा में लिखते हैं- 'यादम उरे, यावरूम केड़ीर' अर्थात् हम सभी स्थानों के लिये अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। इसी मूल्य से प्रेरित आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद अपनी रचना 'कामायनी' में लिखते हैं-

औरों को हँसते देखो मनु, हँसो और सुख पाओ,
अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ।

अब यहाँ पर एक अन्य सवाल यह भी उठता है कि 'मूल्य' मानवता क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि मानवता द्वारा इन मूल्यों को पूर्णत: अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि ये आदर्श या सिद्धांत के रूप में मौजूद होते हैं। इसके अलावा मूल्य सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक भी होते हैं अर्थात् कुछ मूल्य बदलते समय के साथ स्वयं को मानवता से जोड़ नहीं पाते हैं इसीलिये उन्हें रूढ़िवादी मूल्यों की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि जातिवाद, बाल विवाह, पशुओं की हत्या जैसे मूल्य आधुनिक मनुष्य के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मूल्य सकारात्मक हैं और सार्वभौमिक हैं, वे मानवता के पथ-प्रदर्शक होते हैं। उदाहरणार्थ न्याय, शांति, मानवीय गरिमा, समानुभूति, सत्यनिष्ठा, विविधता का सम्मान इत्यादि मूल्यों की मानवता द्वारा पूर्णत: प्राप्ति नहीं की जा सकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व में इन मूल्यों का कुछ अंश ही विद्यमान है। यही कारण है कि विश्व में मानवाधिकारों का उल्लंघन, नव-उपनिवेशवाद, व्यक्तियों की स्वार्थवादी प्रवृत्ति में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरणीय मूल्यों का ह्रास होने से पर्यावरणीय प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ नज़र आ रही हैं।

अत: विश्व में जितने भी समाज-सुधारक, दर्शनशास्त्री, कवि व मानवतावादी हुए हैं, उन सभी ने मूल्यों के विकास पर अत्यधिक बल दिया है। 'सद्गुण नीतिशास्त्र' में सुकरात, प्लेटो, अरस्तू ने साहस, संयम, विवेक, न्याय जैसे सद्गुणों के महत्त्व को प्रतिपादित किया है। तो दूसरी तरफ, भारतीय परंपरा में 'गीता' में 'निष्काम कर्मयोग' के मूल्य को स्वीकारा गया है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अर्थात् फल की इच्छा न रखते हुए अपना कर्त्तव्य करना चाहिये। बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा, 'अप्प दीपो भव' इत्यादि मूल्यों को महत्त्व दिया गया है। जबकि जैन धर्म में अहिंसा, पशुओं के प्रति दया का भाव आदि मूल्यों को मानवता के लिये आवश्यक माना गया है। इसके अतिरिक्त गांधीजी का अपरिग्रह व्रत, साधन-साध्य की पवित्रता, अहिंसा, सत्य इत्यादि मूल्य वर्तमान मानवीय सभ्यता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन मूल्यों के पालन से न केवल वर्तमान की अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है, बल्कि वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' में रामराज्य की परिकल्पना की गई है। 'रामराज्य' में शासन संचालन के उच्च आदर्शों को अपनाया गया है, जहाँ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद होने के साथ-साथ गरीबी, बेरोज़गारी, अकाल जैसी समस्याएँ नहीं हैं। रामराज्य में चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि है। नि:संदेह 'रामराज्य' अर्थात् कल्याणकारी राज्य की दिशा में वर्तमान लोकतांत्रिक देश प्रयासरत् हैं।

अल्प मृत्यु नहिं कवनिउँ पीरा। सब सुन्दर विरूज सरीरा।।
नहिं दरिद्र कोउ दु:खी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।

वस्तुत: मानवता के लिये मूल्यों की प्रवृत्ति स्थायी नहीं है। समाज कुछ मूल्यों का निर्धारण करता है, उनकी प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत् होता है तथा उन तक पहुँचने के पश्चात् स्वयं के लिये फिर से नए मूल्यों का निर्धारण करता है। इस प्रकार यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और किसी खास बिंदु पर आकर यह प्रक्रिया संपन्न हो जाए-ऐसा संभव नहीं है। उदाहरणार्थ- यूरोप में 'पुनर्जागरण' के काल में मानवतावादी मूल्य, परलोक की जगह इहलोक का महत्त्व तथा मानव की क्षमता पर अत्यधिक बल देना जैसे मूल्यों का विकास हुआ। इसी तरह फ्राँसीसी क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व मूल्य बने। 20वीं सदी में शांति, न्याय, खुलापन, विविधता का सम्मान, नस्ल के आधार पर लोगों से भेदभाव न करना इत्यादि मूल्यों को महत्त्व दिया गया। रंगभेदी मानसिकता और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने के विरुद्ध 20वीं सदी में रंगभेद विरोधी आंदोलन चले। अत: नस्लीय समानता व मानवाधिकार जैसे मूल्यों का प्रतिनिधित्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेदी नीतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलनों में मिलता है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन के निम्नलिखित कथन में इन मूल्यों की अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है- I have no race prejudices, and I think I have no colour prejudices nor caste prejudices, nor creed prejudices. Indeed, I know it. I can stand any society. All that I care to know is that a man is a human being – that is enough for me; he can't be any worse.

21वीं सदी में भी नए मूल्यों का विकास हो रहा है या उन्हें महत्त्व दिया जा रहा है, जिनकी प्राप्ति के लिये व्यक्ति प्रयत्नरत है। दृष्टांत के तौर पर 'पर्यावरणीय मूल्य' की आवश्यकता अन्य शताब्दियों या समय की तुलना में 21वीं सदी में अत्यधिक है। औद्योगिक क्रांति से पर्यावरणीय संसाधनों का जो अनियंत्रित दोहन शुरू हुआ है, उसके कारण जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या मानवता के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ा संकट है। इस समस्या ने मनुष्य के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न उत्पन्न कर दिया है। इन परिस्थितियों में मनुष्य द्वारा पर्यावरणीय मूल्य को आत्मसात् करना व पर्यावरणीय नैतिकता को महत्त्व देना, उसके जीवन के लिये अपरिहार्य हो जाता है। वर्तमान में विभिन्न एनजीओ, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएँ व नागरिक कार्यकर्त्ता पर्यावरणीय मूल्य को विश्व में प्रोत्साहित करने का भलीभाँति प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमिताभ घोष की पुस्तक 'The Great Derangement: climate change and the unthinkable' में जलवायु परिवर्तन की समस्या व इससे उत्पन्न चुनौतियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया

गया है। इसी तरह, हमारे विश्व में परिवर्तन लाने के लिये व विश्व को सुंदर व न्यायसंगत बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'लीविंग नो वन बिहाइंड' के मूल्य पर एजेंडा, 2030 की अवधारणा रखी गई है, जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य निर्धारित हैं; जिन्हें 2030 तक पूरा करने का संकल्प रखा गया है। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व पर्यावरणीय मूल्य समाहित हैं, जो इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि मानवता गरीबी, भुखमरी से मुक्त होने के साथ-साथ समानता, न्याय और सहयोग पर आधारित हो।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल्य, आदर्श या सिद्धांत के रूप में मौजूद होते हैं। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार मूल्य परिवर्तनशील भी होते हैं तथा नए-नए मूल्यों को मनुष्य के द्वारा महत्त्व दिया जाने लगता है। चूँकि आदर्श की शत्-प्रतिशत प्राप्ति संभव नहीं है, इसीलिये बेहतर यही है कि मनुष्य इन आदर्शों की प्राप्ति के जितना अधिक नज़दीक पहुँच सके, उतना ही मूल्यों से सुसंगत मानवता का विकास हो सकेगा। यह ज़रूरी भी है क्योंकि मूल्य न केवल मनुष्य को नैतिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं बल्कि ये व्यक्ति में 'अधिकार चेतना' के साथ-साथ 'कर्त्तव्य चेतना' का भी विकास करते हैं। फलतः समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है। महत्त्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि मूल्य न केवल व्यक्ति के स्तर पर बल्कि समाज, संस्था और राज्य के स्तर पर भी मानवता को कैसा होना चाहिये, इसका निर्धारण करने में भी सहायक हैं। जैसे कि, समाज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मूल्यों को महत्त्व न दे, जो समाज में कुछ व्यक्तियों के शोषण का आधार बने। दूसरी तरफ वर्तमान में राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल कानूनों का निर्माता ही न हो अपितु कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन करे तथा शासन प्रणाली में नागरिक केंद्रित प्रशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता, खुलेपन की संस्कृति इत्यादि मूल्यों से युक्त हो।

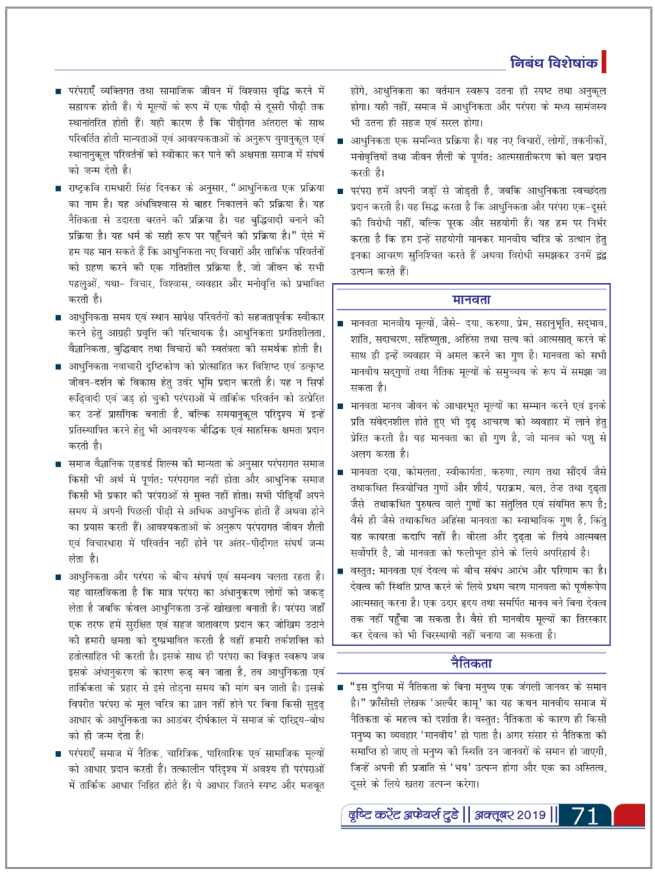

निबंध विशेषांक

- परंपराएँ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में विश्वास वृद्धि करने में सहायक होती हैं। ये मूल्यों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। यही कारण है कि पीढ़ीगत अंतराल के साथ परिवर्तित होती मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप युगानुकूल एवं स्थानानुकूल परिवर्तनों को स्वीकार कर पाने की अक्षमता समाज में संघर्ष को जन्म देती है।
- राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार, "आधुनिकता एक प्रक्रिया का नाम है। यह अंधविश्वास से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह नैतिकता से उदासता बरतने की प्रक्रिया है। यह बुद्धिवादी बनाने की प्रक्रिया है। यह धर्म के सही रूप पर पहुँचने की प्रक्रिया है।" ऐसे में हम यह मान सकते हैं कि आधुनिकता नए विचारों और तार्किक परिवर्तनों को ग्रहण करने की एक गतिशील प्रक्रिया है, जो जीवन के सभी पहलुओं, यथा- विचार, विश्वास, व्यवहार और मनोवृत्ति को प्रभावित करती है।
- आधुनिकता समय एवं स्थान सापेक्ष परिवर्तनों को सहजतापूर्वक स्वीकार करने हेतु आग्रही प्रवृत्ति की परिचायक है। आधुनिकता प्रगतिशीलता, वैज्ञानिकता, बुद्धिवाद तथा विचारों की स्वतंत्रता की समर्थक होती है।
- आधुनिकता नवाचारी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर विशिष्ट एवं उत्कृष्ट जीवन-दर्शन के विकास हेतु उर्वर भूमि प्रदान करती है। यह न सिर्फ रूढ़िवादी एवं जड़ हो चुकी परंपराओं में तार्किक परिवर्तन को उत्प्रेरित कर उन्हें प्रासंगिक बनाती है, बल्कि समयानुकूल परिदृश्य में इन्हें प्रतिस्थापित करने हेतु भी आवश्यक बौद्धिक एवं साहसिक क्षमता प्रदान करती है।
- समाज वैज्ञानिक एडवर्ड शिल्स की मान्यता के अनुसार परंपरागत समाज किसी भी अर्थ में पूर्णतः परंपरागत नहीं होता और आधुनिक समाज किसी भी प्रकार की परंपराओं से मुक्त नहीं होता। सभी पीढ़ियाँ अपने समय में अपनी पिछली पीढ़ी से अधिक आधुनिक होती हैं अथवा होने का प्रयास करती हैं। आवश्यकताओं के अनुरूप परंपरागत जीवन शैली एवं विचारधारा में परिवर्तन नहीं होने पर अंतर-पीढ़ीगत संघर्ष जन्म लेता है।
- आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष एवं समन्वय चलता रहता है। यह वास्तविकता है कि मात्र परंपरा का अंधानुकरण लोगों को जकड़ लेता है जबकि केवल आधुनिकता उन्हें खोखला बनाती है। परंपरा जहाँ एक तरफ हमें सुरक्षित एवं सहज वातावरण प्रदान कर जोखिम उठाने की हमारी क्षमता को दुष्प्रभावित करती है वहीं हमारी तर्कशक्ति को हतोत्साहित भी करती है। इसके साथ ही परंपरा का विकृत स्वरूप जब इसके अंधानुकरण के कारण रूढ़ बन जाता है, तब आधुनिकता एवं तार्किकता के प्रहार से इसे तोड़ना समय की माँग बन जाती है। इसके विपरीत परंपरा के मूल चरित्र का ज्ञान नहीं होने पर बिना किसी सुदृढ़ आधार के आधुनिकता का आडंबर दीर्घकाल में समाज के दारिद्र्य-बोध को ही जन्म देता है।
- परंपराएँ समाज में नैतिक, चारित्रिक, पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों को आधार प्रदान करती हैं। तत्कालीन परिदृश्य में अवश्य ही परंपराओं में तार्किक आधार निहित होते हैं। ये आधार जितने स्पष्ट और मज़बूत होंगे, आधुनिकता का वर्तमान स्वरूप उतना ही स्पष्ट तथा अनुकूल होगा। यही नहीं, समाज में आधुनिकता और परंपरा के मध्य सामंजस्य भी उतना ही सहज एवं सरल होगा।
- आधुनिकता एक समन्वित प्रक्रिया है। यह नए विचारों, लोगों, तकनीकों, मनोवृत्तियों तथा जीवन शैली के पूर्णतः आत्मसातीकरण को बल प्रदान करती है।
- परंपरा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, जबकि आधुनिकता स्वच्छंदता प्रदान करती है। यह सिद्ध करता है कि आधुनिकता और परंपरा एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक और सहयोगी हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन्हें सहयोगी मानकर मानवीय चरित्र के उत्थान हेतु इनका आचरण सुनिश्चित करते हैं अथवा विरोधी समझकर उनमें द्वंद्व उत्पन्न करते हैं।

मानवता

- मानवता मानवीय मूल्यों, जैसे- दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सद्भाव, शांति, सदाचरण, सहिष्णुता, अहिंसा तथा सत्य को आत्मसात् करने के साथ ही इन्हें व्यवहार में अमल करने का गुण है। मानवता को सभी मानवीय सद्गुणों तथा नैतिक मूल्यों के समुच्चय के रूप में समझा जा सकता है।
- मानवता मानव जीवन के आधारभूत मूल्यों का सम्मान करने एवं इनके प्रति संवेदनशील होते हुए भी दृढ़ आचरण को व्यवहार में लाने हेतु प्रेरित करती है। यह मानवता का ही गुण है, जो मानव को पशु से अलग करता है।
- मानवता दया, कोमलता, स्वीकार्यता, करुणा, त्याग तथा सौंदर्य जैसे तथाकथित स्त्रियोचित गुणों और शौर्य, पराक्रम, बल, तेज तथा दृढ़ता जैसे तथाकथित पुरुषत्व वाले गुणों का संतुलित एवं संयमित रूप है; वैसे ही जैसे तथाकथित अहिंसा मानवता का स्वाभाविक गुण है, किंतु यह कायरता कदापि नहीं है। वीरता और दृढ़ता के लिये आत्मबल सर्वोपरि है, जो मानवता को फलीभूत होने के लिये अपरिहार्य है।
- वस्तुतः मानवता एवं देवत्व के बीच संघर्ष आरंभ और परिणाम का है। देवत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रथम चरण मानवता को पूर्णरूपेण आत्मसात् करना है। एक उदार हृदय तथा समर्पित मानव बने बिना देवत्व तक नहीं पहुँचा जा सकता है। वैसे ही मानवीय मूल्यों का तिरस्कार कर देवत्व को भी चिरस्थायी नहीं बनाया जा सकता है।

नैतिकता

- "इस दुनिया में नैतिकता के बिना मनुष्य एक जंगली जानवर के समान है।" फ्राँसीसी लेखक 'अल्बैर कामू' का यह कथन मानवीय समाज में नैतिकता के महत्त्व को दर्शाता है। वस्तुतः नैतिकता के कारण ही किसी मनुष्य का व्यवहार 'मानवीय' हो पाता है। अगर संसार से नैतिकता की समाप्ति हो जाए तो मनुष्य की स्थिति उन जानवरों के समान हो जाएगी, जिन्हें अपनी ही प्रजाति से 'भय' उत्पन्न होगा और एक का अस्तित्व, दूसरे के लिये खतरा उत्पन्न करेगा।

व्यक्ति के लिये जो सर्वश्रेष्ठ है, वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिये भी हो

-हिमांशु सिंह

महान विचारक रूसो ने कहा था, "व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है।" अब प्रश्न उठता है कि ये कौन-सी बेड़ियाँ हैं जिन्हें मनुष्य साथ लेकर आता है? ये कैसे बंधन हैं जो इस सामाजिक पशु को यावज्जन्म बांधे रखते हैं? दरअसल, ये संबंधों के बंधन हैं, वैसे संबंधों के बंधन जिनसे समाज स्वयं बना है और जिन्हें वह 'संविदा' की तरह हम पर भी आरोपित करता है। इस तरह समाज में व्यक्ति का स्थान दीवार की ईंट जैसा हो जाता है जो स्वयं दीवार की तुलना में चाहे जितनी छोटी हो, पर उसकी एक तय जगह है, जहाँ से उसके हिलने पर पूरी दीवार की ईंटें प्रभावित होंगी। संक्षेप में कहें तो समाज हमें, हम जैसों के बीच महत्त्वपूर्ण बनाता है। ऐसे में समझना कठिन नहीं है कि व्यक्ति की बदलती जगह से प्रभावित हो जाने वाला समाज व्यक्ति के अंदर चल रहे बदलावों से भी भरपूर प्रभावित होगा। कुल मिलाकर प्रतीत होता है कि समाज और व्यक्ति के हित परस्पर जुड़े हुए हैं और जो व्यक्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ होगा वही समाज के लिये भी सर्वश्रेष्ठ होगा। इस प्रतीति के प्रामाणिक परीक्षण के लिये सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि व्यक्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ क्या है? इस संदर्भ में 'टू हैव ऑर टू बी' पुस्तक के माध्यम से अभिव्यक्त लेखक 'एरिक फ्रॉम' की चिंता का उल्लेख करना ज़रूरी हो जाता है। एरिक फ्रॉम की यह चिंता व्यक्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ क्या है, के प्रश्न पर केंद्रित है। क्या बहुत सारी जीवनोपयोगी वस्तुओं का भंडारण और धन का संग्रहण ही व्यक्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ है या व्यक्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ है उस रास्ते को समझ पाना जिससे उसका जीवन सुखमय रहे और आनंद से बीते? इन दोनों प्रश्नों का विश्लेषण ही हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा।

सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि शरीर की मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद प्रसन्नता का सीधा संबंध हमारी संतुष्टि से होता है और प्रसन्न होने के लिये ज़रूरी संतुष्टि हमें हमारे अंदर ही मिल सकती है। इस संदर्भ में मशहूर गायक 'बॉब मार्ले' का कथन प्रासंगिक हो जाता है, "पैसा हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह दरअसल एक संख्या है और संख्याएँ अनंत होती हैं।" सही भी है कि संपत्ति या संसाधन साधन मात्र हैं साध्य तो बस हमारी प्रसन्नता है। और गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि दरअसल प्रसन्नता भी एक माध्यम ही है जिसके द्वारा हम संतुष्टि को साधते हैं। ज़ाहिर है 'टू हैव ऑर टू बी' की चिंता के अंतिम चरण में

'टू बी' की विजय होनी चाहिये लेकिन फिर भी समाज में कुछ एक वर्ग ऐसे ज़रूर रहते हैं जो संसाधनों के भंडारण को ही असली सुख समझते हैं, और उसी में संतुष्टि पाते हैं। ऐसे में ये लोग व्यक्ति और समाज के साझे हितों के सम्मुख अपवाद की तरह खड़े होते हैं। अपरिग्रह के मूल्य की अवहेलना करने वाले इन्हीं लोगों की वजह से यह धारणा निर्मित होती है कि व्यक्ति के लिये जो सर्वश्रेष्ठ है, वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिये भी सर्वश्रेष्ठ होगा।

दूसरी तरफ यदि विशेषाधिकारों पर विचार करें तो ये ऐसे विशिष्ट लाभ, अधिकार या प्रदान किये प्रतिरक्षा उपकरण होते हैं, जो केवल कुछ व्यक्तियों एवं समूहों को प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार अधिकार से अलग होते हैं, जैसे- शिक्षा प्रत्येक मानव का एक मौलिक अधिकार है जबकि कार पर लाल बत्ती लगाकर चलना कुछ लोगों का विशेषाधिकार होता है। विशेषाधिकार अपनी मूल प्रकृति में ही असमानता पर आधारित होते हैं। पर व्यक्ति विशेष और उसके 'सर्वश्रेष्ठ' से सुसंगत होते हैं।

इस संदर्भ में पंडित नेहरू का कथन है, "असफलता केवल तभी आती है, जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। यह बात छद्म लोकतांत्रिक समाज या वर्तमान से कुछ शताब्दी पहले के समाजों में व्याप्त विशेषाधिकारों के संदर्भ में स्पष्टत: देखी जा सकती है। दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बंधुत्व की स्थापना के लिये हुई अमेरिकी क्रांति, फ्राँसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इन विशेषाधिकारों की प्रतिक्रिया में ही फलीभूत हुए हैं।"

पूरी दुनिया पर शासन करने वाली ब्रिटिश सत्ता स्वयं को लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक कहती थी, किंतु वास्तव में उसने अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को प्रभावी बनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि न अस्त होने वाली ब्रिटिश सत्ता का सूर्य अस्त हो गया।

उपर्युक्त उदाहरण के संदर्भ में मूल प्रश्न यह उठता है कि सिद्धांतों पर विशेषाधिकारों को महत्त्व देने पर कोई समाज क्यों सिद्धांतों और विशेषाधिकारों, दोनों से हाथ धो बैठता है? इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद कृत 'कामायनी' की ये पंक्तियाँ सार्थक उत्तर देती हुई प्रतीत होती हैं-

"ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है
इच्छा क्यों पूरी हो मन की
एक-दूसरे से न मिल सके
यह विडंबना है जीवन की"

निश्चित रूप से विशेषाधिकारों को सिद्धांतों से ज़्यादा महत्त्व देने की प्रवृत्ति ने पूरी दुनिया के समाजों को उनके आदर्शों तथा समावेशी विकास के लक्ष्य से दूर किया है और संपूर्ण विश्व में 'सार्थक नेतृत्व का संकट' उत्पन्न किया है जिसने वैश्विक चुनौतियों, जैसे- जलवायु परिवर्तन, साइबर असुरक्षा, आतंकवाद तथा शरणार्थी संकट जैसी विषम परिस्थितियों को भयावह बनाया है। इन चुनौतियों का तार्किक समाधान सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी जैसे सिद्धांतों को धारण करने वाला नेतृत्व ही कर सकता है।

पर संसाधनों की तरह ही विशेषाधिकार भी चाहे एक व्यक्ति के 'सर्वश्रेष्ठ' से सुसंगत हो, पर वह पूरे समाज के सर्वश्रेष्ठ से कभी सुसंगत नहीं हो सकता। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को समझें और आत्मसात् करें- "ऐसा कुछ भी जो छत्ते के लिये हानिकारक है, मधुमक्खी के लिये कभी फायदेमंद नहीं हो सकता।" हमारा समाज अगर छत्ता है, तो हम मधुमक्खियाँ हैं और समझना हमें यह है कि समाज का हित व्यक्ति के हित से अलग नहीं है। समाज का हित पूरी मानव जाति के हित को साधने का एक सीधा और सपाट रास्ता है, पर इस पर चलने के लिये हमें कुछ व्यक्तिगत हितों की बलि देनी ही होगी।

स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं

-अंकित रावत

व्यक्ति के जीवन में विशेष घटना अथवा परिचर्चा संभवत: स्मृतियों में स्थायी स्थान बना लेती है। इसी प्रकार की एक परिचर्चा मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। एक समय, किसी क्षेत्र में अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद मेरे प्रदर्शन में सुधार नहीं हो पा रहा था, साथ ही मैं अपनी असफलता को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। किंतु, सबसे बढ़कर स्वयं की गलतियों की भी पहचान नहीं हो पा रही थी। दूसरे शब्दों में कहें, तो जो गलतियाँ मुझसे हो रही थीं, उनको स्वीकारने का साहस मेरे अंदर नहीं था और यह महसूस होने लगा था कि शायद अब मुझे सफलता कभी प्राप्त होगी ही नहीं। इसी क्रम में जब मैं अपने मित्र से मिला, तो इस संबंध में उससे चर्चा की। मेरे प्रश्नों का जब उसने तार्किक जवाब दिया, तो नि:संदेह वह क्षण मेरे जीवन की बेहतर स्मृतियों में शामिल हो गया। उसका जवाब था- 'डियर फ्रेंड' तुम अपनी गलतियों की पहचान नहीं कर पा रहे हो। अधिक कठोर शब्दों में कहा जाए, तो तुममें अपनी अक्षमताओं व गलतियों को स्वीकार करने का साहस नहीं है। इसीलिये उन गलतियों को दूर करने की निष्ठा उत्पन्न नहीं हो पा रही है अर्थात् स्वयं को अभ्यास के ज़रिये निरंतर सुधार लाकर बेहतर नहीं बना पा रहे हो। जवाब को सुनकर उसकी प्रासंगिकता को टटोलने का प्रयास किया, तो यह पूर्णत: सत्य दृष्टिगोचर हुआ। इस घटना से पूर्व वास्तव में मैंने कभी उपर्युक्त प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था कि विश्व में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनकी सफलता के दो मंत्र- स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा ही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सफ़लतम कप्तान 'महेंद्र सिंह धोनी' का जब अनेक प्रयासों के बावजूद प्रारंभ में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तो वे अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए उनमें निरंतर सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं अर्थात् धोनी में सुधार की निष्ठा थी। वैसे भी 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' का एक दृश्य, जो शायद काल्पनिक हो सकता है लेकिन उनकी सफलता के मंत्र को भलीभाँति रेखांकित करता है, जब क्रिकेट टीम में सेलेक्शन न होने पर वे असफलता को स्वीकारते हुए मित्रों को पार्टी देते हैं। इसी तरह 'थॉमस अल्वा एडीसन' की असफलता से सफलता की यात्रा बड़ी रोचक है। उन्हें भी अपने प्रयासों में अनेक बार असफलता मिली; परंतु उन्होंने इन असफलताओं से पलायन का रास्ता चुनने की बजाय अपनी गलतियों व असफलताओं को सहर्ष स्वीकारा। उनमें सुधार लाने का प्रतिदिन प्रयत्न किया। एडीसन में सुधार करने की निष्ठा थी; तभी

तो 'बल्ब' के आविष्कार में सैंकड़ों बार असफल होने के बावजूद अंततः उन्होंने अपनी सफ़लता से संपूर्ण विश्व में रोशनी ला दी। एडीसन का निम्नलिखित कथन उनकी सफलता के दो मंत्र- स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा को ही बतलाते हैं– "I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work" अर्थात् मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने उन 10,000 तरीकों की खोज कर ली है, जो सफल नहीं हो सकते।

अब सवाल यह उठता है कि वैसे भी 'साहस' व्यक्ति की सफलता का तो मंत्र होता ही है, तथापि स्वीकारोक्ति का साहस 'सर्वोत्तम साहस' की श्रेणी में सम्मिलित क्यों होता है? वे कौन-से कारक हैं जिनसे स्वीकारोक्ति का साहस व्यक्ति में विकसित नहीं हो पाता है? वस्तुतः स्वयं को 'सर्वश्रेष्ठ' समझने की मनुष्य की मनोवृत्ति स्वीकारोक्ति के साहस की राह में सर्वाधिक कठिन चुनौती है। फलतः हम स्वयं के अंदर समीचीन रूप से देख नहीं पाते हैं अर्थात् आत्ममूल्यांकन की स्थिति में नहीं होते। इस कारण हमारे अंदर जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि हम उन गलतियों और असफलताओं को सफलता में परिवर्तित नहीं कर पाते क्योंकि सफलता की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उनमें सुधार की निष्ठा रखेंगे। इसीलिये गौतम बुद्ध भी कहते हैं– "इस संसार में देखने के लिये बहुत-से खूबसूरत स्थान हैं पर सबसे खूबसूरत है बंद आँखों से अपनी ओर देखना"। इसी बात को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार 'कबीरदास' भी रेखांकित करते हैं। कबीर का मत है कि दूसरे व्यक्तियों की आलोचना करने की बजाय हमें स्वयं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। ईमानदारीपूर्वक अपनी आलोचना करना बहुत बड़ी बात है। हम, दूसरे व्यक्तियों में तो अनेक दोषों की शृंखला आसानी से निर्मित कर सकते हैं। परंतु स्वयं के भीतर का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन नहीं कर पाते। इससे आगे बढ़कर व्यक्ति को अगर स्वयं में कोई बुराई नज़र आती भी है, तो वह उसको स्वीकारता नहीं है; अपितु उससे पलायन का रास्ता चुनता है। जब हम स्वयं का सूक्ष्म विश्लेषण कर लेंगे, तो सर्वोत्तम साहस अर्थात् स्वीकारोक्ति के साहस को अपनाना अपेक्षाकृत सरल होगा। इसी कारण कबीर कहते हैं:

"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय॥'

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वीकारोक्ति का साहस वास्तव में सर्वोत्तम साहस है। अहं भावना, स्वयं के अंदर न देख पाने की अक्षमता इत्यादि कारणों से स्वीकारोक्ति का साहस विकसित नहीं हो पाता। जिसके चलते व्यक्ति को अनेक प्रकार के नकारात्मक परिणामों से जूझना पड़ता है। इसका सर्वप्रमुख नकारात्मक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के अहं केंद्रित होने से उसके पतन का मार्ग खुल जाता है। विश्व में हमें अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा नहीं थी, जिससे वे पतन के गर्त में विलीन हो गए। जैसे कि मार्क्सवादी या समाजवादी विचारधारा की तुलना में पूंजीवादी विचारधारा का विश्व में अधिक प्रसार होने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें नई-नई चीज़ों को अपनाने के लिये स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। बदलते समय के साथ पूंजीवाद ने सूचना एवं संचार क्रांति से कदमताल मिलाया, 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा को अपनाकर असमानता को कम करने का प्रयास किया व 'कल्याणकारी राज्य' के माध्यम से नागरिक केंद्रित प्रशासन और नागरिकों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि का प्रयत्न किया। इसके विपरीत समाजवादी विचारधारा में स्वीकारोक्ति का साहस अत्यंत न्यून था। आज हम देखे सकते हैं कि कौन-सी विचारधारा या शासन व्यवस्था अधिक सफल है। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा, दोनों ही व्यक्ति को इन नकारात्मक मनोवृत्तियों, जो न केवल व्यक्ति की सफलता में बाधक बनती हैं अपितु उसे पतन के मार्ग की ओर ले जाती हैं, से बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हिंदी के क्रांतिकारी कवि महाप्राण 'निराला' अपनी प्रसिद्ध कविता 'कुकुरमुत्ता' में कुकुरमुत्ता के माध्यम से इसी आत्ममुग्धता व अहंकारपूर्ण मनोवृत्ति का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में करते हैं-

"मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि-व्यास ने
मुझी से पोथे निकाले भास-कालिदास ने"

* * * * * * * * * * * * * *

"घूमता हूँ सर चढ़ा,
तू नहीं, मैं ही बड़ा।"

अब यहाँ पर एक अन्य प्रश्न यह भी उठता है कि स्वीकरोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा, दोनों गुणों का अंतर्संबंध है या नहीं? वस्तुतः अगर व्यक्ति में स्वीकारोक्ति का साहस है, तो यह स्पष्ट है कि अगर उससे कुछ गलती हो गई है, तो वह उसको विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर पाता है। दूसरी ओर, जिस क्षेत्र में उसे असफलता मिल रही है, उस असफलता को स्वीकारते हुए वह उसके कारणों की समुचित पहचान कर सकेगा। एक अर्थ में, जिस व्यक्ति में उपर्युक्त विशेषता विद्यमान है, वह संभवतः सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ सकता है और वह उन व्यक्तियों से अवश्य ही आगे है जिनमें स्वीकारोक्ति का साहस जैसे 'सद्गुण' का अभाव है। लेकिन यहीं से दूसरे गुण का भी आरंभ होता है। भले ही व्यक्ति में स्वीकारोक्ति का साहस हो, परंतु यदि उसमें 'सुधार की निष्ठा' गुण की उपस्थिति नहीं है, तो वह अपनी गलतियों की पहचान तो कर सकता है किंतु उनको दूर करने व सफ़लता प्राप्ति के लिये सही राह नहीं पा सकता है। सफलता की प्राप्ति के लिये निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है और यह अभ्यास की प्रवृत्ति व्यक्ति में तभी आ सकती है, जब उसमें न केवल स्वीकारोक्ति का साहस हो बल्कि सुधार करने की निष्ठा भी मौजूद हो। इन दोनों के सम्मिलित प्रभावों से ही व्यक्ति में अनुशासन, लगनशीलता, लक्ष्य के प्रति समर्पण जैसे सद्गुणों का विकास होता है। इसीलिये इटली के पुनर्जागरणकालीन कवि तथा वास्तुकार माइकल एंजेलो लिखते हैं- "छोटी-छोटी बातों से 'पूर्णता' प्राप्त होती है और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं।"

यह भी विचारणीय है कि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा से व्यक्ति में कृतज्ञता, लगनशीलता, स्वयं को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास, ईमानदारीपूर्वक प्रयत्न करना तथा कठिन परिस्थितियों में भी हार न स्वीकार करने जैसे गुणों का विकास होता है। ये सभी गुण व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का सर्वोच्च दोहन करने की शक्ति देते हैं। जिससे वह अभ्यास के द्वारा निरंतर अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्कृष्टता के बिंदु पर पहुँचने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं को भ्रम में नहीं रखते हैं, और स्वयं को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समझने की बजाय जैन धर्म के 'स्यादवाद' में विश्वास रखते हैं। उन्हें अपनी सीमाओं की भलीभांति पहचान होती है। ये ईमानदारीपूर्वक स्वीकार भी करते हैं कि हमारा ज्ञान

सीमित और सापेक्ष है। इसके बावजूद उनमें सुधार की निष्ठा होती है। उसैन बोल्ट, एलन मस्क, मोहम्मद अली, क्रिस्टियान रोनाल्डो, रूसो, स्टीव जॉब्स आदि जैसे सफल व्यक्तियों के सैंकड़ों उदाहरण हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सफलता अर्जित की। इस सफलता के मूल में- स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने निष्ठा ही है। ये गुण जब किसी व्यक्ति में होते हैं, तो वह निराशा के गहन अंधकार में न डूबकर सदैव 'आशा' के दीपक को जलाए रखता है। जीवन में लक्ष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना अति आवश्यक है क्योंकि जब हम लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ मिलें। किंतु आशावादी व सकारात्मक दृष्टिकोण हमें लक्ष्य के समीप ले जाने का कार्य करता है।

'दुष्यंत कुमार' की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी हमें यही दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रेरित करती हैं–

"इस नदी की धार पर ठंडी हवा आती तो है,
नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है,
एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों,
इस दिये में तेल से भीगी हुई बाती तो है"

स्पष्ट है कि सुधार करने की निष्ठा एवं स्वीकारोक्ति का साहस किसी संस्था व देश की सफलता के लिये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी व्यक्ति के लिये। उदाहरणस्वरूप, भारत में 'इसरो' और 'निर्वाचन आयोग' जैसी संस्थाएँ इसीलिये सफल हो सकी हैं क्योंकि ये संस्थाएँ स्वयं में बदलते समय के साथ परिवर्तन ला सकी हैं। इन्होंने अपनी कमज़ोरियों को स्वीकारते हुए सुधार के प्रति निष्ठा दिखाई है। इसी का परिणाम है कि इसरो 2022 तक मानव अंतरिक्ष मिशन (गगनयान) को पूरा करने की तैयारी में जुटा है; तो निर्वाचन आयोग विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सफलतापूर्वक चुनाव को संपन्न कराके विश्व में 'रोल मॉडल' बना हुआ है। इसके विपरीत, भारत में स्थापित अनेक सार्वजनिक उद्यम केवल इसीलिये बंद पड़ गए क्योंकि उनमें सुधार की निष्ठा की कमी थी। तुलसी के 'रामचरितमानस' में राम स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा की मानसिकता से संपृक्त हैं और प्रजा से कहते हैं, "अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्रजा मुझे अपनी भूल से अवगत कराकर रोक सकती है।"

वर्तमान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के युग में किसी भी देश की शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये अपरिहार्य हो जाता है कि अगर सरकार से कोई गलती हो जाए, तो वह उसे स्वीकार करे तथा स्वयं को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करे। तभी कोई राज्य सामाजिक न्याय, नागरिक केंद्रित प्रशासन और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करके तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान कर सकता है।

समग्रत: यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मूल मंत्र हैं। इन गुणों से संपृक्त व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता अर्जित कर सकता है, क्योंकि इन्हीं दो गुणों से अन्य गुणों का विकास होता है, जो असफलता में सहायक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। दोनों गुणों में से अगर एक की भी कमी है, तो सफलता को प्राप्त कर पाना लगभग नामुमकिन है। उदाहरणस्वरूप, 'ओलंपिक' में चीन और भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में इस वक्तव्य को समुचित तरीके से देखा जा सकता है। पूर्व में ओलंपिक खेलों में चीन और भारत दोनों देशों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। भारत वर्तमान में भी उसी स्थिति में है जबकि चीन ने ओलंपिक खेलों के स्तर पर अपने खराब प्रदर्शन को स्वीकारा और उसमें सुधार के लिये प्रतिबद्धता भी दिखाई। इसी का परिणाम है कि चीन आज ओलंपिक पदकतालिका में उच्च पदक प्राप्त देशों की श्रेणी में शामिल होता है। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा व्यक्ति के अंदर जिजीविषा, आत्मविश्वास और किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता का विकास करती है। इस संसार में वे व्यक्ति ही परिवर्तन लाने में सफल रहे हैं जिनमें अपनी कमज़ोरियों को ईमानदारीपूर्वक स्वीकार करने का साहस था। साथ ही स्वयं व समाज में सुधार करने की निष्ठा इस हद तक विद्यमान थी कि उन्हें अपना जीवन भी उतना प्यारा नहीं था। उन्हीं व्यक्तियों के कारण पुनर्जागरण, सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन व नवजागरण संभव हो सका है। महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा जैसी मनोवृत्ति से वर्तमान विश्व में विद्यमान अधिकांश समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व के देश इससे परिचित हैं कि 'जलवायु परिवर्तन' के कारण मानवीय सभ्यता का अस्तित्व संकट में है, किंतु अंधाधुंध विकास व राष्ट्रवादी मानसिकता के कारण इस समस्या को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। जब साहस ही नहीं जुट पा रहा है, तो जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान अर्थात् सुधार की निष्ठा का तो सवाल ही नहीं उठता है! स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा व्यक्ति को नई-नई राहों पर चलने व उनसे कुछ नया सीखने व प्रयत्नशील रहते हुए स्वयं को लगातार बेहतर बनाने के लिये प्रेरित करती है, जिससे व्यक्ति सफलता के प्रति आशावादी बना रहता है। 'राम की शक्ति पूजा' कविता में 'निराला' की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस संदर्भ को सटीकता से बयान करती हैं–

"होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन!"

निबंध विशेषांक

ताल ठहर जाते हैं और एक गहरा मौन उभरता है, अनूठी शांति होती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सात विभिन्न रंग विशेष स्थितियों में मिलकर सफेद रंग की सर्जना करते हैं। इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाला स्वर संयोजन संगीत नहीं, बल्कि शोर का ही एक रूप है। संगीत का श्रेष्ठ स्वरूप हमारे हृदय के द्वार खोलता है, स्वरों के मध्य के मौन का अनुभव कराता है, हृदय में निरंतर उठते अनाहत नाद से परिचय कराता है।

सफलता

- सफलता के मानक समय के साथ बदलते रहे हैं। ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि सफलता जीवन के लक्ष्य एवं उद्देश्य से संबंधित है। समय के साथ जीवन के उद्देश्यों व लक्ष्यों में बदलाव होता रहा है।
- आदिमानव के सामने भूख, भय और सुरक्षा का प्रश्न था। शिकार करने का कौशल और आत्मरक्षा की तकनीकों में दक्षता उस युग की सफलता का पैमाना रही होगी। धीरे-धीरे मानव यात्रा और आगे बढ़ी तो शारीरिक बल और हथियार के प्रयोगों की कुशलता प्रतिमान होने लगे। प्रारंभिक पितृसत्तात्मक समाजों में स्त्री की सफलता पति को संतुष्ट रखने एवं पुत्र उत्पन्न करने तक सीमित कर दी गई। धीरे-धीरे सभ्यता का प्रकाश जब फैला तो ज्ञान, आध्यात्मिक उत्कर्ष, राजत्व का विस्तार, बाहुबल, धन-बल, शस्त्र-शास्त्र में निपुणता वगैरह सफलता के मानक होने लगे। प्राचीन युग में सफलता का उत्कर्ष था साम्राज्य निर्माता होना। हालाँकि सफलता के मानक प्रत्येक समुदाय के लिये अलग-अलग ही थे पर उसका चरम उत्कर्ष सम्राट होना ही था। इस युग में प्रत्येक राष्ट्र में अध्यात्म एवं ज्ञान की खोज में जुटे हुए लोग होते थे।
- आज पैसा, पावर (शक्ति) एवं पद सफलता के तीन सबसे बड़े मानक हैं। आज का समय बाज़ार एवं उपभोक्तावाद से संचालित है। पैसा इसके केंद्र में है शक्ति एवं पद भी अंतत: उसके ही विस्तार हैं। फिर भी यह अधिकांश का सच है, 'सबका' सच नहीं है। अभी भी ज्ञान, सम्मान, प्रतिष्ठा, उदारता तथा त्याग जैसी चीज़ें बिल्कुल ही विलुप्त नहीं हो गई हैं। प्रतिभा के मानक की बिल्कुल ही उपेक्षा नहीं हो रही है। यदि मुकेश अंबानी 'सफल' हैं तो अबुल कलाम एवं बाबा साहेब आम्टे भी सफल थे। उनकी इस सफलता को जनसमर्थन भी मिला। सफलता के लिये आमतौर पर छल-छद्म का सहारा लेना आज आम है, पर आज भी ऐसे हज़ारों लोग हैं जो समष्टि के लिये अपना पूरा जीवन लगा दे रहे हैं।
- वस्तुत: जीवन की सार्थकता को सफलता के प्रश्न से जोड़कर देखा जाना ही चाहिये। एक किसान जीवन भर हाड़-तोड़ मेहनत करते हुए अन्न उपजाता है, खुद का पेट भरता है और दूसरे 10 लोगों का भी। उसे कोई नहीं जानता, आजीवन न वह पैसा इकट्ठा कर पाता है, न ही पद अर्जित कर पाता है, पर उसका जीवन सार्थक है। क्या जीवन की सार्थकता सफलता का सबसे बड़ा मानदंड नहीं हो सकता? वस्तुत: केवल समय के साथ ही सफलता के मानक नहीं बदलते। एक ही समय में सफलता के असंख्य मानक उपस्थित रह सकते हैं।
- सफलता के मानक भी हमेशा सापेक्षिकता के सिद्धांत का पालन करते हैं। जो आज हमारे लिये सफलता बताई जाती है वह हो सकता है कल समय के साथ असफलता में गिनी जाने लगे। ऐसा होता भी आया है। ग्लैडिएटर युग में जो कुश्तियाँ होती थीं उनमें अत्यधिक आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता को सफलता का मानक माना जाता था पर क्या पेशेवर कुश्ती एवं मुक्केबाज़ी में आज भी यह मानक है?
- वास्तव में सफलता केवल भेड़चाल में शामिल होने की इच्छा ही नहीं है, यह अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रत्येक मानव की स्वाभाविक मानवीय इच्छा से जुड़ी है। यदि किसी को चित्र बनाने में रुचि है तो उसके लिये आदर्श मानक पिकासो होंगे, वान गॉग होंगे; अगर कोई संगीतकार है तो उसके मानक बाख होंगे, बीथोविन होंगे; किसी को साहित्य में रुचि है तो वह टैगोर होना चाहेगा, प्रेमचंद होना चाहेगा; अगर कोई विज्ञान में रुचि रखता है तो आइंसटीन या रमन उसके मानक व आदर्श हो सकते हैं। अगर कोई अच्छा मिस्त्री बनना चाहता है तो वह किन्हीं प्रसिद्ध चुन्नू मिस्त्री को ही मानक बना सकता है। ज़ाहिर है जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के मानक कुशलता एवं उसके प्रतिफल से तय होते हैं।
- सफलता के मानक देश, काल, पेशों, उम्र के दायरों तथा संस्कृतियों आदि से प्रभावित होते हैं। समय की गति की तरह वे भी परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तव में वे मानवीय आकांक्षा के साथ नाभिनालबद्ध होते हैं। जैसे-जैसे मानवीय आकांक्षाओं में परिवर्तन होता है, सफलता के मानक भी बदल जाते हैं।

जिजीविषा

- एक-दूसरे के प्रति प्रेम-स्नेह एवं घृणा से बंधे हुए बंधन, विचार, अंतरात्मा की आवाज़ें, जिज्ञासा, प्रतिस्पर्द्धा तथा शक्ति की चाहत जैसी तमाम चीज़ें हैं जो मनुष्य को लगातार आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं, पर इनमें सबसे मौलिक है मनुष्य की अदम्य जिजीविषा।
- जीवन के लिये गतिशीलता एक अनिवार्य तत्त्व है, जीवन में कर्म की प्रगतिशीलता ही उसे सार्थकता एवं जीवंतता प्रदान करती है, जो विकास की प्रमुख शर्त है। गतिशीलता के अवरुद्ध हो जाने से संसार या जीवन के ही अवरुद्ध होने और जीवन के अस्तित्व के मिट जाने का ही खतरा पैदा हो जाता है। यह निरंतर गतिशीलता मानव को उसकी दुर्दम्य जिजीविषा से ही प्राप्त हो सकती है जो हमेशा झरने की तरह प्रवाहमान रहती है। मानवता के इतिहास का बोध उसकी विकास यात्रा के बोध के बिना हो ही नहीं सकता।
- मनुष्य की जिजीविषा ने उसे महाबली बनाया है। वह दुनिया का सबसे असहाय जानवर था। मनुष्य का बच्चा तो शुरू में बिल्कुल ही अभिभावकों पर निर्भर रहता है। ऐसा किसी जानवर के साथ नहीं होता। किसी जानवर के पास आत्मरक्षा के लिये नाखूनी पंजे हैं तो किसी के पास सींग, किसी के पास असाधारण गति तो किसी के पास प्रकृति के रंगों में एकीकृत हो जाने की शारीरिक विशेषता, पर मनुष्य? वह तो बंदरों से भी ज़्यादा असुरक्षित था, उतनी तेज़ी से न छलाँग लगा सकता था और न ही पेड़ पर चढ़ सकता था, फिर भी आज वह अपने ग्रह का नियंता बन चुका है। उसकी जिजीविषा ने ही उसको आज के दिग्विजयी मनुष्यता तक पहुँचाया है; मनुष्य की असहायता ने ही उसके अंदर समूह भावना भरी, उपकरणों का प्रयोग करना सिखाया, उसके असुरक्षा बोध ने उसकी आँखें स्थिर कर दीं, रीढ़ भी सीधी कर दी और धीरे-धीरे

66 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || अक्तूबर 2019

दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं, बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने-बाने से बने हैं

-भावेश द्विवेदी

विश्व-व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न समाज विद्यमान हैं जिनकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर अलग-अलग संस्कृतियाँ व पहचानें कायम हैं। विश्व के समाजों की चर्चा के दौरान दक्षिण एशियाई समाजों की बात करना अपरिहार्य हो जाता है। यहाँ विश्व की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या हिमालय के आँचल से हिंद महासागर तक और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इस दक्षिण एशियाई समाज के ताने-बाने में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान व मालदीव की विविध सांस्कृतिक गतिविधियों एवं पहचान को सम्मिलित किया जाता है। ध्यातव्य है कि दक्षिण एशिया विश्व के सर्वाधिक विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है अत: इस क्षेत्र की बहुलता को एक खाँचे में समेटना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। यह क्षेत्र संस्कृतियों व पहचानों के समाहार का एक अनूठा बिंदु है जो भाषा, नृजातीयता, धर्म व क्षेत्र की विविधताओं के बावजूद एक ओर जहाँ समानता व सह-अस्तित्व धारण किये हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ असमानताएँ भी हैं। समानता व असमानता के सम्मिश्रण का यही गुण इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र की खूबसूरत 'समेकित संस्कृति' के रूप में परिलक्षित होता है।

इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विभिन्नता व समानता को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदुकुश, कैलाश व हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में जहाँ एकसमान मौसमी दशाएँ होने के कारण भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान आदि के पर्वतीय इलाकों में लगभग एकसमान खानपान और वेशभूषा दिखती है, तो वहीं भारत व श्रीलंका के मध्य तटीय क्षेत्र की भौगोलिक एकता परिलक्षित होती है, जो वहाँ की जीवनशैली में दिखाई देती है। ऐसे ही, संपूर्ण दक्षिण एशिया में मैदानी, पठारी, मरुस्थलीय भाग एवं अनेक द्वीपीय क्षेत्र इस भू-भाग की प्राकृतिक मधुरिमा एवं सौंदर्य को और अधिक निखारते हैं। गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियाँ एक देश से दूसरे देश अविरल बहती हुई इस क्षेत्र के सहअस्तित्व की पैरवी करती हैं। इसी संदर्भ में निदा फाज़ली की पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं:

"ये काटे से नहीं कटते ये बाँटे से नहीं बँटते
नदी के पानियों के सामने आरी क्या कटारी क्या"

दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के ऐतिहासिक व धार्मिक पहलू पर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय और उत्थान दोनों भारत-पाकिस्तान में साझा रूप से हुए। भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का उत्थान हुआ। बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में प्रचारित व प्रसारित किया, तो भूटान में भी बौद्ध धर्म तिब्बती परंपरा से निकटता के साथ प्रचलित है। नेपाल का भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध है। हिंदू धर्म ग्रंथ 'रामायण' के प्रसंगों को श्रीलंका व नेपाल के संदर्भ में देखा जा सकता है। वहीं खैबर दर्रे से अरब-तुर्क-मंगोल आक्रमणकारियों का आगमन हुआ जो मुस्लिम अनुयायी थे। शक-कुषाण-हूण आदि विदेशी आक्रांता भी इस धरा पर आकर यहाँ के हो गए।

इन बातों के बावजूद इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर संघर्ष भी मौजूद हैं, जैसे- हिंदू धर्म में जाति प्रथा के रूप में उत्तर से दक्षिण भारत तक जातीय संघर्ष विद्यमान है। साथ ही, पाकिस्तान में बलोच, पश्तून समुदायों का संघर्ष अनवरत जारी है। एक कबीलाई राष्ट्र अफगानिस्तान विभिन्न नृजातीय समूहों व तालिबान जैसे उग्रवादी संगठन के मध्य लोकतांत्रिक ताकतों के लिये संघर्षरत है। मुस्लिम समुदाय का शिया, सुन्नी, अहमदी आदि वर्गों में विभक्तीकरण हुआ है और ये भी परस्पर संघर्ष की स्थिति में हैं।

इस क्षेत्र की भाषायी विविधता एवं उसके तमाम पहलुओं पर नज़र डालें तो यह प्रतीत होता है कि दक्षिण एशियाई समाज भाषा के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध एवं अग्रणी रहा है। जहाँ भारत में विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से तमिल व संस्कृत को सम्मिलित किया जाता है, तो वहीं भारतीय संविधान के तहत 22 भाषाओं को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय राज्यक्षेत्र में भाषा पहचान का एक प्रमुख माध्यम रही है जिसकी परिणति में हम विभिन्न राज्यों के निर्माण को समझ सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो आदि भाषाओं का प्रयोग भी भारत जैसा ही होता है। नेपाल में तो हिंदी व पहाड़ी भाषाओं का अनूठा संगम मौजूद है, तो श्रीलंका में तमिल व सिंहली भाषा का न केवल प्रयोग होता है बल्कि स्थानीय लोगों की पहचान का ये बड़ा माध्यम हैं।

जहाँ तक इस क्षेत्र में नृजातीयता की बात है, तो समूचे क्षेत्र में कॉकेशियन, नीग्रोइड, मंगोलॉइड, व ऑस्ट्रोलॉइड नस्लों का विभिन्न अनेकताओं के साथ समागम देखने को मिलता है। जो विभिन्न क्षेत्रीय पहचानों, भाषाओं व वेशभूषा की ओट में अपनी परंपराओं को संजोकर रखे हुए हैं। चाहे अफगानिस्तान में 'कबीलाई बनाम रिहायशी' के मध्य संघर्ष हो या फिर पाकिस्तान में बलोच, सिंधी, पश्तूनों का अपनी पहचान व नृजातीयता हेतु संघर्ष। हालाँकि, श्रीलंका में भी 'तमिल बनाम सिंहली' का संघर्ष भी इसी नृजातीयता के उदाहरणों में से एक है। जहाँ एक ओर जम्मू और कश्मीर में लोगों को जनांकिकीय परिवर्तन की चिंता है, तो वहीं तमिलनाडु की तमिल अस्मिता को श्रीलंकाई तमिलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

इसी क्रम में खाने-पीने के मामले में समूचे क्षेत्र का मसालों एवं ज़ायकों से लगाव रहा है, लेकिन अनेक प्रकार की जलवायवीय स्थितियों के कारण क्षेत्र के खानपान की प्रकृति में भी विविधता (जैसे- माँसाहारी, शाकाहारी आदि का प्रयोग) बहुतायत में मिलती है जिसके तार धार्मिक पहलुओं के साथ-साथ स्थानीय अस्मिता से भी जुड़े हैं। इसी तरह क्षेत्र में वेशभूषा व पहनावे का सम्मिलित प्रभाव एक-दूसरे की संस्कृति में देखा जा सकता है जहाँ धोती-कुर्ता, सलवार-कमीज़, लुंगी आदि परिधान न

केवल विविधता को दर्शाते हैं वरन् भौगोलिक आवश्यकताओं की महत्ता को भी समझाते हैं। दरअसल इस क्षेत्र में विश्व की लगभग समस्त प्रकार की जलवायवीय विविधता का एक सुचारु पारितंत्र पाया जाता है जो यहाँ के संसाधनों को धनवान बनाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समस्त दक्षिण एशियाई समाज कई स्तरों पर विविधता धारण करता है। इसी विविधता के एक अनूठे लक्षण के रूप में यह बात दिखाई देती है कि इन सभी समाजों ने अपने आपको किसी केंद्रीय सत्ता या राजनीतिक संस्कृति के इर्द-गिर्द इकट्ठा न करते हुए अपनी पहचानों व संस्कृतियों के ताने-बाने में बुना है, और ये कभी भी अनिवार्य रूप से किसी एक राजनीतिक सत्ता के दायरे में फिट नहीं हुए। इस लक्षण के विपरीत, यदि उदाहरण खोजे जाएँ तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके बनने का एकल आधार रहा है। भाषा को आधार बनाकर अनेक यूरोपीय राष्ट्रों का बनना, साम्यवादी विचार को आधार बनाकर सोवियत संघ का निर्माण तथा धर्म के इर्द-गिर्द पश्चिम एशियाई राष्ट्रों का उद्भव इस दिशा में प्रमुख हैं। इसके ठीक विपरीत, 1947 में केवल धार्मिक पहचान को आधार बनाकर जब एक देश बनाया गया तो एकल धार्मिकता उसे महज़ 24 वर्ष ही एक साथ रख पाई और 1971 आते-आते भाषा के आधार पर वह बँट गया। इस घटना का भी यही संदेश था कि कृत्रिम राजनीतिक हस्तक्षेप से दक्षिण एशिया में किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान को अधिक्रमित कर उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वरन् ये सांस्कृतिक पहचानें और भावनात्मक जुड़ाव सदा ही इस क्षेत्र में सत्ताओं को अधिक्रमित करते रहेंगे।

इसी पक्ष को अधिक विस्तार से विश्लेषित किया जाए तो हम पाते हैं कि भारत के विभाजन के बाद जो लोग नवनिर्मित राष्ट्र में चले गए थे वे आज तक अपनी सांस्कृतिक पहचान को भारत से जोड़े रहते हैं; रेडक्लिफ रेखा ने उन्हें राजनीतिक रूप से अलग देश का भाग तो बना दिया परंतु उनकी सांस्कृतिक पहचान यथावत् रही और आज भी है। इस संदर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. नेहरू के 15 अगस्त, 1947 को दिये गए ऐतिहासिक भाषण की ये पंक्तियाँ प्रासंगिक हो उठती हैं- "हम अपने उन भाई-बहनों के बारे में भी सोचते हैं जो राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे कट गए हैं और जो आज़ादी आई है उसकी प्रसन्नता वर्तमान में हमारे साथ साझा नहीं कर सकते। वे हममें से एक हैं और चाहे जो हो जाए, वे हममें से एक ही रहेंगे तथा हम उनके अच्छे और बुरे भाग्य में समान रूप से हिस्सेदार होंगे।"

इसी सांस्कृतिक जुड़ाव को परिलक्षित करने वाले सैकड़ों अन्य उदाहरण हमारे समक्ष मौजूद हैं। यथा- भारत, बांग्लादेश व पाकिस्तान तीनों देशों के राष्ट्रगान रचयिताओं का जन्म उन स्थानों पर हुआ जो वर्तमान में भारत की भौगोलिक सीमा में स्थित हैं। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना करने वाले रबींद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में, वहीं पाकिस्तान का राष्ट्रगान लिखने वाले हफ़ीज़ जालंधरी का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। दूसरी ओर, भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन की चाह रखने वाले लोग अपनी बात सामान्य जन तक पहुँचाने के लिये पाकिस्तान के इंकलाबी शायरों, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ व हबीब जालिब को उद्धृत करते हैं, तो भारतीय पंजाब से पाकिस्तान गए जालिब वहाँ की हुकूमत के जुल्मों से तंग आकर कहते थे-

"छोड़ना घर का हमें याद है 'जालिब' नहीं भूले
था वतन ज़ेहन में कोई ज़िंदाँ तो नहीं था"

इस प्रकार उनके तसव्वुर में उनका घर, यानी उनकी सांस्कृतिक पहचान जीवित रही।

इस पूरी चर्चा से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संपूर्ण दक्षिण एशिया की बहुसांस्कृतिक पहचान इसका एक अद्वितीय लक्षण है और इस क्षेत्र में सत्ताएँ तभी सुचारु रूप से संचालित हो सकती हैं जब वे इस बहुसांस्कृतिक चरित्र का सम्मान करें। जब ऐसा नहीं होता है तब हमें पाकिस्तान का विभाजन, श्रीलंकाई गृहयुद्ध, नेपाल का मधेसी संकट जैसी अस्थिरताकारी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर भारत, जो इस क्षेत्र में बहुसांस्कृतिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला संभवतः एकमात्र और सर्वाधिक सफल राष्ट्र है, वह विकास के अन्य मानदंडों पर भी इस क्षेत्र के अन्य देशों से बहुत आगे है। भारत ने अपने सांस्कृतिक संघर्षों का भी समाधान बेहद समझदारी से किया है, जिसके कई उदाहरण हमें पिछले 70 वर्षों में दिखे हैं। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया में बहुसांस्कृतिकता ही इस क्षेत्र के संचालन का सर्वप्रमुख कारक है एवं सत्ताओं के कृत्रिम हस्तक्षेप से यह स्थिति न बदली है न बदल सकेगी।

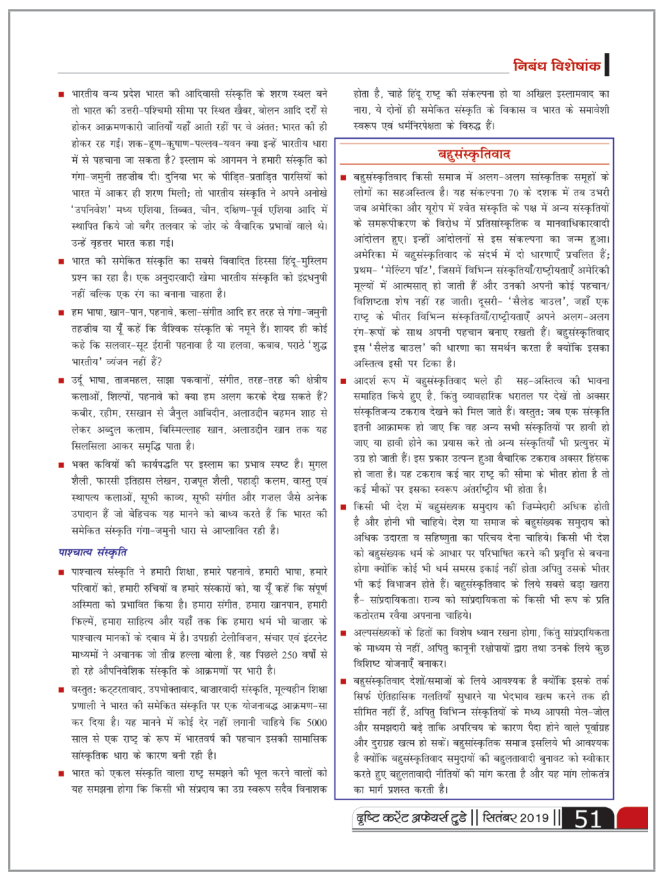

निबंध विशेषांक

- भारतीय वन्य प्रदेश भारत की आदिवासी संस्कृति के शरण स्थल बने तो भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर स्थित खैबर, बोलन आदि दर्रों से होकर आक्रमणकारी जातियाँ यहाँ आती रहीं पर वे अंततः भारत की ही होकर रह गईं। शक-हूण-कुषाण-पल्लव-यवन क्या इन्हें भारतीय धारा में से पहचाना जा सकता है? इस्लाम के आगमन ने हमारी संस्कृति को गंगा-जमुनी तहज़ीब दी। दुनिया भर के पीड़ित-प्रताड़ित पारसियों को भारत में आकर ही शरण मिली; तो भारतीय संस्कृति ने अपने अनोखे 'उपनिवेश' मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया आदि में स्थापित किये जो बगैर तलवार के ज़ोर के वैचारिक प्रभावों वाले थे। उन्हें वृहत्तर भारत कहा गई।
- भारत की समेकित संस्कृति का सबसे विवादित हिस्सा हिंदू-मुस्लिम प्रश्न का रहा है। एक अनुदारवादी खेमा भारतीय संस्कृति को इंद्रधनुषी नहीं बल्कि एक रंग का बनाना चाहता है।
- हम भाषा, खान-पान, पहनावे, कला-संगीत आदि हर तरह से गंगा-जमुनी तहज़ीब या यूँ कहें कि वैश्विक संस्कृति के नमूने हैं। शायद ही कोई कहे कि सलवार-सूट ईरानी पहनावा है या हलवा, कबाब, पराठे 'शुद्ध भारतीय' व्यंजन नहीं हैं?
- उर्दू भाषा, ताजमहल, साझा पकवानों, संगीत, तरह-तरह की क्षेत्रीय कलाओं, शिल्पों, पहनावे को क्या हम अलग करके देख सकते हैं? कबीर, रहीम, रसखान से जैनुल आबिदीन, अलाउद्दीन बहमन शाह से लेकर अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खान, अलाउद्दीन खान तक यह सिलसिला आकर समृद्धि पाता है।
- भक्त कवियों की कार्यपद्धति पर इस्लाम का प्रभाव स्पष्ट है। मुगल शैली, फारसी इतिहास लेखन, राजपूत शैली, पहाड़ी कलम, वास्तु एवं स्थापत्य कलाओं, सूफी काव्य, सूफी संगीत और गज़ल जैसे अनेक उपादान हैं जो बेहिचक यह मानने को बाध्य करते हैं कि भारत की समेकित संस्कृति गंगा-जमुनी धारा से आप्लावित रही है।

पाश्चात्य संस्कृति

- पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी शिक्षा, हमारे पहनावे, हमारी भाषा, हमारे परिवारों को, हमारी रुचियों व हमारे संस्कारों को, या यूँ कहें कि संपूर्ण अस्मिता को प्रभावित किया है। हमारा संगीत, हमारा खानपान, हमारी फिल्में, हमारा साहित्य और यहाँ तक कि हमारा धर्म भी बाज़ार के पाश्चात्य मानकों के दबाव में है। उपग्रही टेलीविज़न, संचार एवं इंटरनेट माध्यमों ने अचानक जो तीव्र हल्ला बोला है, वह पिछले 250 वर्षों से हो रहे औपनिवेशिक संस्कृति के आक्रमणों पर भारी है।
- वस्तुतः कट्टरतावाद, उपभोक्तावाद, बाज़ारवादी संस्कृति, मूल्यहीन शिक्षा प्रणाली ने भारत की समेकित संस्कृति पर एक योजनाबद्ध आक्रमण-सा कर दिया है। यह मानने में कोई देर नहीं लगानी चाहिये कि 5000 साल से एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष की पहचान इसकी सामासिक सांस्कृतिक धारा के कारण बची रही है।
- भारत को एकल संस्कृति वाला राष्ट्र समझने की भूल करने वालों को यह समझना होगा कि किसी भी संप्रदाय का उग्र स्वरूप सदैव विनाशक होता है, चाहे हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हो या अखिल इस्लामवाद का नारा, ये दोनों ही समेकित संस्कृति के विकास व भारत के समावेशी स्वरूप एवं धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं।

बहुसंस्कृतिवाद

- बहुसंस्कृतिवाद किसी समाज में अलग-अलग सांस्कृतिक समूहों के लोगों का सहअस्तित्व है। यह संकल्पना 70 के दशक में तब उभरी जब अमेरिका और यूरोप में श्वेत संस्कृति के पक्ष में अन्य संस्कृतियों के समरूपीकरण के विरोध में प्रतिसांस्कृतिक व मानवाधिकारवादी आंदोलन हुए। इन्हीं आंदोलनों से इस संकल्पना का जन्म हुआ। अमेरिका में बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में दो धारणाएँ प्रचलित हैं; प्रथम- 'मेल्टिंग पॉट', जिसमें विभिन्न संस्कृतियाँ/राष्ट्रीयताएँ अमेरिकी मूल्यों में आत्मसात् हो जाती हैं और उनकी अपनी कोई पहचान/विशिष्टता शेष नहीं रह जाती। दूसरी- 'सैलेड बाउल', जहाँ एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृतियों/राष्ट्रीयताएँ अपने अलग-अलग रंग-रूपों के साथ अपनी पहचान बनाए रखती हैं। बहुसंस्कृतिवाद इस 'सैलेड बाउल' की धारणा का समर्थन करता है क्योंकि इसका अस्तित्व इसी पर टिका है।
- आदर्श रूप में बहुसंस्कृतिवाद भले ही सह-अस्तित्व की भावना समाहित किये हुए है, किंतु व्यावहारिक धरातल पर देखें तो अक्सर संस्कृतिजन्य टकराव देखने को मिल जाते हैं। वस्तुतः जब एक संस्कृति इतनी आक्रामक हो जाए कि वह अन्य सभी संस्कृतियों पर हावी हो जाए या हावी होने का प्रयास करे तो अन्य संस्कृतियाँ भी प्रत्युत्तर में उग्र हो जाती हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुआ वैचारिक टकराव अक्सर हिंसक हो जाता है। यह टकराव कई बार राष्ट्र की सीमा के भीतर होता है तो कई मौकों पर इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भी होता है।
- किसी भी देश में बहुसंख्यक समुदाय की ज़िम्मेदारी अधिक होती है और होनी भी चाहिये। देश या समाज के बहुसंख्यक समुदाय को अधिक उदारता व सहिष्णुता का परिचय देना चाहिये। किसी भी देश को बहुसंख्यक धर्म के आधार पर परिभाषित करने की प्रवृत्ति से बचना होगा क्योंकि कोई भी धर्म समस्त इकाई नहीं होता अपितु उसके भीतर भी कई विभाजन होते हैं। बहुसंस्कृतिवाद के लिये सबसे बड़ा खतरा है- साम्प्रदायिकता। राज्य को साम्प्रदायिकता के किसी भी रूप के प्रति कठोरतम रवैया अपनाना चाहिये।
- अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखना होगा, किंतु साम्प्रदायिकता के माध्यम से नहीं, अपितु कानूनी रक्षोपायों द्वारा तथा उनके लिये कुछ विशिष्ट योजनाएँ बनाकर।
- बहुसंस्कृतिवाद देशों/समाजों के लिये आवश्यक है क्योंकि इसके तर्क सिर्फ ऐतिहासिक गलतियाँ सुधारने या भेदभाव खत्म करने तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु विभिन्न संस्कृतियों के मध्य आपसी मेल-जोल और समझदारी बढ़े ताकि अपरिचय के कारण पैदा होने वाले पूर्वाग्रह और दुराग्रह खत्म हो सकें। बहुसांस्कृतिक समाज इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद समुदायों की बहुलतावादी बुनावट को स्वीकार करते हुए बहुलतावादी नीतियों की माँग करता है और यह माँग लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण हैं

-हिमांशु सिंह

"यहाँ की फिज़ाओं में घुली है खुशबू
रंग बहारों का यहाँ बिखरता है।
जो खून-पसीने से लिखते हैं देश
की इबारत, ऐसे मज़बूत लोगों से
ही मज़बूत देश बनता है।"

उपर्युक्त पंक्तियाँ मज़बूत लोगों के पुरुषार्थ, इच्छाशक्ति, श्रमशक्ति व देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित कर मज़बूत देश के निर्माण में उनकी महत्ता को अभिव्यक्त करती हैं। प्रश्न यह उठता है कि मज़बूत लोग कौन होते हैं? जो मज़बूत लोग होते हैं, वे मज़बूत कैसे बनते हैं? इसका कोई मानक या किताबी परिभाषा नहीं गढ़ी गई है, लेकिन समाज एवं राष्ट्र के वे लोग जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्त्तव्यनिष्ठा, नैतिक बल और संपूर्ण श्रम से राष्ट्र के निर्माण को गति देते हैं, इन्हें हम मज़बूत लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं। ये लोग अपने शारीरिक सौष्ठव या कद-काठी व रंग-रूप से नहीं वरन् अपनी मज़बूत मन:शक्ति, दृढ़संकल्प व प्रतिबद्ध भावना से मज़बूत बनते हैं।

किसी भी देश को मज़बूत बनाने में मज़बूत लोगों का एक समूह उसके मूल में होता है। इस समूह में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नौकरशाह, राजनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार, फिल्मकार, वकील, पत्रकार, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, किसान व मज़दूर आदि का एक व्यापक वर्ग देश की तरक्की में अपना योगदान देता है।

ये वर्ग एकाएक तैयार नहीं हो जाते बल्कि देश को इनमें अपना निवेश करना पड़ता है। यह निवेश एकदम प्रारंभिक अवस्था से होता है। बचपन वह समय होता है जब बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। बचपन ही वह समय होता है जब उसके रुझान और क्षमताओं को समझने के लिये उस पर सर्वाधिक शैक्षिक निवेश की ज़रूरत होती है जिससे उसकी नींव मज़बूत हो सके। दुर्भाग्य की बात है कि देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राथमिक शिक्षा के हालात कमोबेश एक जैसे और बदतर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास का सार हैं, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में एक महत्त्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाते हैं। किसी भी देश के नागरिक मूल्यवान संसाधन होते हैं, ऐसे में बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन पाने के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में विकास और देखभाल की आवश्यकता है।

पीटर एफ. डंकर के अनुसार, "आने वाले दिनों में ज्ञान का समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज़्यादा प्रतिस्पर्द्धात्मक समाज बन जाएगा। किसी देश की समृद्धि का स्तर इस बात से आँका जाएगा कि वहाँ की शिक्षा का स्तर और शैक्षिक समावेशन कैसा है।" शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह निर्विवाद रूप से सहमति का बिंदु है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार और सशक्तीकरण करके ही कोई देश आर्थिक-सामाजिक विकास के सूचकांकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। शिक्षा के बिना विकास की संकल्पना अधूरी है, इसलिये इसे विकास की अनिवार्य शर्त माना जाता है। विकासशील देश के रूप में भारत के लिये विशाल जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एक गंभीर चुनौती है। देखा जाए तो हाल के दशकों में आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में ढाँचागत तथा नीतिगत स्तर पर काफी प्रगति हुई है, जिसके चलते देश की विकास दर तेज़ी से बढ़ी है। इस बढ़ती विकास दर ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को भी गति प्रदान की है, लेकिन इन परिवर्तनों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं को दूर नहीं किया है। शिक्षण संस्थानों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की शिक्षा-व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन गुणवत्ता की बात करें तो 'टाइम्स हायर एजुकेशन (THE)' के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग- 2019 के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत के केवल 5 संस्थान शामिल हैं। भारतीय शिक्षा-व्यवस्था की पहुँच या प्रसार, गुणवत्ता, समता की समस्या के चलते इस क्षेत्र में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है।

भारत में गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा के सभी स्तरों- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर अभी भी आम नागरिकों की समान और आसान पहुँच नहीं हो सकी है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार के बावजूद भारतीय जनसंख्या के कुछ सीमित वर्ग को ही शिक्षा की सुविधा सहजता से उपलब्ध हो पाई है। मौलिक अधिकार के रूप में 'शिक्षा का अधिकार' लागू होने के बाद भी स्कूल जाने की उम्र (6–14 वर्ष) के कई बच्चे बाल श्रम, भिक्षावृत्ति जैसी गतिविधियों में संलग्न रहकर स्कूल से दूर हैं। विद्यालय छोड़ने की बढ़ती हुई दर (ड्रॉपआउट रेट), बालक-बालिका के नामांकन-ठहराव अनुपात में कमी, स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी, शाला तक पहुँचने के दुर्गम रास्ते, आबादी के अनुपात में स्कूलों की उपलब्धता नहीं होना तथा सरकारी विद्यालयों को बंद किये जाने की पहल आदि भारतीय शिक्षा-व्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौती बनकर उभरी हैं। आबादी के अनुपात में हाई स्कूलों और कॉलेजों की कमी है, जिसके चलते बच्चे उच्च शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पाते।

प्राथमिक शिक्षा पर असर, 2018 की रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले केवल 27.2 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर की पुस्तक पढ़ पाने में सक्षम हैं, कक्षा 5 में पढ़ने वाले 50.3 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ पाने में सक्षम हैं तथा कक्षा 8 में पढ़ने वाले केवल 73 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर की किताब पढ़ने में सक्षम हैं। निश्चित ही, ये आँकड़े भारतीय प्राथमिक शिक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। यूनेस्को की 'वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट' के अनुसार भारत में 86 लाख बच्चे अभी भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अभी भी ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। दूसरी तरफ नीति आयोग के निर्देश पर कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को पास के दूसरे स्कूलों में विलय कर सरकारी स्कूल बंद किये जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस प्रक्रिया के तहत देश भर में 50,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद कर दिये गए हैं, जिससे स्कूल न होने के कारण अशिक्षा और बढ़ेगी तथा निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा।

स्कूल तक पहुँच कम होने से शिक्षा तक पहुँच की स्थिति आगे और बदतर हो जाएगी।

भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष एक अन्य बड़ी समस्या समता की भी है।

समाज में व्याप्त असमानता का असर प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक सेवाओं पर भी पड़ता है। सामाजिक - आर्थिक - लैंगिक - जातीय - नस्लीय - राजनीतिक - सांस्कृतिक असमानताएँ गहरे तौर पर देश को प्रभावित करती हैं। असमानता के चलते ही लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिये ये सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पातीं। मिड-डे मील योजना पर किये गए सर्वेक्षणों में भी यह बात सामने आई है कि गरीब परिवारों के बच्चे केवल भोजन पाने के लालच में स्कूल जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते।

भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्ता की है। शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रमों का निम्न स्तर, पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी, बच्चों के लिये आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षक प्रबंधन की कमी, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण का निम्न स्तर, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर जैसी कई समस्याएँ हैं। शिक्षा प्रणाली रोज़गारोन्मुखी तथा शोधपरक होने की बजाय सैद्धांतिक एवं अव्यावहारिक अधिक है। यहाँ सीखने से ज़्यादा रटने या याद करने तथा अधिक अंक लाकर अव्वल आने पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिये नवीन गतिविधियाँ नहीं की जातीं, बल्कि बच्चे अंकों की प्रतिस्पर्द्धा में उलझे दिखाई देते हैं। एन.जी.ओ. 'प्रथम' की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में पाया गया कि कक्षा-3 के सभी बच्चों का 75 प्रतिशत, कक्षा-5 का 50 प्रतिशत और कक्षा-8 के 25 प्रतिशत बच्चे कक्षा-2 की पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE-2017-18) आँकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षा तक आते-आते नामांकन अनुपात घटकर केवल 25.8 प्रतिशत तक रह जाता है।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान पहुँच, समता और गुणवत्ता जैसी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों के लिये सरकार द्वारा किये गए कई प्रयासों के बाद भी स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हो सका है। सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की अनुशंसाओं को अब तक लागू भी नहीं किया गया है। लगातार शिक्षा बजट में कटौती कर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिये शिक्षा पर सरकारी खर्च को कम करने की बजाय बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये पाठ्यक्रम, अध्ययन प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किये जाने की ज़रूरत है। सुब्रमण्यम समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिये, जबकि वर्तमान में यह लगभग 3 प्रतिशत है। यही नहीं, शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास करने हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाया जाना चाहिये। सरकार को समावेशी शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में आवश्यक प्रयास करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व ही भोरे समिति ने सभी के लिये स्वास्थ्य की सिफारिश की थी। 1958 में ए.एल. मुदलयार समिति ने भी स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्गठन एवं ज़िला अस्पतालों को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया था। साथ ही, 1978 के अल्माटा (Alma-Ata) सम्मेलन के तहत सबके लिये स्वास्थ्य की कल्पना की गई थी। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारों की कोशिश स्वास्थ्य व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधारों की रही है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य से जन स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रयासों की अपेक्षा की गई है। इसी से निर्देशित होकर देश में सरकारें नागरिकों के स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुलभ कराने, स्वास्थ्य अवसंरचना सुधारने, किफायती और वहनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन लंबे समय से करती रही हैं। इनमें प्रमुख हैं- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) आदि। साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मद्देनज़र संक्रामक रोगों, कुपोषण, परिवार कल्याण, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, नए प्रकार के टीकों के अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना भी सरकारों के उद्देश्यों में शामिल रहा है तथा ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये संसाधनों में वृद्धि की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति एक हज़ार की आबादी पर एक डॉक्टर का होना आवश्यक है, परंतु भारत इस अनुपात को प्राप्त करने में बहुत पीछे है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के मामले में तो स्थिति और भी चिंताजनक है क्योंकि देश में सर्जरी, स्त्री रोग और शिशु रोग जैसे चिकित्सा के बुनियादी क्षेत्रों में लगभग 50 प्रतिशत विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। साथ ही एक और बड़ी समस्या देश से डॉक्टरों के पलायन की है। इसके अतिरिक्त डॉक्टरों द्वारा सेवा के लिये शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण ग्रामीण एवं शहरों की स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता का जन्म हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर निम्न है। परिणामस्वरूप अनेक प्रयत्न करने के बावजूद शिशु मृत्यु दर तथा प्रसव के दौरान स्त्रियों की मृत्यु कई अफ्रीकी देशों से भी अधिक बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों तपेदिक, मलेरिया, कालाज़ार, हैज़ा, डायरिया आदि का प्रभाव आज भी कायम है। वर्तमान में शहरों में भी बदलती जीवनशैली के कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियाँ भी देश के समक्ष स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। भारत में मधुमेह के मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यही हाल टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) नामक बीमारी का है। हृदय संबंधी रोगों के कारण अनेक भारतीयों की 70 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। कुपोषण के आँकड़ों में भी भारत विश्व के कमज़ोर देशों के साथ खड़ा है।

भारत उन देशों में भी अग्रणी है जिन्होंने अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का तेज़ी से निजीकरण किया है जिसके कारण सरकारी क्षेत्र की बजाय देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप केवल महामारी संबंधी कार्यक्रमों, टीकाकरण और परिवार नियोजन तक सिमटकर रह गया है।

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में अनेक खामियाँ होने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाल में उल्लेखनीय प्रगति की है। परंतु इसे पड़ाव नहीं शुरुआत मानना अधिक प्रासंगिक होगा। भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। यदि भारत को विश्व के अग्रणी देशों की कतार में शामिल होना है तो उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ सभी को स्वास्थ्य का अधिकार हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिये। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना, उपचार, परीक्षण व शोध पर निरंतर कार्य करने की महती आवश्यकता है। भारत में संभावनाएँ अनंत हैं। चुनावों के सफल आयोजन, जनगणना सर्वेक्षण, अंतरिक्ष तथा आणविक विज्ञान परियोजनाएँ इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत को 'दक्षिणी विश्व का दवा निर्माता' कहा जाता है क्योंकि यह विकसित देशों को सस्ती, जीवनरक्षक जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराता है। इस प्रकार, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में भी लोगों को अधिकतम परिणाम उपलब्ध कराने की क्षमता है। ज़रूरत सिर्फ पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में प्रयास करने की है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके। साथ ही आए दिन समाचारों में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का स्याह पक्ष दिखाने वाली कंधे पर पत्नी की लाश ढोते दाना माँझी की बेबस तस्वीरों का पटाक्षेप हो सके।

संक्षेप में कहा जाए तो भारतीय व्यवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था की मज़बूती और व्यापक प्रसार वह कदम होगा जो भारत की विकास दर के लिये उत्प्रेरक का कार्य करेगा और भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कृत्रिम बुद्धि का उत्थान: भविष्य में बेरोज़गारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्चकौशल के माध्यम से बेहतर रोज़गार के सृजन का अवसर

-अंकित रावत

1960 के दशक में जब नोबेल पुरस्कार विजेता 'मिल्टन फ्रॉयडमैन' भारत और अन्य एशियाई देशों के दौरे पर थे, तब की एक घटना अत्यंत रोचकपूर्ण है। मिल्टन जब भारत में नहर खुदवाने के दौरान मज़दूरों के हाथों में फावड़े जैसे औज़ार को देख रहे थे, तो इसी क्रम में उन्होंने निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन करने वाले किसी अधिकारी से पूछा- "आप, इन निर्माण गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों नहीं करते? इससे कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा।" इस प्रश्न का जवाब वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। प्रबंधन अधिकारी कहता है- "आपको लगता है कि इन मज़दूरों को फावड़ा देकर हम निर्माण गतिविधियों में वृद्धि और आधारभूत संरचना का विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम इन बेरोज़गार मज़दूरों को रोज़गार दे रहे हैं।" इसके प्रत्युत्तर में फ्रॉयडमैन कहते हैं- "ओह! तब आप इन लोगों को फावड़ा क्यों देते हैं, सभी को 'चम्मच' दे दीजिये, जिससे कार्य की समाप्ति में और अधिक दिन लगेंगे।" वस्तुत: यहाँ रोज़गार तो मिल रहा है किंतु क्या कार्य मानवीय गरिमा के अनुकूल है? आधुनिक समय में हम जिन मानवोचित कार्यों की बात करते हैं, जिनसे मनुष्य की रचनात्मकता व जीवन उत्कर्ष में वृद्धि होती है, वे सभी प्रतिमान यहाँ अनुपस्थित हैं।

वस्तुत: प्रौद्योगिकी की मानवीय सभ्यता की भौतिक उन्नति के उत्कर्ष और उसे सुख-सुविधाओं से संपृक्त करने में अद्वितीय भूमिका रही है। इसीलिये कुछ विद्वान तो मानवीय सभ्यता के इतिहास को ही दो भागों में बाँटकर देखते हैं- प्रथम, प्रौद्योगिकी के आगमन से पूर्व की मानव सभ्यता और द्वितीय, प्रौद्योगिकी के आगमन व उपयोग के पश्चात् की मानव सभ्यता। परंतु आधुनिक काल में यह चर्चा भी प्रारंभ हो गई है कि प्रौद्योगिकी और मानव के श्रम में कौन-सा संबंध स्थापित होगा? क्या प्रौद्योगिकी मानवीय श्रम को विस्थापित कर देगी? प्रत्येक नई प्रौद्योगिकी, जिसका संबंध विशेष रूप से मानवीय रोज़गार से होता है, के आने से लोगों के मन में आशंकाएँ उत्पन्न होने लगती हैं कि कहीं इससे बेरोज़गारी का संकट तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रौद्योगिकी 'कृत्रिम बुद्धि' है। यह मानवीय जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर गई है। किंतु पूर्ववर्ती अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में कृत्रिम बुद्धि से भविष्य में बेरोज़गारी उत्पन्न होने की अधिक आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने तो समस्त मानव समुदाय को सचेत करते हुए यहाँ तक कह डाला- "कृत्रिम बुद्धि का पूर्ण विकास मानव जाति के विनाश का सूचक हो सकता है।" कृत्रिम बुद्धि तकनीक से बेरोज़गारी और मानवीय सभ्यता पर अस्तित्व के संकट से जुड़ी चिंताओं से पूर्व संक्षेप में यह जान लेना ज़रूरी है कि 'कृत्रिम बुद्धि' क्या होती है? इससे जुड़े लाभ क्या-क्या हैं, जो मानव के लिये 'गेमचेंजर' की भूमिका अदा कर सकते हैं? साथ ही इससे संलग्न खतरे भी कौन-कौन से हैं जिनके कारण कृत्रिम बुद्धि को मानवीय सभ्यता की 'हितैषी तकनीक' न मानकर इसकी पहचान 'विघटनकारी प्रौद्योगिकी' के रूप में की जा रही है।

सरल शब्दों में कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर जैसी मशीनों की ऐसे कार्य करने की क्षमता है, जिन्हें सामान्यत: किये जाने के लिये मानव मस्तिष्क की ज़रूरत होती है। कृत्रिम बुद्धि के जनक 'जॉन मैकार्थी' के अनुसार, "कृत्रिम बुद्धि मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्माण की तकनीक है।" वर्तमान में हम प्रौद्योगिकीयुक्त वातावरण में जीवनयापन करते हैं। आज बिना प्रौद्योगिकी के मानव अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इन प्रौद्योगिकियों में से 'कृत्रिम बुद्धि' अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती है। 'वर्ल्ड इकॉनमिक फ़ोरम' ने कृत्रिम बुद्धि को 'चतुर्थ औद्योगिक क्रांति' के रूप में संदर्भित किया है, जिसने हमारे जीवनयापन, कार्य करने और जीवन के प्रत्येक पक्ष में तीव्र परिवर्तन कर दिया है। शायद ही जीवन का कोई ऐसा पक्ष शेष रहा हो, जहाँ कृत्रिम बुद्धि की मौजूदगी न हो।

कृत्रिम बुद्धि सामाजिक न्याय, जीवन की सुख-सुविधाओं में वृद्धि, नागरिकों को बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह मानव की तुलना में अधिक सटीक और ज़्यादा समय तक बिना थके हुए कार्य कर सकती है। परिणामत: स्वाभाविक रूप से उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। बड़े औद्योगिक कारखानों में इसका उपयोग निर्माण संबद्ध गतिविधियों को संचालित करने में और जिन कार्यों को करने में मानव की मृत्यु का जोखिम अधिक है, वहाँ सफलतापूर्वक अधिक किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन, मानव की अधिक सटीकता से सर्जरी करने और अन्य चिकित्सीय क्षेत्रों में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। वस्तुत: भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या अत्यधिक है। परिवहन के क्षेत्र में अर्थात् स्वचालित वाहनों और ट्रैफिक में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके नागरिकों की जीवन-रक्षा की जा सकती है। वालमार्ट, अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स कंपनियाँ दूरदराज़ क्षेत्रों में सामान को पहुँचाने के लिये ड्रोन का सहारा ले रही हैं। कृत्रिम बुद्धि की सहायता से उन क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाओं को पहुँचाया जा सकता है, जहाँ पर डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं है। साथ ही, 'जलवायु परिवर्तन' जैसी समस्याओं के समाधान में भी कृत्रिम बुद्धि का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। 1950 के दशक में कृत्रिम बुद्धि की शुरुआत से लेकर 21वीं सदी के दूसरे दशक तक इसका उत्थान हो चुका है। यह मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रही है। विभिन्न विकसित देशों ने औद्योगिक गतिविधियों में रोबोटों के प्रयोग से औद्योगिक उत्पादन में तीव्रतर वृद्धि कर ली है। 'सोफिया' रोबोट को तो सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता भी प्रदान की है।

उपर्युक्त लाभों को देखकर प्रथम दृष्टया प्रतीत हो सकता है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानवीय सभ्यता के लिये 'वरदान' है, परंतु अधिकांश प्रौद्योगिकियों के समान कृत्रिम बुद्धि का विस्तार भी विवादों से निरापद नहीं है। अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में कृत्रिम बुद्धि के साथ अधिक समस्याएँ व चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। पूर्ववर्ती प्रौद्योगिकियों का नियंत्रण तो मानवीय हाथों में था, किंतु कृत्रिम बुद्धि में मानव के समान स्वयं का मस्तिष्क होगा,

वह मानव की तरह अनुभवों से सीख सकती है। इस तरह कृत्रिम बुद्धि का विकास स्वतंत्र रूप में होगा। फलस्वरूप यह संभावना है कि वह मनुष्य को अपना शत्रु समझ ले जिससे मानवीय अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो सकता है। इस बात की परिकल्पना हॉलीवुड फिल्म 'टर्मिनेटर' में भी की गई है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से विकसित किये जाने वाले फेसबुक के एक सिस्टम के निर्माण कार्य को तब बंद कर दिया गया, जब इससे सिस्टम ने स्वयं का मस्तिष्क तैयार कर लिया और स्वयं ही एक नई भाषा तैयार कर ली तथा सिस्टम में डाले गए कोड के विपरीत कार्य करने लगा। स्पष्टत: कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानव के लिये अनेक संकटों का कारण बन सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ और टेस्ला के सी.ई.ओ. 'एलन मस्क' का कहना भी है, "कृत्रिम बुद्धि से मानवीय अस्तित्व संकट में पड़ सकता है और बड़े स्तर पर रोज़गार का संकट उत्पन्न हो सकता है।"

उल्लेखनीय है कि कृत्रिम बुद्धि से संबंधित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या- भविष्य में बेरोज़गारी के खतरे से जुड़ी हुई है। विद्वानों का मत है कि कृत्रिम बुद्धि के विकास से प्रौद्योगिकी और मानवीय श्रम के मध्य संबंध में आमूलचूल परिवर्तन होगा। स्वचालन को बढ़ावा देने से बड़े पैमाने पर लोगों के रोज़गार समाप्त हो जाएंगे। इससे न केवल 'ब्लू कॉलर लेबर' अर्थात् शारीरिक श्रम करने वाले मज़दूर और निम्न गुणवत्ता कौशल से युक्त कर्मचारियों के रोज़गार पर संकट है, बल्कि 'लोअर व्हाइट कॉलर लेबर' कर्मचारियों का रोज़गार भी संकट में है। अत: कृत्रिम बुद्धि सूक्ष्म स्तर पर रोज़गारों को प्रभावित करेगी। ये बातें सिर्फ़ हवाई नहीं हैं बल्कि इसके पीछे अनेक ठोस तर्क हैं। इस तथ्य में प्रामाणिकता है कि ऑटोमेशन के कारण निर्माण गतिविधियों में तीव्र वृद्धि होती है। इसीलिये उद्योगों में रोबोटों की मांग भी बढ़ती जा रही है। वस्तुत: रोबोट, मानव की तरह थकते नहीं हैं और न ही उन्हें कार्य करने के लिये बेहतर कार्य-दशाएँ जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके अलावा रोबोटों के प्रयोग से हड़ताल, वेतन-वृद्धि जैसे प्रश्न भी नहीं उत्पन्न होते हैं अर्थात् रोबोट या स्वचालित यंत्र सभी परिस्थितियों में मानव से बेहतर नज़र आते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के रोज़गार पर संकट उत्पन्न हो गया है। 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स' की 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों (2013-17) में औद्योगिक रोबोटों की वार्षिक बिक्री दर में 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट 'Robots Worldwide: The Impact of Automation on Employment and Trade' में कहा गया है कि विश्व में 2005-14 के मध्य बढ़ते स्वचालन के कारण रोज़गार में 1.3% प्रतिशत का ह्रास हुआ है। इसका सर्वाधिक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है। इसके अतिरिक्त 'मैकेंज़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूट' की रिपोर्ट भी बताती है कि 2030 तक रोबोटिक्स और स्वचालन के कारण विश्व का 30% मानवीय श्रम विस्थापित हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि 2030 तक 400-800 मिलियन नौकरियाँ समाप्त हो जाएंगी और 375 मिलियन लोगों को नई नौकरियों में कार्य करने के लिये 'नए कौशल श्रम' को सीखने की और व्यावसायिक श्रेणियों को बदलने की तुरंत आवश्यकता होगी। ये आँकड़े भलीभाँति दर्शाते हैं कि 'ऑटोमेशन तरंग' के कारण हमारा भविष्य 'रोज़गारविहीन' होने वाला है।

इज़राइली इतिहासकार 'युवाल नोआ हरारी' ने अपनी पुस्तक '21 Lessons for the 21st Century' में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे की ओर संकेत किया है। दूसरी तरफ, भविष्यवादी 'मार्टिन फ़ोर्ड' ने अपनी दो पुस्तकों- 'The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future' और 'The Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future' में इस बात को विस्तारपूर्वक बतलाया है कि कृत्रिम बुद्धि के कारण किस प्रकार मानवीय भविष्य रोज़गारविहीन हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में 'अर्थशास्त्र के नियम' (Law of Economics) परिवर्तित हो जाएंगे और वहाँ मानवीय श्रम या रोज़गारों के लिये कोई स्थान नहीं होगा। ध्यातव्य है कि ऐसा नहीं है कि कृत्रिम बुद्धि के रोज़गारों पर इन प्रभावों से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत पर यह संकट अधिक विकराल दिखाई पड़ता है, जहाँ देश की अधिकांश जनसंख्या युवा है तथा उनके पास उच्च कौशल भी नहीं है। इस देश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या कृषि गतिविधियों मे संलग्न है तथा 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत है। स्पष्ट है कि कृत्रिम बुद्धि के विकास से इन क्षेत्रों के रोज़गारों पर गहन प्रभाव पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धि इनको विस्थापित कर देगी। विश्व बैंक की रिसर्च के अनुसार, स्वचालन के कारण भारत के 69 प्रतिशत रोज़गार पर संकट है। अमेज़न, फेसबुक, गूगल, वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ 'कृत्रिम बुद्धि प्रथम' की नीति का अनुसरण कर रही हैं। ये कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये धन भी खर्च कर रही हैं। वर्तमान में रोबोट का उपयोग रक्षा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। 'वाणिज्यिक ड्रोन' के प्रयोग से रोज़गारों का संकुचन भी प्रारंभ हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'मशीन बनाम मानव' की जंग के लिये आधार तैयार हो रहा है और मानव का भविष्य 'रोज़गारविहीन' दृष्टिगोचर होता है। आधुनिक मानव की इस लघुबोधता और तकनीक के बढ़ते प्रचलन के कारण मानव के महत्त्व में आती हुई कमी के संदर्भ में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार 'नरेश मेहता' की प्रसिद्ध कविता 'संशय की एक रात' की निम्नलिखित पंक्तियाँ अत्यंत प्रासंगिक हैं-

"हम
इतिहास की केवल वनस्पतियाँ भर हैं
हमारे चलने से- सीता
थोड़ी-सी धरती सुंदर हो उठती है,
हम
संभवत: एक छोटी-सी सुगंध वहन कर सकते हैं
बस इससे अधिक कुछ नहीं।"

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सामान्यतया यह निष्कर्ष निकालना न्यायसंगत नहीं है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानवीय सभ्यता के लिये 'अभिशाप' है। लेकिन यह भी सच है कि कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में हमें विवेकशील और तर्कसंगत मत को अपनाने का प्रयास करना चाहिये। जो प्रौद्योगिकी मानवीय सभ्यता की दिशा और दशा को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती हो, उसे केवल कुछ आशंकाओं के आधार पर पूर्णत: खारिज नहीं किया जा सकता। हालाँकि, यह सत्य है कि कृत्रिम बुद्धि से उत्पन्न चुनौतियाँ अन्य प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक गंभीर हैं। किंतु, 'प्रत्येक संकट के मूल में एक अवसर छिपा रहता है।' महत्त्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान हो चुका है और उद्योग जगत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये स्वचालन के अत्यधिक प्रयोग को अपनाने की दिशा

में प्रयास कर रहा है। इन परिस्थितियों में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि वह मानव पर रोज़गार का संकट उत्पन्न न करके, बेहतर रोज़गार के सृजन का अवसर बने। जैसा कि निबंध की भूमिका में इस बात पर परिचर्चा भी की गई है कि एक मानव होने के नाते उसका यह 'मूल अधिकार' है कि उसे गैर-मानवोचित कार्य न करना पड़े तथा बेहतर कार्य दशाएँ उपलब्ध हों। इसके लिये अति आवश्यक है, भविष्य में कृत्रिम बुद्धि से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए कर्मचारियों के 'पुनर्कौशल' और 'उच्चकौशल' पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। कर्मचारियों में पुनर्कौशल और उच्चकौशल के माध्यम से हम बेहतर रोज़गार के सृजन के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

साथ ही, हमें अपने अतीत से भी सीखने की ज़रूरत है क्योंकि पूर्व में जब औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई थी, तब लोगों ने प्रौद्योगिकी अपनाने का इसीलिये विरोध किया था क्योंकि नागरिकों को ऐसा लगता था कि इससे हमारे रोज़गार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अतीत का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है कि रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई है या कमी! पहली औद्योगिक क्रांति भाप और पानी की शक्ति से संपन्न हुई, जिसने मानव श्रम को यांत्रिकी निर्माण में परिवर्तित कर दिया। दूसरी औद्योगिक क्रांति 'बिजली' से संपन्न हुई, जिससे उत्पादन गतिविधियों में तीव्रता आई और बड़े स्तर पर उत्पादन संभव हो सका। तीसरी औद्योगिक क्रांति में 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' की सहायता से सेवा क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई। इसीलिये विद्वानों का मत है कि नवीन तकनीक के आगमन से दीर्घकाल में रोज़गार पर संकट उत्पन्न नहीं होता है अपितु कार्यों की प्रकृति और लोगों की भूमिका में बदलाव आ जाता है। ऐसा ही परिणाम कृत्रिम बुद्धि के सदंर्भ में देखने को मिलेगा। कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग से कर्मचारियों में पुनर्कौशल और उच्चकौशल के माध्यम से बेहतर रोज़गार का सृजन हो सकेगा। कृत्रिम बुद्धि के कारण जितनी संख्या में रोज़गार समाप्त होंगे, उससे अधिक संख्या में नए रोज़गारों का सृजन होगा। डाटा विज्ञान तथा अल्गोरिद्म आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जो लोगों को नए रोज़गारों के अवसर उपलब्ध कराते हैं, अत: मैन-मशीन टीमिंग मैनेजर, डाटा डिटेक्टिव मैनेजर, कृत्रिम बुद्धि व्यवसाय विकास मैनेजर जैसे पदों हेतु नए रोज़गारों का सृजन होगा। वर्तमान में जो कर्मचारी ओला, उबर जैसी टैक्सी कंपनियों में कार्यरत हैं वे भविष्य में कृत्रिम बुद्धि से युक्त कारों के प्रबंधन में संलग्न हो सकते हैं।

भारत, चीन और जापान इत्यादि देशों में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग चुनौतियों के साथ-साथ अत्यधिक लाभ की संभावनाएँ उत्पन्न करता है। आज जर्मनी व अमेरिका के अतिरिक्त जापान और चीन भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने का अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। चूँकि जापान की अधिकांश जनसंख्या बुज़ुर्ग होती जा रही है अत: कृत्रिम बुद्धि का उपयोग वहाँ लाभकारी हो सकता है। दूसरी तरफ, चीन 2030 तक कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता बनने की महत्त्वाकांक्षा रखता है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रारंभिक चरण में है किंतु यहाँ भी इसके विकास की असीम संभावनाएँ विद्यमान हैं। भारत की अधिकांश श्रमशक्ति युवा है और हम जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में हैं। अत: अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से संपन्न उच्च कौशल से युक्त करके भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दिशा में प्रयास आरंभ कर दिये हैं। 2018-19 के बजट में सरकार ने 'फिफ्थ जेनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप' के लिये 480 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धि, मशीन लर्निंग ऑफ थिंग्स, 3-D प्रिंटिंग और ब्लॉक चेन शामिल हैं। नीति आयोग ने 2018 में 'नेशनल स्ट्रैटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' जारी की है। इसमें उल्लिखित है कि जनांकिकीय परिवर्तन, वैश्वीकरण और चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के कारण भविष्य में भारत की रोज़गार संरचना में परिवर्तन आएगा। 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया' रिपोर्ट भी इस दिशा में इंगित करती है कि 2022 तक प्रौद्योगिकी के बढ़ने के कारण कार्यबल की संरचना में परिवर्तन आएगा। अत: आवश्यक हो जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुसार हम अपने कौशल विकास को विकसित करें तथा इस दिशा में 'बेहतर वातावरण' का निर्माण करने का प्रयास करें ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबधित परिचर्चा व लोगों में जागरूकता का विकास किया जा सके।

स्कूलों के स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बच्चों को परिचित कराना होगा और कॉलेज स्तर पर बेहतर डाटा विज्ञान का अध्ययन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों में समय-समय पर पुनर्कौशल और उच्चकौशल को विकसित करने के लिये कार्यशालाओं का आयोजन करना होगा, जिससे वे नए कार्यक्षेत्रों में आसानी से स्थानांतरित हो सकें। व्यापक स्तर पर कर्मचारियों में इस चेतना का विकास करना होगा कि वे अपने रोज़गार की प्रकृति में बदलाव के लिये तैयार रहें क्योंकि प्रौद्योगिकी के कारण तीव्र परिवर्तन अवश्यंभावी हो गए हैं, जिनके अनुरूप मनुष्य को स्वयं को ढालना होगा। इसके लिये सरकार, कंपनियों और कर्मचारियों को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, समस्त पक्षों के विश्लेषण के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोज़गारी का खतरा होने के साथ-साथ पुनर्कौशल और उच्चकौशल के माध्यम से बेहतर रोज़गार के सृजन का अवसर भी उपलब्ध कराता है। प्रत्येक नवीन प्रौद्योगिकी के समान कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित चुनौतियाँ भी हैं जिनका समुचित समाधान किया जाना अति आवश्यक है, नहीं तो कृत्रिम बुद्धि मानवीय सभ्यता के विनाश का कारण भी बन सकती है, जिससे संबंधित आशंकाएँ विभिन्न तकनीकी विद्वानों, जैसे कि बिल गेट्स, एलन मस्क ने प्रारंभ कर दी हैं। लेकिन हमें किसी भी नई तकनीक का पूर्वाग्रह के आधार पर अंधविरोध करते हुए 'निओ-ल्यूडाइट' (Neo-Luddite) की श्रेणी में नहीं आना होगा। कृत्रिम बुद्धि तकनीक की तुलना विद्वान 'आग' और 'बिजली' जैसी खोजों के साथ कर रहे हैं, जो मानवीय सभ्यता के विकास में आमूलचूल परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती है। मानव की कल्पनाओं को धरातल पर साकार करने में यह तकनीक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अंत में इस प्रौद्योगिकी को मानवीय हितों के अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिये, जिससे मानवीय सभ्यता के विकास में यह 'पूरक' बने, न कि मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने। साथ ही, कृत्रिम बुद्धि को 'विनियमित' करने के लिये वैश्विक ढाँचे की भी आवश्यकता है जिससे इससे संबद्ध अनेक चुनौतियों का साझा समाधान किया जा सके। इस प्रकार भविष्य 'अनिश्चितताओं' से भरा हुआ है। यह मानव के विवेक और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित कर पाता है या नहीं।

मुख्य परीक्षा 2019 के सॉल्व्ड पेपर्स

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इस विषय से संबंधित जिन मुद्दों को लेकर प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति होती है, वे हैं-

तकनीकी विकास का भय

- क्या तकनीकी मानव श्रम को विस्थापित कर देगी?
- क्या उभरती तकनीकी मानव अस्तित्व के लिये खतरा है?
- क्या तकनीकी मानव बुद्धि का विकल्प हो पाएगी?
- क्या तकनीकी रोज़गार को समाप्त कर देगी?
- अगला युद्ध मानव तथा रोबोट के मध्य होगा।
- क्या तकनीकी हमारी रचनात्मकता को खत्म कर रही है?

नवीन तकनीक

- इंटरनेट और साइबरस्पेस
- बिग डाटा
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स
- 5G
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी/इसरो की उपलब्धियाँ
- संवर्द्धित वास्तविकता

अन्य

- वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना (साइंटिफिक टेम्परामेंट)
- तकनीकी शिक्षा
- वैज्ञानिक विकास तथा मूल्य
- विज्ञान तथा धर्म

पिछले वर्षों में पूछे गए निबंध

- मूल्याधारित विज्ञान एवं शिक्षा। (1999)
- साइबर विश्व: इसके आकर्षण और चुनौतियाँ। (2000)
- विज्ञान की प्रगति और मानवीय मूल्यों का ह्रास। (2001)
- आधुनिक प्रौद्योगिकीय शिक्षा और मानवीय मूल्य। (2002)
- आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। (2003)
- अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण। (2004)
- बढ़ता हुआ कम्प्यूटरीकरण अपमानवीकृत समाज के निर्माण तक पहुँचा देगा। (2006)
- विज्ञान और धर्म: क्या वे संगत हैं? (2012)
- राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलाजी) सर्वोपचार हैं। (2013)
- प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। (2015)
- साइबरस्पेस और इंटरनेट: दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान अथवा अभिशाप (2016)
- 'सोशल मीडिया' अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। (2017)

संभावित निबंध

- क्या साइबर अपराधों को रोकने के लिए एथिकल हैकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये
- साइबर स्पेस: आगामी विश्वयुद्ध की एक सीमा है
- क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव श्रम को विस्थापित कर देगा ?
- साइबर सुरक्षा के मामले में कितनी मजबूत है भारत की स्थिति ?
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम: एक नए युग की शुरुआत
- डिजिटल इंडिया: वर्तमान परिदृश्य और उससे जुडी चुनौतियाँ
- सोशल मीडिया और भारतीय युवाओं की मानसिकता
- तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कुंजी है
- वैश्वीकरण पर डिजिटल तकनीकों का प्रभाव
- विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है और धर्म विज्ञान के बिना अँधा है
- मूल्यविहीन विज्ञान अनर्थकारी होता है

तकनीकी विकास का भय

तकनीक और रचनात्मकता

- सृजनशीलता प्रत्येक मानव में हो सकती है, वह अलग-अलग क्षेत्रों में हो सकती है और कोई व्यक्ति अनेक क्षेत्रों में भी रचनाधर्मिता दिखा सकता है। आदिम युग से तकनीक का प्रयोग मानव ने अपनी सृजनशीलता में वृद्धि करने में ही किया है। पर अब कुछ ऐसी तकनीकें ईजाद हुई हैं जो मानवीय रचनात्मकता पर भारी पड़ने लगी हैं।
- चाक का आविष्कार मानव के लिये एक ज़माने में क्रांतिकारी तकनीक रही होगी जिससे उसे सुडौल मृदभांड बनाने में मदद मिली होगी। यहीं से यांत्रिक कार्य और मनुष्य के हाथों की स्वतंत्र सृजनशीलता का द्वंद्व शुरू हुआ होगा। मनुष्य अपने हाथों से भी मृदभांड बनाता था और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रयोग करके वह उनको अलग-अलग ढंग से विशिष्ट कलाकृतियों में ढाल सकता था, पर चाक के आविष्कार द्वारा एक ही ढाँचे-खाँचे द्वारा एकरूपता भरे अनेक बर्तन निकालना संभव हो गया। इससे विशिष्टता समाप्त होने लगी। कुम्हार की रचनात्मकता बस चाक के सही प्रयोग एवं मिट्टी में सही संतुलन तक सीमित हो गई और वह तरह-तरह के विविधता भरे बर्तन बनाने की अपनी विशिष्टता और अंतत: संभावनाएँ खो बैठा। वह कलाकार व रचनाकार के स्तर से लुढ़ककर महज़ एक शिल्पकार ही रह गया। यही क्रम लगातार अनेक शिल्पों में आई नई तकनीकों द्वारा दोहराया गया।
- छापेखाने, प्रिंटिंग, ग्राफिक्स तथा इंटरनेट के प्रयोग द्वारा महान-से-महान पेंटिंग की नकल ही नहीं अपितु असल पेंटिंग्स भी बनाई जा सकती हैं। इससे कहीं न कहीं रचनाशीलता हतोत्साहित हुई है।
- कंप्यूटर ग्राफिक्स ने इस समृद्ध परंपरा को नष्ट कर दिया। तकनीक ने संगीत की दुनिया की रचनात्मकता को भी खूब प्रभावित-दुष्प्रभावित किया है। किसी वाद्य को बजाने की योग्यता हासिल किये बगैर भी आप संगीतकार हो सकते हैं, कंपोज़र हो सकते हैं।

ब्रॉडबैंड और डीटीएच टेलीविज़न (कुल हिस्सेदारी का दो-तिहाई हिस्सा), सैटेलाइट इमेजरी और नेविगेशन शामिल हैं।

'नई अंतरिक्ष' स्टार्ट-अप कंपनियाँ

- नई अंतरिक्ष स्टार्ट-अप कंपनियाँ सरकार के डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं के साथ तालमेल पर विचार कर रही हैं। वे प्रतिभा, नवाचार क्षमता और प्रौद्योगिकीय जानकारी का लाभ उठाते हुए डेटा सेलर (इसरो/एंट्रिक्स) और अंतिम प्रयोक्ता (end user) के बीच डेटा-एप बिल्डर के रूप में अपनी भूमिका देख रही हैं। उन्हें एक अनुकूल वातावरण, एक्सीलरेटर्स, इन्क्यूबेटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और संरक्षक वाली संस्कृति की आवश्यकता है जो बंगलूरू जैसे शहरों में मौजूद है जहाँ सबसे अधिक नई अंतरिक्ष स्टार्ट-अप कंपनियों की स्थापना हुई है।
- इस क्षेत्र में एक और क्रांति लघु उपग्रह क्रांति है। वैश्विक स्तर पर अब से 2030 तक 17,000 लघु उपग्रहों का प्रक्षेपण किये जाने की उम्मीद है। इसरो एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (Small Satellite Launch Vehicle, SSLV) का निर्माण कर रहा है जिसके 2019 तक तैयार होने की उम्मीद है।
- अब रक्षा मंत्रालय एक रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और एक रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कर रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर जैसी मशीनों की ऐसे कार्य करने की क्षमता है जिन्हें सामान्यत: किये जाने के लिये मानव मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। इन मशीनों में सीखने, कारण जानने, विश्लेषण करने, निर्णय लेने तथा दृश्य बोध करने जैसी कार्यक्षमताएँ होती हैं। दरअसल एआई मशीनों द्वारा, खासकर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव की बौद्धिक प्रक्रियाओं का अनुकरण है।
- इसका इस्तेमाल बड़े-बड़े औद्योगिक कारखानों तथा अंतरिक्ष संबंधी जटिल क्रियाकलापों को आसानी से संचालित करने के लिये किया जाता है।
- बड़े औद्योगिक कारखानों आदि में इसका इस्तेमाल खतरनाक कार्यों को करने तथा रोबोटिक्स मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक रेडियोएक्टिव पदार्थों के इस्तेमाल आदि के लिये भी किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में एआई का उपयोग वित्त संबंधी आँकड़ों का संरक्षण करने तथा भविष्य में दुबारा इन आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिये किया जाता है।
- जलवायु संबंधी गतिविधियों के बारे में बेहतर जानकारी इकट्ठा करने के लिये एआई का उपयोग किया जाता है जिससे मौसम संबंधी गतिविधियों के कारण होने वाले जान-माल के नुकसानों को कम किया जा सके।
- माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक ऐसे एआई का विकास किया गया है जो कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिये एक उपयुक्त उपचार प्रणाली को खोजने में डॉक्टरों की मदद करेगा। स्वचालित कारों में एआई ट्रैफिक की समस्या तथा एक्सिडेंट जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल विभिन्न क्रियाकलापों, जैसे- डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने, मरीज़ों की जानकारियों को सुरक्षित रखने तथा उनके रोगों का पता लगाने आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों, जैसे- व्यापार, अंतरिक्ष विज्ञान, संगीत, सैन्य, समाचारों के प्रकाशन तथा लेखन, ऑनलाइन टेलीफोन कस्टमर सर्विस तथा दृश्य प्रणाली आदि क्षेत्रों में भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है।

सकारात्मक प्रभाव

- इसके कारण न केवल परिवहन में तीव्रता आएगी बल्कि बहुत हद तक सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। परिवहन क्षेत्र में इसके इस्तेमाल से लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने में आसानी होगी तथा ट्रैफिक जाम की समस्या का भी बहुत हद तक समाधान हो पाएगा।
- अर्थव्यवस्था की बात करें तो एआई ने रोज़गार के कई नए क्षेत्रों को भी विकसित किया है। डेटा विज्ञान तथा अल्गोरिद्म आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों को नौकरियों के नए अवसर उपलब्ध कराते हैं।
- एआई के इस्तेमाल के कारण न केवल रोज़गार तथा परिवहन क्षेत्र में ही सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी बल्कि विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- व्यवसाय, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य तथा बैंकिंग क्षेत्र आदि पर भी इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके इस्तेमाल से रोगों की पहचान में तीव्रता आएगी, कुछ स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर व्यक्ति स्वत: इलाज करने में सक्षम होगा आदि।
- शिक्षा के क्षेत्र में इसके उपयोग से विद्यार्थियों तथा अन्य बौद्धिक कार्यों में संलग्न लोगों को किसी भी विषयवस्तु के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो रही है। इसकी मदद से लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो रही है, किसी भी विषय के बारे में लोगों की समझ में वृद्धि हो रही है।

नकारात्मक प्रभाव

- एआई द्वारा जितनी संख्या में रोज़गार के नए अवसरों का सृजन होगा उससे कई गुना अधिक संख्या में मध्यवर्गीय तथा निम्नवर्गीय लोगों के रोज़गार समाप्त होंगे। भारत में ज़्यादातर आबादी मध्यवर्गीय लोगों की है जो कि सामान्य स्तर के कार्यों का संचालन करते हैं। डेटा विज्ञान और अल्गोरिद्म तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में मिलने वाली नौकरियाँ तो अंशमात्र हैं, इससे यह कहना कि एआई रोज़गार के नए क्षेत्रों को जन्म देगी तर्कसंगत नहीं है।
- एआई की बढ़ती उपयोगिता से वर्ष 2025 तक यह आशा की जा रही है कि आने वाले वर्षों में एआई वकीलों, डॉक्टरों तथा अकाउंटेंट्स आदि की नौकरियों की समाप्ति का कारण बन सकती है। ठीक इसी प्रकार, इसके अन्य क्षेत्रों, जैसे- संगीत, कला तथा लेखन आदि में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।
- एआई न केवल मानव के काम करने की सामान्य गति की अपेक्षा तीव्रता से कार्य कर सकेगा बल्कि वह मानव की भाँति थकेगा भी नहीं और लंबे समय तक कार्य कर सकने में सक्षम होगा जो कि मानव के रोज़गार की दृष्टि से सही नहीं होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिन्स ने भी एआई के विषय में चेतावनी देते हुए कहा है कि "एआई का पूर्ण विकास मानव जाति के विनाश का सूचक हो सकता है।"
- इसके पूर्ण विकास से न केवल लोगों की गोपनीयता ही भंग होगी बल्कि इसके कारण मानवता, शिक्षा, समानता तथा मानव गरिमा आदि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल, बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल के परिणामस्वरूप मानव तथा रोबोट के मध्य एक आंतरिक लड़ाई की शुरुआत हो सकती है और मानव तथा मानव के बीच के संघर्ष को उत्तरजीविता के सिद्धांत से फिर भी जायज़ ठहराया जा सकता है, परंतु मानव द्वारा निर्मित रोबोटों का इस्तेमाल अगर मानव के विरुद्ध ही किया जाने लगे तो इसे किस प्रकार नैतिक माना जा सकता है।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के विविध पक्ष

निधि सिंह

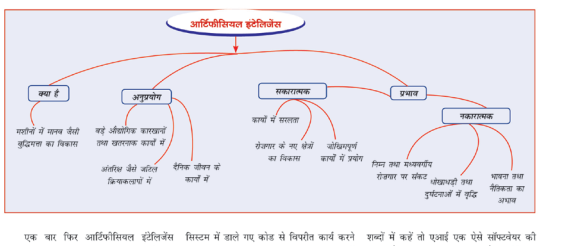

एक बार फिर आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence–AI) तब चर्चा में आया जब फेसबुक के सीईओ 'मार्क जुकरबर्ग' और टेस्ला के सीईओ 'एलॅन मस्क' के मध्य इसे लेकर बहस छिड़ गई। हालाँकि, यह बहस किसी एक मंच पर नहीं हुई थी परंतु विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपने मत रखते हुए तकनीकी की दो नामचीन हस्तियों ने इसके पक्ष एवं विपक्ष में बातें कीं। आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस पर अपना मत रखते हुए एलॅन मस्क ने कहा कि यह बड़े स्तर पर रोज़गार संकट उत्पन्न करेगा और इसके कारण मानव जाति के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। एलॅन मस्क के विपक्ष में मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि एआई के बारे में ऐसा कहना गैर-ज़िम्मेदाराना प्रतीत हो रहा है। एआई हमारे जीवन में कई सारे गुणकारी सुधार लाने जा रही है। जुकरबर्ग की इन बातों के प्रत्युत्तर में एलॅन मस्क ने तंज किया कि जुकरबर्ग के पास इस विषय के बारे में सीमित जानकारी है।

हालाँकि, एलॅन मस्क द्वारा कही गई बातें तब और सही लगने लगीं जब हाल में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से विकसित किये जाने वाले फेसबुक के एक सिस्टम के विकास को तब बंद कर दिया गया जब उस सिस्टम ने अपना खुद का दिमाग विकसित कर लिया तथा उसने अपनी एक अलग भाषा बना ली और वह सिस्टम में डाले गए कोड से विपरीत कार्य करने लगा। इस सिस्टम ने अंग्रेज़ी की बजाय अपने द्वारा विकसित की जाने वाली भाषा से आपस में एक-दूसरे को संदेश भेजने शुरू कर दिये थे। इस सिस्टम द्वारा विकसित की जाने वाली भाषा वहाँ उपस्थित शोधकर्त्ताओं की समझ से परे थी जिसकी वजह से इस सिस्टम का काम बंद करना पड़ा। आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस' पर आई एक और खबर कि 'एआई की तकनीक से लैस एक रोबोट ने खुद को समाप्त कर लिया' ने एक बार फिर से एआई पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। इन घटनाओं एवं विवादों ने अवश्य ही दुनिया को एक बार एआई के बारे में सोचने को विवश किया है। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने से पहले हमें यह भी जान लेना ज़रूरी होगा कि दरअसल एआई क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है एवं क्या यह वास्तव में मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकने में सक्षम है? आदि-आदि।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (एआई)

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर जैसी मशीनों की ऐसे कार्य करने की क्षमता है जिन्हें सामान्यत: किये जाने के लिये मानव मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। इन मशीनों में सीखने, कारण जानने, विश्लेषण करने, निर्णय लेने तथा दृश्य बोध करने जैसी कार्यक्षमताएँ होती हैं। साधारण शब्दों में कहें तो एआई एक ऐसे सॉफ्टवेयर की क्षमता है जिसका विकास मानव जैसी बुद्धिमत्ता को विकसित करने और उसे लागू करने के लिये किया जाता है। दरअसल एआई मशीनों द्वारा, खासकर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव की बौद्धिक प्रक्रियाओं का अनुकरण है। एआई कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो कि मानव जैसा व्यवहार करने के लिये निर्मित किये जाने वाले कंप्यूटरों से संबंद्ध होती है। आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के जनक 'जॉन एम सी कार्थी' (John Mccarthy) के अनुसार, "एआई इंटेलिजेंट मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्माण की तकनीक (Science and Engineering) है।"

वर्तमान में एआई को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है, (i) अल्गोरिद्म- इसका इस्तेमाल डेटा प्रोसेसिंग, गणना करने तथा ऑटोमेटेड रीज़निंग आदि के लिये किया जाता है; (ii) मशीन लर्निंग- यह मानव उपयोग संबंधी डेटा निकालने के लिये 'अल्गोरिद्म' का प्रयोग करने की बजाय कंप्यूटर आँकड़ों की व्याख्या करना तथा उसका विश्लेषण करना सीखता है और निष्कर्ष निकालता है; (iii) नैरो एआई- इसे कमज़ोर एआई के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिये किया जाता है। इनका विकास उन सवालों के उत्तर जानने के लिये किया जाता

जीवन के लिये आवश्यक लगभग सभी कार्यों में एआई का इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, भारत में अभी इसका इस्तेमाल छोटे स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन तकनीकें जिस प्रकार से विकसित होती जा रही हैं अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी एआई का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाने लगेगा।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का प्रभाव

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की बुनियादी बातों के बाद अब समझना यह है कि आखिरकार समाज तथा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं, जैसे- परिवहन, मानव, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, रोज़गार, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, सोसाइटी, बड़े औद्योगिक कारखानों, शिक्षा, लेखन, संगीत तथा कला आदि पर एआई का क्या प्रभाव हो सकता है।

सर्वप्रथम, हम इसके सकारात्मक प्रभावों के विषय में चर्चा करते हैं। यदि हम देश की परिवहन व्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की चर्चा करें तो इसके कारण न केवल परिवहन में तीव्रता आएगी बल्कि बहुत हद तक सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। परिवहन क्षेत्र में इसके इस्तेमाल से लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने में आसानी होगी तथा ट्रैफिक जाम की समस्या का भी बहुत हद तक समाधान हो पाएगा। हालाँकि, वर्तमान में ट्रैफिक जाम जैसी समस्या के समाधान तथा गंतव्य स्थल पर पहुँचने में आसानी के क्षेत्र में एआई आधारित मॉडर्न जीपीएस प्रणाली भी काफी कारगर साबित हो रही है। शहरों में चलने वाली ओला तथा उबर जैसी कैब सेवाओं में जीपीएस के अनुप्रयोग सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सफल साबित हुए हैं। इस प्रणाली के इस्तेमाल से न केवल रास्तों के विषय में आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है बल्कि इसकी मदद से लोग विश्व के किसी भी देश, शहर अथवा किसी चर्चित स्थल के बारे में आसानी से जान सकते हैं, उसकी लोकेशन को देख सकते हैं। यह सबकुछ आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से ही संभव हो पाया है। बहरहाल अब यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो एआई ने रोज़गार के कई नए क्षेत्रों को भी विकसित किया है। डेटा विज्ञान तथा अल्गोरिद्म आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों को नौकरियों के नए अवसर उपलब्ध कराते हैं।

एआई के इस्तेमाल के कारण न केवल रोज़गार तथा परिवहन क्षेत्र में ही सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी बल्कि विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- व्यवसाय, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य तथा बैंकिंग क्षेत्र आदि पर भी इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके इस्तेमाल से रोगों की पहचान में तीव्रता आएगी, कुछ स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर व्यक्ति स्वत: इलाज करने में सक्षम होगा आदि। व्यवसाय में इसका इस्तेमाल कर लोग अपने व्यवसाय में वृद्धि ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने व्यवसाय को दूर-दूर तक फैला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसके उपयोग से विद्यार्थियों तथा अन्य बौद्धिक कार्यों में संलग्न लोगों को किसी भी विषयवस्तु के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो रही है। इसकी मदद से लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो रही है, किसी भी विषय के बारे में लोगों की समझ में वृद्धि हो रही है। एआई के उपयोग से व्यापार में तीव्रता आ रही है आदि-आदि।

बहरहाल अब यदि हम इसके नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें तो इसके कारण न केवल व्यापार तथा परिवहन आदि क्षेत्रों में तीव्रता तथा दुर्घटनाओं में कमी ही आई है, बल्कि अन्य दृष्टिकोण से देखें तो इसने बहुत हद तक धोखाधड़ी तथा दुर्घटनाओं आदि में वृद्धि भी की है। आज पूरे भारत में तकरीबन लाखों से अधिक की संख्या में रोड दुर्घटनाएँ मोबाइल फोनों के इस्तेमाल की वजह से होती हैं। यही नहीं, कई बार एआई का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों में भी गलत लोकेशन दिखाने के कारण भी लोगों को समस्या हो जाती है। एआई द्वारा जितनी संख्या में रोज़गार के नए अवसरों का सृजन होगा उससे कई गुना अधिक संख्या में मध्यवर्गीय तथा निम्नवर्गीय लोगों के रोज़गार समाप्त होंगे। भारत में ज़्यादातर आबादी मध्यवर्गीय लोगों की है जो कि सामान्य स्तर के कार्यों का संचालन करते हैं। डेटा विज्ञान और अल्गोरिद्म तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में मिलने वाली नौकरियाँ तो अंशमात्र हैं, इससे यह कहना कि एआई रोज़गार के नए क्षेत्रों को जन्म देगी तर्कसंगत नहीं है। यही नहीं, एआई की बढ़ती उपयोगिता से वर्ष 2025 तक यह आशा की जा रही है कि आने वाले वर्षों में एआई वकीलों, डॉक्टरों तथा अकाउंटेंट्स आदि की नौकरियों की समाप्ति का कारण बन सकती है। ठीक इसी प्रकार, इसके अन्य क्षेत्रों, जैसे- संगीत, कला तथा लेखन आदि में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। एआई न केवल मानव के काम करने की सामान्य गति की अपेक्षा तीव्रता से कार्य कर सकेगा बल्कि वह मानव की भाँति थकेगा भी नहीं और लंबे समय तक कार्य कर सकने में सक्षम होगा जो कि मानव के रोज़गार की दृष्टि से सही नहीं होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिन्स ने भी एआई के विषय में चेतावनी देते हुए कहा है कि "एआई का पूर्ण विकास मानव जाति के विनाश का सूचक हो सकता है।"

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस कितना नैतिक कितना अनैतिक?

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के बारे में कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि इसका पूर्ण विकास पूरी दुनिया को अंत के रास्ते पर ले जाने का कार्य करेगा। इसके पूर्ण विकास से न केवल लोगों की गोपनीयता ही भंग होगी बल्कि इसके कारण मानवता, शिक्षा, समानता तथा मानव गरिमा आदि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल, बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल के परिणामस्वरूप मानव तथा रोबोट के मध्य एक आंतरिक लड़ाई की शुरुआत हो सकती है और मानव तथा मानव के बीच के संघर्ष को उत्तरजीविता के सिद्धांत से फिर भी जायज़ ठहराया जा सकता है, परंतु मानव द्वारा निर्मित रोबोटों का इस्तेमाल अगर मानव के विरुद्ध ही किया जाने लगे तो इसे किस प्रकार नैतिक माना जा सकता है। एआई लगभग सभी मामलों में मानव की अपेक्षा बेहतर तरीके से तथा लंबे समय तक बिना थके हुए कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। इसकी वजह से लोगों द्वारा मानव की अपेक्षा ज़्यादातर कार्यों के लिये एआई का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। एआई की इसी क्षमता के कारण मानव तथा एआई के मध्य समाज में, खासकर रोज़गार आदि जैसे क्षेत्रों में असमानता का माहौल उत्पन्न हो सकता है जो कि मानव हित की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं होगा। यही नहीं, एआई के अंदर कुछ विशेष प्रकार की मानवीय क्षमताओं, जैसे- भावना, रचनात्मकता तथा परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य तथा निर्णय लेने अथवा निर्णय बदलने की प्रक्रिया आदि के अभाव के कारण कई स्थितियों में यह मानवता के लिये हानिकारक भी साबित हो सकता है। उदाहरणस्वरूप यदि एआई का इस्तेमाल किसी ट्रेन अथवा बस चालक के स्थान पर कर दिया जाए और अचानक से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ट्रेन को रोकना होगा नहीं तो भारी मात्रा में लोगों की जान जाने का डर है, इस दौरान एक एआई मानव की

मुख्य परीक्षा 2019 के सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-1

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
1. गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी-बैक्ट्रियाई तत्त्वों को उजागर कीजिये।	—	—	—	March 19 Supplement Page No. 170-171	—	—
2. 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती सौ वर्षों में बार-बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिये।	—	—	—	Dec. 18 Supplement Page No. 188-191	—	—
3. उन्नीसवीं शताब्दी के 'भारतीय पुनर्जागरण' और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिये।	—	—	—	Dec. 18 Supplement Page No. 186-188	Jan. 19 Mains Que. Page No. 149	—
4. वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का, उदाहरणों के साथ, आकलन कीजिये।	—	Feb. 19 GIST Page No. 136-37	June 19 News Page No. 68	Nov. 18 Supplement Page No. 186-87 + May 19 Supplement Page No. 154	Dec. 18 Mains Que. Page No. 136	—
5. मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिये और तटीय पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।	—	Sept. 18 GIST Page No. 115-116	—	May 19 Supplement Page No. 153-154	Dec. 18 Mains Que. Page No. 130	—
6. क्या प्रादेशिक संसाधन-आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोज़गार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है?	—	—	—	—	—	Feb. 19 Niti Ayog Report Page No. 102-103
7. उत्तर-पश्चिमी भारत के कृषि-आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिये।	Jan. 18 Article Page No. 20	Sept. 19 GIST Page No. 153	—	—	—	—
8. क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिये।	—	—	—	—	—	Sept. 19 Essay Page No. 50-51

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
9. "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" चर्चा कीजिये।	—	Dec. 18 GIST Page No. 105-106	—	—	—	Oct. 19 Essay Page No. 27-28
10. धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं?	—	—	—	—	—	—
11. गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिये।	—	—	—	—	May 18 Mains Que. Page No. 129	—
12. 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिये।	—	—	—	Dec. 18 Supplement Page No. 201-204	—	—
13. स्पष्ट कीजिये कि अमेरिकी एवं फ्राँसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएँ किस प्रकार निर्मित की थीं।	—	—	—	—	—	July 16 Page No. 155
14. जल प्रतिबल (वाटर स्ट्रैस) का क्या मतलब है? भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकत: भिन्न-भिन्न है?	Aug. 19 Article Page No. 33-35	—	Oct. 19 News Page No. 112 + Sept. Page No. 81	—	—	—
15. पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुन:स्थापित किया जा सकता है?	—	June 19 GIST Page No. 96-97 + Feb. Page No. 124-125	—	—	—	—
16. दक्ष और किफायती (अफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है?	—	Oct. 18 GIST Page No. 106-108 + April 19 Page No. 107-109	—	—	—	Feb. 19 NITI Ayog Report Page No. 110-113 + June 19 India-2019 Page No. 145-146
17. महासागर धाराएँ और जल राशियाँ समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस-किस प्रकार परस्पर भिन्न हैं? उपर्युक्त उदाहरण दीजिये।	—	—	—	Nov. 18 Supplement Page No. 185-186	Oct. 18 Mains Que. Page No. 126	—
18. क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिये।	—	—	—	—	Dec. 17 Previous Year Que. Page No. 109	Sept. 19 Essay Page No. 50-51
19. भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं?	June 19 Article Page No. 25-26	April 19 GIST Page No. 117	—	—	—	Oct. 19 Essay Page No. 30
20. क्या हम वैश्विक पहचान के लिये अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिये।	—	—	—	—	—	—

प्रश्न: 1. गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी-बैक्ट्रियाई तत्त्वों को उजागर कीजिये।
Highlight the Central Asian and Greco-Bactrian elements in the Gandhara art.

उत्तर: गांधार कला बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र में विकसित हुई थी। यह क्षेत्र कई शासनों के राजनीतिक प्रभाव में आया, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ कला की एक मिश्रित शैली का उदय हुआ।

गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्थानीय गांधार परंपरा का संगम हुआ था। इस कला शैली के वास्तविक संरक्षक सीथियन और कुषाण (विशेष रूप से कनिष्क) शासक रहे।

गांधार कला में ग्रीको-बैक्ट्रिया से प्रेरित तत्त्व

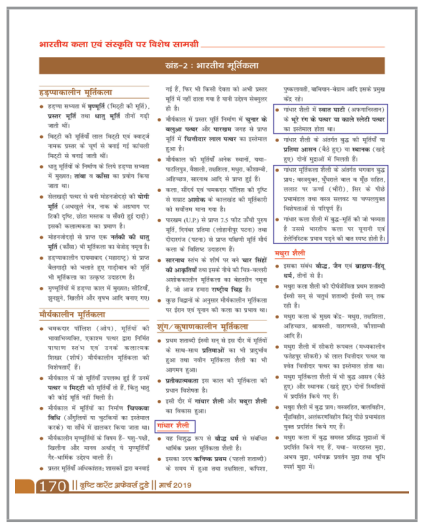

- गांधार स्कूल ने रोमन धर्म की मानव-रूपाकार परंपराओं को अपनाया और बुद्ध को युवा अपोलो सदृश मुख और ऐसे वस्त्रों से सज्जित किया जैसे रोमन साम्राज्य की मूर्तियों में देखे जाते थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बुद्ध को मानव जैसी आकृति में नहीं दर्शाया गया था।
- एक शीर्ष गाँठ में बंधे हुए घुंघराले बाल, कभी-कभी चेहरे पर मूँछें, भौंहों के बीच एक बिंदी या तीसरी आँख (urna), लंबे कान, आमतौर पर दोनों कंधों को ढँकते हुए मोटी सलवटों के परिधान और शरीर का सूक्ष्म पेशी गठन इसकी सदृश विशेषताएँ हैं।
- अन्य रूपांकन और तकनीकों में बेल-बूटे, माला पहने हुए देवदूत और ट्राइटन व सेंटॉर (ग्रीक देवता) प्रमुख हैं जिन्हें गांधार शैली ने शास्त्रीय रोमन कला से आत्मसात् किया था।
- मुख की शांति, स्पष्ट रूपरेखा, चिकनी सतह, अभिव्यंजक छवियों जैसी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का चित्रण करने वाली शारीरिक विशेषताएँ इस शैली के आकर्षण का केंद्र बिंदु हैं।
- गांधार कला ने न केवल यूनानी या हेलेनिस्टिक कला की विशेषताओं को आत्मसात् किया, बल्कि कई पश्चिम एशियाई और केंद्रीय एशियाई तत्त्वों से भी प्रेरणा ली।
- बुद्ध के सिर के पीछे गोलाकार आभामंडल प्राचीन फारसी और ग्रीक कला के सौर देवताओं से संबद्ध था।
- सिर पर शंक्वाकार और नुकीले मुकुट सदृश आकृति सीथियन टोपी से मिलती-जुलती है।
- गांधार कला में अग्नि पूजा का बारंबार चित्रण संभवत: ईरानी स्रोतों से ग्रहण किया गया था।

गांधार कला में शामिल विदेशी तत्त्वों ने इसे न केवल कलात्मक उपलब्धियों के एक उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया, बल्कि भारतीय कला इतिहास में पहली बार मानव रूप का नैसर्गिक चित्रण भी संभव किया।

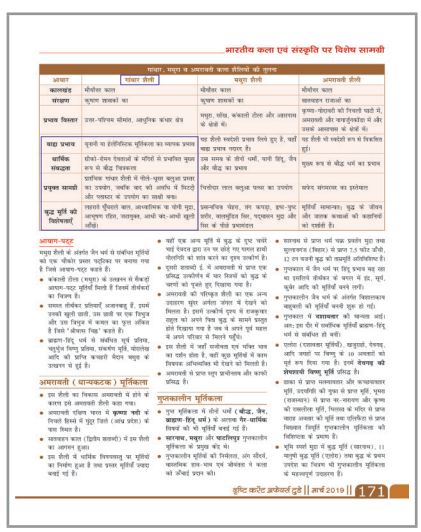

प्रश्न: 2. 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती सौ वर्षों में बार-बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिये।
The 1857 Uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding hundred years of British rule. Elucidate.

उत्तर: 'The Peasant Armed: The Indian Rebellion of 1857' शीर्षक किताब को संपादित करते हुए सी.ए. बेइली ने एरिक स्टोक्स के इस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया- "भारतीय विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, यह आंदोलनों का समाहार था।"

- ब्रिटिश शासन की पहली शताब्दी के दौरान विद्रोहों की एक लंबी शृंखला नज़र आती है, जिसे कैथलीन गफ ने 'पुन:स्थापनावादी विद्रोह' (Restorative Rebellions) कहा है, क्योंकि वे असंतुष्ट स्थानीय शासकों, मुगल अधिकारियों या ज़मींदारों द्वारा शुरू किये गए थे।
- 1857 से पहले की एक सदी में सैकड़ों छोटे विद्रोहों के साथ ही 40 से अधिक बड़े विद्रोह हुए। हालाँकि, ये विद्रोह चरित्र और प्रभाव में स्थानीय थे और एक-दूसरे से अलग-थलग भी थे क्योंकि प्रत्येक विद्रोह की अपनी एक अलग ही मंशा थी।

किसान विद्रोह

- **फकीर और संन्यासी विद्रोह, बंगाल और बिहार (1770-1820):** ये व्यापक रूप से बार-बार हुए संघर्ष थे जिनके चरमोत्कर्ष में 50,000 विद्रोही तक शामिल थे।
- **राजा चैत सिंह का विद्रोह, अवध (1778-81):** इसका प्राथमिक लक्ष्य मौजूदा कृषि संबंधों को पुनर्बहाल करना था और यह 1830 के दशक तक बार-बार उभरता रहा।
- **पोलिगार विद्रोह, आंध्र प्रदेश (1799-1805):** कंपनी की नीतियों के विरुद्ध पोलिगार (सैन्य प्रमुखों के रूप में नियुक्त सामंत सरदार) के विद्रोह में किसान भी शामिल हुए और दमन से पहले यह विद्रोह एक बड़े पैमाने तक विस्तृत हो गया था।
- **पाइका विद्रोह, उड़ीसा (1817):** कंपनी के शासन के विरुद्ध बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ सशस्त्र विद्रोह जिसे 'स्वतंत्रता का पहला युद्ध' कहा जाता है।
- **फराज़ी आंदोलन, पूर्वी बंगाल (1838-1848):** यह पहला 'कर नहीं देने' का आंदोलन था जिसका नेतृत्व हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ ने किया। यह स्थानीय प्रकृति का था और 1870 के दशक तक बार-बार उभरता रहा।

आदिवासी विद्रोह

- **भील विद्रोह, खानदेश (वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात), (1818-31):** भीलों ने खानदेश के ब्रिटिश कब्ज़े के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे 1819 में कुचल दिया गया, लेकिन 1831 तक संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रही।

- **कोल विद्रोह, छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र, बिहार और उड़ीसा (1831-32):** लूट और आगजनी इस विद्रोह का प्रमुख स्वरूप था (हत्याएँ नगण्य रहीं), लेकिन इस आंदोलन का क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव रहा।
- **संथाल विद्रोह, पूर्वी भारत (1855-56):** सबसे प्रभावी आदिवासी आंदोलन, जो ब्रिटिश घुसपैठ की नीतियों के विरुद्ध बिहार, उड़ीसा और बंगाल के वृहत् क्षेत्र में तेज़ी से फैला।

निष्कर्ष

एक सदी लंबी अवधि तक चले आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधीनता, भेदभावपूर्ण नीतियाँ, धार्मिक हस्तक्षेप और विद्रोह का दमन अंततः 1857 के विद्रोह के रूप में चरमोत्कर्ष पर पहुँचा, जिसने कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिये पूर्ववर्ती विद्रोहों के असंतुष्ट नेताओं को एक मंच प्रदान किया।

प्रश्न: 3. उन्नीसवीं शताब्दी के 'भारतीय पुनर्जागरण' और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिये।

Examine the linkages between nineteenth century's 'Indian Renaissance' and the emergence of national identity.

उत्तर: भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और समेकन के परिणामस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी की भारतीय राजनीति और समाज में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया जब भारतीयों ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देने के लिये उनके हितों का बलिदान किया जा रहा है।

- आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव और विदेशी शक्ति द्वारा पराजय के बोध ने एक नए जागरण को जन्म दिया। आधुनिक शैक्षिक प्रणालियों ने शिक्षित वर्गों को समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचारों से परिचित कराया। वे आधुनिक विज्ञान और प्रज्ञा एवं मानवतावाद के सिद्धांतों (Doctrines of Reason and Humanism) से प्रभावित थे।
- यह नई सांस्कृतिक चेतना, जो आंशिक रूप से सामाजिक और धार्मिक सुधारों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई, 'भारतीय पुनर्जागरण' के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसने मूल्यों में संक्रमण, सामाजिक संवेदनाओं में परिवर्तन और सांस्कृतिक रचनात्मकता के पुनर्जन्म की कालावधि को चिह्नित किया।
- समकालीन समस्याओं के समाधान के लिये अतीत का परीक्षण करना और परंपराओं का मूल्यांकन करना इस आंदोलन का एक मूलभूत दृष्टिकोण था। राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा पर अपने विरोधियों को उत्तर देने के लिये हिंदू धर्मग्रंथों का उपयोग अथवा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह अभियान अथवा नारायण गुरु द्वारा सर्वहितवाद (Universalism) का पुरज़ोर समर्थन सामाजिक रूढ़िवाद, धार्मिक अंधविश्वास और तर्कहीन अनुष्ठानों के उन्मूलन का उद्देश्य रखता था।
- पुनर्जागरण ने उस भारतीय सभ्यता का 'परिष्करण' और 'पुनः तलाश' की जो तर्कवाद, अनुभववाद, एकेश्वरवाद और व्यक्तिवाद के यूरोपीय आदर्शों के अनुरूप थी। इसका उद्देश्य यह दर्शाना था कि भारतीय सभ्यता किसी भी प्रकार पश्चिमी सभ्यता से हीन नहीं थी, बल्कि एक आशय में, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों में उससे श्रेष्ठ ही थी।
- एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय संस्कृति की इस खोज के प्रमाण देशभक्तिपूर्ण क्षेत्रीय साहित्य के विकास में, नए कला रूपों के विकास में, शास्त्रीय संगीत के शुद्ध रूपों की खोज में और नारीत्व के नए आदर्शों के निर्माण में पाए जा सकते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, टैगोर, इकबाल और सुब्रमण्य भारती के नेतृत्व में चले साहित्यिक आंदोलन ने राष्ट्रीय नेतृत्व को कल्पना और उत्साह का योगदान किया।

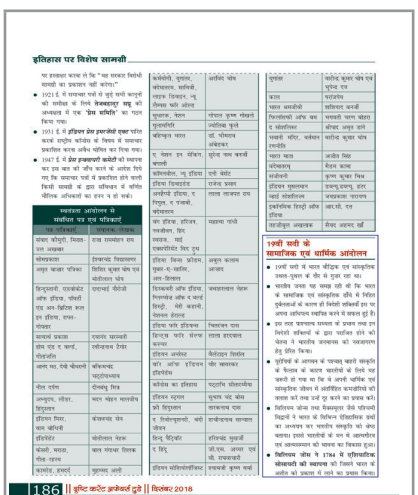

इस प्रकार, इस आंदोलन ने पश्चिम की भौतिक संस्कृति के विपरीत भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक सार में निहित गर्व की भावना ने भारतीयों को एक नए उभरते सार्वजनिक संदर्भ में औपनिवेशिक राज्य का सामना करने के लिये प्रेरित किया। दूसरे शब्दों में, इसने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव तैयार की जो उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मुखर रूप से प्रकट हुई।

प्रश्न: 4. वैश्विक तापन के प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का, उदाहरणों के साथ, आकलन कीजिये।

Assess the impact of global warming on coral life system with examples.

उत्तर: प्रवाल जीवन प्रणाली (Coral life system) विश्व के किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की उच्चतम जैव विविधता का संपोषण करती है और विश्व भर में 500 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्षत: प्रभावित करती है।

लेकिन पिछले तीन वर्षों में विश्व भर में प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। वे अब पृथ्वी पर सबसे अधिक संकटपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं और इसकी मुख्य वजह अभूतपूर्व ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते स्थानीय दबाव हैं।

प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

- तापमान में वृद्धि के साथ बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटनाओं और संक्रामक रोग के प्रकोप की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2016 और 2017 में ग्रेट बैरियर रीफ की ब्लीचिंग/विरंजन ने लगभग 50 प्रतिशत प्रवालों को नष्ट कर दिया।
- विरंजित प्रवाल (Bleached Corals) वृद्धि दर में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, रोगों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि और मृत्यु दर में वृद्धि जैसे खतरों के शिकार हो सकते हैं।
- महासागर के अम्लीकरण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड स्तरों में वृद्धि ने भित्ति-निर्माणकारी और भित्ति-संबद्ध जीवों (Reef-Building and Reef-Associated Organisms) में कैल्सीफिकेशन (Calcification) की दरों को कम कर दिया है, जिससे उनके कंकाल कमज़ोर हो जाते हैं और वृद्धि क्षीण हो जाती है।
- समुद्र तल में वृद्धि से तलछट के भूमि-आधारित स्रोतों के निकट स्थित भित्तियों के लिये अवसादन (Sedimentation) में वृद्धि हो सकती है। अवसादन अपवाह से प्रवाल के दम घुटने की स्थिति बन सकती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण तूफान के पैटर्न में परिवर्तन से अधिक मज़बूत और बार-बार आने वाले तूफानों की स्थिति बन सकती है जो प्रवाल भित्तियों के विनाश का कारण बन सकते हैं।
- प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन से मछली और अकशेरुकी जीव जो भोजन, आश्रय या नवरोहण आवास (Recruitment Habitat) के लिये जीवित प्रवाल पर निर्भर करते हैं, भी प्रभावित होते हैं।
- वर्षा में परिवर्तन से ताज़े जल, तलछट और भूमि-आधारित प्रदूषकों के अपवाह में वृद्धि होती है जो शैवाल (Algae) अतिवृद्धि में योगदान करते हैं और इससे गंदले जल परिदृश्य का उभार होता है जो प्रकाश के प्रवेश को अवरुद्ध करता है।
- महासागरीय धाराओं में परिवर्तन कनेक्टिविटी और तापमान व्यवस्थाओं में परिवर्तन का कारण बनता है जो आगे चलकर प्रवालों के लिये भोजन की कमी उत्पन्न करता है तथा प्रवाल लार्वा के प्रसरण को प्रभावित करता है।
- गर्म जल में फाइटोप्लैंकटन जैसे समुद्री पौधों की मात्रा में धीरे-धीरे कमी आ सकती है, जिससे खाद्य शृंखला में आगे अन्य जीवों के लिये उपलब्ध पोषक तत्त्वों की मात्रा में पर्याप्त कमी आएगी।
- इसके अतिरिक्त, ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल जीवन प्रणाली के पतन का पर्यटन, जलीय कृषि और दवा उद्योगों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही तटीय समुदायों के समग्र प्रत्यास्थ (Resilience) में कमी आ सकती है।

आगे की राह

वैश्विक औसत तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखते हुए, स्थानीय प्रदूषण और मछली पकड़ने के विघटनकारी अभ्यासों को संबोधित कर वैश्विक स्तर पर प्रवाल जीवन प्रणाली के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मुख्यधारा की आर्थिक प्रणालियों के चक्रीय आर्थिक अभ्यासों में रूपांतरण से बढ़ते वैश्विक तापमान को कम करने में मदद मिल सकती है।

यूनेस्को के अनुसार, यदि ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हुई तो इस सदी के अंत तक 29 प्रवाल विश्व धरोहर स्थलों की प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पेरिस समझौते के प्रति जताई गई प्रतिबद्धताओं को सतत् विकास लक्ष्यों जैसे अन्य सभी वैश्विक समझौतों में भी प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, सतत् विकास लक्ष्य-13 (SDG-13) जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है।

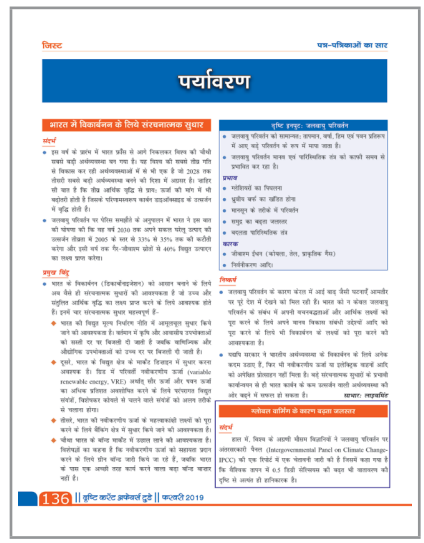

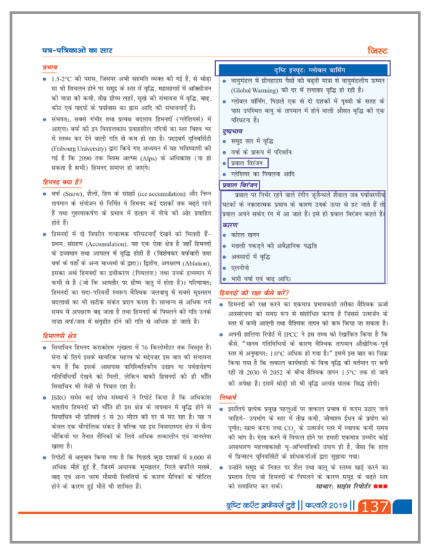

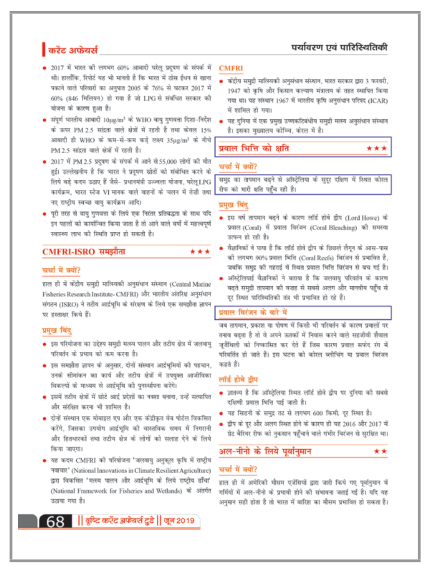

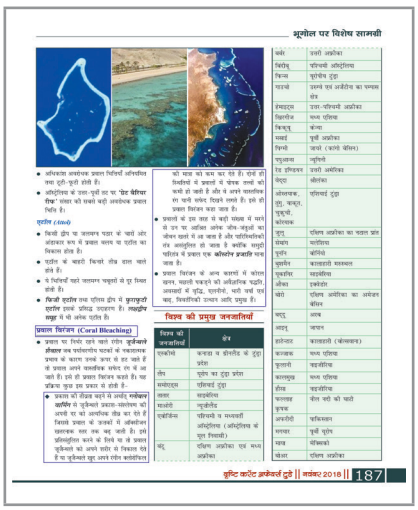

प्रश्न: 5. मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिये और तटीय पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।

Discuss the causes of depletion of mangroves and explain their importance in maintaining coastal ecology.

उत्तर: मैंग्रोव लवण-सहिष्णु वनस्पति हैं जो नदियों और ज्वारनदमुख (Estuaries) के बीच के क्षेत्रों में उगते हैं। उन्हें 'ज्वारीय वन' के रूप में जाना जाता है और ये 'उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र' श्रेणी के वन हैं। विश्व भर में मैंग्रोव का तेज़ी से क्षरण हो रहा है, अब तक 35% से अधिक मैंग्रोव समाप्त हो चुके हैं।

क्षरण के कारण

- कृषि योग्य भूमि, मानव बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों, झींगा जलीय कृषि आदि के लिये मैंग्रोव वनों के बड़े हिस्से की कटाई होती रही है।
- जलावन लकड़ी, इमारती लकड़ी व लुगदी उत्पादन, चारकोल उत्पादन और पशुओं के चारे के लिये इनका अतिदोहन होता रहा है।
- नदियों के ऊपर बने बांधों से मैंग्रोव वनों तक पहुँचने वाले जल और तलछट की मात्रा कम हो जाती है जिससे उनके लवणता स्तर में परिवर्तन होता है।
- प्रवाल भित्तियाँ धाराओं और मज़बूत लहरों के विरुद्ध पहला अवरोध प्रदान करती हैं। जब वे नष्ट हो जाती हैं तो तट पर पहुँचने वाली लहरें उस तलछट को बहा ले जा सकती हैं जिसमें मैंग्रोव बढ़ते हैं।
- नदी प्रणालियों द्वारा बहाकर लाए गए अपशिष्ट के कारण भी मैंग्रोव को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है।
- असामान्य रूप से कम वर्षा, बहुत अधिक समुद्री सतह और हवा के तापमान ने मैंग्रोव वनों के अस्तित्व के लिये गंभीर खतरे पैदा किये हैं।

तटीय पारिस्थितिकी को बनाए रखने में मैंग्रोव का महत्त्व

- मैंग्रोव सबसे अधिक उत्पादक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में से एक हैं और प्राकृतिक, नवीकरणीय संसाधन हैं।
- मैंग्रोव जीवों की व्यापक प्रजातियों को पारिस्थितिक परिवेश प्रदान करते हैं। ये मत्स्यपालन के लिये प्रजनन, भोजन और नर्सरी आधार के रूप में काम करते हैं।
- मैंग्रोव वन जल निस्यंदक और शोधक (फिल्टर और प्यूरीफायर) के रूप में भी कार्य करते हैं। जब नदियों और बाढ़ के मैदानों से होता हुआ जल समुद्र में पहुँचता है तो मैंग्रोव बहुत सारे तलछट को छान देते हैं।
- मैंग्रोव आघात-अवशोषक (Shock Absorbers) के रूप में भी कार्य करते हैं। ये उच्च ज्वार और लहरों की त्वरा कम करते हैं और तटरेखा को कटाव से बचाते हैं।

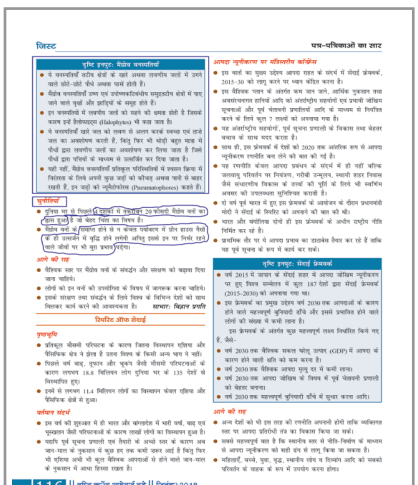

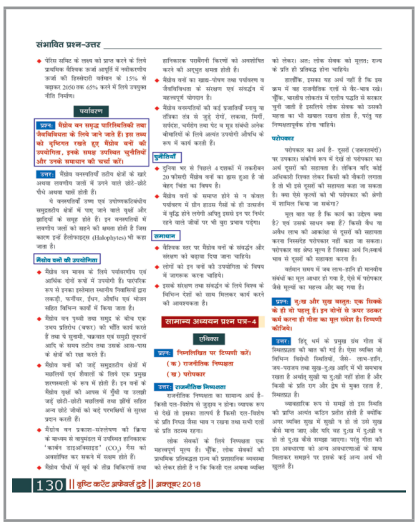

प्रश्न: 6. क्या प्रादेशिक संसाधन-आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोज़गार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है?

Can the strategy of regional resource-based manufacturing help in promoting employment in India?

उत्तर: राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है। यद्यपि, यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ स्थानीय लाभों के कारण औद्योगिकीकरण के उच्च स्तर के साथ विकास की दर बहुत तेज़ रही है जबकि कई अन्य क्षेत्र बहुत पीछे रह गए हैं। इस संबंध में फिर क्षेत्रीय विनिर्माण का विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

क्षेत्रीय संसाधन-आधारित विनिर्माण के कारण रोज़गार सृजन

- उपयुक्त रूप से संगठित उद्योग क्षेत्रीय/स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार अधिक उत्पादन और प्रसंस्करण को अवसर दे सकते हैं। इससे समग्र क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी।
- विनिर्माण क्षेत्र कौशल के विभिन्न स्तरों पर रोज़गार उत्पन्न करता है। सामान्यत: रोज़गार का एक अच्छा अनुपात अकुशल और अर्द्ध-कुशल श्रम क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जो अनौपचारिक क्षेत्र के अर्जन से अधिक मज़दूरी की अपेक्षा कर सकते हैं।
- यह उद्योग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के सहायक उद्योगों और सेवाओं में भी उद्यमिता और रोज़गार के अवसर उत्पन्न करता है।
- उपभोक्ता वस्तुओं के लिये अधिकाधिक और विविधतापूर्ण मांग होगी। यह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन, वितरण और समर्थन में संभावित वृद्धि के अपने चक्र का निर्माण करता है।
- यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आय के अंतर को कम करेगा और इस तरह संकटपूर्ण प्रवास की प्रवृत्ति को कम करेगा।

क्षेत्रीय संसाधन-आधारित विनिर्माण की चुनौतियाँ

- जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी यहाँ पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना की कमी एक प्रमुख बाधा रही है।
- इस रणनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखने वाला एमएसएमई क्षेत्र स्वयं पहले से ही विपणन, ऋण, विकास और विनिर्माण के लिये उपयुक्त तकनीक की अनुपलब्धता आदि से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन भारत में अत्यंत लागत वाले और उच्च जोखिमपूर्ण हैं।

इस संबंध में, केंद्र और राज्य सरकारें क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमता का दोहन करने के लिये विभिन्न रणनीतियों पर कार्यशील हैं। ओडिशा सरकार द्वारा प्रस्तुत 'ओडिशा औद्योगिक विकास योजना: दृष्टिकोण 2025'; उत्तर प्रदेश सरकार की 'एक ज़िला, एक उत्पाद योजना'; पूर्वोत्तर भारत में एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिये 'पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना', वन-आधारित उत्पादों व जीआई-टैग प्राप्त उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाना इस दिशा में सराहनीय शासकीय प्रयास हैं। देश का समग्र विकास प्रत्येक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत विनिर्माण अर्थव्यवस्था के संतुलित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने से ही हो सकता है।

प्रश्न: 7. उत्तर-पश्चिमी भारत के कृषि-आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिये।

Discuss the factors for localisation of agro-based food processing industries of North-West India.

उत्तर: कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसे 'सनराइज़ उद्योग' (Sunrise Industry) के रूप में मान्यता प्राप्त है, को ऐसे उद्योग के रूप में देखा जाता है जो कृषि क्षेत्र के कच्चे माल को मूल्य वृद्धि प्रदान करता है। यह मूल्यवर्द्धन कच्चे कृषि उत्पादों को बाज़ार में बिक्री-योग्य, सहज उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित करता है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश के कुल खाद्य बाज़ार में 32 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। यह भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है।

उत्तर-पश्चिम भारत में एक व्यापक विकसित कृषि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का उभार हुआ है। इस स्थानीयकरण के निम्नलिखित कारक हैं:

- यह क्षेत्र विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों, उपजाऊ मिट्टी और अविरल कृषि-योग्य मैदानों से परिपूर्ण है। इस कारण यहाँ पूरे वर्ष विविध प्रकार की फसलों, सब्ज़ियों और फलों का उत्पादन होता है।
- अनाज, फल, सब्ज़ियों और पशुधन के रूप में विविधतापूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये आकर्षक आधार प्रदान करती है। इसके साथ ही क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी पशुधन आबादी मौजूद है और यह क्षेत्र दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी है।

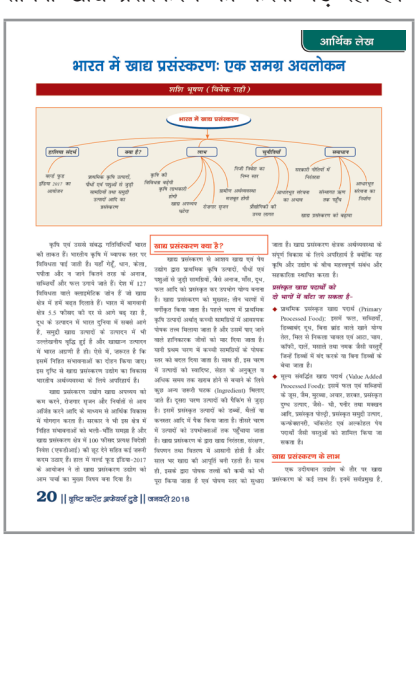

- बेहतर विकसित परिवहन नेटवर्क, सब्सिडी-युक्त बिजली, सिंचाई सुविधाएँ और पर्याप्त भंडारण सुविधाएँ इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के पोषण में योगदान करती हैं।
- प्रभावी विपणन के लिये इस क्षेत्र में सुविकसित कृषि-निर्यात क्षेत्र, बाज़ार यार्ड, संगठित कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (APMC) और मंडियाँ मौजूद हैं।
- इस क्षेत्र की जनसंख्या में साक्षरता दर अच्छी है और वे वित्तीय साक्षरता भी रखते हैं और उन्हें एक कुशल बैंकिंग नेटवर्क का लाभ प्राप्त है।
- पंजाब सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिये एक कृषि वृहत् परियोजना नीति का परिचालन करती है। इसके अतिरिक्त, बड़े जोत आकार, एकल खिड़की निकासी, निजी उप ई-मार्केट स्थापित करने की अनुमति, एपीएमसी अधिनियम में संशोधन आदि ने इस क्षेत्र में कृषि-आधारित उद्योगों को फूलने-फलने में सक्षम बनाया है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मेगा फूड पार्क योजना जैसी केंद्रीय स्तर पर की गई पहल इस उद्योग के विकास के लिये उठाए गए अनुकूल कदम हैं। इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव, एपीएमसी अधिनियम का अपर्याप्त कार्यान्वयन, कई मंत्रालयों के हस्तक्षेप और खाद्य मूल्य श्रृंखला को विनियमित करने के लिये कानूनों की जटिलता आदि कई चुनौतियाँ भी हैं, जिनका सामना खाद्य प्रसंस्करण को करना पड़ रहा है।

प्रश्न: 8. क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिये।

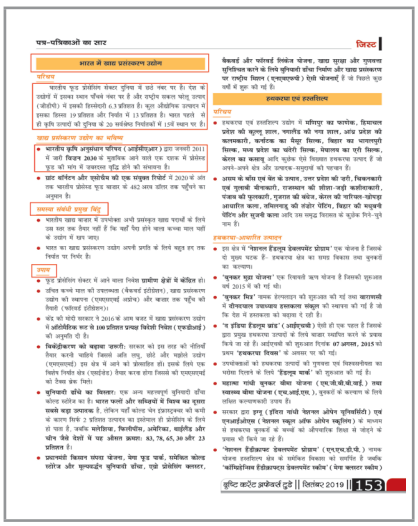

What makes Indian society unique in sustaining its culture? Discuss.

उत्तर: सामंजस्य और समावेशन की भावना भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल से ही भारत ने समाज के विभिन्न तत्त्वों को उनकी पहचान से विरक्त किये बिना समायोजित किया है।

- समय के साथ भारत ने अपनी विशिष्ट संस्कृति विकसित की है जो उदार, बाह्य रूप से ग्रहणशील और विविधतापूर्ण है।
- भारतीय समाज का मूल तत्त्व विविध एवं विशिष्ट पहचानों, नृजातीयताओं, भाषाओं और धर्मों को शरण देने में निहित है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन समाजों ने भिन्नताओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया वे इस प्रयास में बिखर गए।
- **ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण:** भारतीय संस्कृति का ढाँचा मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रख एक ऐसे दिव्य सृजन के रूप में रखता है जो समाज में व्यक्तिगतता और विचारों की भिन्नता को सहर्ष स्वीकार करता है।
- **सद्भावना:** भारतीय दर्शन और संस्कृति समाज में एक सहज सद्भाव और शांति की स्थापना का प्रयास करते हैं।
- **सहिष्णुता:** भारत में सभी धर्मों, जातियों, समुदायों के प्रति सहिष्णुता और उदारता की भावना पाई जाती है। भारतीय समाज ने शक, हूण, सीथियन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी-सबको स्वीकार किया और उनके प्रति सम्मान रखा। अशोक और अकबर जैसे शासकों ने विभिन्न धर्मों को संरक्षण दिया और यह सुनिश्चित किया कि यहाँ सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो।
- **निरंतरता और स्थिरता:** प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जीवन की चमक आज भी बरकरार है। कई आक्रमण हुए, कई शासनों की स्थापना हुई, कई तरह के विधान लागू हुए लेकिन आज भी कई पारंपरिक संस्थाएँ, धर्म, महाकाव्य, साहित्य व दर्शन आदि जीवित बने हुए हैं।
- **अनुकूलनशीलता:** अनुकूलनशीलता समय और स्थान के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रक्रिया है। भारतीय समाज ने लचीलापन रखा है और बदलते समय के साथ स्वयं को समायोजित किया है।
- **अनेकता में एकता:** अंतर्निहित भिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज अनेकता में एकता का उत्सव मनाता है जो आधुनिक भारत के संस्थापक सिद्धांतों और संवैधानिक आदर्शों में परिलक्षित होता है।

हाल के समय में, भारतीय समाज ने सांप्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक असमानता और जातीय हिंसा जैसे कई विभाजनकारी मुद्दों का उभार देखा है, जो हमारे समाज के समय-परीक्षणित लोकाचार को गंभीर चुनौती देते हैं।

इसके बावजूद, भारत एक विविधतापूर्ण देश बना हुआ है जो सभी प्रकार के समुदायों का एक शानदार रूप प्रस्तुत करता है। हमारी अद्वितीय सामाजिक प्रतिभा एक सह-अस्तित्व का सृजन है जहाँ विविधता के पास फूलने-फलने का अवसर उपलब्ध है।

निबंध विशेषांक

बहुसंस्कृतिवाद

प्रश्न: 9. "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" चर्चा कीजिये।

"Empowering women is the key to control population growth". Discuss.

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (United Nations Department of Economic and Social Affairs- UN DESA) के एक अनुमान के अनुसार, भारत वर्ष 2027 में चीन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे- बाल विवाह और बहु विवाह प्रणाली, धार्मिक अंधविश्वास, अशिक्षा एवं असमानता, निर्धनता आदि। ये सभी कारक किसी-न-किसी प्रकार देश में महिलाओं की बदतर स्थिति से भी संबद्ध हैं। इस प्रकार, महिला सशक्तीकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यय की पूर्ति के लिये महिलाएँ कई बार आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं। महिला सशक्तीकरण से उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण के परिणामस्वरूप परिवार नियोजन से लेकर गर्भधारण के समय तक सभी स्तरों पर निर्णय लेने में उनकी इच्छा, साधन और सार्थक भागीदारी में वृद्धि होगी।
- परिवार नियोजन की विफलता प्रत्यक्ष रूप से वृहद् पैमाने पर व्याप्त निरक्षरता से संबद्ध है। महिला सशक्तीकरण बाल विवाह, महिलाओं की निम्नतर स्थिति, उच्च बाल-मृत्यु दर आदि में भी यह योगदान करता है। सामान्यत: महिलाएँ जनसंख्या को नियंत्रित करने के विभिन्न तरीकों के प्रति बेहद कम जागरूक रहती हैं।
- अशिक्षित परिवार बढ़ती जनसंख्या दर के कारण उत्पन्न जटिलताओं और समस्याओं को नहीं समझ सकते। बालिकाओं पर शिक्षा का परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। शिक्षित बालिकाएँ बेहतर कार्य अवसर में संलग्न होने, अधिक आय अर्जित करने, अपने क्षितिज का विस्तार करने, उपयुक्त आयु पर विवाह करने और उपयुक्त समय पर सीमित संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति रखती हैं।
- अधिक बच्चों वाली महिलाओं का संपूर्ण जीवन एक माता और पत्नी के दायित्व निभाते हुए ही गुज़र जाता है। वे अपने समुदाय और समाज में तब तक कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सकतीं जब तक वे अपने परिवार को एक उचित आकार तक सीमित रखने में सक्षम नहीं हो जातीं। परिवार नियोजन न केवल परिवार कल्याण में सुधार करेगा, बल्कि सामाजिक समृद्धि और व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति में भी योगदान करेगा।
- पुरुषों और बालकों को उनकी आरंभिक आयु में ही संवेदनशील बनाना भी महत्त्वपूर्ण है ताकि वे भारतीय समाज में महिला सशक्तीकरण के रूपांतरण में एक अभिन्न अंग के रूप में योगदान दे सकें।

जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि एक ऐसी समस्या है जिसे हमारे देश को दूर करने की आवश्यकता है। सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और समाज को देश में अति-जनसंख्या की इस समस्या के समाधान के लिये मिलकर काम करना होगा। भारत को अपनी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये अधिकाधिक प्रयास करने की आवश्यकता है जो देश के जनसंख्या नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

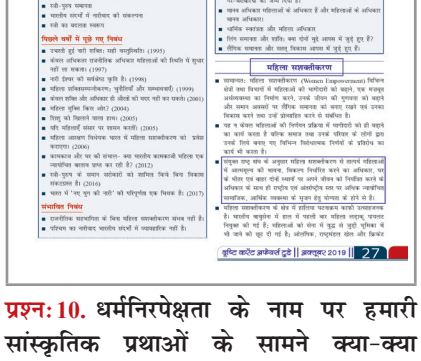

राजव्यवस्था एवं समाज

महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयाम

पत्र-पत्रिकाओं का सार

निबंध विशेषांक

भाग-3

महिला सशक्तीकरण

प्रश्न: 10. धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतिया हैं?

What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism?

उत्तर: भारत अपनी स्वतंत्रता के समय से ही धर्मनिरपेक्षता के एक अद्वितीय विचार का अनुसरण कर रहा है, जहाँ राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति एकसमान व्यवहार किया जाता है और सभी धर्मों को संपोषित किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान में यह अवधारणा एक परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है जहाँ न्यायपालिका द्वारा 'संवैधानिक नैतिकता' को धर्मनिरपेक्षता का एक महत्त्वपूर्ण घटक माना जा रहा है। इस परिवर्तन का एक और पहलू यह है कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भ्रामक धारणाओं का प्रसार हो रहा है। इन परिवर्तनों की अंतिम परिणति यह है कि हमारी विविध सांस्कृतिक प्रथाओं के समक्ष विभिन्न चुनौतियों का उभार हो रहा है।

इस प्रकार, इन चुनौतियों के तार्किक वर्गीकरण के हमारे पास दो आयाम हैं:

भ्रमित धारणाओं से उत्पन्न चुनौतियाँ

- **धार्मिकता, धर्मनिरपेक्षता-विरोधी और कट्टरपंथी-समर्थक है:** यह भ्रामक धारणा विभिन्न धार्मिक अभ्यासों, जैसे- अनुष्ठान, वस्त्र, विचार आदि को हतोत्साहित करती है। जो लोग भगवा पोशाक धारण करते हैं या जो दाढ़ी रखते हैं और इस्लामी टोपी (ताकियाह) पहनते हैं, कट्टरपंथी माने जाते हैं।
- **धर्मनिरपेक्षता, नास्तिकता और धर्मत्याग के लिये समान है:** जो लोग ईश्वर को नहीं मानते या अपनी धार्मिक आस्थाओं का त्याग कर देते हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से सांस्कृतिक प्रथाओं का धीमा क्षरण हो रहा है।
- **आहार विकल्पों पर प्रतिबंध:** कुछ राज्य बहुसंख्यक धार्मिक भावनाओं का अनुसरण करते हुए गोमाँस की बिक्री को प्रतिबंधित करते हैं।
- **'जूडिशोपेपिज़्म' (Judiciopapism; न्यायालय का धार्मिक मामलों में अति-हस्तक्षेप):** कई बार न्यायपालिका धर्मनिरपेक्षता का संकीर्ण अभिप्राय ग्रहण करते हुए धार्मिक आयोजनों और अभ्यासों में हस्तक्षेप करती रही है।

संवैधानिक नैतिकता के उदय के कारण उत्पन्न चुनौतियाँ

न्यायपालिका ने निम्नलिखित आधारों पर कई सांस्कृतिक अभ्यासों पर आपत्तियाँ प्रकट की हैं:

- **समानता का अधिकार:** ट्रिपल तलाक की प्रथा और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैधानिक घोषित किया। इन धार्मिक अभ्यासों में निहित लैंगिक असमानता और लैंगिक शोषण के आधार पर न्यायालय ने ये निर्णय लिये।
- **पशु अधिकार:** सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की पारंपरिक प्रथा पर इसमें निहित पशु क्रूरता के आधार पर रोक लगा दी।
- **अहितकर सांस्कृतिक प्रथाओं पर आपत्ति:** वर्ष 2018 में दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित महिला जनन अंगच्छेदन/खतना प्रथा (Female Genital Mutilation- FGM) की अवैधता का प्रश्न सामने लाया गया। भारत में इस अभ्यास पर प्रतिबंध के लिये केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय विचाररत हैं।

इस प्रकार, स्पष्ट है कि जबकि कुछ चुनौतियाँ धर्मनिरपेक्षता की भ्रामक धारणा का परिणाम हैं, अन्य कई चुनौतियाँ स्वयं सांस्कृतिक अभ्यासों की शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रकृति के कारण हैं। समाधान इसमें निहित है कि इन चुनौतियों पर विमर्श के लिये और देश की सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण के लिये एकमतता हेतु धार्मिक नेता, न्यायाधीश, अधिकार कार्यकर्त्ता, नागरिक समाज समूह, गैर-सरकारी संगठन और सरकारी प्रतिनिधियों जैसे सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाया जाए।

प्रश्न: 11. गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिये।
Many voices had strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhian phase. Elaborate.

उत्तर: स्वतंत्रता के लिये गांधीजी द्वारा जनता को प्रदान किया गया दृष्टिकोण तथा जिस प्रकार उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिये स्वतंत्रता सेनानियों का मार्गदर्शन किया, उसके परिणामस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी प्रावस्था का योगदान निश्चितत: असाधारण है। परंतु इसके साथ-साथ अन्य कारक भी विद्यमान थे जिन्होंने उनके प्रयासों को और सुदृढ़ किया तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया।

राष्ट्रवादी आंदोलन को मज़बूत और समृद्ध करने वाले स्वर निम्नलिखित हैं:

- ख़िलाफत आंदोलन (वर्ष 1919-22) की शुरुआत भारतीय मुस्लिमों द्वारा की गई थी जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर इस्लाम के ख़लीफा के रूप में ऑटोमन सुल्तान के अधिकार को संरक्षित करने के लिये दबाव डाला जा सके। गांधीजी व कॉन्ग्रेस नेताओं ने इसे हिंदू-मुस्लिम एकता को मज़बूत करने तथा मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने के एक अवसर के रूप में देखा।
- कॉन्ग्रेस दल के भीतर स्वराजवादियों और नो-चेंजर्स के बीच वैचारिक मतभेदों ने बड़ा योगदान दिया। नो-चेंजर्स ने हिंदू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन आदि अपनी रचनात्मक गतिविधियों को जारी रखा, जबकि स्वराजवादियों ने 1923 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जीतकर भारतीयों द्वारा राजनीतिक शून्य को भरा। फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन ने पुन: अपनी शक्ति हासिल की।
- वर्ष 1927 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में मार्क्सवादी व अन्य समाजवादी विचारधारा तेज़ी से विस्तारित हुई। वामपंथी वर्ग ने केवल स्वतंत्रता संग्राम के लिये अपनी विचारधारा को सीमित नहीं किया, अपितु पूंजीपतियों एवं ज़मींदारों द्वारा आंतरिक वर्ग उत्पीड़न का प्रश्न भी उठाया। इसने देश के हाशिये पर खड़े लोगों व गरीबों के स्वरों को सुदृढ़ता प्रदान की तथा उन्हें आंदोलनों में शामिल किया।
- रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिये लोगों को एक अतिआवश्यक क्रांति के संबंध में सूचित करने का दायित्व लिया। सूर्य सेन की अगुआई में बंगाल में हुआ उग्र आंदोलन क्रांतिकारी महिलाओं की भूमिका के कारण उल्लेखनीय है।
- राष्ट्रीय आंदोलन और कॉन्ग्रेस का एक अभिन्न अंग रहते हुए आंदोलन में छात्र और किसान दल शामिल हुए और उन्होंने मार्क्सवादी एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं का प्रचार किया। वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह ने किसानों की चिंताओं को उजागर किया।
- अखिल भारतीय व्यापार संघ कॉन्ग्रेस (AITUC) के नेतृत्व में व्यापार संघवाद का तीव्रता से विकास हुआ और वर्ष 1928 के दौरान कई हड़तालें आयोजित हुईं जिनमें खड़गपुर, जमशेदपुर और बॉम्बे टेक्सटाइल मिल की हड़तालें सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। व्यापारियों और श्रमिकों ने वित्तीय सहायता देकर और आयातित वस्तुओं को अस्वीकार करके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया।
- देश में चल रहे क्रांति अभियानों से महिलाएँ भी अछूती नहीं थीं। उन्होंने भी आगे आकर समान रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, भीकाजी कामा इनमें प्रमुख हैं।

हालाँकि विखंडन तथा आंतरिक वैचारिक मतभेदों ने कुछ हद तक आंदोलन को कमज़ोर कर दिया, लेकिन इसने मुख्य रूप से विविधता लाने और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को शामिल कर आंदोलन को मज़बूत बनाया।

करेंट अफेयर्स से जुड़े
संभावित प्रश्न-उत्तर
(मुख्य परीक्षा के लिये)
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || मई 2018 || 129

प्रश्न: 12. 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिये।

Assess the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during the 1940s.

उत्तर: प्रस्तावना: अंग्रेज़ कभी भी भारत छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय संसाधनों एवं सेना बल के बदले में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस से किये स्वतंत्रता के वादे; युद्ध के पश्चात् वित्तीय व राजनीतिक दबाव; ब्रिटेन में राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन (लेबर पार्टी); बढ़ते वैश्विक दबाव तथा भारतीय नेताओं के प्रयासों को परास्त करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप अंततः उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हालाँकि सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को इतना जटिल व कठिन बनाने में ब्रिटेन सफल रहा जिससे भारत आज भी ग्रस्त है।

कैबिनेट मिशन

- कैबिनेट मिशन योजना का मसौदा तैयार करने का दायित्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को सौंपा गया था, जिसने त्रि-स्तरीय प्रणाली, यथा- प्रांत, प्रांतीय समूहों तथा केंद्र सहित भारत के लिये एक जटिल प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इसमें केंद्र की सत्ता केवल विदेशी मामलों, रक्षा, मुद्रा और संचार तक ही सीमित थी।
- प्रांतों के तीन प्रमुख समूह: हिंदू-बहुल प्रांतों को शामिल करने के लिये ग्रुप ए; मुस्लिम-बहुल प्रांत (पश्चिमी पाकिस्तान) शामिल करने के लिये ग्रुप बी; और मुस्लिम-बहुल बंगाल (पूर्वी पाकिस्तान) को शामिल करने के लिये ग्रुप सी का गठन किया गया।
- फलतः नेहरू और जिन्ना, दोनों ने इस प्रणाली को अस्वीकृत कर दिया, परंतु जब लॉर्ड वेवेल ने नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में अधिकृत किया तब जिन्ना ने बदले में दंगों एवं नरसंहार की घटनाओं को आयोजित करने की रणनीति अपना ली।

विभाजन

- जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसने एक माह के भीतर ही भारत और पाकिस्तान की सीमा के विभाजन के लिये 14-15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि की घोषणा कर दी। यहाँ द्विराष्ट्र सिद्धांत एक महत्त्वपूर्ण कारक था जिसने सांप्रदायिकता को जन्म दिया।
- दोनों देशों के मध्य सीमाओं का सीमांकन करने का कार्य ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया, जिसने पहले कभी भारत का दौरा नहीं किया था और अपने निर्णय के सामाजिक व राजनीतिक परिणामों के संबंध में अनभिज्ञ था।
- विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ घटित हुईं और लोगों का अस्वाभाविक पलायन हुआ।

देशी रियासतों को प्राप्त स्वायत्तता

- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों पर ब्रिटिश राज और ब्रिटेन की देशी रियासतों के साथ सभी मौजूदा संधियाँ समाप्त हो गईं। चूँकि देशी रियासतें ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थीं, इसलिये वे स्वतंत्र हो गईं और उनके पास भारत या पाकिस्तान में विलय करने या स्वतंत्र रहने का विकल्प मौजूद था।
- लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू और पटेल के प्रयासों के बाद भी कुछ रियासतों,जैसे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने पहले से ही संकटपूर्ण समय में कुछ गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कीं।

निष्कर्ष

भारत जैसे संसाधन-संपन्न राष्ट्र को छोड़ना ब्रिटेन के लिये कठिन था। इसलिये ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्रता के साथ यहाँ कुछ विवादों को जन्म देना भी सुनिश्चित किया। भारत में शरणार्थी समस्या, कश्मीर समस्या आदि की जड़ें 1940 के दशक में ब्रिटेन द्वारा उत्पन्न जटिलताओं में मौजूद हैं।

इतिहास पर विशेष सामग्री
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || दिसंबर 2018 || 201

इतिहास पर विशेष सामग्री
202 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || दिसंबर 2018

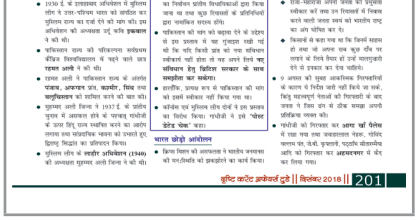

इतिहास पर विशेष सामग्री
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || दिसंबर 2018 || 203

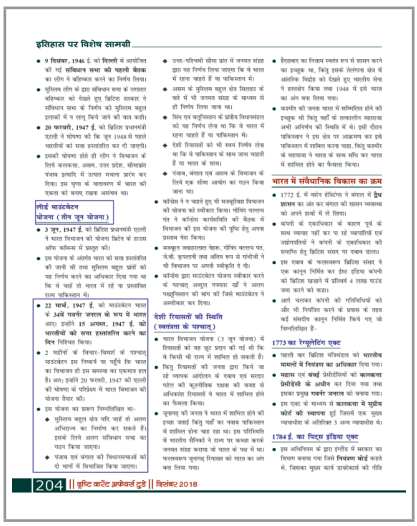

प्रश्न: 13. स्पष्ट कीजिये कि अमेरिकी एवं फ्राँसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएँ किस प्रकार निर्मित की थीं।

Explain how the foundations of the modern world were laid by the American and French Revolution.

उत्तर: विश्व इतिहास में अमेरिकी क्रांति और फ्राँसीसी क्रांति को एक आधारभूत युगारंभ के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसने शासन की पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और शासित राष्ट्रों के लिये आधुनिक आदर्श स्थापित किया।

आधुनिक विश्व में अमेरिकी क्रांति का योगदान

- **स्वाधीनता तथा लोकतंत्र का सिद्धांत:** स्वतंत्रता की घोषणा ने उद्घोषित किया कि 'सभी व्यक्ति समान हैं'। इसने विश्व के लोगों को स्वाधीनता और स्वतंत्रता की मांग करने के लिये एक प्रेरणा प्रदान की।
- अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध ने संघवाद के रूप में सरकार की एक नवीन प्रणाली को जन्म दिया। समय के साथ सरकार की संघीय प्रणाली को लोकप्रियता मिली। सत्ता विभाजन के लिये इस प्रणाली ने विभिन्न देशों को प्रभावशाली खाका प्रदान किया।
- **मानवाधिकारों को प्रोत्साहन:** अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध ने मानव के अधिकारों पर ज़ोर दिया। थॉमस जेफरसन की 'अधिकारों की घोषणा' ने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जाग्रत किया।

आधुनिक विश्व में फ्राँसीसी क्रांति का योगदान

- **समाज का लोकतंत्रीकरण:** फ्राँसीसी क्रांति एक अखिल यूरोपीय क्रांति थी। इसने यूरोप में प्राचीन प्रणाली को समूल नष्ट कर दिया और सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस क्रांति से पूर्व समाज असमानता, विषमता, विशेषाधिकारों और रियायतों पर आधारित था। क्रांति ने एक नई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत की।
- **आधुनिकता के आदर्श:** स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व द्वारा यूरोप में राजनीतिक उद्भव को जन्म दिया गया।
- **धर्मनिरपेक्षता:** फ्राँसीसी क्रांति ने चर्च की संप्रभुता, निरंकुशता और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। ज्ञान व कारण की आराधना का महत्त्व और अधिक प्रमुख हो गया।
- लोगों ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि संपत्ति तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की भी मांग की। उन्होंने मतदान के अधिकार की भी मांग की। महिलाओं ने पुरुषों के साथ समान अधिकार का दावा किया।
- इस क्रांति से राष्ट्रवाद की भावना जाग्रत हुई, जिसने इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसने लोकतंत्र की अवधारणा को भी लोकप्रिय बनाया।
- फ्राँसीसी और अमेरिकी क्रांति ने न केवल एक नए उभरते हुए समतावादी समाज तथा नवीन राजनीतिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, बल्कि उन्होंने अन्य देशों के लोगों को दार्शनिक और आकांक्षी के रूप में भी आधारशिला प्रदान की। इन क्रांतियों ने एक सभ्य विश्व के मूल सिद्धांत पर प्रकाश डाला जिसने वर्तमान समय की वैश्विक आकांक्षाओं को आकार देना जारी रखा है।

प्रश्न: 14. जल प्रतिबल (वाटर स्ट्रैस) का क्या मतलब है? भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकत: भिन्न-भिन्न है?
What is water stress? How and why does it differ regionally in India?

उत्तर: जल प्रतिबल एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र या देश में जल संसाधन अपनी आवश्यकताओं के संबंध में अपर्याप्त हैं। ऐसी परिस्थिति तब पैदा होती है जब जल की मांग उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाती है या जब खराब गुणवत्ता इसके उपयोग को बाधित करती है।

भारत में जल प्रतिबल

- विश्व की जनसंख्या का लगभग 17 प्रतिशत भारत में निवास करता है, लेकिन भारत में विश्व के मीठे जल का संसाधन केवल 4% उपलब्ध है।
- नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट-2018 के अनुसार दिल्ली, बंगलूरू, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 प्रमुख शहर वर्ष 2020 तक शून्य भू-जल स्तर पर पहुँचने की ओर अग्रसर हैं, जिससे 100 मिलियन लोगों को प्रभावित होने की आशंका है।
- हालाँकि, भारत में जल उपलब्धता में क्षेत्रीय भिन्नता दिखती है, जहाँ देश के उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों में जल की भारी कमी है वहीं देश के पूर्वी भागों में भू-जल पुनर्भरण के लिये प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। यह भिन्नता अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर भी व्याप्त है। उदाहरण के लिये, उत्तर बिहार के क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त हैं जबकि दक्षिण बिहार में गर्मी को मात देना कठिन है।

जल प्रतिबल के इस असमान वितरण को निम्नलिखित कारणों से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:

भौगोलिक कारक

- भारत एक विविध भूआकृतिक क्षेत्र है फलत: यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की अलग-अलग स्थिति प्राप्त होती है।
- दक्षिणी भारत का आंतरिक भाग वर्षा क्षेत्र का भाग है, वहीं राजस्थान और उत्तरी गुजरात के अधिकांश भागों में शुष्क जलवायु व्याप्त है। साथ ही उत्तर-पश्चिमी भारत और मध्य भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र प्राकृतिक रूप से जल प्रतिबल वाले क्षेत्र हैं।

जलवायवीय कारक

- जलवायु में हो रहे परिवर्तन से बाढ़ के साथ-साथ सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है।
- अनियमित मानसून के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में विलंबित और असामान्य वर्षा हो रही है।

कृषि पद्धतियाँ

- भारत में कृषि कृषि-जलवायु क्षेत्र के आधार पर नहीं की जाती है। भू-जल का उपयोग क्रमशः पंजाब तथा महाराष्ट्र जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में धान और गन्ना जैसी जल-गहन फसलों की खेती के लिये किया जाता है। पंजाब में राज्य क्रय नीति व विद्युत पर सब्सिडी, किसानों के लिये धान का उत्पादन करना लाभदायक बनाती है। इसी तरह, महाराष्ट्र में किसान गन्ने की खेती करते हैं क्योंकि उन्हें विपणन व्यवस्था का आश्वासन दिया जाता है।
- इसके अलावा, भारत में बाढ़ सिंचाई, सिंचाई का सबसे सामान्य रूप है, जिससे जल की बहुत अधिक बर्बादी होती है।

मानवीय कारक

- शहरीकरण की तीव्र दर ने बड़े शहरों तथा निकटतम क्षेत्रों में लोगों के संकेंद्रण को बढ़ावा दिया है। इसका उदाहरण आमतौर पर वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों (जैसे, दिल्ली-एनसीआर) में देखा जा सकता है।
- यह परिस्थिति अतिक्रमण, प्रदूषण और निरंतर जल निकायों के ध्वस्त होने के परिणामस्वरूप बढ़ जाती है। साथ ही लोगों में जल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारक है।

आगे की राह

दरअसल भारत में जल संसाधनों की सीमितता के साथ जल का कुप्रबंधन भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिये स्थानीय जलवायु के अनुरूप कृषि पद्धतियाँ अपनाए जाने, वर्षा जल संचयन को शहरी विकास परियोजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाने, जल के विवेकपूर्ण दोहन की दिशा में जागरूकता निर्मित करने जैसे उपाय किये जा सकते हैं। सरकार द्वारा जल से जुड़ी समस्याओं से निपटने व 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 'नल से जल' उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस दिशा में एक सराहनीय कदम है।

प्रश्न: 15. पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनःस्थापित किया जा सकता है?

How can the mountain ecosystem be restored from the negative impact of development initiatives and tourism?

उत्तर: पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट सहित हिमालयी राज्य भारत में सबसे प्रमुख पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो विकास पहलों और पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित 'वर्किंग ग्रुप II की भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संपोषणीय पर्यटन रिपोर्ट' इस विषय पर प्रकाश डालती है।

ये नकारात्मक प्रभाव पारंपरिक पर्यावरण-अनुकूल व सुंदर स्थापत्य को अनुचित व संकटपूर्ण निर्माण, खराब तरीके से निर्मित सड़कें व संबंधित अवसंरचना, अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण, जल स्रोतों का क्षरण व जैव-विविधता के ह्रास से प्रतिस्थापित किये जाने के कारण उत्पन्न हुए हैं।

इस संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार किया जा सकता है:

- माधव गाडगिल और के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी समितियों द्वारा रिपोर्ट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विकास के लिये पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) की अवधारणा का त्याग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार नीति आयोग ने पूरे हिमालयी क्षेत्र के समन्वित तथा समग्र विकास के लिये हिमालयी प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया है।
- बुनियादी सुविधाओं के विकास के संबंध में स्पष्ट सीमांकन तथा नियोजन होना चाहिये। इसमें शहरी नियोजन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया, सख्त नियंत्रण, स्प्रिंग मैपिंग एवं पुनरुद्धार आदि शामिल होना चाहिये।
- पर्यटन के संबंध में पर्यटन स्थलों में वहन क्षमता की अवधारणा को लागू करने, पर्यटन क्षेत्र के मानकों के कार्यान्वयन एवं निगरानी तथा इन मानकों पर अच्छा कार्य करने वाले राज्यों के लिये प्रोत्साहन जैसे उपायों पर विचार किया जा सकता है।
- राज्यों को पर्यटन के सतत् विकास पर अधिक व्यय करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उदाहरण- उत्तराखंड पर्यटकों की आगमन संख्या में दूसरे स्थान पर है, परंतु राज्य इस क्षेत्र पर अपने कुल व्यय का केवल 0.15 प्रतिशत निवेश करता है। इसके अतिरिक्त राज्य उत्कृष्ट प्रथाओं को भी अपना सकते हैं और साझा कर सकते हैं। इस संदर्भ में सिक्किम एक प्रमुख उदाहरण है।
- संरक्षण के लिये सहयोग तथा भागीदारी के साथ क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। ऐसे व्यवहार्य उद्यमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो सतत् आर्थिक प्रोत्साहन और स्थानीय समुदायों को समर्थन प्रदान कर सकते हैं। ये एस.डी.जी.-लक्ष्य 8 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास) और लक्ष्य 12 (संवहनीय उपभोग और उत्पादन) प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- पर्वतीय समुदायों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विकास और संरक्षण के बीच एक संबंध बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त योजनाओं एवं नीतियों का

प्रभावी कार्यान्वयन किसी भी वांछित प्रतिलाभ के लिये भी महत्त्व रखता है।

प्रश्न: 16. दक्ष और किफायती (अफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है?

How is efficient and affordable urban mass transport key to the rapid economic development of India?

उत्तर: सदियों से देश भर में आर्थिक विकास को व्यक्तिगत परिवहन से जोड़ा जाता रहा है। इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। हालाँकि मांग के साथ सुविधाजनक परिवहन अवसंरचना में तेज़ी नहीं आई है। भारत वर्ष 2050 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है, अत: हमें सुविधाजनक परिवहन की मांग में तेज़ी से वृद्धि के लिये तैयार रहना चाहिये।

दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन का महत्त्व

- **समूहों (Cluster) का समर्थन:** बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निजी वाहनों के भारी उपयोग से विकास धीमा हो सकता है। प्रभावी रूप से नियोजित परिवहन इस अवरोध को दूर कर सकता है और अधिक लोगों को उच्च घनत्व वाले विकास की धारा में लाकर समूह को सुदृढ़ कर सकता है।
- **उत्पादकता में वृद्धि:** जब परिवहन सुधारों से नौकरियों, सेवाओं व गतिविधियों तक लोगों और व्यवसायों की पहुँच बढ़ती है, तो उत्पादकता में भी वृद्धि आती है। इसका एक अन्य आर्थिक लाभ रोज़गार बाज़ार के लिये उपलब्ध कर्मचारियों का बड़ा समूह है।
- **व्यवसायों के लिये नए बाज़ार मार्ग की उपलब्धता:** बहुआयामी सुविधा का निर्माण उन कंपनियों के लिये नए बाज़ार का मार्ग खोलता है जो अपनी व्यापार आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त परिवहन के लिये बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ अवस्थितियों की तलाश कर रही हैं।

दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन के निर्माण की ओर

- सरकार ने किफायती, दक्ष और सुलभ गतिशीलता प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न नीतियों को तैयार किया है, जैसे- राष्ट्रीय ट्रांज़िट उन्मुखी विकास नीति, 2017; हरित शहरी परिवहन योजना, 2016; फेम आदि।
- इन कदमों के अलावा मौजूदा सड़कों के कुशल उपयोग और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिये विनियम लागू किये जाने चाहिये।
- सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि परिवहन में नई तकनीकों को अपनाने से पूर्व पर्याप्त पारितंत्र लागू हो। उदाहरण के लिये, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु शहरों को पहले पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करनी होगी। इसी दिशा में, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के सभी चुने हुए 100 शहरों ने एनएमटी (नॉन-मोटराइज़्ड ट्रांसपोर्ट) प्रोत्साहन को अपने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में क्रमश: एक लक्ष्य के रूप में रखा है।

आने वाले वर्षों में उभरते बाज़ार शहर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिये भारत को महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों सहित भारतीय जनसंख्या के लिये सुरक्षित, पर्याप्त और समग्र अवसंरचना (SAHI) विकसित करने की आवश्यकता है।

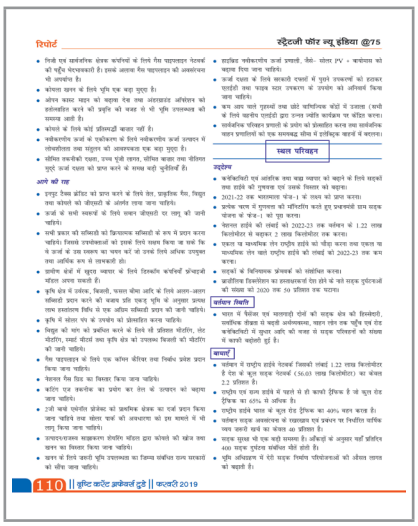

रिपोर्ट

स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया @75

110 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || फरवरी 2019

स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया @75

रिपोर्ट

बंदरगाह, जल परिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्ग

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || फरवरी 2019 || 113

प्रश्न: 17. महासागर धाराएँ और जल राशियाँ समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस प्रकार परस्पर भिन्न हैं? उपयुक्त उदाहरण दीजिये।

How do ocean currents and water masses differ in their impacts on marine life and the coastal environment? Give suitable examples?

उत्तर: महासागर धाराएँ (सतही या गहरी महासागर धाराएँ) एक निश्चित धारा और दिशा में निरंतर बहने वाली जल धाराएँ हैं, उदाहरण के लिये, गल्फ स्ट्रीम (गर्म धारा) और लैब्राडोर धारा (शीत धारा) आदि। जल राशियाँ तापमान तथा लवणता की स्थिति में समुद्र जल की भारी मात्रा के व्यापक सजातीय भाग हैं। ये सामान्यतः सघन ठंडे जल के नीचे की ओर बहाव और निम्न सघन जल के ऊपर की ओर बढ़ने की विशेषता रखते हैं।

महासागर धाराओं का प्रभाव

समुद्री जीवन पर

- महासागर धाराएँ मछलियों और प्राणीप्लवक के अस्तित्व और जीवन के लिये पोषक तत्त्वों, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक तत्त्वों को वितरित करने के रूप में कार्य करती हैं।
- ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्लवक का भी परिवहन करती हैं। उदाहरण के लिये, गल्फ धारा मेक्सिकन खाड़ी से न्यूफाउंडलैंड और उत्तर-पश्चिमी यूरोप के तटों तक प्लवक ले जाती है।
- गर्म और ठंडी महासागर धाराओं के मिश्रण से समृद्ध पोषक तत्त्व मिलते हैं जो समुद्री जीवों के जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये, जापान के उत्तर में अवस्थित समुद्र, गर्म कुरोशियो और ठंडी कुरील धाराओं के मिश्रण के कारण एक समृद्ध मत्स्य पालन क्षेत्र है।
- कभी-कभी कुछ महासागर धाराएँ प्लवक को नष्ट कर देती हैं। उदाहरणतः- अल नीनो धारा पेरू के तटों से प्लवक को नष्ट कर देती है जिसके परिणामस्वरूप मछलियों की बड़ी मात्रा में मृत्यु हो जाती है।

तटीय पर्यावरण पर

- महासागर धाराएँ पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को बनाए रखती हैं। शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे क्षेत्रों में उष्ण धाराओं द्वारा उष्ण जल प्रवाहित होता है। वहीं दूसरी ओर, शीत धाराएँ उच्च अक्षांशों के शीत जल को निम्न अक्षांश क्षेत्रों में लाती हैं।
- सतही महासागर धाराएँ तटीय क्षेत्रों की मौसम परिस्थितियों को भी संशोधित करती हैं। यूरोप के पश्चिमी तटों की जलवायु का आदर्श एवं अनुकूल यूरोपीय प्रकार, उत्तरी अटलांटिक गर्म धाराओं के मध्यम प्रभाव के कारण है।
- शीत धाराएँ भी तटीय क्षेत्रों में मरुस्थल जैसी परिस्थितियों में तीव्रता प्रदान करती हैं। उदाहरणार्थ- महाद्वीपों के पश्चिमी तटों, जैसे- अफ्रीका में नामीब मरुस्थल में कुछ मरुस्थलों की उपस्थिति।
- ऊष्म खाड़ी धारा और शीत लैब्राडोर धारा की गर्म और शीत धाराओं के सम्मिलन के परिणामस्वरूप न्यूफाउंडलैंड के समीप कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है।

जल राशियों का प्रभाव

जल राशियों का नीचे की ओर बहाव:

- यह प्रक्रिया ऑक्सीजन को नीचे की ओर स्थानांतरित करती है जिसकी समुद्री जीवों को बहुत आवश्यकता होती है।
- यह प्रक्रिया पोषक तत्त्वों को लाकर समुद्री जल के संवर्द्धन को हतोत्साहित करती है, अतः जल राशियों के बहाव की दिशा के नीचे स्थित क्षेत्र समुद्री जीवन के लिये अनुकूल नहीं हैं और इस प्रकार ये कम समुद्री उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं।

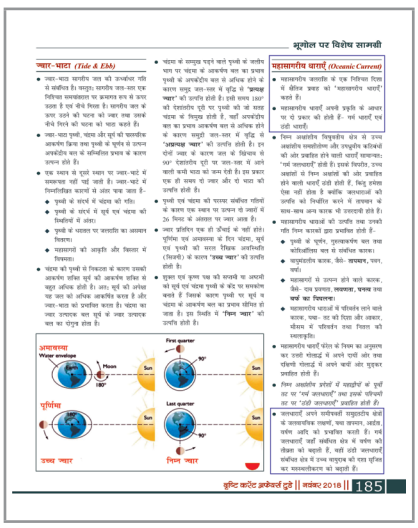

जल राशियों का ऊपर की ओर बहाव

- यह समृद्ध समुद्री जीवन के लिये लाभकारी है क्योंकि इसके ज़रिये विघटित ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों को सतह पर लाया जाता है। उदाहरण के लिये, पेरू तट पर पोषक तत्त्वों से भरपूर ठंडे जल के बहाव ने इस क्षेत्र को मत्स्यपालन के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक बना दिया है।
- वैश्विक तापन हिमनदों और समुद्री बर्फ के तेज़ी से पिघलने के परिणामस्वरूप शीत लवणयुक्त जल के नीचे की ओर बहने को बाधित कर रहा है। यह समुद्र जल के प्रवाह को धीमा कर सकता है या रोक सकता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री जीवन और तटीय परिवेश पर संभावित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार वैश्विक तापन को नियंत्रित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

भूगोल पर विशेष सामग्री

ज्वार-भाटा (Tide & Ebb)

महासागरीय धाराएँ (Oceanic Current)

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || नवंबर 2018 || 185

प्रश्न: 18. क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिये।

Do we have cultural pockets of small India all over the nation? Elaborate with examples.

उत्तर: भारत के पास इस विश्व के लोगों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिये भी बहुत विविधताएँ हैं। सबसे पुरानी सभ्यता में, जो लोग विभिन्न उद्देश्यों, चाहे वह क्षेत्र पर्यटन, शिक्षा, लूट, शोषण या शासन करना रहा हो, के साथ यहाँ आए थे, उनमें से प्रत्येक के पास अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को संचित रखने के लिये पर्याप्त समय तथा अनुभव रहा है।

- सदियों से भारत के विशाल संसाधन विदेशी शासकों और लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। छोटे शहरों के लोग रोज़गार, शिक्षा आदि की तलाश में शहरी केंद्रों और महानगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं और वे अंततः वहीं बस जाते हैं। जब अपेक्षाकृत छोटे स्थानों के लोगों में इस तरह की विविधता एक साथ होती है, तो यह एक सांस्कृतिक क्षेत्र बन जाता है।
- यहाँ मूल विचार यह है कि इसमें एक बड़ी व अतिमहत्त्वपूर्ण संस्कृति के भीतर एक अन्य छोटी व भिन्न संस्कृति विकसित होती और पलती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूरू जैसे महानगरीय क्षेत्रों या सूरत, कोच्चि, विशाखापत्तनम जैसे तटीय औद्योगिक केंद्र या धार्मिक केंद्र जैसे अजमेर, अमरनाथ, चार धाम आदि को भारत में ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्रों के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है।
- महानगरीय क्षेत्र अपनी स्वयं की एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं और वे समय और स्थान के आधार पर विविध भी हैं।
- शहरी इलाकों में बहुमंज़िला हाउसिंग सोसायटीज़ जहाँ विविध लोग भोजन की आदतों, अलग-अलग परंपराओं, स्वदेशी संस्कृति के आदान-प्रदान के लिये एक ही भवन में निवास करते हैं और सभी त्योहारों को एक साथ मनाते हैं तथा बहुराष्ट्रीय संगठनों और कॉर्पोरेट कार्यालयों दोनों ही सांस्कृतिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। जहाँ कर्मचारी देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षण संस्थान भी हमें समान परिदृश्य प्रदान करते हैं। राष्ट्र के हर कोने के विद्यार्थी एक साथ पाठ्यचर्या की गतिविधियों एवं महाविद्यालय के उत्सवों में भाग लेते हैं।
- स्पष्ट है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने वाले जीवन के प्रति विभिन्न मूल्यों एवं दृष्टिकोणों के साथ राष्ट्र भर में अनगिनत सांस्कृतिक क्षेत्र हैं और जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि भारत वास्तव में विश्व की सांस्कृतिक महाशक्तियों में से एक है।

प्रश्न: 19. भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं?
What are the continued challenges for women in India against time and space?

उत्तर: विश्व की महिलाओं का लगभग छठा भाग भारत में निवास करता है और उनमें से कई महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभाध्यक्ष, विपक्ष के नेता जैसे उच्च पदों को सुशोभित किया है। फिर भी यहाँ ऐसी असंख्य महिलाएँ हैं जो अपने घरों के बाहर शायद ही कभी कदम रखती हैं।

- भारतीय महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ पितृसत्तात्मक आधिपत्य से उत्पन्न होती हैं, जो भारतीय समाज में प्रचलित है।
- महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव इस हद तक सामान्य प्रतीत होते हैं कि न केवल पुरुष, बल्कि महिलाएँ भी उस धारणा की समर्थक व दोषी बन जाती हैं।
- यह विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है, जैसे:
- महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न कन्या भ्रूण हत्या के रूप में गर्भ से ही शुरू हो जाता है।
- जिसे 2011 की जनगणना के अनुसार अपर्याप्त बाल लिंगानुपात, यानी 919/1000 के रूप में देखा जा सकता है।
- महिलाएँ गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र से सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं। जो शिक्षा प्राप्ति और प्रजनन के अधिकारों की कमी से संवर्द्धित होता है।
- परिवार की देखभाल और बच्चे के पालन का प्राथमिक दायित्व आज भी महिलाओं पर ही है।
- इसमें अवैतनिक कार्य, जैसे- बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल तथा घरेलू कार्य शामिल हैं।
- पारिवारिक दबावों के कारण कई महिलाओं को ऑफिस कार्य को त्यागना पड़ता है।
- शिक्षा के बढ़ते स्तर और प्रजनन दर में कमी के बावजूद, वर्तमान महिला एल.एफ.पी.आर. 23.7 प्रतिशत है।
- महिलाओं को या तो विनम्र गृहिणी के रूप में या उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पाद खरीदने के लिये लोगों को आकर्षित करने वाले लैंगिक प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता है।
- महिलाओं को केवल 'पिंक-कॉलर नौकरियों' के लिये उपयुक्त माना जाता है, यथा- शिक्षक, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, आया आदि जो महिलाओं के लिये रूढ़िगत कार्य हो गए हैं।
- भारत में महिलाओं को रूढ़ियों, मीडिया से संबंधित मुद्दों, अनौपचारिक सीमाओं जैसी कृत्रिम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपने संगठन में प्रबंधन-स्तर पदों पर नियुक्त होने से रोकते हैं।
- ये बाधाएँ पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ते वेतन विभेदन में प्रतिबिंबित होती हैं।
- कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न के विभिन्न मामलों पर #MeToo आंदोलन ने प्रकाश डाला है।
- हालाँकि गतिहीन न्यायिक प्रणाली के परिणामस्वरूप इन महिलाओं को न्याय नहीं दिया जा सका है।
- वर्तमान में भारतीय संसद में 11.8 फीसदी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, वहीं राज्य विधानसभाओं में यह केवल 9 फीसदी है।
- यद्यपि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया है।
- हालाँकि, प्रतिनिधित्व और भागीदारी के मध्य व्याप्त द्वंद्वात्मकता 'सरपंच पति' के प्रभाव में परिलक्षित होती है।

आगे की राह

- भारतीय समाज को बेहतर कानूनों की नहीं बल्कि इन कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
- संसद में महिलाओं के लिये आरक्षण शीघ्र अतिशीघ्र लागू होना चाहिये।
- सरकार को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिये ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें।
- अधिक-से-अधिक महिलाओं को प्राधिकरण के पदों में शामिल करने के लिये सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये।
- व्यभिचार और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने महिलाओं के यौन स्वायत्तता के अधिकार की पुष्टि की है।
- हालाँकि, महिलाओं के प्रति लिंग भेद से जुड़े कलंक से स्वयं को अलग करना समाज का एक बड़ा दायित्व है।
- महिलाओं के मुद्दे एक राजनीतिक समस्या नहीं हैं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा हैं, इसलिये इसे एक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है।
- इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 'पैडमैन' और 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' जैसी फिल्में पितृसत्ता को चुनौती देती हैं, तो वहीं 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी पहल इस दिशा में एक सही कदम है।

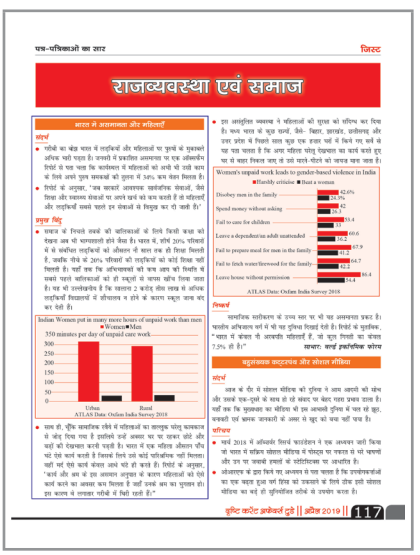

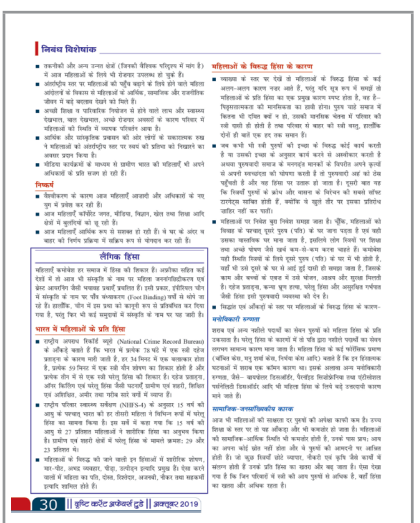

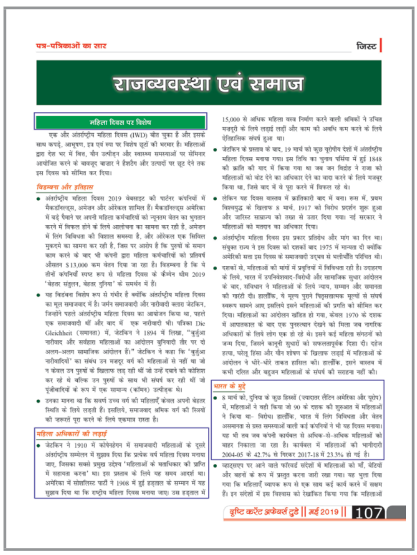

प्रश्न: 20. क्या हम वैश्विक पहचान के लिये अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिये।

Are we losing our local identity for the global identity? Discuss.

उत्तर: स्थानीय भाषाओं, विभिन्न खाद्य विकल्पों, परिधान शैलियों, शास्त्रीय संगीत, पारिवारिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्यों आदि जैसे स्थानीय सांस्कृतिक लक्षणों के एक समूह द्वारा भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व किया जाता है। किंतु वर्तमान भारतीय समाज में हमारी स्थानीय पहचान की क्रमिक हानि से जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। स्थानीय पहचान की इस क्रमिक हानि के लिये सामान्यत: वैश्वीकरण को उत्तरदायी ठहराया जाता है जो एक वैश्विक संस्कृति का कारण बनता है जिसमें विश्व भर में एक समरूप संस्कृति लाने के लिये स्थानीय पहचान को समामेलित किया जाता है। असुरक्षा की यह भावना निराधार नहीं है और निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से इसकी पुष्टि होती है;

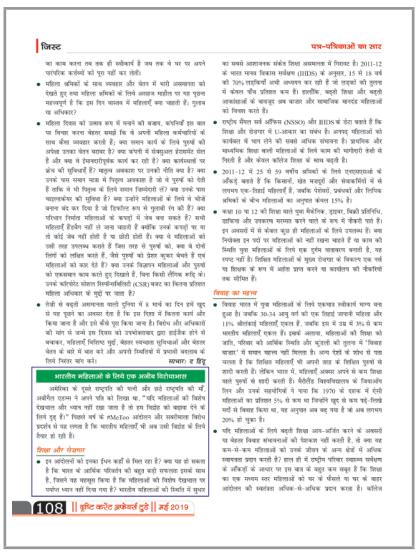

- **अंग्रेज़ी के लिये स्थानीय भाषाओं का हनन:** शिक्षा एवं सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित संस्कृति के बढ़ते रुझानों के अंतर्गत अंग्रेज़ी शिक्षा कई मातृभाषाओं के मूल्यों पर तेज़ी से विकसित हुई है।
- **पॉप और जैज़ संस्कृति के लिये शास्त्रीय संगीत का हनन:** भारतीय युवाओं के बीच संगीत के परिवर्तित होते रुझान ने भारत में पारंपरिक शास्त्रीय संगीत की उत्तरजीविता पर सवालिया निशान लगा दिया है।
- **व्यक्तिवाद के लिये सामूहिक पहचान का हनन:** महानगरों में भारतीयों की जनसंख्या में वृद्धि के साथ व्यक्तिवाद बढ़ रहा है और सामाजिक संबंध अब लाभ पर आधारित हैं।
- **एकल परिवार प्रणाली के लिये संयुक्त परिवार संरचना का हनन:** आर्थिक प्रवास एवं व्यक्तिगत स्थान की पसंद ने भारत में परिवार की संयुक्त संरचना को प्रभावित किया है। इस प्रणाली में बुजुर्ग और बच्चे आवश्यक देखभाल से वंचित हैं।
- **उन्नत व्यावसायिक शिक्षा के लिये नैतिक शिक्षा का हनन:** नैतिकता और उच्च शिक्षा के बीच बढ़ती खाई हमारी पहचान को कायम न रखने का सबसे बड़ा कारण है।
- **विवाह प्रथा का अवनयन:** लिव-इन-रिलेशनशिप की बढ़ती स्वीकार्यता ने हमारे समाज में विवाह प्रथा की पवित्रता पर प्रश्न उठाया है। यह पश्चिमी संस्कृति के भारतीय जीवन शैली पर प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
- **परिवर्तित परिधान शैली:** कॉर्पोरेट संस्कृति में वृद्धि के साथ भारतीय परंपरागत परिधान केवल एक सामयिक वस्तु होकर रह गया है जिसे केवल सांस्कृतिक अवसरों पर ही पहना जाता है।
- **पारंपरिक खाद्य पसंद का हनन:** रेस्तराँ शृंखला और होटलों की बढ़ती संख्या के कारण भारतीय युवाओं का इतालवी और चीनी फास्ट फूड की ओर झुकाव हुआ है। इससे ऐसे खाद्य पदार्थों के उपयोग में कमी आई है, जो तुलनात्मक रूप से स्वस्थ एवं पोषक तत्त्वों से भरपूर होते हैं।
- **सांस्कृतिक मूल्यों की समय सीमा:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में नैतिक शालीनता के पारंपरिक मूल्यों, बड़ों के प्रति सम्मान, अनुष्ठानों का पालन करना आदि सभी में कमी आ रही है।
- चिकित्सा की देशी प्रणाली का हनन हो रहा हैं, जैसे- आयुर्वेद, योग आदि का।

इन तथ्यों के बावजूद वैश्वीकरण के संबंध में विध्वंस की बजाय विचारों का एक अन्य आयाम हमारी स्थानीय मान्यताओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों के सार्वभौमीकरण की ओर इंगित करता है। जो निम्नलिखित विभिन्न तथ्यों के माध्यम से समान रूप से समर्थित है:

- भारतीय त्योहार अब विश्व भर में मनाए जा रहे हैं। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण यू.एन. द्वारा दीपावली मनाने के लिये जारी किये गए डाक टिकट और अमेरिका की सिलिकन वैली में छठ पूजा को एक स्थानीय धार्मिक त्योहार के रूप में मनाया जाना है।
- 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन इन प्रमुख दिवसों की वैश्विक पहचान को दर्शाता है।
- इस्कॉन फाउंडेशन ने विभिन्न पश्चिमी देशों में भक्ति योग के अभ्यास का प्रसार किया है। यह हमारे देश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करता है।
- भारतीय शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता बढ़ी है और इसे संगीत के बर्कले वर्ग मंच पर सराहा गया है। स्पिक मैके (SPIC MACAY) नामक एक एन.जी.ओ. ने विश्व भर में युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया है।
- ताजमहल विश्व के सात अजूबों में शामिल है।

इस प्रकार, संस्कृति एक निरंतर विकसित होने वाली इकाई है, जो निरंतर प्रसार और समामेलन के माध्यम से परिवर्तित होती रहती है। निस्संदेह हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान एवं मूल्यों को अपनाना चाहिये तथा ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य भी है। हालाँकि, वैश्वीकरण चिंता का विषय नहीं है और वैश्विक पहचान के सम्मिश्रण का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिये। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-2

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
1. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह 'नियंत्रण एवं संतुलन' के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिये।	—	—	—	—	—	—
2. "केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।" व्याख्या कीजिये।	—	—	—	Jan. 19 Page No. 185-86	July. 19 Page No. 148	Previous Year Nov. 18 Page No. 136
3. भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिये किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं?	Oct. 18 Page No. 17-18	—	—	—	May. 18 Page No. 133	—
4. न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से, 'परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत' और 'समरस अर्थान्वयन' उभरकर आए हैं। स्पष्ट कीजिये।	July 19 Page No. 36-39	—	—	—	August 19 Page No. 132	—
5. धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्राँस क्या सीख सकता है?	—	—	—	—	—	Previous Year Nov. 18 Page 126
6. उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिये, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं।	—	June 19 Gist Page No. 102	Nov. 18 Page No. 77	—	Jan. 19 Page 152	Sept. 19 Essay Page No. 60-61
7. भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किये जाना, निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मुद्दों पर अधिक व्यय करने के लिये मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिये।	June 19 Page No. 18-19	July 19 Page No. 132, 133, 135	—	—	—	—
8. सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिये और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइये।	—	Sep. 19 Page No. 14-150 March 19 Page No. 106-107	—	—	—	—
9. 'भारत और जापान के लिये समय आ गया है कि एक ऐसे मज़बूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें, जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिये बड़ा महत्त्व होगा।' टिप्पणी कीजिये।	Jan. 18 Page 28-31	—	Jan 19 Page 71	Sep. 18 Page No. 187-188	—	—

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
10. 'आवश्यकता से कम नगदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन-रक्षण की स्थिति में पहुँचा दिया है।' अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर 'इज़राइल विरोधी पूर्वाग्रह' होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिये।	—	—	March 19 Page No. 55-56	—	—	—
11. किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिये जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं।	—	—	—	Aug. 19 Page No. 161	—	—
12. "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिये कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है?	—	—	—	Jan. 19 Page 207-09	—	—
13. "स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है।" टिप्पणी कीजिये।	—	Sep. 18 Gist Page No. 108-110	—	—	—	Sep. 19 Essay Page No. 42 + Oct 19 Page 28-29
14. "महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है।" चर्चा कीजिये।	—	—	—	Jan. 19 Page 169	—	—
15. राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद-सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिये।	—	—	—	—	—	—
16. 'विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा।' चर्चा कीजिये।	—	—	—	—	—	—
17. विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिये।	—	—	—	—	—	—

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
18. सुभेद्य वर्गों के लिये क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिये।	—	—	—	—	Sep. 17 Page 129-30	Previous Year Nov. 18 Page No. 125-126
19. 'उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है।' विस्तार से समझाइये।	May 17 Page No. 39-42	Feb. 19 Gist Page No. 138	—	—	—	—
20. 'भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन की अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिये किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके।' उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये।	Nov. 18 Page 24-27	Dec. 18 Gist Page 117-118	—	—	—	—

प्रश्न: 1. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह 'नियंत्रण एवं संतुलन' के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिये।

Do you think the Constitution of India does not accept the principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of 'checks and balance'? Explain.

उत्तर: भारतीय संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) की शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। हालाँकि ये शक्तियाँ सीमाओं से परे नहीं हैं। अमेरिकी संविधान के शक्ति के कठोर पृथक्करण की बजाय भारत नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का पालन करता है, जो तीनों अंगों से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट वर्णित है।

- राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। यद्यपि अनुच्छेद-75 के अनुसार, नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व के साथ मंत्रिपरिषद संसद की सदस्य होती है और वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। कार्यपालिका का प्रमुख विधायी निकाय संसद का अभिन्न अंग है। तदनुसार, संसद मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के नियंत्रण और उन्हें उत्तरदायी ठहराने के लिये निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि विभिन्न प्रस्तावों का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद-61 के तहत संसद, संविधान के उल्लंघन के लिये राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है।
- भारत के संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। अनुच्छेद-32 और 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा और रिट के प्रावधान क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कार्यकारी और विधायी कार्यों की संवैधानिक वैधता के परीक्षण हेतु सशक्त बनाते हैं। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, लेकिन इसके साथ ही इसे सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग के साथ परस्पर संबद्ध भी रखा गया है। उदाहरण के लिये, कार्यपालिका द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति भी संसद को प्राप्त है।
- शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के पीछे का विचार यह है कि एक ही संस्था में सभी शक्तियाँ केंद्रित करने की बजाय अलग-अलग शक्ति केंद्रों का सृजन किया जाए। हालाँकि, आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत का अनुपालन संभव नहीं है, लेकिन इसका महत्त्व नियंत्रण और संतुलन में निहित है, जो सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश और विधि के शासन को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

प्रश्न: 2. "केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।" व्याख्या कीजिये।

"The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority." Explain.

उत्तर: वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग XIV-A अधिकरण शीर्षक से शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 323क एवं 323ख शामिल हैं।

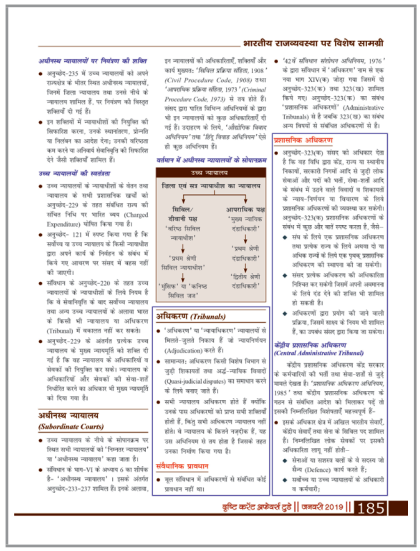

- अनुच्छेद-323क के तहत संसद को सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के सेवा मामलों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को सौंपने की शक्ति प्राप्त है।
- कैट एक सांविधिक निकाय है जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक निकाय हैं। 1985 के अधिनियम द्वारा कैट की स्थापना से पीड़ित लोक सेवकों को त्वरित और मितव्ययी न्याय प्रदान करने के विषय में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई।
- कैट के सदस्यों को न्यायिक और प्रशासनिक, दोनों कार्यक्षेत्रों से चुना जाता है ताकि अधिकरण को विधायी और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञता का लाभ मिल सके।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तकनीकी नियमों और नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रक्रियात्मक बंधनों से कैट को स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा सहित कुछ मामलों में उसमें सिविल कोर्ट की शक्ति निहित है और वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है।
- हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि CAT अपनी अवमानना कार्यवाही के संबंध में उच्च न्यायालय के समान क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार, उसे एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने की और अधिक शक्ति प्राप्त हुई है।
- यद्यपि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को अभी भी वास्तव में स्वतंत्र न्यायिक निकाय नहीं कहा जा सकता क्योंकि अधिकरण के सदस्य संवैधानिक पदों पर आसीन अन्य न्यायाधीशों की तरह शक्तियों का उपभोग नहीं करते हैं और सदस्यों की नियुक्ति और वित्तपोषण के लिये अधिकरण कार्यपालिका पर निर्भर है।
- इस प्रकार, कैट के संदर्भ में यह उपयुक्त तर्क दिया जा सकता है कि शिकायतों और परिवाद के निवारण के लिये गठित किया गया अधिकरण एक न्यायिक निकाय के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है।

प्रश्न: 3. भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिये किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं?

What are the methods used by the farmer's organizations to influence the policy-makers in India and how effective are these methods?

उत्तर: किसान संगठनों को किसानों की सामूहिक स्व-सहायता कार्रवाई के लिये उन्हें संगठित करने के एक उपयोगी संगठनात्मक तंत्र के रूप में देखा जाता है जिसका उद्देश्य किसानों की अपनी और अपने समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होता है। इन संगठनों में अपने सदस्यों की सहायता से संसाधनों के सृजन, समर्थन जुटाने और दबाव बनाने की क्षमता होती है। वे स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय तक विभिन्न स्तरों पर सक्रिय होते हैं।

संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके

- **जागरूकता पैदा करना:** ये सूचना अभियान, बैठकों के आयोजन, याचिकाओं आदि के माध्यम से अपने लक्ष्यों और अपनी गतिविधियों के लिये जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनमें से अधिकांश समूह इन मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के लिये मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
- **लॉबिंग:** महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों जैसे शक्तिशाली किसान समूह अनुकूल न्यूनतम समर्थन मूल्य और बकाया का भुगतान प्राप्त करने जैसे अपने पक्ष के नीति-निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
- **विरोध प्रदर्शन:** ये प्रायः हड़ताल या सामान्य प्रशासन को बाधित करने जैसी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। हाल के ऐसे विरोध प्रदर्शन ऋणों की माफी, उच्चतर एमएसपी, मुफ्त बिजली जैसे विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित रहे।
- **सक्रियता:** इस तरीके में किसानों से संबंधित मुद्दों (जैसे जीएम फसल का मुद्दा) पर महत्त्वपूर्ण विषयों का प्रचार-प्रसार, न्यायालयों को याचिकाएँ सौंपना, मसौदा विधेयक तैयार करना और जनता का व्यापक ध्यान आकर्षित करना शामिल है।
- **अभिनव तरीके:** किसान संगठनों ने विवशतापूर्ण प्रतीकात्मक प्रस्तुति के अभिनव तरीके भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे राजमार्गों पर दूध और सब्ज़ियाँ बिखेर देना आदि।

- हालाँकि, इन कदमों ने कभी-कभार ही वांछित परिणामों की पूर्ति की है और आसन्न अशांति की स्थिति में सरकार प्राय: कृषि ऋण माफी, उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों के खातों में नकद हस्तांतरण आदि जैसे अल्पकालिक राहत उपाय अपनाती है।

इसके अतिरिक्त, कई नीतिगत सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है क्योंकि सरकार उन सुझावों से पूर्ण सहमति नहीं रखती। उदाहरण के लिये, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाना अभी भी शेष है।

इस प्रकार, भले ही विरोध प्रदर्शन और समर्थन जुटाने से जनता और सरकार का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलती है, लेकिन यह भी प्रकट होता है कि इनके वास्तविक परिणाम बेहद कम प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न: 4. न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से, 'परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत' और 'समरस अर्थान्वयन' उभरकर आए हैं। स्पष्ट कीजिये।

From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, 'Principle of Federal Supremacy' and 'Harmonious Construction' have emerged. Explain.

उत्तर: शक्ति का विभाजन संघवाद की एक बुनियादी विशेषता है। संविधान सातवीं अनुसूची में शामिल संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच विधायी विषयों के वितरण का प्रावधान करता है। हालाँकि, संघर्ष इन तीनों सूचियों की प्रविष्टियों में विषयों के वर्गीकरण से उत्पन्न होता है। इन संघर्षों के समाधान के लिये न्यायालयों ने विभिन्न सिद्धांतों को विकसित किया है।

सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत

जब संघ और राज्य सूची के बीच विधान के प्रावधानों के बीच संघर्ष होता है तो सामंजस्यपूर्ण संरचना के नियम को अपनाने की आवश्यकता होती है। इस नियम के अनुसार, प्रत्येक विधान एक उद्देश्य और मंशा रखता है और इसे समग्रता से पढ़ा जाना चाहिये। विधान के प्रावधानों की व्यापक व्याख्या की अनुमति होनी चाहिये। इसके अलावा, न्यायालय को विवाद के समाधान के लिये विधान की भाषा की विसंगति को दूर करने में सहायता करनी चाहिये। उदाहरण के लिये, गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम की वैधता पर श्री कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर बनाम गुजरात विश्वविद्यालय मामले (1963) में केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। इस मामले में न्यायालय ने राज्य को केंद्र के लिये आरक्षित विषयों के बाहर के विषय पर कानून बनाने की शक्ति का विस्तार दिया बशर्ते यह केंद्रीय कानून का खंडन न करती हो।

संघीय वर्चस्व का सिद्धांत

- जब किसी विधान के प्रावधान राज्य और संघ सूची दोनों में आते हैं तब केंद्र के पास अधिभावी विधायी शक्ति होगी। राज्य और समवर्ती सूची संघ सूची के अधीनस्थ हैं। यदि एक समाधान पाने के अन्य प्रयास विफल हो जाएँ तो सर्वोच्च न्यायालय इस सिद्धांत को अंतिम उपाय के रूप में लागू कर सकता है।
- सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के युग में संघर्ष को यथासंभव न्यूनतम किया जाना चाहिये। राज्यों को पुलिस, कृषि विपणन आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में एकसमान विधायी रूपरेखा के निर्माण के लिये अन्य राज्यों और केंद्र के साथ समन्वय करना चाहिये।

प्रश्न: 5. धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्राँस क्या सीख सकता है?

What can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism?

उत्तर: फ्राँस जैसे यूरोपीय देश धर्मनिरपेक्षता और राज्य के धर्म के बीच उस मध्यम मार्ग को पाने के लिये संघर्षरत रहे हैं, जो राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान को समवेत करे और जहाँ जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह राज्य व्यवस्थाओं के भीतर सह-अस्तित्व में रह सकें। फ्राँस में इस संघर्ष को इस्लामी कपड़ों, कोशेर (Kosher) या हलाल भोजन और बुर्के पर प्रतिबंध के रूप में देखा जा सकता है।

भारत के अनुभव फ्राँस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता के कठोर रूप को एक प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं-

- 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन यह पहले से ही भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार में निहित रहा है।
- धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन 'सर्व धर्म समभाव' पर आधारित है। भारत में राज्य सभी धर्मों से एक 'सैद्धांतिक दूरी' बनाए रखता है और आवश्यकतानुसार (जैसे सबरीमाला और ट्रिपल तलाक मामले में) हस्तक्षेप करता है।
- फ्राँस और भारत दोनों में धर्मनिरपेक्षता को अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ संविधानों में भी स्थान प्राप्त है। लेकिन जहाँ फ्राँसीसी अल्पसंख्यक स्वयं को 'Laicite' (धर्मनिरपेक्षता) के निशाने पर देखते हैं, वहीं भारतीय अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को अपनी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के रूप में देखते हैं और जो भेदभाव और भय-आशंकाओं से उनकी रक्षा करता है।
- भारत में राज्य और धर्म दोनों ही विधायी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से स्थापित मापदंडों के भीतर एक-दूसरे के मामलों में परस्पर संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- फ्राँस के राज्य प्रारूप में राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकता है। भारत में शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से सहायता प्राप्त हो सकती है।
- फ्राँस में राज्य धर्म को निजी मामले तक सीमित रखने का प्रयास करता है, जहाँ धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जबकि भारत में विभिन्न समुदायों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे मुसलमानों के अपने व्यक्तिगत कानून हैं और सिखों को कृपाण रखने की अनुमति है।
- हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि इस तथ्य से कर सकते हैं कि पश्चिम की तुलना में भारत में बहुत कम लोग कट्टरपंथ की चपेट में आए और इस्लामिक स्टेट में शामिल होने गए। फ्राँस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जड़ें धार्मिक युद्धों और असंतोष में हैं, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विकास सापेक्षिक सद्भावना और महान सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक पूर्ववृत्त की रोशनी में हुआ है। इस प्रकार, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अंत नहीं है बल्कि धार्मिक बहुलता को संबोधित करने का एक साधन है और विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। वैश्वीकरण के युग में, जब लगभग सभी देश अब बहु-धार्मिक हो गए हैं, तो यह समय की आवश्यकता है कि वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता से प्रेरणा ग्रहण करें।

मुख्य परीक्षा 2018 के सॉल्व्ड पेपर्स

126 || दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे || नवंबर 2018

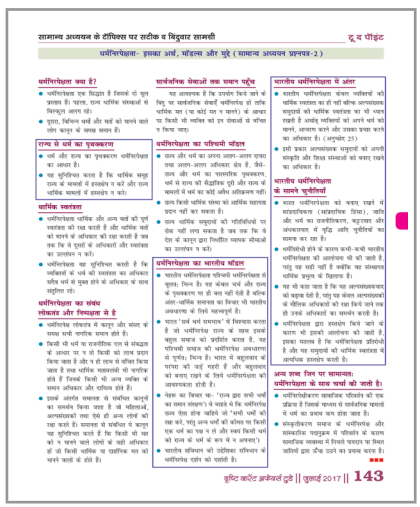

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

धर्मनिरपेक्षता- इसका अर्थ, मॉडल और मुद्दे (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2)

दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे || जुलाई 2017 || 143

प्रश्न: 6. उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिये, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं।

Despite Consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive.

उत्तर: आर्थिक विकास की माप सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा की जाती है। आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच एक मज़बूत सहसंबंध मौजूद है क्योंकि आर्थिक विकास ही मानव विकास में निरंतर सुधार का अवसर देने के लिये आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।

- भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, भारत 189 देशों की सूची में 130वें स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक 2018 ने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, विद्यालयों में नामांकन वृद्धि आदि जैसे कुछ सुधारों को भी उजागर किया। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भी वर्ष 1990 और 2017 के बीच 266.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई।
- विश्व बैंक के वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक, 2019 के अनुसार, भारत 157 देशों की सूची में 115वें स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में पैदा होने वाला बच्चा बड़ा होकर केवल 44 प्रतिशत उत्पादक होने की संभावना रखता है, यदि उसे शिक्षा और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ट्रिकल-डाउन प्रभाव (trickle-down effect) उत्पन्न करने में विफल रही है।

मानव विकास की कमी के कारण:

ऑक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल राष्ट्रीय धन का 77.4 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों के पास 51.53 प्रतिशत हिस्सा है। धन के असमान वितरण के कारण गैर-समावेशी विकास और निम्न मानव विकास की स्थिति बनी हुई है।

आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ रोज़गार की वृद्धि दर में भी गिरावट आई है।

- एनएसएसओ के अनुसार, भारत में वर्तमान बेरोज़गारी पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है। बढ़ती जनसंख्या और परिणामस्वरूप बढ़ते श्रम बल के साथ भारत जल्द ही जनसांख्यिकीय लाभांश की बजाय जनसांख्यिकीय आपदा का अनुभव करेगा।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य की निराशाजनक स्थिति:** समकक्ष अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर बहुत कम खर्च करता है। भारत शिक्षा पर जीडीपी का मात्र 3 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर जीडीपी का मात्र 1.5 प्रतिशत खर्च करता है।
- **भारत में शिक्षा की स्थिति:** स्वतंत्र भारत ने प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा की औपनिवेशिक अधिरचना को ही मुख्यत: बरकरार रखा है नतीजतन, शिक्षा तक पहुँच, गुणवत्ता और परिणाम सभी हमारी आकांक्षाओं से बहुत कम हैं।
- बदतर गुणवत्ता का एक परिणाम ड्रॉपआउट दर है। बदतर लर्निंग प्रतिफल, स्नातकों की निम्न रोज़गार क्षमता, अल्प उत्पादकता और परिणामस्वरूप कम वेतन इस बदतर गुणवत्ता के अन्य परिणाम हैं।
- **भारत में स्वास्थ्य की स्थिति:** कई सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, दोनों उच्च बनी हुई हैं।
- भारतीय बच्चों में कुपोषण स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वज़न की व्यापकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य की उपेक्षा तथा इसके अलावा भारत में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में सबसे अधिक मौतें होती हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकीय विकास की दर और इससे प्राप्त लाभ का वितरण उपयुक्त रूप से कौशल (ज्ञान, शिक्षा के माध्यम से) और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके करने की क्षमता के बीच एक संबंध-अवरोध है, जबकि अधिक प्रत्यास्थता (resilience) और सतत/संवहनीय उत्पादकता के लिये यह महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि सरकार ने मानव पूंजी की वृद्धि के लिये स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएँ शुरू की हैं, लेकिन प्राप्त परिणाम अभी तक आशाजनक नहीं हैं।

आगे की राह

- सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और शिक्षा नीति मसौदा, 2019 में परिकल्पित योजना अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय (क्रमश: जीडीपी का 2.5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत) बढ़ाने की आवश्यकता है।
- शिक्षा में समग्र सुधारों के अलावा, शिक्षा के अधिकार के साथ सीखने के अधिकार (Right to Learning) को संयुक्त करना होगा।
- आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बढ़ावा देना, जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है, सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
- सरकार को रत्न व आभूषण और चमड़े के सामान जैसे श्रम गहन क्षेत्रों के प्रोत्साहन पर भी ध्यान देना चाहिये।
- मानव विकास और आर्थिक विकास परस्पर कारण और प्रभाव संबंध रखते हैं। इसलिये, मानव पूंजी में निवेश और वर्तमान आर्थिक मंदी को संबोधित किए बिना 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिणत होने का लक्ष्य भारत के लिये एक कोरा स्वप्न ही बना रहेगा।

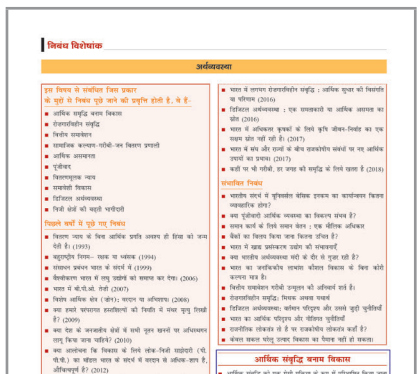

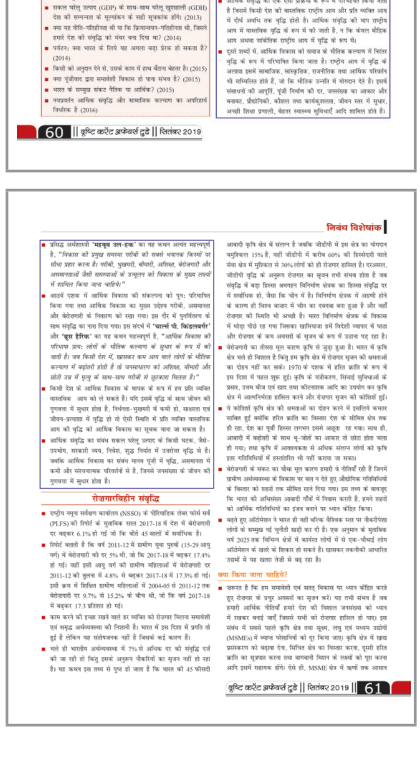

प्रश्न: 7. भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किये जाना, निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मुद्दों पर अधिक व्यय करने के लिये मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिये।

There is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. The shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on non-food essential items squeezing their food-budget – Elucidate.

उत्तर: आर्थिक सुधारों के बाद से, शहरी हेडकाउंट अनुपात निर्धनता वर्ष 1993-94 के 32% से घटकर 2009-10 में 21% रह गई। ग्रामीण भारत में निर्धनता में गिरावट और भी अधिक रही है, जहाँ इस अवधि में एचसीआर 50% से घटकर 34% रह गई है। लेकिन जब भारत में भूख (या अल्पपोषण) के प्रसार के अन्य तथ्यों पर विचार करते हैं तो एक असंतोषजनक तस्वीर ही नज़र आती है।

पिछले दो दशकों में लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि के बावजूद, समग्र रूप से कैलोरी की खपत और पोषण सेवन में वृद्धि नहीं हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, बच्चों में वेस्टिंग (कद के अनुरूप कम वज़न) के मामले में भारत दक्षिण सूडान के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, लाखों बच्चे और वयस्क हिडन हंगर (Hidden Hunger) के शिकार हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, ईंधन और प्रकाश व्यवस्था पर निर्धनों का व्यय बढ़ रहा है। इन वस्तुओं/सेवाओं के लिये समर्पित मासिक खर्च की हिस्सेदारी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि इसने पिछले दशकों में हुई वास्तविक आय की सभी वृद्धि को अवशोषित कर लिया है। इसने 'फूड बजट स्क्वीज़' (Food Budget Squeeze) की स्थिति उत्पन्न की है।

- संभवत:, इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कारण सरकार द्वारा सामाजिक व्यय में कमी करना है जो शहरी और ग्रामीण निर्धनों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसी गैर-खाद्य आवश्यक सेवाओं के बाज़ार मूल्यों पर निर्भर बना रहा है जो सामान्यत: अधिक होते हैं।
- अन्य देशों की तुलना में भारत में सामाजिक क्षेत्र का व्यय हमेशा कम रहा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल-2018 के अनुसार, भारत जीडीपी का 1.02% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है, जबकि मालदीव 9.4%, श्रीलंका 1.6%, भूटान 2.5% और थाईलैंड 2.9% तक खर्च करता है। भारत शिक्षा के मामले में सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% है, जबकि श्रीलंका में यह 3.4% और भूटान में 7.4% है।
- इसके अलावा ग्रामीण कामगार कार्य की तलाश में बड़ी संख्या में शहरी केंद्रों या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस तरह के अधिकांश प्रवास प्रकृति में अस्थायी और मौसमी होते हैं और श्रम के इस बड़े प्रसार (लंबी यात्राओं के कारण) का परिवारों के व्यय प्रारूप पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।
- साथ ही गैर-बाज़ार खाद्य स्रोतों तक पहुँच में कमी के कारण भी भुखमरी की स्थिति बनी हुई है, जहाँ अच्छे स्वाद वाली महँगे कैलोरी ग्रहण को वरीयता दी जा रही है और रेडियो, टीवी और मोबाइल फोन जैसी विलासिता वस्तुओं पर व्यय बढ़ा है। अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अपनी पुस्तक "Poor Economics" में इस ओर ध्यान दिलाया है।
- हाल के दिनों में, सार्वभौमिक बुनियादी आय और खाद्य सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से स्थानांतरित करने के विचार भी ज़ोर पकड़ रहे हैं। ये उपाय निर्धनों को बाज़ार की अस्थिरता पर और निर्भर बनाकर भूख के संकट को बढ़ा सकते हैं।
- अत: सरकार को शिक्षा के मद में सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक व्यय बढ़ाकर (कस्तूरीरंगन समिति की अनुशंसा के अनुरूप) और स्वास्थ्य पर जीडीपी के 2.5% व्यय के लक्ष्य को पूरा कर (जिससे निर्धन पोषण पर केंद्रित हो सकें) इन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिये।

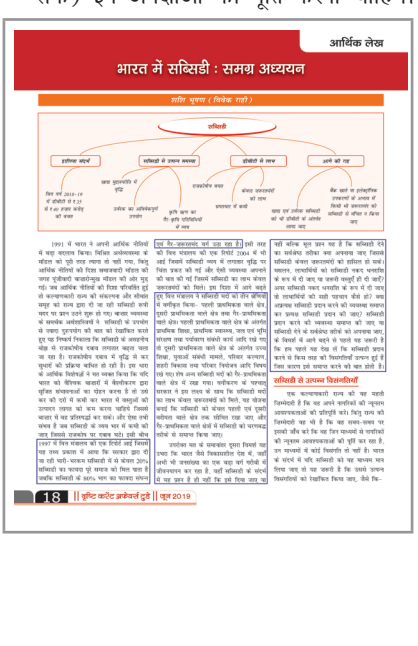

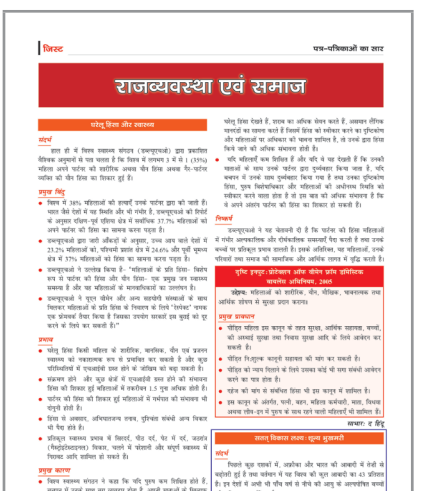

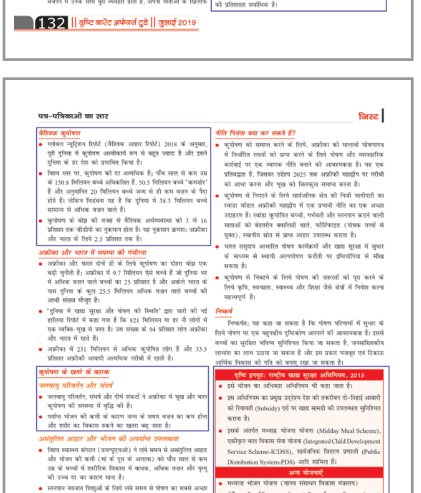

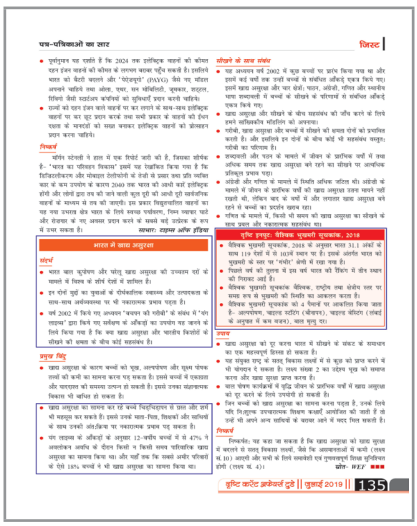

प्रश्न: 8. सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई. सी.टी.) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिये और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइये।

Implementation of Information and Communication Technology (ICT) based projects/programmes usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation.

उत्तर: कुशासन (Misgovernance) एक प्रमुख मुद्दा रहा है जिसने सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को बाधित किया है। इसलिये सरकार 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक समावेशन और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिये व्यापक डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ रही है।

यद्यपि सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई. सी.टी.) आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को आमतौर पर व्यापक जटिल चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।

आई.सी.टी. आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **अल्प डिजिटल साक्षरता:** भारत में निरक्षरता दर 25-30% से अधिक है जबकि भारत की 90% से अधिक आबादी में डिजिटल साक्षरता लगभग नगण्य है। आई.सी.टी. आधारित समाधानों के जटिल डिज़ाइन के कारण वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निरक्षर व्यक्तियों को पेश होने वाली समस्याएँ भी एक प्रमुख चुनौती हैं।
- **बदतर इंटरनेट कनेक्टिविटी:** बिजली की कमी और कमज़ोर नेटवर्क गुणवत्ता के कारण ग्रामीण भारत बदतर इंटरनेट पहुँच की समस्या से ग्रस्त है। इससे आधार सक्षम भुगतान सेवा (AEPS) और सेवाओं के अंतिम दूरी वितरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **सामान्य सेवा केंद्रों में समस्याएँ:** उचित बुनियादी सुविधाओं की कमी, कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता, सेवा इच्छुक बड़ी आबादी, अंतिम दूरी संपर्क की अनुपलब्धता भारत में सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के समक्ष विद्यमान कुछ आम समस्याएँ हैं।
- **कार्यान्वित प्रौद्योगिकी में विद्यमान त्रुटियाँ और चूक:** पहचान साबित न होने और लाभार्थियों को सेवाओं से वंचित करने से संबंधित मुद्दे। उदाहरण के लिये, वरिष्ठ नागरिकों के फिंगरप्रिंट मिसमैच होने की समस्या।
- **निजता संबंधी चिंताएँ:** डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचना के संग्रह और उपयोग के लिये प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। चूँकि निजता एक मौलिक अधिकार है, अत: उपयोगकर्त्ता जानकारी के दुरुपयोग से संबंधित चिंताएँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त डेटा चोरी और ऑनलाइन असुरक्षा जैसे मुद्दे भी संवेदनशील सरकारी डिजिटल बुनियादी ढाँचे को अपंग बना सकते हैं।
- **भौगोलिक और मौसम संबंधी समस्याएँ:** पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे दुर्गम इलाकों में रहने वाली आबादी तक पहुँच बनाना कठिन है। चक्रवात, सूनामी जैसी चरम मौसमी घटनाएँ प्रमुख संचार और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर सकती हैं।
- **प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय:** उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण के लिये कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या बढ़ाना और कनेक्टिविटी मुद्दों को संबोधित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। साथ ही मानव पूंजी निर्माण हेतु ग्रामीण युवाओं के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) (ग्रामीण लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने की परिकल्पना पर आधारित) को बढ़ावा देना चाहिये।
- सरकारी वेबसाइटों को उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाया जाना चाहिये ताकि उनका उपयोग दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक भी सुविधापूर्वक कर सकें।
- **निजी क्षेत्र के संगठनों को शामिल करना:** कॉर्पोरेट क्षेत्र को डिजिटल प्रशिक्षण और सामाजिक आवश्यकताओं के लिये तकनीकी समाधान प्रदान करने के मद में अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोष का उपयोग करने के लिये कहा जा सकता है।
- **गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों की भूमिका:** अक्षय पात्र फाउंडेशन ने अपने रसोई के डिजिटलीकरण और वास्तविक समय डेटा संग्रहण के साथ भारत के 12 राज्यों में 1.76 मिलियन से अधिक बच्चों को भोजन प्रदान करने के संबंध में आँकड़ा संग्रहण की सक्षमता पाई।
- भले ही इस तरह के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में कई चुनौतियाँ हैं लेकिन आई.सी.टी. आधारित समाधानों के लाभों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसने लीकेज की रोक, छद्म लाभार्थियों को बाहर निकालने, वास्तविक समय में सेवाओं के लक्षित वितरण आदि के रूप में सरकारी खज़ाने को राजस्व बचाने में मदद की है। इससे नागरिकों के लिये बुनियादी सेवाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिम दूरी वितरण में सुधार हुआ है।
- अत: यदि आई.सी.टी. आधारित कार्यक्रमों की चुनौतियों और खामियों से प्रभावी ढंग से निपटा जाता है, तो ई-गवर्नेंस सामाजिक परिवर्तन लाने में एक प्रभावी उपकरण साबित हो सकता है जिससे समावेशी और समृद्ध भारत के सपने को साकार किया जा सकता है।

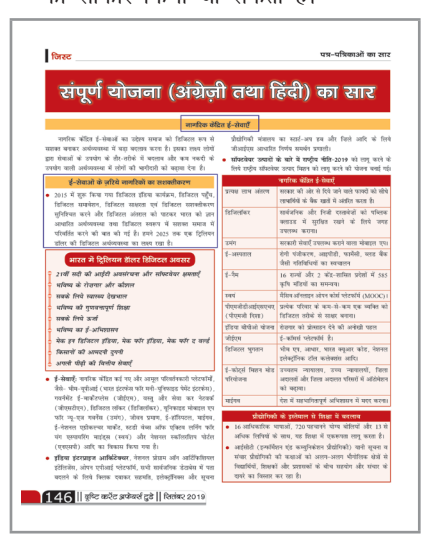

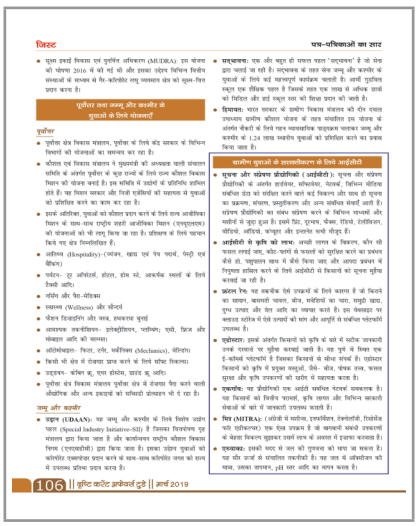

पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिये योजनाएँ

ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण के लिये आईसीटी

106 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || मार्च 2019

ग्रामीण भारत और प्रौद्योगिकी

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || मार्च 2019 || 107

प्रश्न: 9. 'भारत और जापान के लिये समय आ गया है कि एक ऐसे मज़बूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें, जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिये बड़ा महत्त्व होगा।' टिप्पणी कीजिये।

'The time has come for India and Japan to build a strong contemporary relationship, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole.' Comment.

उत्तर: भारत-जापान साझेदारी को एशिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते संबंध के रूप में देखा जा रहा है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान कर रहा है।

आर्थिक संलग्नताओं पर ध्यान केंद्रित करने की पारंपरिक नीति से हटकर इस साझेदारी ने क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक जलवायु और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों सहित हितों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करने के लिये वृहत विविधतापूर्ण रूप ग्रहण किया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के तेज़ उभार का रणनीतिक परिदृश्य भारत-जापान साझेदारी को वृहत संवेग प्रदान कर रहा है। रणनीतिक अभिसरण के माध्यम से जापान और भारत दोनों ही एशिया के शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। निम्नलिखित पहलों में इस भावना को परिलक्षित किया जा सकता है:

- **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग:** यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और जापान की 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' रणनीति के बीच का संगम है। यह विधि के शासन और नौपरिवहन की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करेगा, जिसे दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख से खतरा पहुँच रहा है। यह जापान और आसियान देशों के साथ भारत के सहयोग में वृद्धि करेगा।
- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC):** जापान एशिया-अफ्रीका क्षेत्र में लगभग 200 बिलियन डॉलर के निवेश की इच्छा रखता है, जो 21वीं सदी को एशियाई सदी से एशियाई-अफ्रीकी सदी में रूपांतरित करेगा। इस परियोजना में जापान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा और भारत अफ्रीका में कार्य करने की अपनी विशेषज्ञता का निवेश करेगा।
- एएजीसी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने पर लक्षित है, जो अपने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
- जापान, अमेरिका, भारत (संयुक्त रूप से JAI) और ऑस्ट्रेलिया (संयुक्त रूप से 'क्वाड' (Quad) एक रणनीतिक मोर्चे के रूप में सामने आए हैं, जिसे चीन का मुकाबला करने के लिये एक अनौपचारिक संगठन के रूप में देखा जाता है।
- जापान नॉर्थ-ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना पर कार्य कर रहा है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होगी।
- भारत और जापान क्रॉस-सर्विस समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं, जो एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को सक्षम करेंगे जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, भारत और जापान के बीच चीन के मुद्दे से स्वतंत्र कई संलग्नताएँ भी हैं:

- **आर्थिक संलग्नता:** जापान ने भारत के आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश किया है। दिल्ली-मुंबई आर्थिक गलियारा, बुलेट ट्रेन, दिल्ली मेट्रो आदि इसके कुछ उदाहरण हैं।
- भारत जापान, ब्राज़ील और जर्मनी के साथ मिलकर G4 देशों का समूह बनाता है, जो UNSC में सुधारों की मांग कर रहे हैं।
- भारत प्रथम (परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी का गैर-हस्ताक्षरकर्त्ता) देश है जिसके साथ जापान ने असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में भारत की विश्वसनीयता स्थापित करेगा और भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देगा।
- यह पेरिस जलवायु समझौते में भारत की आईएनडीसी प्रतिबद्धता को बढ़ाएगा।
- जापान भारत में विकास गुणक (development multiplier) साबित हो सकता है। अतः भारत को जापान के साथ एक स्वतंत्र संबंध का विकास करना चाहिये जिसे चीन, अमेरिका या किसी अन्य देश के संदर्भ में नहीं देखा जाए।

वैश्विक मुद्दों पर आधारित लेख

भारत-जापान: 21वीं सदी के साझीदार

डॉ. रहीस सिंह

28 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || जनवरी 2018

प्रश्न: 10. 'आवश्यकता से कम नगदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन-रक्षण की स्थिति में पहुँचा दिया है।' अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर 'इज़राइल विरोधी पूर्वाग्रह' होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिये।

'Too little cash, too much politics, leave UNESCO fighting for life.' Discuss the statement in the light of US' withdrawal and its accusation of the cultural body as being 'anti-Israel bias'.

उत्तर: एक पीढ़ी से भी कम समय में दो विश्व युद्धों के सबक में वर्ष 1945 में यूनेस्को (UNESCO) की स्थापना इस दृढ़ विश्वास के साथ की गई थी कि विश्व शांति की स्थापना के लिये केवल राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन भर ही पर्याप्त नहीं थे बल्कि इस अर्थ में कि शांति को मानवता और एक-दूसरे के साथ हमारी नैतिक व बौद्धिक एकजुटता के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिये।

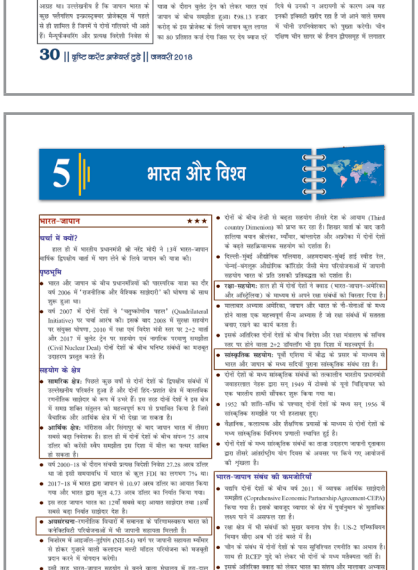

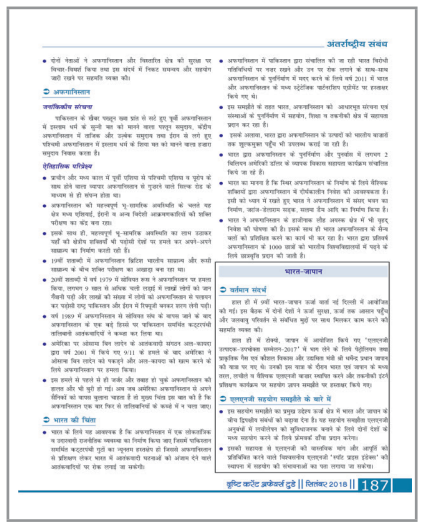

- अमेरिका द्वारा इस सांस्कृतिक निकाय से बाहर निकलने की घोषणा ने एक बार पुनः इसकी गतिविधियों के राजनीतिकरण और इसके कोष की सीमितता को उजागर किया है।
- यूनेस्को की समस्याओं के मूल में वर्ष 2011 से जारी वित्तपोषण संकट है, जब यूनेस्को ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार करने के लिये मतदान कराया था और वाशिंगटन ने इसकी प्रतिक्रिया में इसके वार्षिक 80 मिलियन डॉलर के बकाया भुगतान पर रोक लगा दी। तब से इज़रायल ने नियमित रूप से वेस्ट बैंक और येरुशलम के सांस्कृतिक स्थलों पर यूनेस्को प्रस्तावों पर आपत्ति दर्ज कराई है और यह तर्क दिया है कि यूनेस्को के ऐसे प्रस्ताव यहूदी राज्य के रूप में उसकी मान्यता को कमज़ोर करते हैं। इज़रायल के विरोधियों का यह आरोप है कि उपयुक्त आलोचना से ध्यान हटाने के लिये वह अमेरिकी समर्थन का उपयोग करता है।
- अमेरिकी वित्तपोषण के अभाव में यूनेस्को (जो विश्व भर में लगभग 2,000 कर्मियों के साथ कार्यरत है) को अपने कार्यक्रमों में कटौती करने, नियुक्तियों पर रोक रखने और प्राप्त स्वैच्छिक योगदान से वित्तीय पूर्ति करने के लिये विवश होना पड़ा है। इसका 2017 का बजट लगभग 326 मिलियन डॉलर का था जो वर्ष 2012 के बजट का लगभग आधा था।
- जापान, ब्रिटेन और ब्राज़ील जैसे अन्य प्रमुख योगदानकर्त्ता भी वित्त प्रदान करने में देरी करते रहे हैं और इसके लिये कई बार निकाय की नीतियों के प्रति अपने असंतोष को अभिव्यक्त करते रहे हैं।
- क्रीमिया के प्रश्न पर रूस और यूक्रेन में शत्रुता रही है जहाँ कीव ने मॉस्को पर आरोप लगाया है कि वह क्रीमिया पर कब्ज़े को यूनेस्को के माध्यम से वैध बनाने का प्रयास कर रहा है।
- वस्तुस्थिति यह है कि यूनेस्को, देशों की एकजुटता का प्रतिबिंबन था और देशों के बीच शांति के लिये एक परिवेश की रचना करता था, लेकिन उसके कार्यक्रमों को प्रभावित करने के लिये विभिन्न राष्ट्र अब वित्तपोषण की 'ब्लैकमेलिंग' करने लगे हैं। साझा मानव विरासत के संरक्षण के लिये सभी देशों की संलग्नता के साथ एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिये राष्ट्रों को राजनीति का 'ज़ीरो-सम गेम' खेलना छोड़ देना चाहिये।

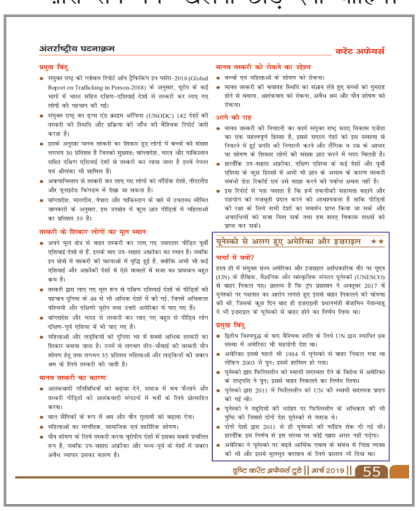

करेंट अफेयर्स — अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

जापान में व्हेल का वाणिज्यिक शिकार

56 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || मार्च 2019

प्रश्न: 11. किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिये जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं।

On what grounds a people's representative can be disqualified under the representation of people act, 1951? Also, mention the remedies available to such person against his disqualification.

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद के सदनों तथा राज्य विधान-मंडल के सदनों के चुनाव संपन्न कराने के लिये प्रावधान करता है, साथ ही इनकी सदस्यता के लिये अर्हता एवं निरर्हता से संबंधित नियमों का तथा ऐसे चुनावों के संबंध में उत्पन्न विवादों के उपचार का प्रावधान करता है।

1951 के अधिनियम ने निरर्हता के संबंध में कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं। इस अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को निरर्हित किया जा सकता है यदि वह:

- चुनावों में कुछ चुनावी अपराधों या भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है;
- ऐसे किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो, जिसमें दो या अधिक वर्षों के कारावास का प्रावधान है (निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत को छोड़कर);
- एक निश्चित समय के भीतर अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा/रही है;
- सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि रखता/रखती हो;
- एक ऐसे निगम में एक निदेशक या प्रबंधक हो अथवा कोई भी लाभ का पद रखता हो, जिसमें सरकार का कम-से-कम 25% शेयर हो;
- भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिये सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है;
- विभिन्न समूहों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वत के अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है;
- अस्पृश्यता, दहेज एवं सती-प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार तथा अनुकरण करने के लिये दंडित किया गया हो।

1951 का अधिनियम, निरर्हता के विरुद्ध निम्नलिखित उपचार का प्रावधान करता है:

- एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनाव को प्रश्न के घेरे में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई होती है तथा सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है।
- इसके अलावा, इस प्रश्न पर कि क्या कोई लोकप्रतिनिधि निरर्हताओं के अधीन है, इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति (संसद सदस्यों के मामले में) तथा राज्यपाल (राज्य विधायिका के सदस्यों के मामले में) के पास होता है। हालाँकि, प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
- इसके अलावा, एक लोकप्रतिनिधि के निरर्हित होने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग कुछ आधारों पर, किसी भी निरर्हता को हटा सकता है या किसी निरर्हता की अवधि को कम कर सकता है।

भारतीय राजव्यवस्था

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || अगस्त 2019 || 161

प्रश्न: 12. "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिये कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है?

"Parliament's power to amend the constitution is limited power and it cannot be enlarged into absolute power". In light of this statement explain whether parliament under article 368 of the constitution can destroy the Basic structure of the constitution by expanding its amending power?

उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-368 संसद को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संविधान के किसी उपबंध के परिवर्द्धन, रूपांतरण या निरसन के रूप में संशोधन करने की शक्ति देता है। चुनौतियों से उबरने के लिये तथा देश की वृद्धि एवं विकास की मांगों को पूरा करने के लिये संविधान में संशोधन करने की शक्ति आवश्यक होती है।

हालाँकि, अनुच्छेद-368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया में, संसद ने कई बार संघ तथा राज्यों के मध्य संघीय संबंध से जुड़े क्षेत्रों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों तथा कुछ सीमा तक अनुच्छेद-368 का दुरुपयोग करके संवैधानिक दायरे का उल्लंघन भी किया है। ऐसा संविधान में 25वें एवं 42वें संशोधनों से स्पष्ट है, जिन्होंने संवैधानिकता के सिद्धांत को खतरे में डाल दिया है।

इस प्रकार से, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों तथा निदेशक सिद्धांतों के मध्य एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने के लिये हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के 'मूल ढाँचे' के सिद्धांत का उदय हुआ।

'मूल ढाँचे' के सिद्धांत के उद्भव तथा अनुप्रयोग को सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों के प्रकाश में देखा जा सकता है:

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है क्योंकि यह संशोधन द्वारा संविधान के 'मूल ढाँचे' को परिवर्तित नहीं कर सकती है।

- एक सीमित संशोधन शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है और इसलिये, उस शक्ति पर सीमाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद-368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन करने की शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती है, जिससे उसे संवैधानिक प्रावधानों को रद्द करने या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त हो सके, जो संविधान के मूल ढाँचे या स्वयं संविधान के लिये खतरा बन जाए।

- **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस (1980):** इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद-368 के खंड (4) और (5) को निरस्त कर दिया क्योंकि इन खंडों ने संविधान के मूल ढाँचे की आवश्यक विशेषता को नष्ट कर दिया था।
- **एल.चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997):** इस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान का प्रत्येक प्रावधान संशोधन के लिये खुला रखा गया है। बशर्ते संविधान का मूल ढाँचा क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार से, संसद को प्रदत्त संविधान में संशोधन करने की शक्ति अपने आप में प्रतिबंधित है ताकि भारतीय संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित संविधान की आत्मा बरकरार रहे। ध्यातव्य है कि मूल ढाँचे का सिद्धांत संसद की विधायी क्षमता को कम नहीं करता है, बल्कि यह संविधान की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक भावना को कायम रखने में सहायता प्रदान करता है।

प्रश्न: 13. "स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है।" टिप्पणी कीजिये।

"The reservation of seats for women in the institution of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process". Comment.

उत्तर: 73वें संवैधानिक संशोधन, जिसके माध्यम से महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, के पश्चात् गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर लगभग दस लाख महिलाएँ निर्वाचित की गई हैं। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, परंतु प्रतिनिधित्व ने हमेशा भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का नेतृत्व नहीं किया है।

भारतीय राजनीतिक प्रक्रम का पितृतंत्रात्मक (पितृसत्तात्मक) अभिलक्षण

- **'सरपंच पतियों' की प्रथा:** प्रभावी राजनीतिक शक्ति तथा निर्णय लेने का विकल्प निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों द्वारा दिया जाता है। यह आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की उम्मीद को निष्फल बनाता है। इनमें से ज़्यादातर महिलाएँ अपने घर के पुरुषों (पति, पिता या पुत्र के रूप में) के लिये सिर्फ रबर स्टैम्प हैं, जो सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हैं।
- राजनीति में स्वयं महिलाओं के संपर्क में कमी तथा अपने राजनीतिक उत्तरदायित्वों को निभाने में किसी भी प्रकार के अनुभव का अभाव उनकी भागीदारी में बाधा डालता है। चूँकि ज़्यादातर महिलाएँ अशिक्षित हैं तथा तकनीकी मुद्दों एवं वित्तीय सौदों को संभालने के लिये वे प्रशिक्षित नहीं होती हैं, इसलिये उनके पास परिवार के पुरुष सदस्यों से सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं होता है।
- **रूढ़िवादी अवधारणा तथा पारंपरिक मानदंड:** यह महिलाओं को घरेलू क्षेत्र में दोबारा से शामिल करता है तथा उन्हें सार्वजनिक मामलों में संलग्न होने से रोकता है। साथ ही जाति तथा वर्ग कारक भी महत्त्वपूर्ण रूप से महिलाओं को नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका निभाने से प्रतिबंधित करते हैं।

हालाँकि, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के कई सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं:

- महिलाओं ने बिल्कुल निचले स्तर पर पर्याप्त विकास कार्य किये हैं, उदाहरण के लिये, हरियाणा में धानी मियाँ खान ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने महिलाओं के लिये एक प्रशिक्षण केंद्र बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि गाँव का प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाए।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधि तक पहुँच अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक होती है।
- वहाँ, जहाँ पंचायतों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है, सामाजिक विकास के मापदंडों जैसे कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

आगे की राह

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर महिलाओं के समूहों तथा उनके आपसी संपर्क का सुदृढ़ीकरण करके, व्यवस्था का संस्थानीकरण करने के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है।

स्थानीय स्तर पर महिलाओं के आरक्षण के विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक प्रभाव पोषण स्तर, स्वच्छता अभियान या व्यावहारिक परिवर्तन के रूप में देखे जा सकते हैं। कई राज्यों में महिलाओं ने अपने समकक्ष मतदाताओं से अच्छा प्रदर्शन किया है, किंतु सही मायनों में राजनीति में उनकी भागीदारी अभी भी कम है। उनकी राजनीतिक भागीदारी मानवाधिकार का मुद्दा होने के साथ ही लोकतंत्र की मज़बूती हेतु भी आवश्यक है। यह सतत विकास लक्ष्य-5 (सभी रूपों में लैंगिक असमानता की समाप्ति) को प्राप्त करने में भारत की सहायता करेगा।

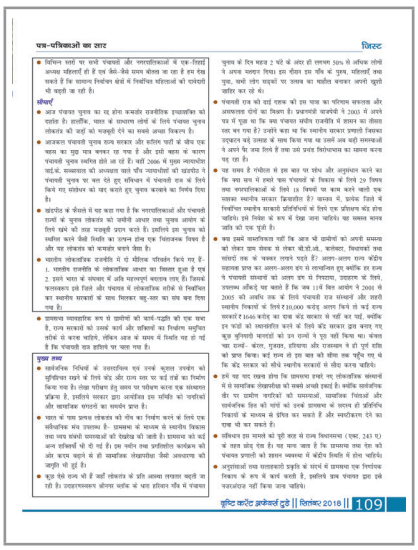

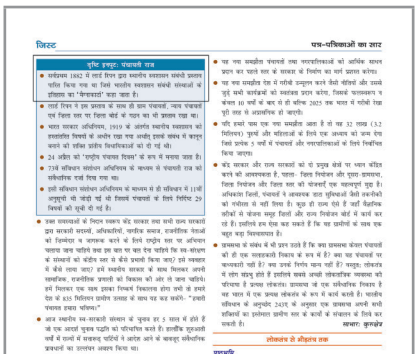

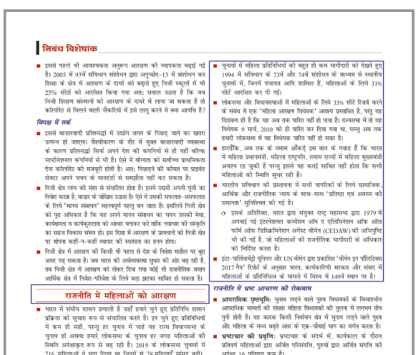

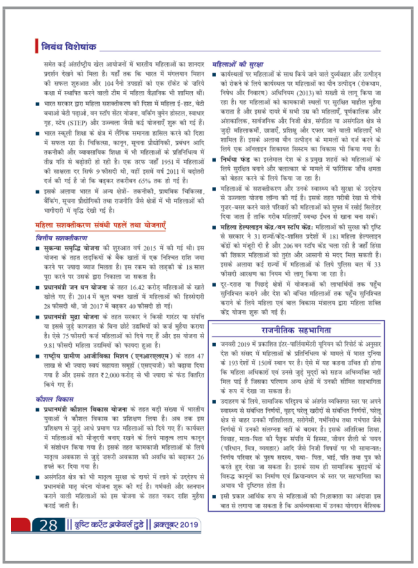

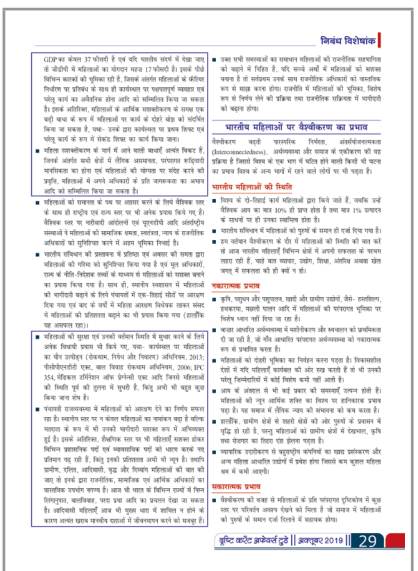

भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होते हैं:

- कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, जिसे राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित किया जाता है।
- राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए एक विधिक स्वरूप के अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।
- संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त किये गए कार्यों का निर्वहन करना।

महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1950 की एक अधिसूचना के माध्यम से, उसे राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित कर्त्तव्यों को सौंपा गया है:

- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होना।
- संविधान के अनुच्छेद-143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।

इन कर्त्तव्यों के साथ-साथ, महान्यायवादी को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का भी अधिकार है। वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का भी लाभ लेता है, जो संसद के किसी सदस्य के लिये उपलब्ध होती हैं।

हालाँकि, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता है। वह सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता है तथा उसे निजी विधिक प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाता। परंतु, वह भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या विवरण नहीं दे सकता है तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकता है।

इस प्रकार से, महान्यायवादी के कर्त्तव्य तथा विशेषाधिकार, उस पर लगाई गई कुछ सीमाओं के साथ, उसे भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार तथा वकील बनाते हैं। फिर भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सरकार के स्तर पर विधिक मामलों की देख-रेख के लिये पृथक विधि मंत्री, कुछ सीमा तक महान्यायवादी के कार्यों को एक अधीनस्थ स्थिति प्रदान करते हैं।

प्रश्न: 14. "महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है।" चर्चा कीजिये।

"The Attorney-General is the chief legal adviser and lawyer of the Government of India." Discuss

उत्तर: संविधान द्वारा अनुच्छेद-76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान किया गया है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो।

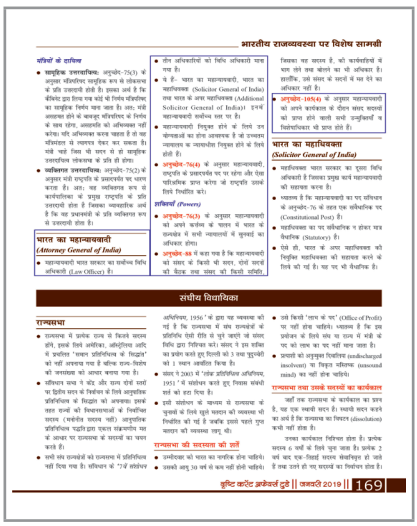

भारतीय राजव्यवस्था पर विशेष सामग्री

मंत्रियों के दायित्व

- **सामूहिक उत्तरदायित्व:** अनुच्छेद-75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि कैबिनेट द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय माना जाता है। अत: मंत्री असहमत होने के बावजूद मंत्रिपरिषद के निर्णय के साथ रहेगा, असहमति को अभिव्यक्त नहीं करेगा। यदि अभिव्यक्त करना चाहता है तो वह मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर कर सकता है। मंत्री चाहे जिस भी सदन से हो सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा।
- **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:** अनुच्छेद-75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। अत: वह व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है जिसका व्यावहारिक अर्थ है कि वह प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।

भारत का महान्यायवादी
(Attorney General of India)

- महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Law Officer) है।
- तीन अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है।
- ये हैं- भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता (Solicitor General of India) तथा भारत के अपर महाधिवक्ता (Additional Solicitor General of India)। इनमें महान्यायवादी सर्वोच्च स्तर पर है।
- महान्यायवादी नियुक्त होने के लिये उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये होती हैं।
- अनुच्छेद-76(4) के अनुसार महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिये निर्धारित करे।

शक्तियाँ (Powers)

- अनुच्छेद-76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद-88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की बैठक तथा संसद की किसी समिति, जिसका वह सदस्य है, की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है। हालाँकि, उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है।
- अनुच्छेद-105(4) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियाँ व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं।

भारत का महाधिवक्ता
(Solicitor General of India)

- महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी है जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता करना है।
- ध्यातव्य है कि महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद-76 के तहत एक संवैधानिक पद (Constitutional Post) है।
- महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक (Statutory) है।
- ऐसे ही, भारत के अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिये की गई है। यह पद भी वैधानिक है।

संघीय विधायिका

राज्यसभा

- राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित 'समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत' को नहीं अपनाया गया है बल्कि राज्य-विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है।
- संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया। इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (मनोनीत सदस्य नहीं) आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं।
- सभी संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। संविधान के *'7वें संशोधन अधिनियम, 1956'* के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए दिल्ली को 3 तथा पुदुच्चेरी को 1 स्थान आवंटित किया है।
- संसद ने 2003 में *'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951'* में संशोधन करते हुए निवास संबंधी शर्त को हटा दिया है।
- इसी संशोधन के माध्यम से राज्यसभा के चुनावों के लिये खुले मतदान की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है जबकि इससे पहले गुप्त मतदान की व्यवस्था लागू थी।

राज्यसभा की सदस्यता की शर्तें

- उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये।
- उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
- उसे किसी 'लाभ के पद' (Office of Profit) पर नहीं होना चाहिये। ध्यातव्य है कि इस प्रयोजन के लिये संघ या राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है।
- प्रत्याशी को अनुन्मुक्त दिवालिया (undischarged insolvent) या विकृत मस्तिष्क (unsound mind) का नहीं होना चाहिये।

राज्यसभा तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल

जहाँ तक राज्यसभा के कार्यकाल का प्रश्न है, यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन कहने का अर्थ है कि राज्यसभा का विघटन (dissolution) कभी नहीं होता है।

उनका कार्यकाल निश्चित होता है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिये चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है।

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || जनवरी 2019 || 169

प्रश्न: 15. राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद-सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिये।

Individual parliamentarian's role as the national lawmaker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.

उत्तर: राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री या सांसद प्राय: लोकलुभावन निर्णय लेने, चुनावी घोषणा पत्र तथा पार्टी को संचालित करने वाली विचारधारा से बंधे होते हैं। व्यक्तिगत सांसद या निजी सदस्य ऐसी सीमाओं से मुक्त होते हैं और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर असंतोष तथा चर्चा के लिये संसद के मंच को एक अधिक महत्त्वपूर्ण आधार के तौर पर पेश करते हैं। हालाँकि, हालिया समय में राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में व्यक्तिगत सांसद की भूमिका में गिरावट आई है। वर्ष 2014 से 2018 के मध्य लगभग 900 निजी सदस्य विधेयक संसद में प्रस्तुत किये गए, परंतु इनमें से 2% विधेयकों पर भी चर्चा नहीं हुई।

अवनति के कारण

- निजी सदस्य विधेयक के सफलतापूर्वक पारित हो जाने को प्राय: सरकार की ओर से अक्षमता और संबंधित मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है। इसलिये सरकार सांसद से इसे वापस लेने का अनुरोध करती है तथा इसके स्थान पर इसे सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने का आश्वासन देती है।
- सत्तारूढ़ पार्टी या बहुमत में रहने वाली पार्टी के समर्थन के अभाव में, निजी सदस्य के विधेयक को विशेष रूप से लोकसभा में पारित करना असंभव हो जाता है।
- अध्यादेश द्वारा विधि निर्माण की एक प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है, जो बहस एवं चर्चाओं के औपचारिक मार्ग को संपूर्णत: दरकिनार कर देती है।
- यहाँ तक कि व्यक्तिगत सांसदों को भी पार्टी के भीतर बाध्य होना पड़ता है। उन्हें दलबदल-विरोधी कानून जैसे नियामक ढाँचे के माध्यम से बाध्य किया जाता है। इस प्रकार से पार्टी के निर्णय द्वारा किसी भी परिवर्तन को हतोत्साहित किया जाता है तथा विभिन्न दृष्टिकोणों की संभावना को दरकिनार कर दिया जाता है।
- निर्वाचित निजी सांसदों की गुणवत्ता भी सदन में बहस एवं चर्चा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यह सर्वज्ञात है कि अधिकांश सांसद आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह

- सांसदों को आत्माभिव्यक्ति की अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देते हुए, दलबदल-विरोधी अधिनियम को संशोधित करने तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग करने की आवश्यकता है।
- व्यक्तिगत सांसदों के लिये अनुसंधान कर्मचारियों तथा संसाधनों को बढ़ाया जाना चाहिये। इससे सदन के भीतर विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता तथा राष्ट्रीय विधि निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करने की उनकी क्षमता को और प्रोत्साहन मिलेगा।
- हालाँकि, व्यक्तिगत सांसदों द्वारा तैयार किये गए विधान को सम्मान एवं प्रोत्साहन देने के अलावा, भारतीय संसद तथा भारतीय शासन में चर्चा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिये कई अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये, संसद के सदस्यों को अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा तथा चर्चाओं में शामिल होना होगा। इसी प्रकार से, उन्हें अनावश्यक व्यवधान के बिना सीमित संसदीय समय का विवेकपूर्ण ढंग से कार्यवाही के लिये प्रयोग करना होगा।

प्रश्न: 16. 'विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा।' चर्चा कीजिये।

'In the context of the neo-liberal paradigm of developmental planning, multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages'- Discuss

उत्तर: भारत ने 1990 के दशक में व्यापक नीति नियोजन से परिवर्तन कर नव-उदारवादी नीतियों को अपनी विकासात्मक योजना का भाग बनाया। वर्तमान समय में बहु-स्तरीय नियोजन की ओर भी धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ है। बहु-स्तरीय नियोजन वार्ता, विचार-विमर्श एवं परामर्श के माध्यम से नियोजन प्रक्रिया में सभी स्थानिक स्तरों पर निर्णय-निर्माताओं को एकीकृत करता है। यह नीतियों को प्रासंगिक तथा आवश्यकता आधारित बनाता है। यह प्रत्येक आवश्यक स्तर पर इस तरह के सहयोग को प्रभावी बनाने के लिये प्रक्रिया तंत्र/संस्थान भी स्थापित करता है।

लागत-प्रभावी संक्रियाएँ तथा बेहतर कार्यान्वयन

- **भ्रष्टाचार से मुकाबला:** स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण तथा भागीदारी के माध्यम से विकास कार्यान्वयन में विभिन्न विसंगतियों का समाधान किया जा सकता है। यह निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकता है।
- **कार्यान्वयन प्रक्रिया का सरलीकरण:** यह उपयुक्त भूमिका स्पष्टता से सुनिश्चित करने, परस्पर-व्यापक (ओवरलैपिंग) क्षेत्राधिकार को हटाने तथा क्षेत्रीय विभागों में आवश्यक संपर्क स्थापित करने के माध्यम से किया जाता है।
- **योजना-कार्यान्वयन में असंतुलन को कम करना:** यह व्यापक योजना के उद्देश्यों को धरातल पर लागू करने के लिये, नियोजन प्रक्रिया प्रशासन तथा स्थानीय संस्थानों की क्षमता तक पहुँच सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार इससे बेहतर परिणाम हासिल करने तथा असंतुलन को कम करने में सहायता मिलेगी।
- **लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना:** अधिक प्रासंगिक नीतियाँ बनाने हेतु यह लोगों के साथ गहन रूप से जुड़ने के

लिये एक तंत्र को समाविष्ट करता है। यह उन लोगों की ज़रूरतों तथा हितों तक पहुँच बनाने में सहायता प्रदान करता है, जो विकासात्मक प्रक्रिया के लाभार्थी हैं।

- **लोकतांत्रिक परंपराओं का सुदृढ़ीकरण:** बहु-स्तरीय नियोजन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के मध्य स्वामित्व की भावना पैदा करेगा। यह ज़िला-स्तरीय योजना समिति को समग्र नीति-निर्धारण में योगदान देने के लिये भी सशक्त करेगा। यह नीति-निर्धारण तथा इसके कार्यान्वयन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है।
- **क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना:** विकेंद्रीकृत नियोजन वांछित परिणामों के लिये कार्यान्वयन रणनीतियों तथा संसाधन आवंटन की अनुकूलता में सहायता प्रदान करेगा। यह सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
- **बेहतर पर्यवेक्षण तथा निगरानी:** बहु-स्तरीय योजना लोगों तथा स्थानीय प्रशासन को विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय हितधारक बनाने में सहायता करती है। इस प्रकार की योजनाएँ दुर्लभ सरकारी संसाधनों के पर्यवेक्षण तथा निगरानी में सुधार करती हैं।

आगे की राह

नीति आयोग द्वारा ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करने तथा सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें निरंतर विकसित करने हेतु तंत्र विकसित करने के लिये विभिन्न पहल की गई है। इसी प्रकार से महत्त्वाकांक्षी ज़िला योजना भी बहु-स्तरीय योजना तथा कार्यान्वयन की दिशा में एक अभिनव कदम है। आगे चलकर, देश में सुशासन के संवर्द्धन हेतु लक्ष्य आधारित नियोजन को प्रोत्साहन देने, नीति-निर्माण के लिये स्थानीय अधिकारियों के प्रशिक्षण व ज़िला योजना समिति के पुनरुत्थान आदि जैसे कदम उठाए जाने चाहिये।

प्रश्न: 17. विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिये।

The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of 'collaboration' and 'team spirit'. In the light of statements above examine India's development process.

उत्तर: भारत विश्व में सबसे तीव्रता से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। वर्तमान में विद्यमान मंदी के बावजूद, पिछले पाँच वर्षों में भारत की वास्तविक जीडीपी की औसत वृद्धि दर 7.5% रही है। वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सेवा क्षेत्र भारतीय सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) का 54% है। सेवा क्षेत्र में आने वाले एफडीआई इक्विटी भारत में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 60% से अधिक है। शिक्षा सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यटन, आईटी इत्यादि भारत के सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटक हैं।

विभिन्न सेवाओं के उप-क्षेत्रों में सहयोग

- भारतमाला परियोजना की पहल न केवल बेहतर परिवहन सेवाओं के माध्यम से संपर्क प्रदान करती है, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोज़गार भी उत्पन्न करती है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है।
- हवाई मार्ग संपर्क को बढ़ावा देने के लिये 'उड़ान योजना' न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि आवास तथा रीयल एस्टेट क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, निर्माण सामग्री, पर्यटन क्षेत्र, आदि को भी वृद्धि की ओर ले जाती है।
- इसी प्रकार 'भारत नेट परियोजना' के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को संवर्द्धन, 'स्टार्ट-अप इंडिया' के द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों (यथा- स्वास्थ्य, ऑनलाइन खाद्य वितरण आदि) में स्टार्ट-अप को बढ़ावा, शिक्षा में निवेश के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले आईटी पेशेवरों की संख्या में बढ़ोतरी आदि के ज़रिये विभिन्न सेवा क्षेत्रों में आपसी सहयोग स्थापित है। इसके साथ ही एक क्षेत्र में निवेश पूरी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है।

नेतृत्व स्तर पर सहयोग

तेज़ी से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य आपस में तथा व्यवसायों के साथ भी इनके सहयोग के लिये बृहद स्तर पर अवसर प्रदान करती है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से भारत की विकास प्रक्रिया में देखा जा सकता है:

- विभिन्न स्तरों पर साझेदारी के माध्यम से 12 चिह्नित किये गए चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की पहल।
- जीएसटी के आरंभ के समय केंद्र, राज्यों तथा व्यावसायिक समूहों के मध्य सहयोग की आवश्यकता हुई।
- सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेंसियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को सुलभ बनाने के लिये प्रौद्योगिकी संचालित मंच के रूप में सरकारी ई-मार्केटप्लेस की स्थापना।
- नीति आयोग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय एवं बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ावा मिलता है।

सेवा क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है बल्कि मानव पूंजी में विकास के अवसर भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार, भारत का विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रयोग केवल तभी किया जा सका है, जब शासन के सभी स्तरों पर 'सहयोग' तथा 'टीम भावना' की संस्कृति हो।

प्रश्न: 18. सुभेद्य वर्गों के लिये क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिये।

Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to the absence of their awareness and active involvement at all stages of the policy process. Discuss

उत्तर: कल्याणकारी योजनाएँ वे योजनाएँ होती हैं, जो व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के विकास के लिये आवश्यक साधन प्रदान करने के लिये निर्मित की जाती हैं। हालाँकि, ऐसा देखा गया है कि इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को वितरित किये जाने वाले लाभ प्रशासनिक नियोजन वितरण तंत्र में दोष तथा लक्षित समूहों में जागरूकता की कमी के कारण लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाते हैं। यह भी पाया गया है कि रूपरेखा, कार्यान्वयन तथा लोगों की भागीदारी के अभाव में कई कल्याणकारी परियोजनाएँ तथा कार्यक्रम अतीत में विफल रहे हैं।

नीतियों की अक्षमता

- राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर योजनाओं की डिज़ाइन कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिये दुर्बल व्यावसायिक समर्थन।

- धरातलीय स्थिति, उचित डेटाबेस तथा संसाधन बाधाओं के ज्ञान के अभाव में तकनीकी व गैर-तकनीकी मापदंडों के आधार पर अति यथार्थवादी या अति आशावादी धारणाएँ, नीतियों को अंतिम रूप से दुष्प्रभावित करती हैं।
- कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करने, उनकी आवश्यकताओं को निर्धारित करने, उन्हें संबोधित करने तथा उन्हें पर्याप्त तरीके से सक्षम बनाने के लिये कोई व्यवस्थित प्रयास का न होना।
- पर्यावरण और पुनर्वास पर प्रभावों का अपर्याप्त विश्लेषण।
- कमज़ोर नियोजन एवं समन्वय के कारण भूमि अधिग्रहण के लिये नियामक अधिकारियों से स्वीकृति तथा संसाधनों की खरीद में विलंब।
- उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होने पर भी नीति-निर्माण के विभिन्न स्तरों पर त्वरित निर्णय लेने के लिये परियोजना प्रबंधन की अक्षमता का विद्यमान होना।
- वितरण तंत्र की डिज़ाइन में कोई सुसंगत दृष्टिकोण न होना तथा किसी नीति में विभिन्न विकास स्तरों के लिये आवश्यक लचीलेपन का अभाव।
- सख्त समय सीमा का अभाव, वित्तीय तंत्र तथा अंतर-एजेंसी सहयोग का अभाव चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- अधिकांश योजनाएँ एक-दूसरे से असंबंधित होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत क्षैतिज अभिसरण या ऊर्ध्वाधर एकीकरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
- एक समस्या यह भी है कि नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन उनके परिणामों पर नहीं किया जाता है, बजाय इसके वित्त की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि नीतियाँ उन सभी लोगों तक पहुँचे जिनके लिये वे निर्मित की गई हैं।

नीतिगत संरचना की गुणवत्ता तथा नीतियों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी कि इच्छित नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये संसाधनों की उपलब्धता। निर्धनता तथा पिछड़ेपन जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिये मात्र वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले निकाय के साथ-साथ लाभान्वित होने वाले लोगों, दोनों को एक-दूसरे की स्थितियों के बारे में जागरूक होना चाहिये तथा सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिये।

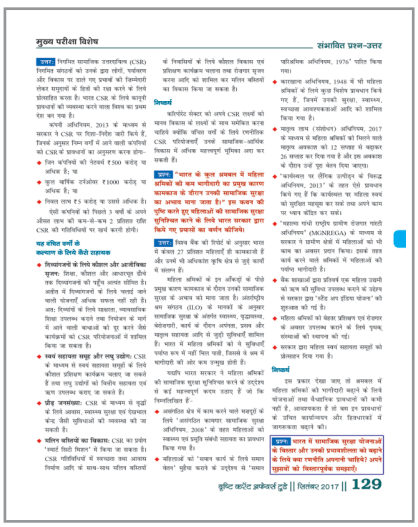

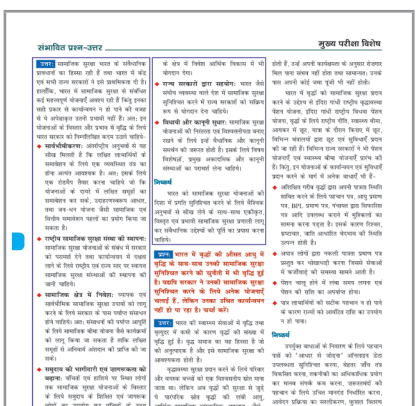

प्रश्न: 19. 'उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है।' विस्तार से समझाइये।

"The long sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.' Elaborate

उत्तर: गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने उपनिवेशित विश्व के नव स्वतंत्र देशों के मध्य से किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र के साथ गठबंधन नहीं करने की अपनी दृष्टि का प्रसार किया, क्योंकि ये नव स्वतंत्र राष्ट्र सैन्य, आर्थिक एवं विकास संबंधी पहलुओं के संदर्भ में अशक्त थे।

गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहयोग तथा सह-अस्तित्व, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के अंत के इन विचारों ने भारत को हाशिये के देशों के नेतृत्वकर्त्ताओं में से एक बना दिया। भारत का नेतृत्व तथा आदर्शवादी साख निरंतर कायम रही और इसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है:

- शीत युद्ध के दौर में।
- डब्ल्यूटीओ के दोहा दौर में लघु अर्थव्यवस्थाओं के हितों का समर्थन करना।
- जलवायु परिवर्तन-वार्त्ताओं के दौरान सुभेद्य देशों के पक्ष का समर्थन करना।

भारत के रणनीतिक विदेश नीति परिप्रेक्ष्य के प्रति इसके दृष्टिकोण में परिवर्तन-

- वर्तमान में आर्थिक विकास विश्व शक्ति के रूप में भारत के विकास का एक प्रमुख एजेंडा है, जो अब भारत की विदेश नीति में परिलक्षित होता है।

- भारत की यह प्रवृत्ति एनएएम शिखर सम्मेलन हवाना, 2006 में देखी गई, जहाँ भारत ने आतंकवादरोधी, परमाणु निरस्त्रीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, अफ्रीका में निवेश तथा ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो देश के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं और विकासशील या हाशिये के देशों की प्राथमिकताओं के समरूप नहीं हैं।
- भारत ने हमेशा जलवायु परिवर्तन-वार्त्ताओं में 'विभेदित दायित्व' पर ज़ोर देते हुए विकासशील और हाशिये के राष्ट्रों के पक्ष का सक्रिय रूप से समर्थन किया है, परंतु हाल ही में उसने पेरिस वार्त्ता के दौरान अपना रुख़ बदल दिया।
- भारत को पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये भी दोषी ठहराया जाता है। उदाहरण के लिये- नेपाल, जिसके कारण दोनों राष्ट्रों के मध्य उनके संबंधों में टकराव हुआ।
- क्षेत्रीय मंच 'सार्क' में भारत ने पाकिस्तान के बहिष्कार के अपने एजेंडे को अत्यधिक महत्त्व दिया, जिसके परिणामस्वरूप सार्क निष्प्रभावी हो गया। फलतः अब छोटे पड़ोसी राष्ट्रों में सार्क की विकास परियोजनाओं में देरी हो सकती है।
- क्वैड (QUAD) में भारत की भागीदारी, हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय विकास और चीन से मुकाबला करने पर इसका बल, भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।

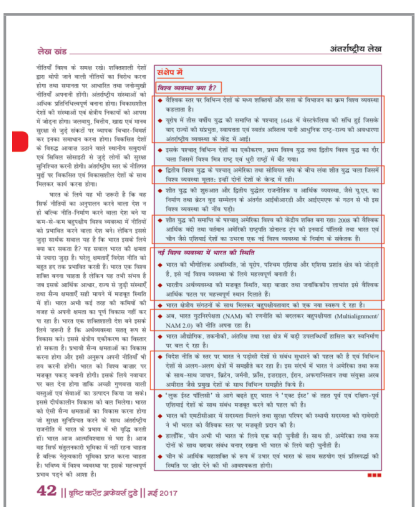

ये परिणाम भारत के दृष्टिकोण में उत्पीड़ितों एवं उपेक्षितों के मुखिया से स्वयं एक महान शक्ति के रूप में परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं। भारत का दृष्टिकोण आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बढ़ रहा है और वह विकासशील देशों के सामूहिक हितों के ऊपर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है।

लेख खंड

अंतर्राष्ट्रीय लेख

42 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || मई 2017

जिस्ट

पत्र-पत्रिकाओं का सार

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

138 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || फरवरी 2019

प्रश्न: 20. 'भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन की अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिये किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके।' उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये।

What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India's national self-esteem and ambitions'. Explain with suitable examples.

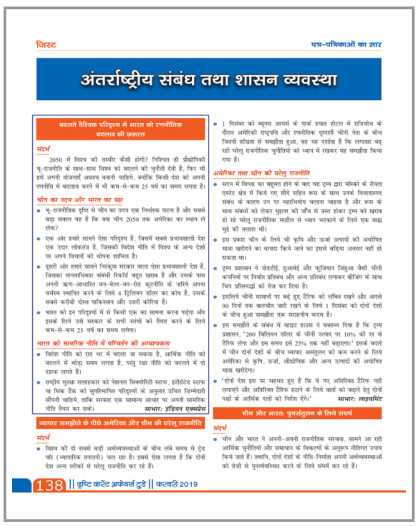

उत्तर: वर्ष 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को 'प्रमुख रक्षा साझेदार' के रूप में नामित किया, जो भारत के लिये एक अद्वितीय प्रस्थिति है। हालाँकि, वर्तमान में अमेरिकी विदेश एवं आर्थिक नीतियाँ भारत के आत्म-सम्मान तथा महत्त्वाकांक्षाओं के विरुद्ध प्रतीत होने लगी हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो अमेरिका को उसकी वैश्विक रणनीति तथा भारत द्वारा अपने आत्म-सम्मान एवं महत्त्वाकांक्षाओं के रूप की परिकल्पना में टकराव को प्रस्तुत करते हैं।

- **पश्चिम एशिया:** अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति इज़रायल और सऊदी अरब के अनुरूप है जो ईरान की नीतियों के प्रतिकूल है। परंतु भारत के लिये मज़बूत, एकजुट तथा शांतिपूर्ण रूप में ईरान तेल आयात व चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के उद्देश्य से महत्त्व रखता है।
- **अफगानिस्तान:** राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा स्थायी एवं सुरक्षित काबुल को भारत देखना चाहता है क्योंकि इस प्रकार के काबुल में भारत के 'हित' मौजूद हैं। अफगानिस्तान में उत्पन्न परिस्थिति भारत के लिये सुरक्षा खतरा भी पैदा करती है, जिससे पाकिस्तान की तालिबान के साथ निकटता बढ़ जाती है। लेकिन अमेरिकी नीति अपने सैनिकों की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में आगे बढ़ी है। एक विद्रोही तंत्र तालिबान के साथ किसी भी प्रकार का शांति समझौता आतंकवादी गतिविधियों को वैध ठहराएगा तथा भारत के हितों को चोट पहुँचाएगा।
- **रूस:** रूस के साथ भारत के सामरिक संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी रहे हैं; वहीं सुरक्षा परिषद में रूस को वीटो शक्ति प्राप्त है। रूस भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार भी है। यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक प्रमुख विकल्प के रूप में भी उभर रहा है। लेकिन, शीत युद्ध के कारण, अमेरिका रूस को अपना विरोधी मानता है और इस कारण से उसने सीएएटीएसए के अंतर्गत रूस को शामिल किया है। इस प्रकार से यह रूस के साथ एस-400 मिसाइल प्रणाली में शामिल भारत के रक्षा सौदों के विरोध में खड़ा है।
- **व्यापारिक संबंध:** एक विकासशील देश होने के कारण, भारत अपने लाखों लोगों को निर्धनता से बाहर निकालना चाहता है तथा वैश्विक स्तर पर एक मज़बूत आर्थिक स्थिति बनाना चाहता है। इस संदर्भ में, अमेरिका एक प्रमुख व्यापार भागीदार है तथा इसकी सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) भारत के लिये एक उपयोगी तंत्र है। लेकिन नौकरियों में घर वापसी नीति लाने तथा चीन के विकास पथ को नियंत्रित करने की अमेरिका की नीति का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिक्त, यूएसए की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति, 2018 ने रूस और चीन को अपनी केंद्रीय चुनौती के रूप में चिह्नित किया है तथा यूएस के लिये भारत, चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रति एक आदर्श संतुलनकर्त्ता के रूप में उभरा है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा अमेरिका को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि एक सशक्त भारत अमेरिका के हित के साथ है। इसके साथ भारत को महाशक्तियों के साथ संबंध बनाते समय 'रणनीतिक प्रतिरक्षा का पालन करना चाहिये, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं।

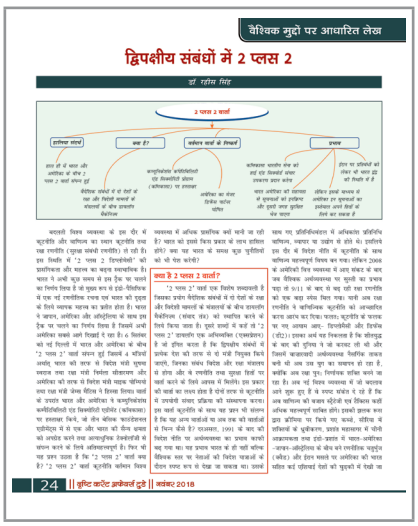

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
1. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जी.एस.टी. के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये।	Sept. 18 Article Page No. 22-25	—	—	—	Oct. 18 Article Page No. 128	June 19 India-2019 Page No. 125
2. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सरल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की स्थायी संवृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये।	—	Gist Feb 19 Page No. 133-34	—	—	—	—
3. एकीकृत कृषि प्रणाली (आई.एफ.एस.) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है?	—	—	—	—	—	—
4. जल-प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल-विभाजक परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिये।	—	—	—	—	—	—
5. जल इंजीनियरी और कृषि-विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम. विश्वेश्वरैया और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुँचा था?	—		—	—	—	—
6. भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी?	Nov. 18 Page No. 22	—	Aug. 19 Page No. 67	—	—	—
7. तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का, विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिये।	—	—	Dec. 17 Page No. 100-101	—	—	—

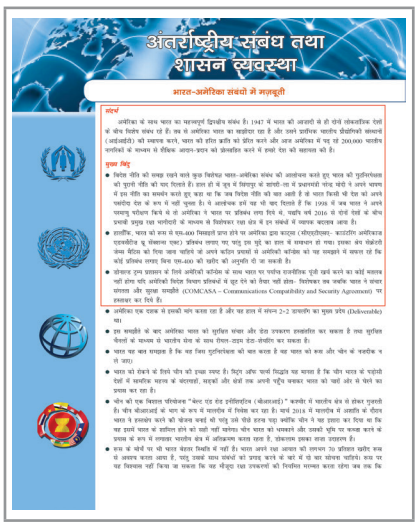

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
8. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परिभाषित करने के लिये भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र-चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिये।	—	—	—	Aug. 18 Page No. 204-205	—	Feb. 18 TTP Page No. 105
9. जम्मू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिये।	Article May 19 Page No. 14-17	—	—	—	—	April 2019 Essay Page No. 139-140
10. साइबरडोम परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिये कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है।	—	—	—	—		—
11. यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी संवृद्धि की रणनीति का आशय एकसाथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिये।	—	May 19 Page No. 97-98 + Oct. 19 Page No. 156	—	—	July 18 Mains Qn. Page No. 140	Sep. 19 Essay Page No. 64, 65, 72-73
12. उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंध भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिये।	—	—	—	—	—	
13. अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?	Oct. 17 Page No. 21-24	—	Sept. 19 News Page No. 79	Sept. 18 Page No. 173	June 18 Mains Qn. Page No. 117	Sept. 19 Essay Page No. 62-63 + June 19 India-2019 Page No. 128-29
14. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिये।	Jan. 18 Page No. 20-23	Sept. 19 Page No. 153 + Feb. 19 Page No. 128-29	—	—	July 18 Page No. 143	—
15. भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है?	—	—	April 19 Page No. 62-63	—	—	—

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
16. किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिये जैव-प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है?	—	Dec. 18 Page No. 112-13	—	—	—	—
17. पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिये। स्पष्ट कीजिये कि किस प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास (सस्टेनेबल डेवेलपमेंट) की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है।	—	June 19 Page No. 105-106	—	—	—	Feb 19 Niti ayog report Page No. 118
18. किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों के मामले में, स्पष्ट कीजिये कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा।	—	—	Feb. 18 Page No. 83-83	Aug. 18 Page No. 203-206	—	—
19. भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.), 1967 और एन.आई.ए. अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिये।	Oct. 19 Page No. 19-21	Oct. 19 Page No. 168	June 19 Page No. 34 + Sept. 19 Page No. 128	—	—	—
20. उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। साथ ही, चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिये।	—	—	—	July 18 Page No. 192-93	—	—

प्रश्न: 1. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जी.एस.टी. के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये।

Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष, व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्द्धन (value addition) पर लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम मार्च 2017 में संसद में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ।

केंद्रीय स्तर पर, निम्नलिखित करों को जीएसटी में शामिल किया गया है:

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- सेवा कर
- अतिरिक्त सीमा शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी)
- सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क

राज्य स्तर पर, निम्नलिखित करों को जीएसटी में शामिल किया गया है:

- राज्य मूल्य वर्द्धित कर/बिक्री कर,
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लागू और राज्यों द्वारा संगृहीत)
- चुंगी और प्रवेश कर
- खरीद कर
- विलासिता कर
- लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर

जुलाई 2017 से जीएसटी के राजस्व अनुमान:

- जीएसटी को जुलाई 2017 में पेश किया गया था। जीएसटी के कार्यान्वयन की प्रारंभिक संक्रमणकालीन समस्याओं के बाद राजस्व

संग्रह वर्ष 2017-18 में वार्षिक औसत ₹ 89.8 हज़ार करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 98.1 हज़ार करोड़ हो गया।

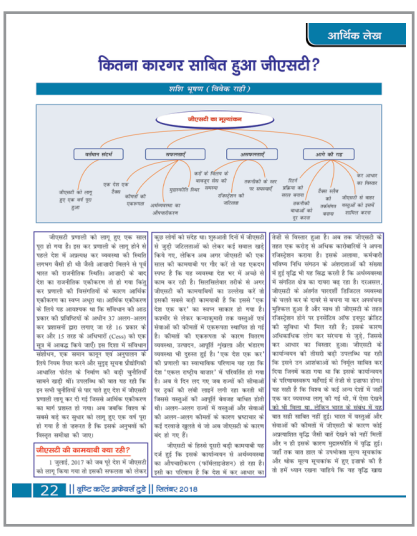

- हालाँकि 2018-19 में, बजट अनुमानों की तुलना में जीएसटी राजस्व (सीजीएसटी, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर सहित) में गिरावट के साथ अप्रत्यक्ष करों में बजट अनुमानों से लगभग 16 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यतः जीएसटी संग्रह में कमी के कारण अप्रत्यक्ष करों में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यद्यपि पिछले छह वर्षों में 'कर-जीडीपी अनुपात' में सुधार आया है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में वर्ष 2017-18 की तुलना में सकल कर राजस्व में 2018-19 में 0.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।

प्रश्न: 2. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सरल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की स्थायी संवृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये।

Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments.

उत्तर: आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कहा गया है कि 2014-18 की अवधि में अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे उच्च एवं परिवर्तनीय मुद्रास्फीति से निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति की ओर आगे बढ़ी। हालाँकि चालू वित्तीय तिमाही में, हेडलाइन मुद्रास्फीति अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गई है और सकल मूल्य वर्द्धन में भी कमी आई है। इसने मुद्रास्फीति लक्षित मौद्रिक नीति के उपयोग और समग्र अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर बहस को जन्म दिया है।

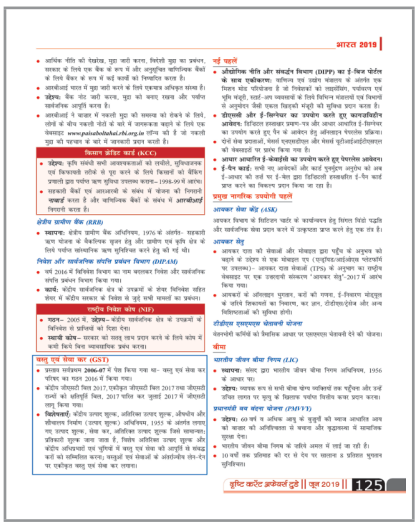

सहमत होने के बिंदु

- स्थिर विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति ने निवेश और उत्पादन योजना के लिये बेहतर बाज़ार परिदृश्य प्रदान किया है।
- नियंत्रित मूल्य स्तर ने सब्सिडी और अनावश्यक कर कटौती को कम करने में मदद की है तथा राजकोषीय घाटे को उचित स्तर पर बनाए रखा है।
- निम्न मुद्रास्फीति दर ने शहरी क्षेत्रों में निर्वाह लागत को एक संकलित स्तर पर बनाए रखा है। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिली है।

असहमत होने के बिंदु

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोज्य आय में कमी आ रही है जो दूसरी तिमाही में

जीडीपी विकास दर के गिरकर 5 प्रतिशत होने में नज़र आता है।

- उपभोग में कमी के कारण अर्थव्यवस्था के संकुचन ने आगे निवेश के दायरे को सीमित कर दिया है।
- मंदी के कारण, विभिन्न कॉर्पोरेट्स ब्याज़ का भुगतान करने के लिये राजस्व की कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे बैंकों को एनपीए की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
- अर्थव्यवस्था में निम्न आय सृजन के कारण प्रत्यक्ष कर राजस्व में कमी आई है। यह अधिक सार्वजनिक व्यय के लिये सरकार के अवसर को कम करता है।

आगे की राह

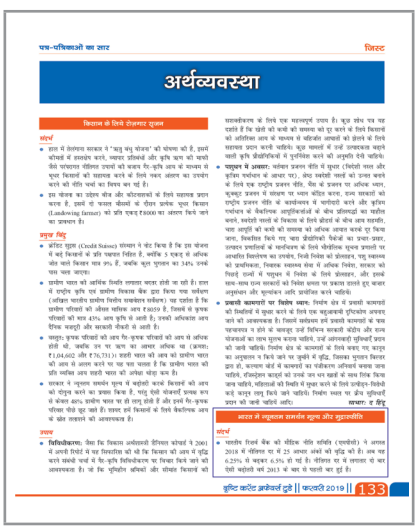

- कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने और एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के हालिया कदम अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता को बढ़ावा देने और निवेश बढ़ाने के लिये की गई वांछित पहल है।
- मनरेगा, ग्रामीण आवास जैसी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये ताकि ग्रामीण आय सृजन को बढ़ावा दिया जा सके और इस प्रकार मांग की वृद्धि की जा सके।
- अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करने और युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा उद्योग जैसे श्रम-गहन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

भारतीय अर्थव्यवस्था के निवेश चक्र को पुनः प्रोत्साहन के लिये मौद्रिक नीति में ढील जारी रखी जानी चाहिये। मुद्रास्फीति एक दोधारी तलवार है, इसलिये 4-6 प्रतिशत की सतत/स्थायी मुद्रास्फीति दर बनाए रखी जानी चाहिये ताकि अर्थव्यवस्था में अधिकतम आय सृजन हो सके।

प्रश्न: 3. एकीकृत कृषि प्रणाली (आई.एफ.एस.) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है?

How far is the Integrated Farming System (IFS) helpful in sustaining agricultural production?

उत्तर: एकीकृत कृषि प्रणाली फसल प्रणाली में उत्पादकता बढ़ाने के लिये कुशल संधारणीय संसाधन प्रबंधन पर लक्षित एक संयुक्त दृष्टिकोण है। एकीकृत कृषि प्रणाली दृष्टिकोण पशुधन, वर्मीकम्पोस्टिंग, जैविक खेती आदि को संलग्न करते हुए संवहनीयता, खाद्य सुरक्षा, किसान सुरक्षा और निर्धनता में कमी लाने के विविध उद्देश्य रखता है।

भारतीय कृषि क्षेत्र को किसान की आय में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादकता और धारणीयता की दोहरी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। इसके लिये, एकीकृत कृषि प्रणाली निम्नलिखित दृष्टिकोणों से सबसे व्यवहार्य विकल्पों में से एक के रूप में उभरती है-

- एकीकृत कृषि प्रणाली विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिये फसल और संबद्ध उद्यमों की गहनता के रूप में प्रति इकाई क्षेत्र में आर्थिक उपज बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।
- यह रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करके और पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण के माध्यम से क्षेत्र को लाभदायक बनाने की क्षमता रखती है।
- एकीकृत कृषि प्रणाली में एक सह-उत्पाद उप-प्रणाली अन्य उप-प्रणाली के लिये इनपुट के रूप में काम करती है, जो इसे पर्यावरणीय रूप से धारणीय बनाता है। इसके अलावा, एकीकृत कृषि प्रणाली घटकों को खरपतवार नियंत्रित करने के लिये जानी जाती है और इसे एकीकृत कीट प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण घटक माना जाता है।
- एकीकृत कृषि प्रणाली में उत्पादों, सह-उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी पुनर्चक्रण, संसाधन-विपन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रणाली की संधारिता की आधारशिला का कार्य करता है।
- फसलों, अंडे, मांस और दूध के साथ उद्यमों की संलग्नता के कारण, एकीकृत कृषि प्रणाली किसान समुदाय के बीच वर्ष भर धन का प्रवाह बनाए रखती है।
- भारत के अधिकांश किसान न्यूनतम आजीविका के लिये ही कृषि करते हैं। हालाँकि, उनके पास जल संचयन, मृदा प्रबंधन आदि का एक समृद्ध पारंपरिक आधार है जिसे एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत कुशलता से उपयोग किया जा सकता है।
- फसल सह-उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों का मवेशियों के लिये चारे के रूप में प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।
- पशुधन उद्यमों के साथ फसल के संयोजन से श्रम आवश्यकता में काफी वृद्धि होगी और इससे बेरोज़गारी की समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
- एकीकृत कृषि प्रणाली कई लाभ प्रदान करती है जो संधारणीय हैं और जलवायु-कुशल कृषि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारत को वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और संधारणीय कृषि प्रथाओं को साकार करने के लिये बेहतर अभिकल्पित एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 4. जल-प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल-विभाजक परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिये।

Elaborate on the impact of the National Watershed Project in increasing agricultural production from water-stressed areas.

उत्तर: जल-विभाजक परियोजना (वाटरशेड परियोजना) में जल-विभाजक क्षेत्र के अंदर भूमि, जल, पादप, पशु और मानवों जैसे सभी संसाधनों का संरक्षण, पुनरुत्पादता और विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है।

राष्ट्रीय जल-विभाजक परियोजना (National Watershed Project) जिसे 'नीरांचल परियोजना' के नाम से भी जाना जाता है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वाटरशेड प्रबंधन परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी सहयोग के माध्यम से एकीकृत जल-विभाजन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) का समर्थन करना है ताकि कृषि समुदायों के लिये संधारणीय तरीके से कृषि पैदावार को बढ़ाते हुए जल, मृदा और वनों सहित विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों हेतु वृद्धिशील संरक्षण परिणामों में सुधार लाया जा सके।

भारत के जल-प्रतिबलित क्षेत्र, जैसे उत्तर-पश्चिमी भारत का विदर्भ क्षेत्र आदि सूखे और जल की कमी जैसे संकट से ग्रस्त हैं और इससे इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। राष्ट्रीय जल-विभाजक परियोजना में निम्नलिखित दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है:

- परियोजना ने सतह अपवाह को कम करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे जल-प्रतिबलित क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण, मृदा की नमी और जल की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। यह किसानों को सतह और भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद करता है।
- इससे वृद्धिशील कृषि उत्पादकता बढ़ी है और भूमि, जल, वनस्पति आदि प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से फसल गहनता में वृद्धि हुई है।
- यह अपक्षयित और कमज़ोर जल-प्रतिबलित क्षेत्रों में वनीकरण और फसल रोपण के माध्यम से वनस्पति आच्छादन बढ़ाकर और मृदा क्षरण को कम करके पारिस्थितिक संतुलन की बहाली में मदद करता है।
- किसानों और आदिवासियों सहित स्थानीय लोगों की बृहद् भागीदारी किसी भी वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, विशेष रूप से मिट्टी और जल संरक्षण कार्यक्रमों की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

  यद्यपि बहुत कम सामुदायिक भागीदारी, कार्यान्वयन विभागों एवं मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी जैसी कई चुनौतियाँ वाटरशेड परियोजना के समक्ष बनी रही हैं। परियोजना और इसके लाभों के बारे में लोगों को उचित रूप से जागरूक कर और कभी-कभी उन्हें कुछ भुगतान प्रोत्साहन प्रदान कर व्यापक जन भागीदारी का अवसर दिया जा सकता है।

प्रश्न: 5. जल इंजीनियरी और कृषि-विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम. विश्वेश्वरैया और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुँचा था?

How was India benefitted from the contributions of Sir M.Visvesvaraya and Dr. M. S. Swaminathan in the fields of water engineering and agricultural science respectively?

उत्तर: भारत में ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण की उपेक्षा की और सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिये बहुत कम काम किया गया। स्वतंत्रता के बाद, भारत के पास अपनी बढ़ती आबादी को खिलाने के लिये पर्याप्त भोजन नहीं था और वह आयातित खाद्य पर निर्वाह के लिये मजबूर था। ऐसे परिदृश्य में सर एम. विश्वेश्वरैया और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन जैसे दो व्यक्तियों का उभार हुआ जिन्होंने अपने विशेषज्ञता क्षेत्रों में क्रांति लाते हुए भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

जल इंजीनियरी के क्षेत्र में सर एम. विश्वेश्वरैया का योगदान-

- इन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर, बांध-निर्माता, अर्थशास्त्री, राजनेता के रूप में याद किया जाता है और इन्हें पिछली सदी के अग्रणी राष्ट्र-निर्माताओं में गिना जा सकता है।
- वर्ष 1924 में कृष्णा राजा सागर झील और बांध के निर्माण में इन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह बांध न केवल आसपास के क्षेत्रों के लिये सिंचाई का मुख्य स्रोत बना, बल्कि कई शहरों के लिये पेयजल का भी मुख्य स्रोत है।
- विश्वेश्वरैया अपने अन्य योगदानों के साथ ही देश भर में बांधों के निर्माण और समेकन के प्रमुख योगदानकर्ता हैं। इन्होंने ही ब्लॉक सिस्टम-आधारित स्वचालित फाटकों का आविष्कार किया था जो अतिप्रवाह की स्थितियों में स्वयं बंद हो सकते हैं। हैदराबाद की बाढ़ प्रबंधन प्रणाली का डिज़ाइन भी इन्होंने ही तैयार किया था।

कृषि विज्ञान में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान-

- प्रशिक्षण से पादप आनुवंशिकीविद् डॉ. स्वामीनाथन द्वारा कृषि पुनर्जागरण में उनके योगदान के लिये उन्हें हरित क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में याद किया जाता है।
- आनुवंशिकी, साइटोजेनेटिक्स, विकिरण व रासायनिक उत्परिवर्तन (Chemical Mutagenesis), खाद्य एवं जैव विविधता संरक्षण में अपने आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिये विश्व भर में ख्याति-प्राप्त डॉ. स्वामीनाथन ने कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आंदोलन की अवधारणा विकसित की।
- स्वामीनाथन वे दूरदर्शी व्यक्ति हैं जो स्वदेशी अन्न उत्पादन के माध्यम से भारत को आयातित खाद्यान्न की पराधीनता से 'भोजन के अधिकार' की स्वतंत्रता तक ले गए।
- विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख के रूप में सेवा करने के अलावा, उन्होंने वर्ष 2004 में भारत में किसान आत्महत्याओं की देशव्यापी आपदा को संबोधित करने के लिये गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व भी किया।

  अनियमित वर्षा, बाढ़ एवं सूखे के चक्र, असंधारणीय कृषि प्रथाओं और अन्य स्थानीय मुद्दों के कारण जब हमारा कृषि संकट बढ़ता ही जा रहा है, भारत को इन दो विभूतियों के दर्शन का पालन करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 6. भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी?

What is India's plan to have its own space station and how will it benefit our space programme?

उत्तर: अंतरिक्ष केंद्र एक बड़ा कृत्रिम उपग्रह होता है जिसे लंबे समय तक बनाए रखने और इसका वैज्ञानिक अवलोकन के लिये एक आधार के रूप में उपयोग करने के लिये डिज़ाइन किया जाता है। हाल ही में, भारत ने गगनयान मिशन के अगले चरण के रूप में अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की योजना की घोषणा की है। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में पहला भारतीय मानव अभियान होगा।

भारत का स्वयं का स्पेस स्टेशन

- प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना 20 टन वज़नी स्टेशन के रूप में की गई है, जहाँ अंतरिक्ष यात्री 15-20 दिनों तक रह सकते हैं।
- इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थापित किया जाएगा।

- इसे वर्ष 2022 में प्रस्तावित गगनयान मिशन के 5-7 वर्ष बाद स्थापित किये जाने की योजना है।
- गगनयान मिशन इसरो (ISRO) को अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकी क्षमताओं से लैस करेगा।

अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंध में अंतरिक्ष केंद्र के लाभ-

- यह भविष्य में लंबे समय तक मानव अंतरिक्ष मिशन के संचालन में मदद करेगा।
- अंतरिक्ष प्लेटफॉर्मों का उपयोग माइक्रो ग्रैविटी प्रयोगों के लिये किया जा सकता है। यह जल शोधन और बायोटेक से संबंधित नवाचारों जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में मदद करेगा।
- यह 'डीप स्पेस' अन्वेषण में मदद करेगा, जैसे अन्य आकाशगंगाओं का अध्ययन।
- स्वदेशी अंतरिक्ष केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बेहतर करेगा। यह प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करेगा।
- भारत अपने अंतरिक्ष कौशल के साथ अन्य देशों के साथ वाणिज्यिक संलग्नता से राजस्व अर्जित कर सकता है।
- भारत को अपनी विकासशील अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिये मानव संसाधन और नवोन्मेषी उत्पाद के सृजन के लिये निजी क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के साथ अपनी संलग्नता में वृद्धि करनी चाहिये।

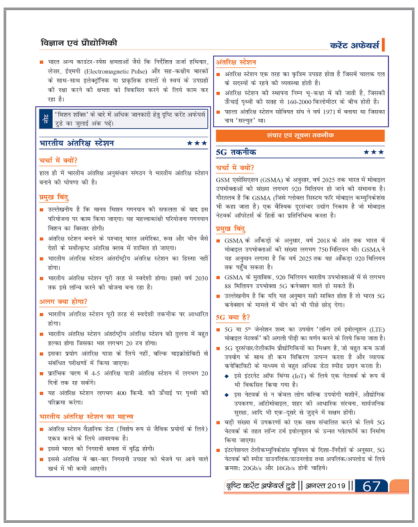

प्रश्न: 7. तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का, विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिये।

Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyse the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples.

उत्तर: वैश्विक स्तर पर बालू की खपत बढ़ रही है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत तटीय बालू खनन के मामले में संकटपूर्ण हॉट स्पॉट सूची में शामिल है। तटीय बालू खनन हमारे पर्यावरण के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक है। ये खतरे निम्न प्रकार हैं:

- यह समुद्र तट के जीवों और वनस्पतियों के लिये बहुत हानिकारक है और समुद्र तटों के लिये विनाशकारी है।
- तटीय क्षरण के परिणामस्वरूप, यह प्राय: समुद्र तट से जुड़े अन्य तटीय पारिस्थितिक तंत्रों, जैसे आर्द्रभूमि के लिये पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है।
- समुद्र तट के बालू खनन का एक अन्य प्रमुख प्रभाव उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सूनामी से सुरक्षा के नुकसान के रूप में प्रकट हो रहा है।

तटीय बालू खनन से भारतीय तटवर्ती क्षेत्र व्यापक प्रभावित हो रहे हैं:

- बालू खनन के कारण कोल्लाम, अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्णाकुलम के तटों पर समुद्री जल के आंतरिक भागों में प्रवेश, तटीय भूमि के जलभराव आदि की समस्या उत्पन्न हुई है।
- तटीय बालू खनन का समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह लोगों की आजीविका, स्वास्थ्य, प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु को प्रभावित करता है और आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना को नष्ट करता है।

बेहतर स्थानिक नियोजन और अनावश्यक निर्माण को कम करना, हरित अवसंरचनाओं का उपयोग, पाम शेल, बॉटम ऐश जैसे पुनर्नवीकरणीय और वैकल्पिक पूरक सामग्री का उपयोग, तटीय विनियमन क्षेत्र का कठोर अनुपालन आदि तटीय बालू खनन संकट को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही, अंधाधुंध खनन को रोकने के लिये मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के उपयोग को मज़बूत करना; बालू उत्पादन और उपभोग आकलन में निवेश को नीतिगत स्तर पर अपनाया जाना आवश्यक है।

प्रश्न: 8. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परिभाषित करने के लिये भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र-चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिये।

Vulnerability is an essential element for defining disaster impacts and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to disasters be characterized? Discuss different types of vulnerability with reference to disasters.

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण (UNDRR) के अनुसार, भेद्यता (Vulnerability) को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति, समुदाय, परिसंपत्तियों या प्रणालियों की खतरों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि करती है।

भेद्यता मूल्यांकन को जोखिम के विभिन्न घटकों के बीच मुख्य संबंध का वर्णन करने वाली भेद्यता की प्रणालीगतता और संकल्पना पर आधारित होना चाहिये। यदि लोगों और नीति-निर्माताओं को पता हो कि प्रणाली कहाँ और कितनी कमज़ोर है, तो आपदाओं की कमज़ोरियों को कम करने के लिये पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं। इसमें दो दृष्टिकोण शामिल हैं:

- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण:** इसमें अनुसंधान क्षेत्र के भेद्यता और आपदा जोखिम में कमी के व्यावहारिक आकलन दृष्टिकोण शामिल हैं।
- **नीतिगत दृष्टिकोण:** यह विभिन्न प्राकृतिक खतरों के लिये भेद्यता के स्थानिक वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जहाँ अधिकारियों को कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।

विभिन्न प्रकार की भेद्यताएँ

- **भौतिक भेद्यता:** भौतिक पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव की संभावना- जिसे जोखिम में तत्त्व (Elements-at-Risk:EaR) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी दिये गए परिमाण की एक प्राकृतिक घटना के परिणामस्वरूप EaR या EaR शृंखला को क्षति के स्तर को शून्य (कोई नुकसान नहीं) से 1 (पूर्ण क्षति) के पैमाने पर व्यक्त किया जाता है।
- **उदाहरण के लिये:** लकड़ी के घर की भूकंप में गिरने की संभावना कम होती है, लेकिन आग या तूफान की स्थिति में यह अधिक भेद्य हो सकता है।
- **आर्थिक भेद्यता:** आर्थिक परिसंपत्तियों और प्रक्रियाओं (व्यापार में बाधा, गरीबी में वृद्धि और रोज़गार के नुकसान जैसे द्वितीयक प्रभाव) पर आपदाओं के संभावित प्रभाव, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की भेद्यता।
- **उदाहरण के लिये:** कम आय वाले परिवार प्राय: शहरों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, क्योंकि वे सुरक्षित (और अधिक महँगे) स्थानों पर रहने का सामर्थ्य नहीं रखते।
- **सामाजिक भेद्यता:** निर्धनों, एकल अभिभावक परिवारों, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताएँ, दिव्यांगों, बच्चों और बुज़ुर्गों जैसे समूहों पर आपदाकारी घटनाओं का संभावित प्रभाव; जोखिम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पर विचार करना, आपदा का सामना करने की इनकी क्षमता और इस बाबत उनकी सहायता के लिये अभिकल्पित संस्थागत संरचनाओं की स्थिति।
- **उदाहरण के लिये:** पुरुषों की तुलना में महिलाएँ और बच्चे आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- **पर्यावरणीय भेद्यता:** पर्यावरण (वनस्पतियों, जीवों, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता) पर आपदाओं के संभावित प्रभाव।
- **उदाहरण के लिये:** समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अधिक भेद्य होते हैं।

आपदा और आपदा प्रबंधन

प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के तीनों चरणों का विश्लेषण निम्नलिखित है-

(a) आपदा तैयारी अवस्था

इस अवस्था में किसी क्षेत्र तथा मानव समुदाय में किसी प्रकोप के आने की दशा में उससे निपटने के लिये आवश्यक प्रबंध एवं तैयारी की जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को शामिल किया जाता है-

- प्रकोप एवं आपदा से संबंधित क्षेत्र तथा मानव समुदाय की सुभेद्यता का अध्ययन।
- प्रकोपों का निर्धारण, उनके स्वरूप, उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं उनकी प्रचंडता का निर्धारण।
- प्रत्येक प्रकोप एवं आपदा के जोखिम का आकलन।
- प्रकोप द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा एवं परिमाप का आकलन एवं निर्धारण।
- संबंधित क्षेत्र का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना।
- विभिन्न माध्यमों एवं विधियों द्वारा किसी भी प्रकोप द्वारा होने वाले प्रतिकूल प्रभावों एवं क्षति से संबंधित जानकारी लोगों को देना।
- प्रकोपों से बचाव तथा आपदा के आने पर सुरक्षात्मक उपाय के विषय में लोगों को शिक्षित करना।

इस प्रकार आपदा तैयारी की अवस्था में आपदा योजना का निर्माण, पर्याप्त सपोर्ट सिस्टम की उपलब्धता, आपदा तैयारी का स्तर एवं स्वरूप, आपदा शोध, आपदा पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास एवं आपदा शिक्षा आदि को भी शामिल किया जाता है। साथ ही, आपदा तैयारी में सभी शासकीय तंत्र, व्यक्ति एवं समुदाय, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक वर्गों, कार्यकर्त्ताओं आदि की समुचित भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। इन सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है-

- **आपदा योजना के निर्माण** के अंतर्गत राहत कार्यों, रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों के लिये ऐसी ढाँचागत सुविधाओं का निर्माण शामिल है जिनका आपदा आने के पश्चात् उपयोग किया जा सके, जैसे- बचाव कार्यक्रम, आवास, भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, परिवहन तंत्र, औषधि सुविधाएँ आदि।
- **पर्याप्त सपोर्ट सिस्टम** के अंतर्गत आर्थिक सपोर्ट, राहत सामग्री, उपकरण, मेडिकल, प्रशासनिक एवं सामाजिक सपोर्ट, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, आपदा शिक्षा एवं जानकारी, आपदा चेतावनी सिस्टम, आपदा की सूचनाओं की जानकारी का प्रसारण एवं सम्प्रेषण, आपात योजनाओं का निर्माण, पुनर्वास हेतु समुचित कार्यक्रमों आदि को शामिल किया जाता है।
- **आपदा तैयारी के स्तर एवं स्वरूप के अंतर्गत** घरेलू स्तर से लेकर शासकीय स्तर तक विभिन्न कार्य योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है।
- आपदा शोध के अंतर्गत प्रकोप एवं आपदा के प्रकार तथा स्वरूप, प्रकोप तथा आपदा के लिये उत्तरदायी कारकों, आपदा सुभेद्य क्षेत्रों का मापन एवं मानचित्रण, प्रकोप तथा आपदा का पूर्वानुमान एवं उनकी निगरानी आदि पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिये।
- **आपदा पूर्वानुमान** आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है। इसके अंतर्गत समस्याग्रस्त क्षेत्रों का विगत इतिहास, पूर्वगामी घटनाओं, आपदा के कारकों की प्रकृति आदि को शामिल किया जाता है।
- **आपदा चेतावनी प्रणाली** के अंतर्गत किसी भी आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के मानव समुदाय को उस संभावित आपदा के विभिन्न पक्षों से अवगत कराया जाता है। इसमें पूर्व चेतावनी के आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को शामिल किया जाता है। पूर्व चेतावनी प्रणाली के संगठनों में ट्रेस संकेतकों (आपदा की प्रकृति, उत्पत्ति स्रोत, गति, परिमाण, प्रचंडता आदि), पूर्व चेतावनी साधनों (जैसे रडार, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार-पत्र आदि), पूर्व चेतावनी के तत्त्वों (आपदा को चिह्नित करना, खोजी चेतावनी का सम्प्रेषण आदि) तथा आपदा चेतावनी केंद्र (स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक) एवं आपदा चेतावनी के प्रति लोगों को तुरन्त सक्रिय करना तथा सुरक्षा उपायों को अमल में लाने के लिये उत्साहित करना आदि शामिल हैं।
- **आपदा शिक्षा** के अंतर्गत लोगों को आपदाओं के विभिन्न पक्षों, जैसे- प्रकोप या आपदा की प्रकृति एवं उत्पत्ति प्रक्रिया, परिमाण एवं प्रचंडता, होने वाली क्षति की मात्रा, आपदा पूर्वानुमान, चेतावनी प्रणाली, सुरक्षा एवं तैयारी के उपाय तथा आपदा के साथ समायोजन आदि की जानकारी उपलब्ध कराना शामिल हैं। आपदा शिक्षा की आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न माध्यमों, जैसे- समाचार-पत्र, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से इसका प्रचार जन-जन तक करना चाहिये जिससे लोग आपदाओं से राहत, बचाव आदि की समुचित जानकारी प्राप्त कर सकें।

(b) आपदा निवारण/न्यूनीकरण

आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत आपदाओं के विध्वंसक बलों को कम करना, आपदाओं के परिमाण को कम करना तथा आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना आदि प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं।

- आपदा निवारण के अंतर्गत मनुष्यों की ज्ञान की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी संपत्ति को बचाने का कार्यक्रम भी शामिल होता है। इस प्रकार आपदा निवारण का प्रमुख उद्देश्य आपदाओं के आगमन पर आर्थिक क्षति को कमतर करना होता है। आपदा निवारण का स्वरूप आपदा की प्रकृति तथा आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की पर्यावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है।

204 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || अगस्त 2018

प्रश्न: 9. जम्मू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिये।

The banning of 'Jamaat-e – islaami' in Jammu and Kashmir brought into focus the role of over-ground workers (OGWs) in assisting terrorist organizations. Examine the role played by OGWs in assisting terrorist organizations in insurgency affected areas. Discuss measures to neutralize the influence of OGWs

उत्तर: आतंकवाद नागरिकों में भय की एक सहज भावना पैदा करता है और विधि-व्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को कमज़ोर करता है। अराजकता की यह स्थिति आतंकवादी समूहों को अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। भूमि उपरि कार्यकर्त्ता/ओवरग्राउंड वर्कर्स (Overground workers-OGWs) आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी समूहों और नेटवर्क को अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये एक सहायता प्रणाली प्रदान करते हैं।

OGWs द्वारा निभाई गई भूमिका

- **खाद्य और रसद समर्थन:** OGWs आतंकवादी नेटवर्क की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति में सहायता करते हैं।
- **दुष्प्रचार और कट्टरपंथी आख्यान:** यह आतंकी संगठनों को वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।
- **नए रंगरूटों की तलाश:** असंतुष्ट युवाओं का पूल OGWs के लिये कट्टरपंथी दुष्प्रचार और नए रंगरूटों की भर्ती हेतु आकर्षित करता है।
- **अन्य हितधारकों के साथ समन्वय:** OGWs अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अलगाववादी नेताओं और संगठित अपराध नेटवर्क के साथ समन्वय करते हैं।
- **अवैध धन का स्रोत:** यह अवैध व्यापार, जाली मुद्रा, कर चोरी और हवाला लेन-देन के माध्यम से किया जाता है। इन निधियों का इस्तेमाल पत्थरबाज़ी जैसे राज्य विरोधी प्रदर्शनों को भड़काने के लिये भी किया जाता है।
- **आतंकी योजनाओं के नियोजन और निष्पादन**

में सहायता: वे आतंकी हमले की योजना, खुफिया जानकारी, सुरक्षा मार्ग, नक्शे और अन्य इनपुट प्रदान करते हैं जिनकी आतंकी कार्रवाई के लिये आवश्यकता होती है।

OGWs के प्रभाव को बेअसर करने के उपाय

- **प्रभावित समुदायों के बीच अलगाववाद की भावना के मूल कारण को संबोधित करना:** यह वास्तविक चिंताओं को संबोधित करके और दुष्प्रचारों के विरुद्ध जागरूकता अभियानों के माध्यम से किया जाता है।
- **आसूचना अवसंरचना:** OGWs और भर्ती एजेंटों द्वारा कट्टरपंथी प्रयासों की निगरानी के लिये ताकि आरंभ में ही इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जा सके।
- **मानव और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी:** इसका उपयोग मौजूदा नेटवर्क में आतंकी प्रयासों को रोकने के लिये किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** संदिग्धों और आतंकी नेटवर्कों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट:** फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के माध्यम से आतंकवादियों और OGWs पर त्वरित सुनवाई के लिये सार्वजनिक सुरक्षा कानून जैसे अधिनियमों का अनुप्रयोग।

हालाँकि, केवल संदेह के आधार पर युवाओं पर बेतरतीब मुकदमे के रूप में कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग से बचा जाना चाहिये। आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बेहतर रक्षात्मक उपाय यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को एकसमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान किये जाएँ ताकि देश के विरुद्ध हथियार उठाने की उन्हें प्रेरणा न मिले।

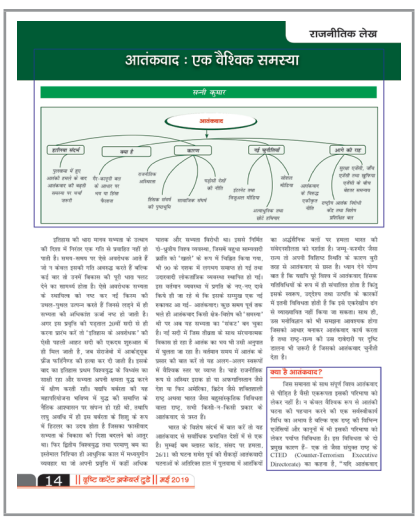
राजनीतिक लेख

आतंकवाद : एक वैश्विक समस्या

निबंध खंड

निबंध खंड

प्रश्न: 10. साइबरडोम परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिये कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है।

What is the CyberDome Project? Explain how it can be useful in controlling internet crimes in India.

उत्तर: साइबरडोम परियोजना केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र है, जिसे साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता के साइबर केंद्र के साथ-साथ प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिये प्रौद्योगिकी आवर्द्धन के रूप में देखा जाता है।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग के एक उच्च तकनीकी सार्वजनिक-निजी साझेदारी केंद्र और साइबर अपराधों से सक्रिय तरीके से निपटने के तंत्र के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है।

भारत में वर्ष 2011 से 2016 की अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत साइबर अपराध की घटनाओं में 457 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

साइबरडोम परियोजना भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में निम्न प्रकार से उपयोगी हो सकती है:

- यह परियोजना साइबर हमलों के बढ़ते खतरे से बचाव के लिये देश में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के माध्यम से साइबर अपराधों को रोकने में मदद कर सकती है।
- साइबरडोम एक ऑनलाइन पुलिस गश्ती के रूप में कार्य करेगा। अपने एंटी-साइबर टेरर सेल और एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण इकाई के माध्यम से इसके अधिकारी वास्तविक समय आधार पर विभिन्न साइबर खतरों पर खुफिया जानकारी एकत्र करेंगे और सोशल नेटवर्किंग साइटों सहित अन्य ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करके भगोड़े अपराधियों का पता लगाएंगे।
- यह चोरी और लापता हुए वाहनों और परिवहन दस्तावेज़ों का एक डिजिटल रिपॉज़िटरी बनाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध संगठनों की ओर धन के प्रभाव पर नियंत्रण के लिये ऑनलाइन भुगतान पर नज़र रखेगा और इस बाबत साइबर सुरक्षा सलाह जारी करेगा।
- साइबरडोम में सोशल मीडिया जागरूकता, इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा, इंटरनेट निगरानी और सेवा वितरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के केंद्र भी शामिल होंगे।

- भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों, पेमेंट गेटवे और अन्य वॉलेट समूहों के साथ सहयोग से साइबरडोम वित्तीय धोखाधड़ी से निपट सकता है।
- अपने रैनसमवेयर स्कूल के माध्यम से, साइबरडोम रैनसमवेयर संक्रमण को समझते हुए उसका विश्लेषण और शमन कर सकता है, रैनसमवेयर से निपटने के लिये मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माण कर सकता है, साथ ही, इसके निवारक कदमों के बारे में सरकारी विभागों और जनता के बीच जागरूकता पैदा कर सकता है।
- हाल ही में, साइबरडोम ने अतिवादी गतिविधियों के लिये इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले कट्टरपंथी समूहों की निगरानी हेतु अपनी पुलिस रणनीति की धुरी के रूप में सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग किया है। साथ ही 'ब्लू व्हेल' जैसे ऑनलाइन गेम के विरुद्ध सफल अभियान चलाया है एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी की घटनाओं को कम करने के लिये गुप्त साइबर निगरानी और घुसपैठ कार्यक्रम (Covert Cyber-Surveillance and Infiltration Programme) की शुरुआत भी की है।

इस प्रकार, साइबरडोम में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने की अपार क्षमता है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

प्रश्न: 11. यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी संवृद्धि की रणनीति का आशय एकसाथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिये।

It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement.

उत्तर: विश्व बैंक के अनुसार, समावेशी संवृद्धि का तात्पर्य 'व्यापक-आधारयुक्त', 'साझा' और 'निर्धन-समर्थक विकास' से है। यह विकास की गति और पद्धति दोनों को समाहित करता है, जिसे अंतर्संबंधित (इंटरलिंक) माना जाता है तथा इसलिये इसे एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, समावेशिता की अवधारणा में न्याय संगतता, अवसर की समता व बाज़ार तथा रोज़गार में संक्रमण से सुरक्षा शामिल हैं तथा इसलिये यह किसी भी सफल विकास रणनीति का एक अनिवार्य घटक है।

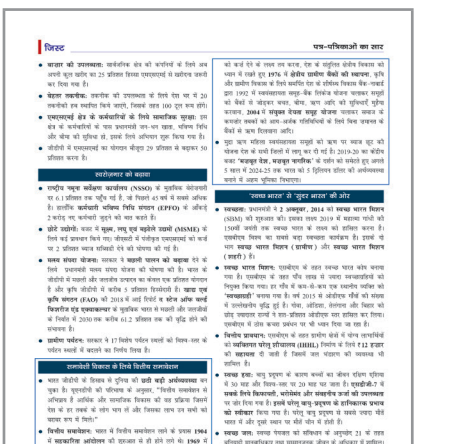

- गरीबी में पर्याप्त कमी के लिये विकास की तीव्र गति निर्विवाद रूप से आवश्यक है, लेकिन इस विकास के लंबे समय तक धारणीय रहने के लिये, यह व्यापक क्षेत्रों में आधारित होना चाहिये तथा देश के श्रम बल के बड़े हिस्से को इसमें समाहित किया जाना चाहिये।
- विकास 'समावेशी' और 'निर्धन-समर्थक' हो सकता है, यदि केवल गरीब लोगों की आय पूरी आबादी की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है।
- समावेशी विकास दृष्टिकोण एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य अपनाता है, जहाँ सुधारों और परिणामों के बीच समय अंतराल को पहचानना महत्त्वपूर्ण है। समावेशी विकास विश्लेषण उन नीतियों के बारे में है जिन्हें भविष्य के टिकाऊ व समावेशी विकास के लिये अल्पावधि में लागू किया जाना चाहिये।
- सतत् विकास का अनुसरण किया जाना चाहिये, जिसमें हमें न केवल लोगों के संबंध में समावेशी होना चाहिये, बल्कि पर्यावरण को भी इसमें समावेशित किया जाना चाहिये, जिससे संसाधनों की न्यूनतम हानि होगी तथा एक चक्रीय (Circular) अर्थव्यवस्था की ओर जाने में मदद मिलेगी।
- पिछले कुछ वर्षों में, सरकार आक्रामक रूप से अपने विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों में समावेशी विकास की रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जनधन योजना इसका सटीक उदाहरण है।
- पिछले कुछ दशकों में, भारत की विकास की कहानी अभूतपूर्व रही है, लेकिन इस वृद्धि के परिणाम ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि भारत ने कई सामाजिक संकेतकों और मानव विकास सूचकांक में भी बुरा प्रदर्शन किया है। इसलिये समावेशी संवृद्धि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिये सतत और गुणात्मक विकास के सपने को साकार करने का एक विचार है।

प्रश्नः 12. उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंध भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिये।

The public expenditure management is a challenge to the government of India in the context of budget-making during the post-liberalization period. Clarify it.

उत्तरः लोक व्यय प्रबंधन सुशासन के लिये राज्य की नीति और तंत्र का एक साधन है। इसका व्यापक उद्देश्य समग्र राजकोषीय अनुशासन, संसाधनों का सुनियोजित आवंटन, परिचालन दक्षता तथा वृहद आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति है।

लोक व्यय प्रबंधन के संदर्भ में सरकार के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ

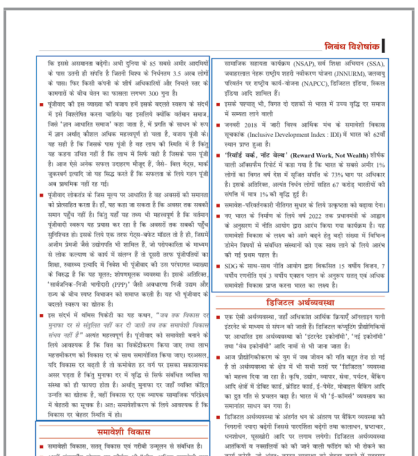

- **वैश्विक झटकेः** वैश्विक मंदी, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिज़र्व द्वारा निर्धारित फेडरल दरें, व्यापार युद्ध, तेल की कीमतें आदि बजट अनुमानों को प्रभावित करते हैं जो परिणामस्वरूप सब्सिडी आवंटन और कर राजस्व संग्रह को प्रभावित करते हैं।
- **संकीर्ण कर जालः** अप्रत्यक्ष कर पर अधिक निर्भरता, कर नीति को अधिक प्रतिगामी बनाती है। यह सरकार को सामाजिक क्षेत्र में खर्चों को बढ़ाने के लिये भी बाध्य करता है।
- **कम पूंजीगत व्ययः** अर्थव्यवस्था की अंतर-पीढ़ीगत प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिये बजट का पूंजीगत व्यय आवश्यक है। यह सरकारी खर्च का लगभग 10%-12% रह गया है।
- **लोकलुभावन प्रवृत्तियाँः** इससे दुर्लभ सरकारी संसाधनों का अनुत्पादक व्यय होता है।
- **राजकोषीय घाटाः** राजकोषीय विवेक को बनाए रखने के लिये घाटे को वांछित सीमा के भीतर रखा जाना आवश्यक है।
- **व्यापार घाटाः** स्वस्थ वैश्विक व्यापार और बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिये इसे कम किया जाना चाहिये।
- **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करनाः** यह मौद्रिक नीति के सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है जो सरकार की राजस्व और व्यय नीतियों से भी प्रभावित होता है।
- **राजस्व और व्यय का अनुमानः** प्रभावी लोक व्यय प्रबंधन के लिये राजस्व और व्यय के समग्र और यथार्थवादी अनुमान आवश्यक हैं। वर्तमान में, सही बजट अनुमान प्रदान करने में अनिश्चितता व्याप्त है।
- **सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करनाः** सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के संदर्भ में सरकार के समक्ष मौजूद चुनौतियों में से एक यह है कि सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित किया जाए।
- **सार्वजनिक संस्थानों की अपर्याप्त क्षमता और दक्षताः** खराब कार्यान्वयन और संरचनात्मक अड़चनों के कारण विभिन्न योजनाओं के लिये बजट आवंटन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा या तो अप्रयुक्त रह जाता है या उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है।

प्रभावी लोक व्यय प्रबंधन हेतु सरकारी उपाय

- एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से सरकार ने राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने और इसे 2023 तक 2.5% तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा है।
- योजना/गैर-योजना के अंतर को हटाना तथा इसके स्थान पर सार्वजनिक व्यय के राजस्व-पूंजी वर्गीकरण को अपनाने से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिये अधिक संसाधनों के आवंटन में मदद मिलेगी, जो परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की दक्षता में सुधार करेगा।
- मौद्रिक नीति समिति द्वारा मुद्रास्फीति को लक्षित करने से मूल्य स्थिरता में मदद मिली है।
- विभाज्य कर पूल से राज्यों को अधिक कर राजस्व हस्तांतरित किया गया है। यह दुर्लभ संसाधनों के राज्यों की ज़रूरतों के आधार पर बेहतर आवंटन में सहायता करेगा।
- आउटकम बजट को संभव बनाने के लिये केंद्रीय स्तर पर 'निगरानी तंत्र फ्रेमवर्क' विकसित किया गया है।

1991 के सुधारों के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया। प्रभावी लोक व्यय प्रबंधन राज्य की नीति के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिये इस वैश्वीकृत युग में अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। विभिन्न राजकोषीय लक्ष्यों का विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाना चाहिये और संसाधन उपयोग की निगरानी को मज़बूत बनाया जाना चाहिये।

प्रश्नः 13. अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

What are the reformative steps taken by the government to make food grain distribution system more effective?

उत्तरः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में लगभग दो-तिहाई आबादी को सब्सिडी युक्त

मुख्य परीक्षा 2019 के सॉल्व्ड पेपर्स

खाद्यान्न प्रदान करके कानूनी अधिकार के रूप में भोजन का अधिकार प्रदान किया गया है। हालाँकि, वर्तमान अनाज वितरण प्रणाली विभिन्न दोषों से भरी हुई है।

अनाज वितरण प्रणाली से जुड़े मुद्दे

- लाभार्थियों की पहचान के दौरान समावेशन और बहिष्करण की त्रुटियों की उपस्थिति।
- राशन की दुकानों और वहाँ से खुले बाज़ार में अनाज के परिवहन के दौरान वितरण प्रणाली में लीकेज की समस्या दिखती है।
- केंद्र खाद्य सब्सिडी का एक बड़ा वित्तीय भार वहन करता है क्योंकि खाद्यान्नों की खरीद और वितरण लागत इसके बिक्री मूल्य की लगभग छह गुना है।
- भंडारण क्षमता में कमी के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न सड़ जाते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पूरे देश को कवर करने के लिये खरीद प्रणाली को सुधारने और पुनर्गठन करने की कोशिश की है। इस संदर्भ में निगम द्वारा भारत के पूर्वी राज्यों में खरीद के लिये विशेष प्रयास किए गए हैं।

भंडारण में आधुनिक तकनीक का उपयोग

- भंडारित खाद्यान्नों को सड़ने से रोकने के लिये। किरणन (Irradiation) प्रौद्योगिकी भी पेश की गई है।
- लीकेज पर लगाम लगाने के लिये एफसीआई गोदामों के सभी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है।
- राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार के उपयोग से नकली लाभार्थियों को हटाने तथा लाभार्थियों की पहचान को और अधिक सटीक बनाने में मदद मिली है।
- एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण के माध्यम से राज्य के डिपो से लाभार्थियों तक वितरण पर नज़र रखते हुए खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर हो रहे घोटालों पर अंकुश लगाया गया है।
- खाद्यान्न ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही की ट्रैकिंग ने आपूर्ति शृंखला की निगरानी में मदद की है। इसे छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु द्वारा लागू किया गया है।
- नागरिकों को उनके मोबाइल नंबर पंजीकृत कर प्रेषण/आगमन के दौरान एसएमएस भेजने/प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
- सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिये वेब-आधारित नागरिक पोर्टल का उपयोग कर नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को लागू करना।
- इसके साथ ही प्रमुख राज्यों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद कार्य किया जाना चाहिये इससे भारतीय खाद्य निगम (FCI) को पिछड़े राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्टॉकिंग और भंडारण सुविधाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी से इन्हें आधुनिक बनाने में मदद मिल सकती है। तथा खाद्यान्न की होम डिलीवरी अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिये खाद्य सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है और इसे एक मज़बूत खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिये प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को राज्यों के बीच बढ़ावा देना चाहिये।

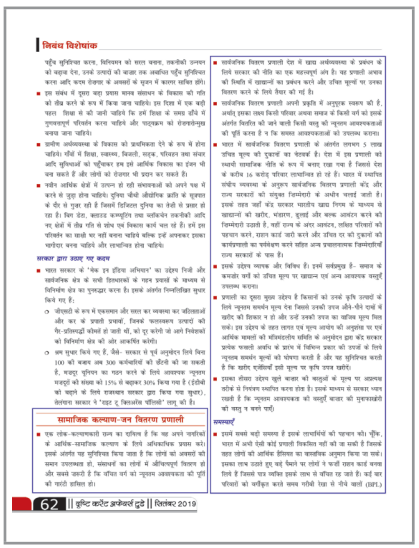

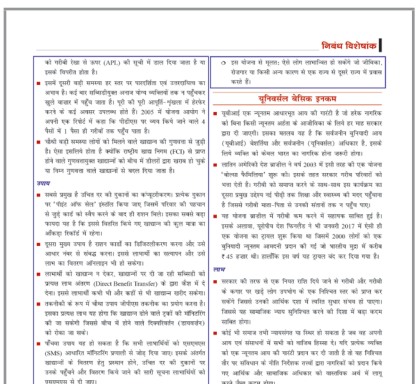

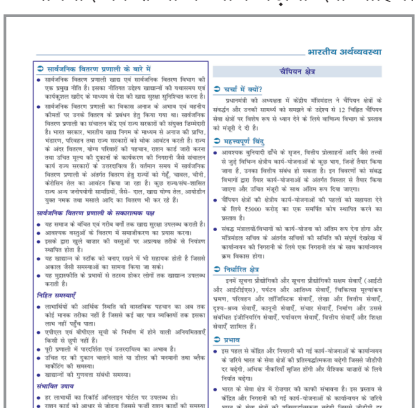

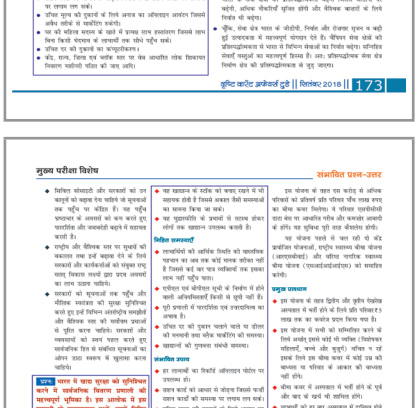

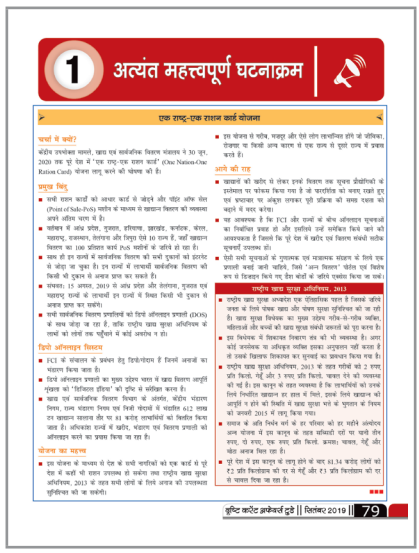

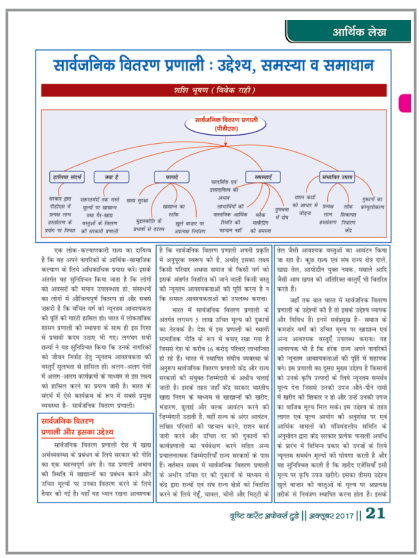

प्रश्न: 14. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिये।

Elaborate on the policy taken by the government of India to meet the challenges of the food processing sector.

उत्तर: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) को सनराइज़ क्षेत्रक माना जाता है जिसने हाल के वर्षों में प्रमुखता प्राप्त की है। इस उद्योग का महत्त्व इसलिये भी अधिक है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के दो महत्त्वपूर्ण स्तंभों, उद्योग व कृषि के बीच सहलग्नता व सामंजस्य को बढ़ावा देता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निम्नलिखित चुनौतियों से जूझ रहा है:

- खराब आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज, जिसके परिणामस्वरूप अपव्यय और लागत बढ़ जाते हैं।
- अवसंरचनात्मक अड़चनें जैसे- पैकेजिंग की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन इत्यादि से प्रसंस्कृत भोजन की बड़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है।
- भारत में मानकीकरण और प्रमाणन अवसंरचना का अभाव है, क्योंकि प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षित जनशक्ति और प्रमाणन एजेंसियों की उपलब्धता में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है।
- इसके अलावा मांग-आधारित नवाचारों की अपर्याप्तता, क्रेडिट तक पहुँच, उचित ब्रांडिंग आदि जैसी चुनौतियाँ हैं।

उपर्युक्त चुनौतियों को देखते हुए, सरकार ने निम्नलिखित नीतिगत पहलें शुरू की हैं:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खेत से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये एक व्यापक पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) को लागू कर रहा है। PMKSY के तहत मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्द्धन और संरक्षण बुनियादी ढाँचा, खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिये बुनियादी ढाँचा, विपणन सुविधाएँ तथा बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन संरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि कार्यक्रमों को लागू किया जाना है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक की FDI की अनुमति है।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य कर रहा है और यह अनुसूचित उत्पादों के 'निर्यात' पर ध्यान केंद्रित करता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मौजूदा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करके और पूरे देश में नए मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करके भारत में खाद्य परीक्षण अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये काम कर रहा है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिये एक योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये अवसंरचना निर्माण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना तथा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण, आदि कार्य किये जा रहे हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत की वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण है तथा सरकार को इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिये। समुचित नीति कार्यान्वयन और समर्थन के साथ यह उद्योग तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है, जो भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मज़बूती और समृद्धि की नई स्थिति में ले जा सकता है।

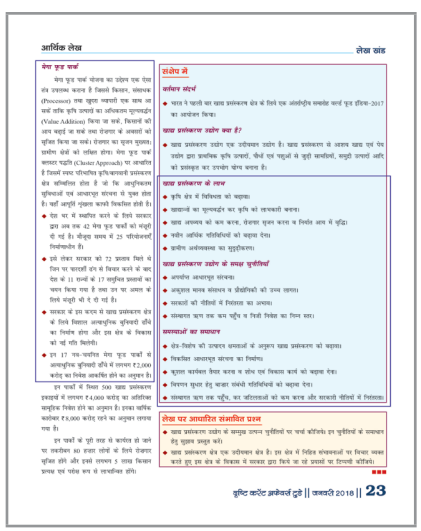

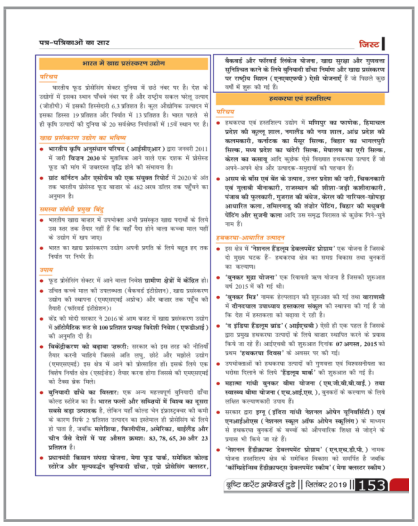

प्रश्न: 15. भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है?

How is the government of India protecting traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceutical companies?

उत्तर: पारंपरिक चिकित्सा में पारंपरिक ज्ञान के चिकित्सा संबंधी पहलू शामिल हैं जो आधुनिक चिकित्सा के युग से पहले विभिन्न समाजों में पीढ़ियों से विकसित हुए हैं। भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और विविध जनजातीय प्रथाओं से उत्पन्न पारंपरिक प्रथाओं का विविध समूह पाया जाता है।

पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में शामिल मुद्दे

- पारंपरिक ज्ञान का संहिताकरण न होने के कारण यह पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रभावों के चलते अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है।
- भारत में बायो-पायरेसी के विभिन्न मामले उठाए गए जहाँ बायोटेक कंपनियों ने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग उत्पादों को विकसित करने और पेटेंट जारी करने के लिये किया।
- पारंपरिक ज्ञान निजी स्वामियों की बजाय अक्सर समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से संरक्षित किया जाता है। इससे लाभ साझा करना मुश्किल हो जाता है।
- पारंपरिक ज्ञान की सामुदायिक प्रकृति के कारण, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।

पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- जैविक विविधता अधिनियम में आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्यायसंगत बँटवारे का प्रावधान है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार का प्रावधान करता है। यह पारंपरिक रूप से अर्जित किये गए ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षण में मदद कर सकता है।
- माल के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के माध्यम से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के धारकों को एक सामूहिक अधिकार प्रदान किया जाता है।
- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा-रिग्पा (पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा) तथा अन्य स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये 'आयुष मंत्रालय' की स्थापना।
- पारंपरिक ज्ञान (विशेषत: औषधीय पौधों व भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित) के भंडार के रूप में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है।
- आयुष चिकित्सा पद्धतियों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा इन प्रथाओं को हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिय 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' चलाया जा रहा है।
- आधुनिक दवाओं के बढ़ते दुष्प्रभाव, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं तथा लागत कारक के कारण पारंपरिक दवाओं में लोगों की रुचि तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिये विभिन्न पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं के बारे में जागरूकता और विकास उनके मुख्यधारा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ होना चाहिये ताकि विशेष रूप से आदिवासियों के लिये इसकी महत्त्वपूर्ण आजीविका समर्थन की क्षमता को फिर से प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, एक अद्वितीय प्रणाली विकसित की जानी चाहिये, जो पारंपरिक ज्ञान की विविध प्रकृति को पहचान सके तथा उन्हें पर्याप्त कानूनी और व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान कर सके।

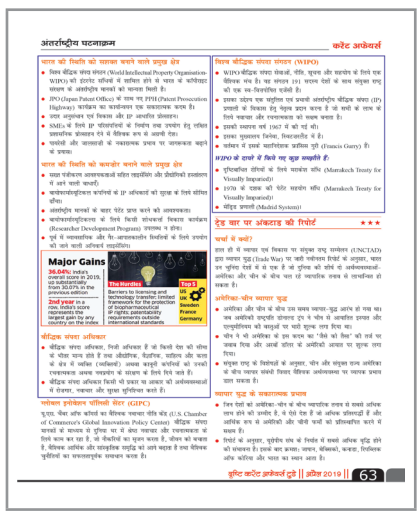

प्रश्न: 16. किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिये जैव-प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है?

How can biotechnology improve the living standards of farmers?

उत्तर: भारत में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इससे पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं प्राप्त हो पाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो हरित क्रांति के

प्रभावों से बाहर रहे हैं। इस परिदृश्य में, जैव प्रौद्योगिकी कृषि को बदलने की अच्छी क्षमता रखती है। यह उत्पादन शृंखला के सभी चरणों को प्रभावित कर सकती है।

- जैव प्रौद्योगिकी के तहत पौधों, बैक्टीरिया, कवक और जानवरों, जिनके जीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन किया गया है, को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) कहा जाता है। जीएमओ तकनीक ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये हैं।
- ऊतक संवर्धन एक तैयार किये गए माध्यम में जंतु/पौधे के ऊतक के उत्पादन का विज्ञान है। फसल सुधार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इस पर आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है।
- फसलों को अजैविक तनावों (ठंड, सूखा, नमक, गर्मी) के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया गया है ताकि किसानों को मौसम की स्थिति के बारे में चिंता न करनी पड़े तथा पौधों को पर्यावरणीय तनाव और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद मिल सके।
- इसने रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर दी है, जो किसानों के लिये किफायती है तथा पारिस्थितिक तंत्र से हानिकारक रसायनों को खत्म करके उपभोक्ता के लिये पर्यावरण-अनुकूल भी बनाता है।
- परिवहन अवधि के दौरान क्षति रोकने के लिये फसलों की क्षमताओं को बढ़ाकर, फसल-कटाई के बाद के नुकसान को कम किया गया है।
- पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता इसके द्वारा बढ़ाई गई है, ताकि भूमि का लंबे समय तक समान रूप से अच्छी पैदावार के लिये इस्तेमाल किया जा सके।
- इसने भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाया है जो उत्पाद के बाज़ार मूल्य को बढ़ाता है, किसानों को लाभ पहुँचाता है तथा मानव स्वास्थ्य में सुधार करता है।
- जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पौधे स्वाभाविक रूप से विशिष्ट कीटों, खरपतवार तथा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता का विकास कर लेते हैं ताकि इन कारणों से फसल का नुकसान न हो।
- जैव प्रौद्योगिकी के लाभ विशेष रूप से ऐसे समय में सार्थक हैं जब हमारी वैश्विक आबादी बढ़ रही है तथा साथ-साथ भोजन की मांग भी बढ़ रही है। जैव प्रौद्योगिकी किसानों द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय कृषि पद्धतियों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक पैदावार विकसित किया जाना संभव बनाती है, जो उनके लिये एक अच्छी आय और बेहतर जीवन स्तर के लिये आवश्यक है। बढ़ती वैश्विक आबादी के भोजन के लिये जैव प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी 'सकारात्मक और नकारात्मक क्षमता' का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 17. पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिये। स्पष्ट कीजिये कि किस प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास (सस्टेनेबल डेवेलपमेंट) की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है।

Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region.

उत्तर: वहन क्षमता (कैरीइंग कैपेसिटी) को उस आबादी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उसके सहायक पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा अनिश्चित काल तक वहन किया जा सकता है।

- सतत विकास की भविष्य के नीति नियोजन में एक निश्चित भूमिका है। धारणीयता के लिये सभी घरों (व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रीय और वैश्विक) को उन तरीकों से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और समाज उस प्राकृतिक वातावरण को नष्ट किए बिना जीवित है जिस पर हम सभी निर्भर हैं।
- स्थानीय संसाधनों की वर्तमान और भविष्य की उपलब्धता का सावधानीपूर्वक आकलन करके, आर्थिक क्षेत्रों की योजना बनाई जा सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।
- पूरे देश में उचित फसल प्रबंधन में पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना बहुत उपयोगी हो सकती है। यह देखा गया है कि किसान पुनरुत्पादन को कोई उचित महत्त्व दिए बिना भूमि की क्षमता का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में मरुस्थलीकरण की समस्या पैदा हो गई है।
- उपयुक्त प्रौद्योगिकीय उन्नति का उपयोग करना, खाद्य उत्पादन के तरीकों में धारणीयता तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में विविधता लाने से प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग के बीच सामंजस्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
- नवीकरणीय संसाधनों की अप्रत्याशितता का मुकाबला करने के लिये अनुकूलनशील प्रबंधन सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत समाधान है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को भौतिक और जैविक प्रणालियों के बीच सदैव बदलती परस्पर क्रिया पर विचार करना चाहिये तथा निरंतर सीखने की प्रक्रिया में मिले अनुभव और ऐतिहासिक ज्ञान के अनुसार प्रतिक्रिया देनी चाहिये।

'सतत विकास' का वर्तमान लोकाचार अधिकतम उपयोग की बजाय प्राकृतिक प्रणालियों की प्रतिस्थापन क्षमता के संरक्षण की ओर झुका हुआ है। आत्मविश्वास के साथ इस भविष्य का सामना करने के लिये मानवता को एक बेहतर नींव, एक

अधिक सहकारी राजनीतिक परिस्थिति तथा बेहतर वैज्ञानिक समझ के माध्यम से एक उत्पादक, परंतु स्थायी, स्तर पर पृथ्वी की वहन क्षमता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिये।

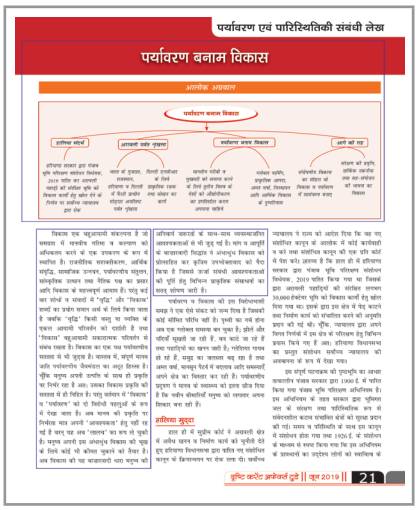

प्रश्न: 18. किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों के मामले में, स्पष्ट कीजिये कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा।

Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help in disaster mitigation in the case of landslides.

उत्तर: आपदा तैयारी का तात्पर्य आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिये किये गए उपायों से है, यानी आपदाओं की भविष्यवाणी करना और उन्हें रोकना, उनके प्रभाव को कम करना और उनके परिणामों का सामना करना और उनसे प्रभावी ढंग से बाहर आना है। ऐसा उन कार्यक्रमों के माध्यम से संभव बनाया जाता है जो सरकारों, संगठनों और समुदायों की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता को मज़बूत करते हैं। आपदा तैयारी एक निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया है जो जोखिम में न्यूनीकरण गतिविधियों और संसाधनों की एक विस्तृत शृंखला के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है। इसे किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में पहला कदम माना जाता है क्योंकि इसमें जोखिम मूल्यांकन व प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जीवन रक्षक उपकरण, आवश्यकता के अनुसार संसाधन और आपातकालीन किट, आपातकालीन रोस्टर और निकासी योजना, आपातकालीन सूचना और संचार प्रणाली को बनाए रखना आदि शामिल हैं।

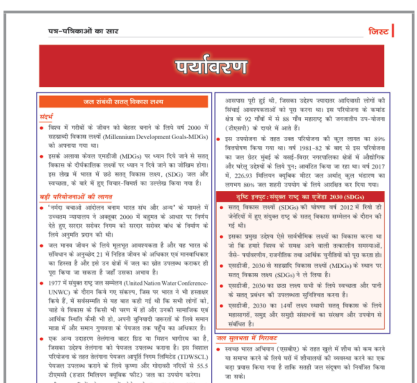

- भूस्खलन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण आपदा तैयारी तंत्रों में से एक है। भूस्खलन के दौरान गुरुत्वाकर्षण के प्रभावस्वरूप सतह के साथ ढीली मिट्टी व असंबद्ध चट्टानों का बड़े पैमाने पर संचलन होता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में भारत सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित देशों में से एक है। ऐसे परिदृश्य में, संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण से भूस्खलन के मामले में आपदा न्यूनीकरण में मदद मिलेगी।
- भूस्खलन संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण का तात्पर्य भूमि के समरूप (Homogeneous) विभाजन तथा इन क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा उत्पन्न वास्तविक या संभावित संकट की मात्रा के आधार पर इनकी रैंकिंग करने से है।
- भूस्खलन के लिये किसी क्षेत्र की संवेदनशीलता को संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण का उपयोग करके निर्धारित और चित्रित किया जा सकता है। भूस्खलन की संवेदनशीलता की पहचान हो जाने के बाद, हस्तक्षेप परियोजनाओं को विकसित किया जा सकता है।
- ये मानचित्र शहरी विकास और भूमि उपयोग योजना हेतु निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
- ये मानचित्र अस्थिर संकट-ग्रसित क्षेत्रों की पहचान तथा परिसीमन करते हैं, ताकि उपयुक्त शमन उपायों को अपनाकर पर्यावरणीय पुनरुत्पादन कार्यक्रमों की शुरुआत की जा सके।

भूस्खलन और उनके परिणाम अभी भी कई देशों के लिये एक बड़ी समस्या हैं, खासकर भारत में तेज़ी से बढ़ती आबादी के कारण। जहाँ सबसे हालिया उदाहरण केरल का है। इस कारण से भूस्खलन संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण एकीकृत आपदा प्रबंधन योजना के कई घटकों में से एक के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न: 19. भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.), 1967 और एन.आई.ए. अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिये।

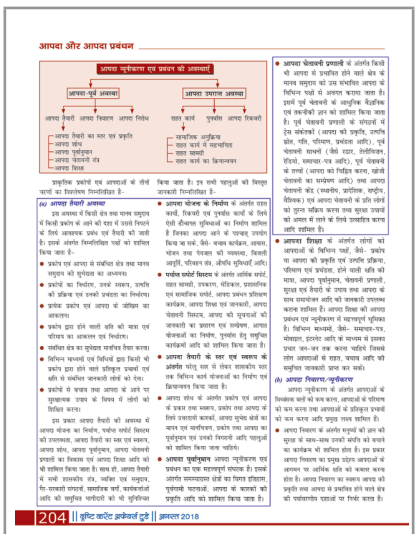

The Indian government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the unlawful activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.

उत्तर: केंद्र सरकार द्वारा भारत की आतंकवाद-रोधी एजेंसी को अधिक शक्तियाँ देने व भारत के आतंकवाद-रोधी कानून का दायरा विस्तृत करने के उद्देश्य से हाल ही में एनआईए व यूएपीए अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किये गए, जिन्हें संसद द्वारा पारित किया गया। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा मशीनरी को एक बड़ा बल मिलेगा।

- यूएपीए अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार एक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है यदि वह आतंकवाद के कृत्यों को अंजाम देता है या उनमें भाग लेता है; आतंकवाद के लिये तैयारी करता है; आतंकवाद को बढ़ावा देता है; या किसी अन्य रूप में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। संशोधन द्वारा सरकार को संगठन के अलावा इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति मिली है।
- इसी तरह एनआईए अधिनियम में संशोधन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की जाँच शक्तियों को मानव तस्करी, जाली मुद्रा, निषिद्ध हथियारों के व्यापार और साइबर आतंकवाद तक विस्तृत करता है। ये पहले राज्य पुलिस के अधीन थे। संशोधन द्वारा एनआईए को भारत से बाहर घटित आतंकी घटनाओं की भी जाँच करने का अधिकार दिया गया है।
- पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद निरंतर एक चुनौती बना हुआ है तथा आतंकवादी संगठन इस क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालने के लिये नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इसमें अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा नए आतंकवादी संगठनों का गठन शामिल होता है जिनके पिछले संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मसूद अज़हर को आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारत के प्रयासों के दौरान यह मुद्दा सामने आया जब कुछ विदेशी राजनयिकों ने भारत के घरेलू कानून पर सवाल उठाया कि भारतीय कानून में किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अब एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान से सरकार को ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, आतंक के वित्तपोषण और मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद आदि जैसे संगठित अपराधों का खतरा बढ़ रहा है। एक सशक्त एनआईए इस दिशा में एक सराहनीय कदम है।
- हालाँकि, मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि ये संशोधन बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं तथा भारत को पुलिस स्टेट बनाने का प्रयास करते हैं।
- निर्दोषता की पूर्वधारणा एक सार्वभौमिक मानवाधिकार सिद्धांत माना जाता है, लेकिन यूएपीए ज़ब्त सबूतों के आधार पर आतंकवादी अपराधों के लिये अपराध की पूर्वधारणा बनाता है।
- इसके अलावा, एक आतंकवादी के रूप में नामित करने हेतु कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। न्यायपालिका को प्रक्रिया से बाहर कर कार्यपालिका को नामित करने का अधिकार देकर, यह एक आतंकवादी और एक आतंकवाद के अभियुक्त के बीच के अंतर को कम करता है।
- इसी प्रकार, एनआईए अधिनियम में 'भारत के हितों को प्रभावित करने वाला' शब्द अपरिभाषित है तथा सिविल सोसाइटी को डर है कि इसका इस्तेमाल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये किया जा सकता है।

इस प्रकार, हालाँकि मौजूदा सुरक्षा वातावरण के अनुरूप कानूनों में परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, तथापि आतंकवाद से निपटने के लिये नीतिगत ढाँचे को मानवाधिकारों के हनन से बचाव और पीड़ितों को उपचार के लिये अधिक पहुँच प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिये। आतंकवाद से निपटने के अलावा, पुलिस बल की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और भारत के न्यायिक तंत्र को तीव्र बनाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

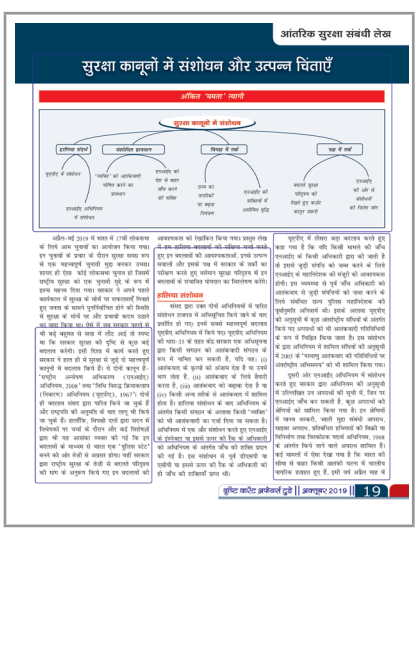

प्रश्न: 20. उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। साथ ही, चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिये।

Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.

उत्तर: भारत और म्यांमार 1,643 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा और एक विस्तृत समुद्री सीमा साझा करते हैं, जो भारत के लिये दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। भारत-म्यांमार सीमा अत्यधिक छिद्रिल, कमज़ोर रूप से सुरक्षित और दूरस्थ, अविकसित, उग्रवाद-ग्रस्त तथा अफीम उत्पादक क्षेत्र के करीब अवस्थित है।

भारत-म्यांमार सीमा पर विभिन्न चुनौतियाँ

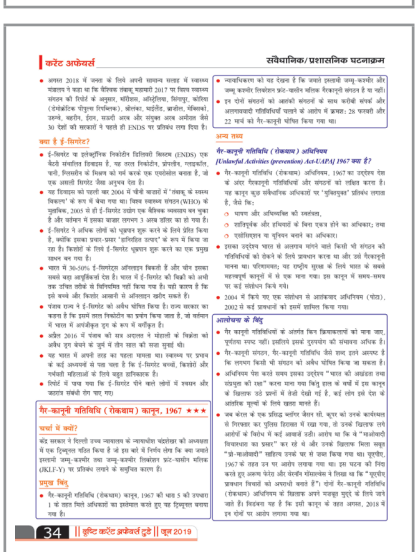

- भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र दर्जनों विद्रोही समूहों के लिये एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया है। ये विद्रोही समूह भारत में आक्रामक कार्रवाई करते हैं तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर क्षेत्र में अस्थिरता लाते हैं और म्यांमार में आसानी से छिप जाते हैं।
- कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना और आईएमटी (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएँ चल रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की प्रगति काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।
- भारत-म्यांमार सीमा पर आदिवासियों की घनी आबादी निवास करती है, तथा इन जनजातीय समुदायों के सीमा के पार सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध बहुत मज़बूत हैं और वे कृत्रिम सीमा रेखाओं को स्वीकार करने से प्राय: इनकार करते हैं।
- असम राइफल्स पर भारत-म्यांमार सीमा की रखवाली की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इनकी अधिकांश बटालियन आतंकवाद रोधी अभियानों में लगी हुई हैं। इसलिये यह सीमा-सुरक्षा बल की बजाय आतंकवाद विरोधी बल की तरह कार्य करता है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास का भौगोलिक इलाका अत्यधिक दुर्गम है, इसलिये संचार और संपर्क को विकसित करना काफी कठिन हो जाता है।
- 'गोल्डन ट्रायंगल' से निकटता ने भारत-म्यांमार सीमा को मादक पदार्थों की तस्करी के लिये अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है तथा यह सीमा दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं और बच्चों की तस्करी का प्रवेश द्वार बन गई है।
- स्थानीय संसाधनों पर बढ़ते बोझ के कारण सीमांत अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के अंत: प्रवाह ने इन क्षेत्रों में एक गंभीर सामाजिक-सांस्कृतिक टकराव पैदा कर दिया है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
1. (a) सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हैं? इनमें से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये।	—	—	—	—	—	—
1. (b) 'लोक सेवक' शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिये।	—	—	—	—	—	—
2. (a) लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिये।	—	—	—	—	—	—
2. (b) "लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें।	—	—	—	—	—	—
3. (a) 'सांविधानिक नैतिकता' से आप क्या समझते हैं? सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कोई किस प्रकार करता है?	—	—	—	—	—	—
3. (b) 'अन्त:करण का संकट' का क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है?	—	—	—	Dec. 19 Page No. 195	May 19 Page No. 136	—
4. (a) नागरिकों के अधिकार पत्र (चार्टर) आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिये और उसके महत्त्व को उजागर कीजिये।	—	—	—	Aug. 19 Page No. 166-67	Nov. 18 Page No. 139	—
4. (b) एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिये।	—	—	May 19 News Page No. 38	—	—	—
5. (a) शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? इस शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर, सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।	—	—	—	Oct. 19 Page No. 197 Oct. 18 Page No. 181	March 19 Page No. 142	—
5. (b) संवेगात्मक बुद्धि आपके अपने संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने की बजाय आपके लिये कार्य करवाने का सामर्थ्य है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिये।	—	—	—	—	Aug. 19 Page No. 135 ..... Aug. 19 Page No. 135-36	—
6. (a) "एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है।" -सुकरात	—	—	—	Oct. 19 Page No. 190	—	Oct. 19 Essay Page No. 55
6. (b) "व्यक्ति और कुछ नहीं केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है। वह जो सोचता है वही बन जाता है।" -एम.के. गांधी	—	—	—	Oct. 19 Page No. 188-89	—	Oct. 19 Essay Page No. 67

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
6. (c) "जहाँ हृदय में शुचिता है, वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सौंदर्य है, तब घर में समरसता है। जब घर में समरसता है, तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है। जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, तब विश्व में शांति है।" –ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	—	—	—	—	—	—
7. गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं तथा भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया है। विलम्बित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुँचता है, तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है। संकट की इस स्थिति में, दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य रोक दिया जाए।	—	—	—	—	—	—
8. ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक हैं। इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान, वे विभिन्न निर्णय लेते हैं। कभी-कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिये जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि कभी-कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अभी हाल में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिये आलिप्त किया गया है। उन्हें अक्सर अभियोजित और बंदित भी किया गया है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक रचना को अत्यधिक क्षति पहुँची है। यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है? यह सुनिश्चित करने के लिये कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिये आलिप्त नहीं किये जाएँ, क्या उपाय किये जा सकते हैं? तर्कसंगत उत्तर दीजिये।	—	—	—	—	—	—
9. बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से विक्रय में गिरावट आ रही थी। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त किया, जिसने अल्पावधि में ही विक्रय की मात्रा को बढ़ा दिया। लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में लिप्त होने की कुछ अपुष्ट शिकायतें सामने आईं।						

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
कुछ समय पश्चात् एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के प्रबंधन के विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दायर की। अपनी शिकायत के प्रति कंपनी की संज्ञान लेने में उदासीनता को देखते हुए, महिला कर्मी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की। परिस्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को भाँपते हुए, कंपनी ने महिला कर्मी को वार्ता करने के लिये बुलाया। कंपनी ने महिला कर्मी को एक मोटी रकम देने के एवज़ में अपनी शिकायत और प्राथमिकी वापस लेने तथा लिखकर देने के लिये कहा कि विपणन अधिकारी प्रकरण में लिप्त नहीं था। इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये। महिला कर्मी के सामने कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?	—	April 19 Page No. 128	—	—	—	—
10. आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है। निर्वाचित जन प्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारीतंत्र स्थायी कार्यपालिका का गठन करता है। मंत्रिगण नीति निर्माण करते हैं और अधिकारी उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारंभिक दशकों में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर्संबंध, एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किये बिना, परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित थे। लेकिन बाद के दशकों में स्थिति में परिवर्तन आया है। ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ राजनीतिक कार्यपालिका ने स्थायी कार्यपालिका पर अपनी कार्यसूची का अनुसरण करने का दबाव बनाया है। सत्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान और सराहना में गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि राजनीतिक कार्यपालिका में नैतिक प्रशासनिक प्रसंगों में, जैसे कि स्थानांतरण, प्रस्थापन आदि में अंतर्ग्रस्त होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस परिदृश्य में 'अधिकारीतंत्र के राजनीतीकरण' की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति है। सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवाद और संग्रहवृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। 'अधिकारीतंत्र के इस राजनीतीकरण' के क्या-क्या परिणाम हैं? विवेचना कीजिये।	—	March 19 Page No. 109	—	—	Oct. 18 Page No. 130	—
11.एक सीमांत राज्य के एक ज़िले में स्वापकों (नशीले पदार्थों) का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप्प हो गई है। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है। इन अपुष्ट खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्चाधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है।						

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
ऐसे समय में, परिस्थिति को सामान्य करने के लिये, एक महिला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये अपने कौशल के लिये जानी जाती है, को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न आयामों को चिह्नित कीजिये। अपनी समझ के अनुसार, संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाएँ।	—	—	—	—	—	—
12. भारत में हाल के समय में बढ़ती चिंता रही है कि प्रभावी सिविल सेवा नैतिकता, आचरण संहिताओं, पारदर्शिता उपायों, नैतिक एवं शुचिता व्यवस्थाओं तथा भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरणों को विकसित किया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में, तीन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है जो सिविल सेवाओं में शुचिता और नैतिकता को आत्मसात् करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं– 1. सिविल सेवाओं में, नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान करना, 2. सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करना, और 3. सिविल सेवाओं में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की अभिवृद्धि के लिये, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का विकास करना। उपरोक्त तीन मुद्दों का हल निकालने के लिये संस्थागत उपाय सुझाइये।	—	—	—	—	March 19 Page No. 142	—

प्रश्न: 1 (a) सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हैं? इनमें से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये।
What are the basic principles of public life? Illustrate any three of these with suitable examples.

उत्तर: लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि प्राधिकार धारण करने वाले सभी व्यक्ति इन्हें लोक या जनता से प्राप्त करते हैं; दूसरे शब्दों में, सभी सार्वजनिक अधिकारी जनता के 'संरक्षक/ट्रस्टी' हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के दौर में सरकार की भूमिका के विस्तार के साथ, सार्वजनिक अधिकारी लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। इसीलिये जनता और अधिकारियों के मध्य संरक्षक-संरक्षित (trusteeship) संबंध की आवश्यकता है, फलत: सार्वजनिक अधिकारियों को सौंपा गया प्राधिकार नागरिकों के सर्वोत्तम हित या 'सार्वजनिक हित' में प्रयोग किया जाए।

- ध्यातव्य है कि सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख करने वाली सबसे व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में ब्रिटेन की 'नोलन समिति' (Nolan Committee) प्रमुख है जिसने सार्वजनिक जीवन में निम्नलिखित सात सिद्धांतों को रेखांकित किया– नि:स्वार्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, खुलापन/निष्कपटता, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता।
- **नेतृत्व क्षमता:** सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को नेतृत्व और उदाहरण द्वारा सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों का प्रचार और समर्थन करना चाहिये।

  उदाहरण के लिये, लाल बहादुर शास्त्री प्रत्येक सोमवार को देश के गरीब लोगों के लिये अनाज़ बचाने के लिये उपवास करते थे और उन्होंने राष्ट्र से भी इसका पालन करने का आह्वान किया। इस प्रकार, उन्होंने एक वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे नेताओं को आगे आकर नेतृत्व करना चाहिये।
- **नि:स्वार्थता:** सार्वजनिक अधिकारियों को सार्वजनिक हित के संदर्भ में निर्णय लेने चाहिये। उन्हें अपने स्वंय के परिवार या मित्रों के लिये वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ या सुविधा प्राप्ति हेतु अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये।

  उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र पुलिस के तुकाराम ओम्बले ने मुंबई हमले के आतंकवादियों में से कसाब को उलझाए रखा ताकि वह उनके साथी पुलिसकर्मियों पर हमला न कर सके। इस प्रकार, उन्होंने राष्ट्र के लिये अपने जीवन का बलिदान कर अनुकरणीय साहस और उच्चतम स्तर के नि:स्वार्थ भाव का प्रदर्शन किया।

- गीता के श्लोक 'कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' में भी निःस्वार्थ भाव के सिद्धांत को बतलाया गया है; जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिये।
- **उत्तरदायित्व:** सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्णयों और कार्यों के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेह होते हैं और उन्हें अपने कार्यालय को भी समीक्षा/सूक्ष्म जाँच (Scrutiny) के अधीन रखना चाहिये।
- जैसे कि, विक्रम साराभाई ने इसरो (ISRO) के पहले मिशन की विफलता का उत्तरदायित्व स्वयं के ऊपर लिया और इसे मिशन प्रमुख (एपीजे अब्दुल कलाम) पर नहीं थोपा। इस प्रकार, अपने दल की विफलता का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण किया।
- स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन के सिद्धांत प्रत्येक लोकतंत्र के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। इस तरह के सिद्धांतों से उत्पन्न सार्वजनिक व्यवहार के दिशा-निर्देश सार्वजनिक अधिकारियों और आम जनता के बीच विश्वास पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिये कोई भी व्यक्ति जो लोगों की नियति या भाग्य के मार्गदर्शन और उसको निर्धारित करने का विशेषाधिकार रखता है, उसे न केवल नैतिक होना चाहिये बल्कि सार्वजनिक जीवन के इन सिद्धांतों का अनुपालन भी करना चाहिये।

(b) 'लोक सेवक' शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिये।

What do you understand by the term 'public servant'? Reflect on the expected role of a public servant.

उत्तर: लोक सेवक सामान्यत: वह व्यक्ति होता है जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित या चुनाव के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत हितों के ऊपर सार्वजनिक हित/कल्याण को महत्त्व दे। चूँकि करदाताओं के पैसे और सार्वजनिक धन से आंशिक या पूर्णरूपेण उसके वेतन का भुगतान किया जाता है, इसीलिये उन्हें 'जनता के सेवक' के रूप में जाना जाता है।

वस्तुत: ऐसे कई तत्त्व हैं जो लोक सेवक को अधिक मानवीय और शासन को नैतिक शासन और सुशासन की संरचना प्रदान करने की दिशा में आत्मसात कर सकते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- लोक सेवकों का दायित्व है कि विधि के शासन को बनाए रखने, प्रशासनिक न्याय के प्रसार और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावना में निहित हमारे संवैधानिक आदर्शों की रक्षा करें और उन्हें बढ़ावा दें।
- लोक सेवक में दृढ़ता होनी चाहिये: इस संदर्भ में महात्मा गांधी का निम्नलिखित कथन मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है कि यदि दुविधा हो कि कोई कार्रवाई अच्छी होगी या बुरी तो देश के निर्धनतम व्यक्ति के रूप में स्वयं को देखते हुए विचार करना चाहिये कि कोई विशेष नीति और कार्यक्रम उसे कैसे प्रभावित करेगा।
- उसे पर्याप्त दक्ष भी होना चाहिये क्योंकि शक्ति और प्राधिकार रखने वाले प्रशासक के रूप में यह उसका उत्तरदायित्व है कि नीतियों को कार्यक्रमों के रूप में परिवर्तित करे और उसे ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करे।
- उन्हें अपने विचारों और कार्यों में कुशल होना चाहिये। जिससे वह नवीनतम जानकारी और ज्ञान तक पहुँच सके और सेवा वितरण में सुधार के लिये इनका उपयोग करने में सक्षम हो सके।
- लोक सेवक को निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ होना चाहिये, जिसकी अपेक्षा सरदार पटेल जी ने भी प्रकट की थी, और वह संविधान द्वारा निर्दिष्ट 'समावेशी राष्ट्रीय विकास' के लिये कार्य करे।
- उनमें गरिमापूर्ण व्यवहार करने के साथ-साथ धैर्यपूर्वक बातें सुनने और संतुलित दृष्टिकोण रखने की क्षमता होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त अहंकार और अधिनायकवादी प्रवृत्ति से बचना चाहिये तथा अशिष्ट और क्षोभ उत्पन्न करने वाले विषयों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से विचार करने में सक्षम होना चाहिये।

वस्तुत: 'अर्थशास्त्र' में कौटिल्य ने आम नागरिकों के महत्त्व पर बल देते हुए कहा है कि "लोगों से राज्य का गठन होता है; एक बाँझ गाय की तरह जनता-रहित राज्य कुछ भी प्रदान नहीं करता"। इस प्रकार प्रशासन की सफलता उस भागीदारी, प्रतिबद्धता, समर्पण और त्याग पर निर्भर करती है जिसके साथ देश के लाखों लोगों के कल्याण के लिये लोक सेवक प्रयासरत होते हैं।

प्रश्न: 2 (a) लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिये।

Effective utilisation of public funds is crucial to meet development goals. Critically e examine the reasons for under-utilization and mis-utilisation of public funds and their implications.

उत्तर: कल्याणकारी सेवाओं के लिये लोक निधियों का प्रभावी उपयोग सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रमुख कार्मिक सिद्धांतों में से एक है। हालाँकि, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक कल्याण पर खर्च किये जाने वाले प्रत्येक 1 रुपये के लिये केवल 15 पैसे वास्तव में जनता तक पहुँचते हैं। इस कथन से देश में धन के अप्रभावी उपयोग की गंभीरता पर प्रकाश पड़ता है।

लोक सेवक परिश्रम से अर्जित सार्वजनिक निधियों के संरक्षक होते हैं, इसलिये उनका प्रभावी उपयोग उनकी नैतिक और वैधानिक ज़िम्मेदारी है। लोक निधियों का न्यून-उपयोग और दुरुपयोग होने के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं:

न्यून-उपयोग

- सरकारी कार्यालयों में उच्च प्रशासनिक लागत और प्रक्रियात्मक विलंब; जो प्रशासनिक उलझन और नौकरशाही की खामियों में लोक निधियों को रोके रखता है।
- सरकारी कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की कमी।
- ज़मीनी स्तर पर अनुपयुक्त तकनीकी पहुँच।
- वित्तीय शक्ति का अप्रभावी विकेंद्रीकरण।

दुरुपयोग

- भ्रष्टाचार, जो अनधिकृत स्रोतों की ओर धन के प्रवाह को मोड़ता है।
- निम्न उत्तरदायित्व तंत्र, जो प्रभावी निगरानी और धन के कुशल उपयोग को अक्षम करता है।
- योजना निर्माण में सामंजस्य का अभाव।
- शक्ति का अप्रभावी विकेंद्रीकरण।
- देश में लोकलुभावन राजनीति।
- पक्षपात और पद का दुरुपयोग, अर्थात् सरकारी परियोजनाओं के आवंटन के दौरान किसी का पक्षपातपूर्ण समर्थन।
- मार्च माह के दौरान व्यय में तीव्रता, जो 'मार्च रश' के रूप में चर्चित है; जिसके अंतर्गत व्यय न हो सके निधियों को 'व्यपगत' होने

से बचाने के लिये अनियोजित और अनुपयुक्त तरीके से धन को खर्च किया जाता है।

प्रभाव

- **सामाजिक:** जनता के अधिकारों का उल्लंघन। यह असमानता, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता, विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता में वृद्धि जैसी सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है।
- **राजनीतिक:** लोक निधि के त्रुटिपूर्ण आवंटन और न्यून-उपयोग के कारण देश में असमान विकास हुआ है, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है इससे क्षेत्रवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- **आर्थिक:** निर्धनता की व्याप्ति और जनांकिकीय लाभांश के दोहन में असमर्थता। इसके साथ ही बुनियादी ढाँचे में अपर्याप्त सुधार, मानव सूचकांक में निम्न प्रदर्शन और बेरोज़गारी आदि की समस्या कम नहीं हो रही।
- **नैतिक:** सार्वजनिक संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन; यह जनता के लाभों के लिये निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग का उत्तरदायित्व लोक सेवक पर रखता है।

निष्कर्ष: हम चाहे कितनी भी अच्छी नीति बना लें, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक रूप से निधियों के कुशल आवंटन और उनके प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। अत: कल्याणकारी उपायों को अधिकतम व सुनिश्चित करने और कुछ हाथों में धन के संग्रहण को रोकने के लिये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सन्निहित नैतिक कर्तव्य को साकार करने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि समुचित नीति उपाय किये जाएँ और यही राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की भी पूर्ति करेगा।

(b) "लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें।

"Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption" Do you agree with this view? Justify your answer

उत्तर: 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' भ्रष्टाचार को शक्ति के दुरुपयोग के रूप में देखता है जो समाज की बुनियादी संरचना को नष्ट करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था, संस्थानों और देश के नेतृत्व में लोगों के भरोसे को कमज़ोर करता है। दूसरी तरफ शंकालु या उदासीन जनता भ्रष्टाचार को चुनौती देने में एक महत्त्वपूर्ण बाधा बन सकती है।

- उल्लेखनीय है कि सभी सिविल सेवकों को जनता के कल्याण के लिये सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा गया है। सार्वजनिक कर्तव्य का पालन न करने से लोगों की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकार का हनन और यहाँ तक कि कभी-कभी जीवन को भी हानि पहुँचती है। इसलिये, एक लोक सेवक द्वारा कर्तव्य का अनिष्पादन भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। उदाहरण के लिये, समय पर अस्पताल नहीं पहुँचने वाला चिकित्सक मरीज़ों की जान को खतरा पहुँचाता है; अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने वाला कोई शिक्षक न केवल बच्चों के भविष्य को खतरे में डालता है बल्कि समग्र समाज का नुकसान करता है।
- भ्रष्टाचार, सिविल सेवक के प्रति जनता के विश्वास के साथ धोखा है और यह व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन है। यह प्रभावी प्रशासन, कानून व्यवस्था (Law and Order) कल्याणकारी नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति और अंतत: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जैसे संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी के मार्ग में बाधा बनता है।
- लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य का अनिष्पादन, जिसके लिये वे नैतिक, कानूनी और संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, भ्रष्टाचार का एक रूप है क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (संशोधन) 2018 सार्वजनिक कर्तव्य के अनिष्पादन को अपराध मानता है।
- अत: प्रत्येक सिविल सेवक द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन किया जाना आवश्यक है ताकि वे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन सकें; और तभी आम नागरिक उन उपभोगों का आनंद ले सकते हैं जिसके वह हकदार है।

प्रश्न: 3 (a) 'सांविधानिक नैतिकता' से आप क्या समझते हैं? सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कोई किस प्रकार करता है?

What is meant by constitutional morality? How does one uphold constitutional morality?

उत्तर: सांविधानिक नैतिकता का अर्थ है संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करना। जॉर्ज ग्रोटे (शास्त्रीय) परिप्रेक्ष्य में, इसका अर्थ है, "संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा हो; प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता लागू हो और इन तय रूपों के अंतर्गत कार्य किया जाए, यह इसका महत्त्वपूर्ण भाग है।"

- भारत में इस शब्द का पहली बार प्रयोग 'डॉ. बी.आर. अंबेडकर' ने अपनी संसदीय बहसों के दौरान किया। उनके दृष्टिकोण से इसका अर्थ है विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों के बीच एक प्रभावी समन्वयन और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संघर्षरत विभिन्न समूहों के बीच किसी टकराव के बिना इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिये प्रशासनिक सहयोग।
- समकालीन संदर्भ में, यह संविधान के मूलभूत तत्त्वों को संदर्भित करता है। सांविधानिक नैतिकता द्वारा शासित होने का अर्थ है किसी भी संविधान में निहित सारभूत नैतिक अपरिहार्यताओं द्वारा शासित होना। इस अर्थ में, सांविधानिक नैतिकता स्वयं संविधान की नैतिकता है।
- इसका दायरा केवल संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरश: पालन करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि संविधान के अंतिम उद्देश्य को सुनिश्चित करने तक विस्तृत है। यह उद्देश्य है एक 'सामाजिक-न्यायिक परिदृश्य का निर्माण', जो प्रत्येक नागरिक के पूर्ण व्यक्तित्त्व को विकसित व प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है, जो कि संविधान का मूल लक्ष्य है।
- सांविधानिक नैतिकता के स्रोत संविधान के शब्द, संविधान सभा की बहस और उस अवधि में हुई घटनाएँ हैं।
- संवैधानिक कानूनों को प्रभावी बनाने के लिये संवैधानिक नैतिकता महत्त्वपूर्ण है। इसके बिना, संविधान का क्रियान्वयन अनियंत्रित, अनिश्चित (Erratic) और स्वेच्छाचारी में परिवर्तित हो सकता है।
- 'नाज़ फांउडेशन वाद' में इस अवधारणा को मौलिक रूप में नियोजित किया गया जिसमें इसका उपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त करने और समलैंगिकता को अपराधमुक्त घोषित करने के लिये किया गया था।

सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण किस प्रकार किया जाता है?

- संविधान की व्याख्या करते समय 'लोकप्रिय नैतिकता' की बजाय सांविधानिक नैतिकता द्वारा न्यायालय अपने निर्णय का मार्गदर्शन देकर।
- सांविधानिक नैतिकता की अंतर्वस्तु और रूपरेखा का पता लगाकर, ताकि इसका न्यायालय में अज्ञानतावश और खतरनाक तरीके से उपयोग न किया जा सके।
- संवैधानिक सर्वोच्चता, विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, सरकार का संसदीय स्वरूप, आत्मसंयम

और भ्रष्टाचार के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होना।

- जहाँ संविधान के उपबंध अलग-अलग पढ़े जाने पर अलग-अलग अर्थ प्रदान करते हों, वहाँ इसकी सहायता से वास्तविक आशय चुना जा सकता है।
- संविधान के आदर्शों/सिद्धांतों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा रख कर; प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता लागू करके और इन तय आदर्शों/सिद्धांतों के अंदर और दायरे में कार्य करके।
- यहाँ तक कि संविधान में भी इस अवधारणा का उल्लेख केवल चार बार (अनुच्छेद-19 में दो बार और अनुच्छेद-25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दो बार) किया गया है और इस पर लंबे समय से अधिक विचार और अध्ययन नहीं किया गया है। इस अवधारणा की संभावनाओं पर आगे और विचार करने के साथ एक नए परिप्रेक्ष्य में संविधान को समझने में सहायता मिल सकती है।

कुल मिलाकर, यदि लोकतंत्र को लोगों की प्रगति और समृद्धि की लंबी अवधि के लिये जीवित रहना है, तो नीति-निर्माण के मूलतत्त्व का गठन करने वाले सार्वजनिक विवेक, नैतिक व्यवस्था राजनीतिक नैतिकता और सांविधानिक नैतिकता को अत्यंत दृढ़ और मज़बूत रहना होगा।

(b) 'अन्त:करण का संकट' का क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है?

What is meant by 'crisis of conscience'? How does it manifest itself in the public domain?

उत्तर: गांधीजी 'अंत:करण' को सर्वोच्च निदेशक मानते थे तथा उनके अनेक निर्णयों का आधार 'अंत:करण' ही था; इस संदर्भ में गांधीजी का प्रसिद्ध कथन है: "न्याय की अदालत से भी ऊँची एक अदालत है और यह है अंत:करण की अदालत, जो अन्य सभी अदालतों से ऊपर है।"

अंत:करण का संकट

- यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक रूप से अनुचित या गलत होने की दुविधा है।
- कभी-कभी जटिल और भावनात्मक स्थितियों में यह तय करना बहुत कठिन होता है कि क्या करना सही होगा। किसी स्थिति को व्यावहारिक रूप से एक अलग समाधान की आवश्यकता हो सकती है जो अनैतिक हो सकती है लेकिन हमारा अंत:करण दृढ़ता से हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देता है।
- अनेक बार दो नैतिक सिद्धांतों में किसे वरीयता दी जाए या किन परिस्थितियों में नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए; इन्हें लेकर दुविधा उत्पन्न हो जाती है। किसी नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन करना नैतिक रूप से उचित है, जब किसी अन्य सच्चे नैतिक सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिये यह स्पष्ट रूप से आवश्यक हो, जो कि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ और लोगों को न्यूनतम हानि पहुँचाए, जो कि एक 'उपयोगितावादी' (utilitarian) दृष्टिकोण है।

यह सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में कैसे अभिव्यक्त होता है?

- यह सिविल सेवकों द्वारा उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रकट होता है जहाँ कोई निर्णय लोगों की बड़ी संख्या को प्रभावित कर सकता है। विशेषकर जब वे अनैतिक निर्णय लेने या अनैतिक नीतियों को लागू करने के लिये किसी मंत्री के दबाव में होते हैं।
- यह 'नैतिकता' और 'विधि' के मध्य संघर्ष में प्रकट होता है। उदाहरण के लिये, जम्मू-कश्मीर में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिये नागरिकों के अधिकारों को कुछ हद तक सीमित किया गया है। अत: यह विधि व्यवस्था एवं नागरिकों के अधिकारों के मध्य द्वंद्व अंत:करण के संकट की स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार, तीसरे लिंग के रूप में कानूनी दर्जा पाने के बावजूद, ट्रांसजेंडर्स को उत्पीड़न, वंचना, रोजगार के अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है जो उन्हें फिर से भिक्षावृत्ति के लिये मजबूर करता है; और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध न कराने की विफलता सार्वजनिक क्षेत्र में अंत:करण के संकट की अभिव्यक्ति है।
- सार्वजनिक क्षेत्र में अंत:करण के ऐसे संकटों की उत्पत्ति सामान्य है जहाँ जीवन और निर्णय ओवरलैप होते रहते हैं और लगभग हमेशा ही एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। लोक सेवक के लिये अंत:करण के ऐसे संकट से बाहर निकलने की कुंजी यह है कि वह सभी आयामों को ध्यान में रखे, इच्छाओं या दबावों से स्वयं को मुक्त करे और सार्वजनिक सेवा नैतिक संहिता (Ethical Code) और विधायी ढाँचे (Legal Framework) के प्रति प्रतिबद्ध और ईमानदार बना रहे।

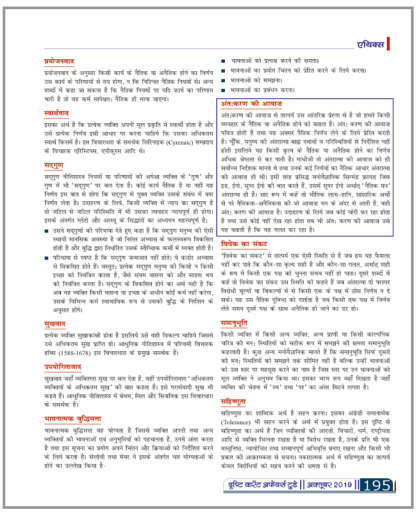

प्रश्न: 4 (a) नागरिकों के अधिकार पत्र (चार्टर) आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिये और उसके महत्त्व को उजागर कीजिये।

Explain the basic principles of citizens' charter movement and bring out its importance.

उत्तर: नागरिक अधिकारपत्र एक सरकारी संस्थान द्वारा नागरिकों/ग्राहक समूहों को प्रदत्त की जा रही या प्रदान की जाने वाली सेवाओं/योजनाओं के संबंध में स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं का एक दस्तावेज़ है।

नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। अन्य उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच पुलों का निर्माण करना और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है। यह लोगों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के 'अधिदेश' से अवगत कराता है, कि कैसे कोई संगठन के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है,

सेवाओं के रूप में क्या अपेक्षाएँ कर सकता है और यदि कोई त्रुटि होती है, तो कैसे उसका समाधान पा सकता है।

नागरिक चार्टर के सिद्धांत

- **गुणवत्ता:** सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
- **विकल्प:** उपयोगकर्त्ताओं के लिये जहाँ कहीं भी संभव हो।
- **मानक:** यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि एक समय-सीमा के अंदर क्या उम्मीद की जानी चाहिये।
- **मूल्य:** करदाता के धन के लिये।
- **जवाबदेही:** सेवा प्रदाता की जवाबदेही (व्यक्ति के साथ-साथ संगठन)।
- **पारदर्शिता:** नियमों, प्रक्रियाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण में।

महत्त्व

- यह प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में सहायक है।
- यह अपनी प्रकृति में नागरिक-केंद्रित है और प्रशासन को अधिक नागरिक अनुकूल बनाता है।
- यह सुशासन और नैतिक शासन को बढ़ावा देता है
- यह सेवा वितरण में सुधार और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है।
- यह शिकायत निवारण के लिये एक मार्ग प्रदान करता है।

एक नागरिक चार्टर अपने आप में कोई अंतिम उपाय नहीं है, बल्कि यह एक साधन है जो यह सुनिश्चित करने की मंशा रखता है कि किसी भी सेवा वितरण मॉडल के केंद्र में हमेशा 'नागरिक' रहें।

(b) एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिये।

There is a view that the official secrets act is an obstacle to the implementation of the Rights to Information act. Do you agree with the view? Discuss

उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 एक पथ-प्रदर्शक विधान है जिसने भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता के एक नए युग का आरंभ किया। साथ ही इसने निम्नलिखित तरीकों से जनता का सशक्तीकरण किया:

- आम जनता के लिये सूचनाओं को सुलभ बनाना।
- अपने निर्णयों के लिये सरकार के ऊपर जवाबदेही में वृद्धि।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश सुनिश्चित करने का एक उपकरण।
- सरकारी कर्मचारियों की कुशल कार्यप्रणाली की शुरुआत।

हालाँकि, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने शत्रु राज्यों पर नियंत्रण के लिये वर्ष 1923 में अधिनियमित शासकीय गुप्त बात अधिनियम को लागू किया। यह RTI के प्रावधानों के विपरीत काम करता है। यह केवल आधुनिक उदार लोकतंत्र में अधिक प्रासंगिकता ही नहीं रखता, बल्कि यह निम्नलिखित तरीकों से आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधाएँ भी उत्पन्न करता है:

- औपनिवेशिक मनोवृत्ति का अधिनियम।
- मुख्यत: सरकार द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर नागरिकों से सूचना गुप्त रखने में उपयोग किया जाता है।
- इसका इस्तेमाल सरकार की अयोग्यता को छुपाने के लिये भी किया जाता है।
- सरकारी कमियों को उजागर करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है।
- नागरिकों पर जासूसी करने का गलत संदेह उत्पन्न कर सकता है, जैसेकि- इसरो जासूसी मामले में इसरो के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस. नंबी नारायणन को जाँच के घेरे में लिया गया। जिन्होंने ओएसए के तहत एक आपराधिक मुकदमे का सामना किया और 24 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब बरी हुए।

इसके अतिरिक्त,

- उदार और आधुनिक लोकतंत्र सरकार के प्रत्येक निर्णय में नागरिकों की पूर्ण भागीदारी के साथ संचालित होते हैं।
- सरकार को क्यों भयभीत या चिंतित होना चाहिये, यदि उसके पास छुपाने के लिये कुछ भी नहीं है?
- एक लोकतंत्र में केवल सरकार को यह तय करने का अधिकार कैसे है कि कौन-सी बातें गुप्त रखी जाएँ?

हालाँकि, सुरक्षा चिंताओं के कारण पूर्ण पारदर्शिता न तो संभव है और न ही वांछनीय है, विशेषकर जब भारत को एक शत्रुतापूर्ण पड़ोस के कारण बहुपक्षीय खतरों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि:

- परमाणु प्रतिष्ठान, सैनिकों का आवागमन/तैनाती जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दों से संबंधित सूचनाओं के खुलासे का आम जनता के लिये कोई विशेष उपयोग नहीं है और ये राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।

- जासूसी संबंधी चिंताओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन की डिज़ाइन योजना की हालिया चोरी ऐसा ही एक उदाहरण है।

यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-22 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह शासकीय गुप्त बात अधिनियम पर अधिभावी है। सरकार केवल इस आधार पर किसी मामले में RTI द्वारा माँगी गई सूचना देने से इंकार नहीं कर सकती कि यह ओएसए के अंतर्गत वर्णित है। फिर भी एक मज़बूत प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिये जो ओएसए के उपयोग और दुरुपयोग के बीच अंतर करे।

अत: गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि गुप्त रखने की संस्कृति गोपनीयता का संपोषण करती है, जिससे सूचनाओं के प्रकटीकरण व खुलेपन की संस्कृति दुर्लभ हो जाती है। आयोग की सिफारिश है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को निरस्त किया जाना चाहिये।

करेंट अफेयर्स
संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम
गोपनीयता अधिनियम, 1923
शहीद कोश
भारत के पहले लोकपाल
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005
38 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || मई 2019

प्रश्न: 5 (a) शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? इस शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर, सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।

What do you understand by probity in governance? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government.

उत्तर: शासन में सत्यनिष्ठा शासन प्रणाली के कुशल संचालन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे ईमानदारी, अखंडता, शुचिता जैसे आचार-परक और नैतिक मूल्यों के पालन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह उच्च मानकों के नैतिक व्यवहार के साथ प्रक्रियात्मक अखंडता या शुचिता की उपस्थिति है। शासन में सत्यनिष्ठा यह भी स्पष्ट करती है कि सिविल अधिकारियों के लिये निष्पादन, ईमानदारी और देशभक्ति के पारंपरिक सिविल सेवा मूल्यों की बजाय नैतिक और सत्यनिष्ठ मूल्यों को अपनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जिसमें मानव अधिकारों के प्रति सम्मान, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का पालन और कमज़ोरों के प्रति करुणा और उनके कल्याण के प्रति समर्पण रखना शामिल है।

शासन में सत्यनिष्ठा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है:

- यह सरकारी प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को बनाए रखती है।
- यह शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- यह कदाचार, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं से बचने का प्रयास करती है।

सरकार में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय:

शासन में सत्यनिष्ठा की कमी समाज के सबसे बड़े खतरों में से एक बन गई है। शासन में सत्यनिष्ठा को अंतर्विष्ट करने और नैतिक प्रक्रियाओं के कुशल पालन के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं-

- सरकारी अधिकारियों द्वारा 'नैतिक संहिता' और 'आचार संहिता' के उल्लंघन की निगरानी के लिये एक समर्पित इकाई की स्थापना राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर की जानी चाहिये।
- सूचना को वेबसाइटों के माध्यम से आम जनता के लिये सुलभ बनाया जाना चाहिये। साथ ही 'सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी' के उपयोग को शासन में बढ़ावा देना चाहिये।
- उपयुक्त ऑडिटिंग के साथ सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और देनदारियों की अनिवार्य घोषणा।
- स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक संस्था की स्थापना।
- प्रशासन में सुधार लाने हेतु आम जनता के विचारों को संलग्न करने के लिये 'नागरिक सलाहकार बोर्ड' का गठन किया जाना चाहिये।
- सभी सरकारी कार्यक्रमों का अनिवार्य 'सामाजिक अंकेक्षण' (सोशल ऑडिट) होना चाहिये, जैसे कि मेघालय राज्य ने सरकारी कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण के लिये एक कानून पारित किया है।

वस्तुत: कानूनों और नीतियों के अलावा, सरकार को सरकारी कर्मचारियों में व्यवहार परिवर्तन (Behavioural Change) लाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये ताकि वे आम जनता की समस्याओं से समानुभूति रखें; जिससे 'जनता द्वारा, जनता के लिये, जनता के शासन' के लोकतांत्रिक लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

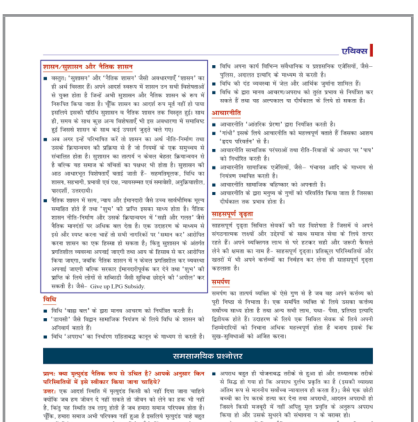

एथिक्स
शासन में नैतिकता
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट : शासन में नैतिकता
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || अक्तूबर 2018 || 181

एथिक्स
शासन/सुशासन और नैतिक शासन
आचारनीति
महत्त्वपूर्ण मुद्दा
समसामयिक प्रश्नोत्तर
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || अक्तूबर 2019 || 197

संभावित प्रश्न-उत्तर
मुख्य परीक्षा विशेष
शासन में नैतिकता
सिविल सेवा में मूल्य

(b) संवेगात्मक बुद्धि आपके अपने संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने की बजाय आपके लिये कार्य करवाने का सामर्थ्य है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिये।

"Emotional Intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you." Do you agree with this view? Discuss.

उत्तर: संवेगात्मक बुद्धि (EI) से तात्पर्य है व्यक्ति के अपने और दूसरों के संवेदों को कुशल तरीके से समझने की क्षमता ताकि उन्हें नियंत्रित और प्रबंधित किया जा सके और उनका उपयोग कार्य निष्पादन में हो सके। यह प्रशासकों के 'सामाजिक कौशल' का आधार है जो संगठनात्मक प्रभावशीलता में योगदान करता है।

संवेगात्मक बुद्धि निम्नलिखित तरीके से आपके पक्ष में काम करती है:

- यह संगठन में कार्य को वितरित करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में मदद करती है।
- यह कुशल और वांछित परिणामों की ओर ले जाती है।
- सहकर्मियों के बीच विश्वास बढ़ाती है।
- तनाव प्रबंधन और समस्याओं का प्रभावी समाधान खोजने में मदद करती है।
- दूसरों की मन:स्थितियों को समझने में मदद करती है।
- यह एक अधिकारी में अभिप्रेरणा और उपलब्ध कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिये अपने अधीनस्थों को प्रेरित करने में मदद कर सकती है।
- इसके अलावा, यह सिविल सेवक को आम लोगों, विशेष रूप से गरीब और कमज़ोर लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने में सहायता करती है। जिसका लाभ प्रशासक को सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और विकासात्मक योजनाओं में जनता के सहयोग के रूप में मिलता है।

उदाहरण-I: यदि कार्यालय आने से ठीक पहले आपके घर पर झगड़ा हुआ था तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपका खराब मन सहयोगियों पर क्रोधित होने या अशिष्ट होने के रूप में कार्यस्थल पर अभिव्यक्त होगा। लेकिन, यदि आप संवेगात्मक बुद्धि में कुशल हैं तो आप अपनी चरम भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपने आप को शांत रखेंगे। इससे आपको अपने कर्तव्यों और कार्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन करने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार, आपने स्वयं के संवेदों को अपने अनुरूप ढाला, बजाय इसके कि वे आपके लिये एक बाधा पैदा करें।

उदाहरण-II: मान लीजिये आप एक कठोर समय सीमा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में एक बहुत महत्त्वपूर्ण परियोजना की देख-रेख कर रहे हैं। जैसे-जैसे समय सीमा निकट आती जाती है, यदि आपकी संवेगात्मक बुद्धि निम्न है तो आप आसानी से उत्तेजित, चिंतित, निराश, हताश और हतोत्साहित हो जाएंगे। जो आपकी परियोजनाओं के लिये और अधिक बाधाएँ पैदा करेगा। लेकिन, यदि आप उच्च संवेगात्मक बुद्धि रखते हैं तो आप कार्य में तीव्रता लाने के लिये अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करेंगे और एक सकारात्मक दृष्टिकोण और शांत व व्यवस्थित आचरण के साथ काम को जल्दी पूरा करने के लिये अन्य नवोन्मेषी तरीकों पर विचार करेंगे। इस प्रकार, संवेगात्मक बुद्धि संवेदों की यादृच्छिकता और संवेगों के उच्च स्तर पर नियंत्रण में सहायक होती है।

प्रश्न: 6 (a) "एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है।" -सुकरात

"An unexamined life is not worth living." – Socrates

उत्तर: एक अपरीक्षित मनुष्य जीवन के अस्तित्व की सार्थकता और उद्देश्य से वंचित होता है। आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता नैतिक सत्यनिष्ठा और सामाजिक एकजुटता के लिये प्रतिबद्धता का आह्वान करके व्यक्तिवादी विसंगति को दूर करती है।

- जैसे बीज को अपने अंकुरण के लिये मिट्टी, धूप और जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव जीवन को अपने विकास के लिये आत्मनिरीक्षण और परीक्षण की आवश्यकता होती है।
- महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' (My Experiments with Truth) के माध्यम से स्वयं का परीक्षण, जीवन पर आत्म-चिंतन (reflection) के महत्त्व को उजागर किया गया है। इस परीक्षण के माध्यम से महात्मा गांधी न केवल अपनी दुर्बलताओं और कमज़ोरियों को पहचानने में सक्षम हुए, बल्कि अपने पूर्वाग्रहों को प्रश्नगत करने और एक मानव के रूप में अपनी शक्ति को समझने में भी सक्षम हुए।
- जीवन पर आत्म-चिंतन की यही क्षमता महाभारत में भीष्म, युधिष्ठिर या कौरवों जैसे अन्य सभी चरित्रों से अर्जुन के चरित्र को अधिक मज़बूत बनाती है। मानदंडों का पालन करने और अपने वंश, परिजन व साथियों के साथ मिलकर युद्ध आरंभ करने की बजाय अर्जुन ने युद्ध की निरर्थकता और अपने जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न उठाए।

- समकालीन विश्व में तेज़ी से बदलते समाज और उपभोक्तावादी संस्कृति ने मानव को परिवर्तनों के परीक्षण और उस पर चिंतन का बहुत कम अवसर दिया है। परिवर्तनों के प्रति अनुकूल होना स्वचालित और प्रश्नातीत प्रक्रिया हो गई है।
- वर्तमान समय में जहाँ मानव पर युद्धों के इतिहास, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का बोझ है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति में नैतिकता का क्षरण हो रहा है और उसके अंदर आध्यात्मिक रिक्तता की भावना भरी हुई है, इन परिस्थितियों में सुकरात का यह उद्धरण बेहद प्रासंगिक हो जाता है।

निबंध विशेषांक
जीवन
सत्य
55

एथिक्स
सुकरात की नीतिमीमांसा
अरस्तु की नीतिमीमांसा
प्लेटो की नीतिमीमांसा
बेन्थम की नीतिमीमांसा
190

(b) “व्यक्ति और कुछ नहीं केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है। वह जो सोचता है वही बन जाता है।” -एम.के. गांधी

“A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes.”
– M.K.Gandhi

उत्तर: किसी व्यक्ति के कार्य मुख्यत: उसकी विचार प्रक्रिया से निर्धारित होते हैं। किसी व्यक्ति के विचार ही समाज के साथ उसकी संलग्नता के प्रथम प्रवेश बिंदु होते हैं। विचार, आचरण के साथ-साथ अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं, और कृत्य को इसी अनुरूप ढालते हैं। इसलिये, विचारों को नैतिकता और अंत:करण के एक दिशा-निर्देशक से नियंत्रित किया जाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। नैतिक विचार प्रक्रिया से नैतिक आचरण और नैतिक कृत्यों का नियंत्रण होता है।

- अनुभवों पर आधारित विचार या चिंतन कृत्य के विविध विकल्पों का मार्ग खोलते हैं। विचारों और भावनाओं के बारे में समझ और जागरूकता या संवेगात्मक बुद्धिमत्ता कृत्यों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिये, दयालुता और करुणा के विचार समाज में समानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जबकि हिंसा और क्रोध के विचार समाज में अपराधियों की संख्या वृद्धि में योगदान कर सकते हैं।
- ‘कृत्रिम बुद्धि’ और ‘बिग डेटा’ जैसी तकनीकी प्रगति वर्तमान समय के समाज में नैतिकता के संदर्भ में नए प्रश्नों को जन्म देती है। व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव में लोगों के विचार अधिक आत्म-केंद्रित हो गए हैं, जिसने उन्हें समुदाय और समाज से और असंलग्न किया है। इसके साथ ही, बाज़ार और राज्य लोगों के विचारों, आचरणों व कृत्यों पर अधिकाधिक नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित हो रहे हैं। यह न केवल किसी व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि प्रश्नरत रहने और तार्किक रूप से विचार कर सकने की उसकी प्रवृत्ति को भी कम करता है।
- ऐसे समय में समाज में स्वतंत्रतापूर्वक विचार और लोगों की अभिव्यक्ति की क्षमता का संपोषण किया जाना चाहिये। समाज को शिक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है क्योंकि तार्किक नैतिक सोच का विकास ऐसे व्यक्तियों को उभरने का अवसर देगा जो नीतिपूर्वक कार्य करते हैं और इस प्रकार समाज, राष्ट्र और विश्व पर वृहत प्रभाव डालते हैं।

निबंध विशेषांक
विचार
आवश्यकता
67

एथिक्स
प्रमुख विचारक
महात्मा गांधी की नीतिमीमांसा
188

एथिक्स
189

(c) “जहाँ हृदय में शुचिता है, वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सौंदर्य है, तब घर में समरसता है। जब घर में समरसता है, तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है। जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, तब विश्व में शांति है।” -ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

"Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world."

– A.P.J. Abdul Kalam

उत्तर: ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने इस उद्धरण के माध्यम से शुचिता की गुणवत्ता के महत्त्व पर प्रकाश डाला है तथा हृदय, चरित्र, राष्ट्र और विश्व के बीच एक सुंदर संबंध की स्थापना की है।

- शुचिता, नैतिक रूप से उचित और न्यायपूर्ण होने का गुण है जो किसी भी शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के आधार का निर्माण करती है। प्रत्येक धर्म शुचिता की गुणवत्ता पर एक अंत साधन के रूप में ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिये, हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में शुचिता का मार्ग अर्थात् धर्म को प्रत्येक मनुष्य का आदर्श मार्ग या परम कर्तव्य माना गया है।
- उपर्युक्त उद्धरण के द्वारा वे समाज में शांति की स्थापना का मार्ग दिखाते हैं। सभी गतिविधियों के केंद्र में व्यक्तिगत सुधार को रखकर वे समग्र समाज के सुधार और एकीकरण का लक्ष्य रखते हैं। उदाहरणार्थ, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने अपने साम्राज्य में 'धम्म नीति' को बढ़ावा दिया, जो राज्य में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने का निर्धारित आदर्श सामाजिक व्यवहार था।
- समकालीन समाज शुचितापूर्ण व्यवहार मार्ग से विचलित होकर जीवन के भौतिकवादी मार्ग की ओर अधिक झुकता हुआ नज़र आता है, जिसके कारण कई सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है।
- यदि लोग शुचितापूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वे दूसरों को सुख देने और अपने व्यक्तिगत प्रयासों में सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं; इससे वे अपने पारिवारिक स्तर के उत्थान में योगदान देंगे, जो अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज के सुख और उत्थान में सहयोग करेगा, जिससे अपराध, भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिग जैसी अनेक सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसी तरह, एक अधिक समृद्ध समाज एक अधिक समृद्ध राष्ट्र में योगदान करेगा।
- उदाहरणस्वरूप, आतंकवाद ने पश्चिम एशिया के कई देशों में एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है और संपूर्ण विश्व की रक्षा और सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। इन राष्ट्रों में शुचिता मार्ग के अनुसरण पर बल देकर समस्त विश्व में शांति स्थापना के लिये योगदान किया जा सकता है।

निष्कर्षत: 'वसुधैव कुटुम्बकम' के स्वप्न को साकार करने के लिये अदम्य भावना के साथ समाज में कई आयामों में शुचिता की स्थापना आवश्यक है।

प्रश्न: 7 गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं तथा भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया है। विलम्बित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुँचता है, तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है। संकट की इस स्थिति में, दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य रोक दिया जाए।

उत्तर: इस तरह के उग्र व अशांत वातावरण में मेरी अनुक्रिया विचारशील, प्रभावशाली और मानवीय होनी चाहिये क्योंकि इसमें कई तरह की दुविधाएँ शामिल हैं। हज़ारों लोगों को उसी हाल में छोड़कर जाना, जब वे पूरी तरह से सरकारी मदद पर निर्भर हैं, कायरता और आत्मरक्षा का कार्य होगा, जो कि एक लोक सेवक के लिये अनुचित है।

- मेरे लिये प्राथमिक अनुक्रिया, बचाव अभियान के प्रमुख के रूप में, 'समूह' का ध्यान पुन: अपने वास्तविक उद्देश्यों की ओर केंद्रित करना होगा। उनमें से कुछ लोग अभियान पर रोक लगाने का अनुरोध करेंगे तब मुझे कुछ उदाहरणों के साथ उन्हें प्रेरित करना होगा, जैसे- 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के दौरान, जब एन.डी.आर.एफ. की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया, तो उन पर पथराव किया गया, उनकी नावें छीन ली गईं और उनमें से एक को छुरा मार दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और वे रुके नहीं और 50,000 से अधिक लोगों को बचा लिया गया।
- प्रारंभ में, जब महात्मा गांधी नोआखली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में नंगे पाँव चल रहे थे, तब उनके मार्ग में दंगों से प्रभावित लोगों ने कांच के टुकड़े और जानवरों का मल बिखेर दिया था। बाद में, उनके असीम साहस और मानवता के प्रति प्रेम ने चमत्कार कर दिया, जब लोगों ने खुद प्रतिशोध नहीं लेने का वादा किया।
- यहाँ, सरकारी सेवकों के प्रति बनी लोकप्रिय धारणा के कारण लोगों का गुस्सा भड़क गया है। एक बार, जब लोग बचाव कार्य में आत्म-त्याग, समर्पण और साहस का खुद गवाह बन जाएंगे, तो सहयोग करना शुरू कर देंगे।
- दूसरा, मैं उन लोगों से मदद लेकर, जो सहयोग करने के इच्छुक हैं, लोगों को मनाने की कोशिश करूँगा। इस तरह की कार्यवाई में स्थानीय नेता भी मदद कर सकते हैं।
- इसके अलावा, मैं अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में सरकार से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करूंगा जिससे लोगों की मदद करने में वे आहत न हों।

ऐसी स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट गुण

- **सेवा की भावना:** चूंकि बचाव दल शारीरिक और मौखिक हमलों के लिये सुभेद्य है, केवल कुछ उच्च कारण ही एक अधिकारी को शांतचित्त और समन्वित तरीके से बचाव कार्य में मदद कर सकते हैं।
- **नेतृत्व:** ऐसी परिस्थितियों में, किसी भी निर्णय की अंतिमता पूरी तरह से नेता की बुद्धिमानी और विवेक में निहित होती है। उसे भी व्यक्तिगत साहस और दृढ़ विश्वास प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करने की आवश्यकता होती है।
- **समानुभूति और संवेगात्मक बुद्धि:** एक अधिकारी को असंतुष्ट स्थानीय लोगों के

व्यवहार को समझने के लिये समानुभूति और संवेगात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है अन्यथा कोई भी राहत मिशन को रोक सकता है या बल का उपयोग करने का सहारा ले सकता है, जो केवल उनके क्रोध को बढ़ाएगा।

- **अनुनयन (Persuasion) की शक्ति:** क्रोधित लोग प्रतिक्रियाशील और अदूरदर्शी होते हैं, उन्हें किसी बात के लिये सहमत करने के लिये अनुनयन क्षमता की आवश्यकता होती है।
- **धैर्य और मानसिक सक्रियता की उपस्थिति:** एक लोक सेवक ऐसी स्थिति में स्वत: प्रवर्तित (सहज) निर्णय लेने का जोखिम नहीं उठा सकता है। आगे की कार्रवाई विचारशील मूल्यांकन और तीव्र चिंतन द्वारा मार्गदर्शित होनी चाहिये।
- इस प्रकार, हमें स्थिति की संवेदनशीलता को समझना चाहिये और लोगों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिये दोष नहीं देना चाहिये। सहानुभूति और संबल समस्याओं में लोगों को बचाने की महत्त्वपूर्ण कुंजी है।

प्रश्न: 8 ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक हैं। इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान, वे विभिन्न निर्णय लेते हैं। कभी-कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिये जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि कभी-कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

अभी हाल में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिये आलिप्त किया गया है। उन्हें अक्सर अभियोजित और बंदित भी किया गया है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक रचना को अत्यधिक क्षति पहुँची है।

यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है? यह सुनिश्चित करने के लिये कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिये आलिप्त नहीं किये जाएँ, क्या उपाय किये जा सकते हैं? तर्कसंगत उत्तर दीजिये।

उत्तर: लोक सेवकों की भूमिका उन निर्णयों को लेने की होती है जिन से देश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यद्यपि, ईमानदार अधिकारियों के गलत अभियोजन के उदाहरणों से ईमानदार अधिकारियों के मनोबल पर गहरा असर पड़ता है। भारत में लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को इसने निम्नलिखित कई तरह से प्रभावित किया है:

लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन पर प्रभाव

- **अधिकारियों के निर्णयन पर प्रभाव:** अधिकारियों को अपने विचार व्यक्त करने में बाधा होगी। यह उनके गलत निर्णयों के लिये विभागीय कार्रवाई के भय से लाल फीताशाही को और बढ़ा सकता है।
- **आर्थिक विकास में बाधा:** सार्वजनिक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के साथ, अभियोजन का डर ईमानदार अधिकारियों को किसी भी क्षेत्र में प्रगतिशील, निर्भीक और साहसी निर्णय लेने के लिये प्रतिबंधित कर सकता है। महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी से दुर्बल शासन को बढ़ावा मिलेगा।
- **ईमानदार अधिकारियों को परेशान करने का उपकरण:** भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों द्वारा आधारहीन शिकायतों और निरीक्षण के माध्यम से ईमानदार अधिकारियों को परेशान किया जा सकता है।
- **ईमानदार अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर प्रभाव:** ईमानदार अधिकारियों के अभियोजन से उन्हें समाज में बदनामी के अलावा मानसिक पीड़ा और अत्यधिक वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ता है।

ईमानदार लोक सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिये आलिप्त न किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय

- **प्रशासन में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** निर्णय कैसे लिये जा रहे हैं इसके बारे में अधिकतम स्पष्टता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये जाने चाहिये। यह गलत निर्णयों के लिये कुछ व्यक्तियों को दोष देने से रोकेगा।
- **विधायी कार्रवाइयाँ:** होटा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) में संशोधन, जो एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार से संबंधित एक स्वागत योग्य कदम है। यह ईमानदार लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और उत्पीड़न से बचाएगा।
- **नौकरशाही का राजनीतिकरण कम करना:** स्थानांतरण का डर, पदोन्नतियों से इनकार करना या सेवानिवृत्ति के बाद दंडित होना अधिकारियों के निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है। लोक सेवकों के लिये निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करना लोक सेवाओं में व्यवस्थागत सुधारों (Systemic Reforms) के लिये बहुत आवश्यक कदम है।

संस्थानों की भूमिका

- **न्यायपालिका का दृष्टिकोण:** एक लोकतंत्र और तेज़ी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था में, अदालतों को कानूनों की बहुत रचनात्मक व्याख्या के साथ निर्णय लेने होते हैं। इसे भ्रष्टाचार और गलत प्रशासनिक निर्णयों के बीच अंतर को स्पष्ट करना चाहिये।
- **आई.ए.एस. एसोसिएशन ऑफ इंडिया** और अन्य सिविल सोसाइटी समूहों को गलत अभियोजन के दौर से गुज़र रहे ईमानदार अधिकारियों का समर्थन करना चाहिये।
- **आंतरिक निरीक्षण तंत्र बनाना:** प्रत्येक विभाग में आंतरिक पूछताछ को सद्भाविक निर्णयों की आपराधिक जाँच के लिये सिफारिश करने से पहले अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और पिछले पेशे के रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिये।

तर्कसंगतता/औचित्य (Justification)

- चूँकि लिया गया हर निर्णय लंबे समय में सही साबित नहीं हो सकता, इसलिये वास्तविक (Genuine) गलतियों के लिये ईमानदार अधिकारियों को अभियोजित करना अन्यायपूर्ण है। युवा और आकांक्षी लोक सेवकों को ईमानदारी, निष्पक्षता और निडरता के प्रमुख मूल्यों को स्वयं में संरक्षित करना चाहिये।
- गतिशील (ऊर्जस्वी) और ईमानदार अधिकारी, जो अच्छे उद्देश्यों के लिये जोखिम लेते हैं, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, न कि संयमित।

किसी भी नौकरशाह या लोक अधिकारी को सदभाविक निर्णय के लिये भयभीत नहीं होना चाहिये।

- अधिकारियों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहना चाहिये और अंततः गलत पर सही की जीत ही होती है। जैसा कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बताता है- 'सत्यमेव जयते' सत्य की सदैव ही विजय होती है; असत्य की नहीं।
- **उदाहरण के लिये:** पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता, जिन्हें उनकी ईमानदारी और स्वच्छ कैरियर रिकॉर्ड के लिये जाना जाता है, को कोयला घोटाले में उनके खिलाफ आपराधिक कदाचार के आरोप साबित करने में सीबीआई के विफल रहने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था।

इस प्रकार, लोक सेवकों के लिये समय की आवश्यकता यही है कि उनके द्वारा आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक संहिता का भी अनुपालन किया जाए।

प्रश्न: 9. बड़ी संख्या में महिला कर्मियों वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से विक्रय में गिरावट आ रही थी। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त किया, जिसने अल्पावधि में ही विक्रय की मात्रा को बढ़ा दिया। लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में लिप्त होने की कुछ अपुष्ट शिकायतें सामने आईं। कुछ समय पश्चात् एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के प्रबंधन की विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दायर की। अपनी शिकायत के प्रति कंपनी की संज्ञान लेने में उदासीनता को देखते हुए, महिला कर्मी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की। परिस्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को भाँपते हुए, कंपनी ने महिला कर्मी को वार्त्ता करने के लिये बुलाया। कंपनी ने महिला कर्मी को एक मोटी रकम देने के एवज़ में अपनी शिकायत और प्राथमिकी वापस लेने तथा यह लिख कर देने के लिये कहा कि विपणन अधिकारी प्रकरण में लिप्त नहीं था। इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये। महिला कर्मी के सामने कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

उत्तर: इस प्रकरण के लिये तथ्य:

- कार्यस्थल पर विपणन अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया।
- कंपनी के लिये विपणन अधिकारी एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि उसने अल्पावधि में ही विक्रय की मात्रा को बढ़ा दिया।
- महिला कर्मी की शिकायत का संज्ञान नहीं लेने पर कंपनी प्रबंधन की उदासीनता।
- कंपनी ने महिला कर्मी पर प्राथमिकी वापस लेने का दबाव बनाया।

शामिल हितधारक	नैतिक मुद्दे
महिला कर्मी	■ प्रकरण को आगे बढ़ाने में मानसिक पीड़ा व सामाजिक दबाव को संभालना। ■ मौद्रिक लाभ के लिये कंपनी के साथ वार्त्ता करने से आत्म सम्मान को क्षति।
विपणन अधिकारी	■ महिला कर्मी के साथ वार्ता करके पेशेवर जीवन को बचाना और दोष सिद्ध न होने पर निर्दोष साबित होना।
कंपनी प्रबंधन	■ महिला कर्मी की गरिमा के प्रति असंवेदनशीलता। ■ महिला कर्मी के साथ विधि-विरुद्ध वार्त्ता में लिप्त होकर संगठनात्मक मूल्यों पर लाभ को प्राथमिकता।
अन्य कर्मी	■ अन्य महिला कर्मियों के नैतिक विवेक के विरुद्ध विपणन अधिकारी के साथ कार्य करना जारी रखना।

महिला कर्मी के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

1. कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए उस प्राथमिकी को जारी रखना

- इससे उसे न्यायालय में अपना दृष्टिकोण साबित करने का उचित मौका मिलेगा और इस प्रकार स्वयं के लिये लड़ कर उसे मानसिक शांति मिलेगी।
- हालाँकि, इस प्रकरण को आगे बढ़ाने में महिला कर्मी को मानसिक पीड़ा व सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ेगा तथा यह उसके पेशे में शामिल अन्य संभावनाओं के लिये हानिकारक भी साबित हो सकता है।

2. महिला कर्मी कंपनी द्वारा वार्त्ता के दौरान पेश की गई राशि को स्वीकार करे और मामला वापस ले ले

- यह उसके कॅरियर के लिये लाभदायक हो सकता है और उसे सख्त जाँच प्रक्रिया से बचाएगा।
- हालाँकि, यह असंवादिता को जन्म देगा और मानसिक शांति को प्रभावित करेगा क्योंकि उसका विवेक उसे आत्म सम्मान पर मौद्रिक लाभ स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा वह भविष्य में कभी भी स्वयं के लिये आवाज नहीं उठा पाएगी।

3. वह कंपनी से त्यागपत्र दे और कॅरियर के अन्य अवसरों पर ध्यान केंद्रित करे

- यह उसे ऐसी परिस्थिति से बचाएगा और उसके कॅरियर की अन्य संभावनाओं के लिये लाभदायक होगा।
- हालाँकि, इस यौन उत्पीड़न का प्रभाव जीवन भर उसके साथ रहेगा तथा भविष्य में उसे पछतावा होगा कि वह स्वयं, उसे न्याय से वंचित करने के लिये उत्तरदायी है।
- इस परिस्थिति के उचित समाधान का सही उपाय विकल्प (1) प्रतीत होता है।
- यहाँ महिला कर्मी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती है। उसकी लड़ाई अन्य महिला कर्मियों की वास्तविक मुद्दों को आवाज प्रदान करेगी। आगे आकर अनुकरणीय व्यवहार का पालन करना उसका नैतिक दायित्व है। यह न केवल उसे आत्म संतुष्टि प्रदान करेगा अपितु उसके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति में भी वृद्धि करेगा।
- इसके अलावा विपणन अधिकारी को बचाकर लाभ के उद्देश्यों को प्राथमिकता देना और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करना कंपनी प्रबंधन की बड़ी गलती है। गांधीजी ने 'नैतिकता के बिना व्यापार' को सात सामाजिक पापों में से एक संदर्भित किया है। इस प्रकार, यह न केवल एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है, बल्कि एक संगठन जिसमें महिला की गरिमा, नैतिक

कार्य-संस्कृति और लैंगिक समानता जैसे मूल्यों का अभाव है।

जिस्ट

पत्र-पत्रिकाओं का सार

एथिक्स

128 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || अप्रैल 2019

प्रश्न: 10 आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है। निर्वाचित जन प्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारीतंत्र स्थायी कार्यपालिका का गठन करता है। मंत्रिगण नीति निर्माण करते हैं और अधिकारी उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारंभिक दशकों में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर्संबंध, एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किये बिना, परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित थे।

लेकिन बाद के दशकों में स्थिति में परिवर्तन आया है। ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ राजनीतिक कार्यपालिका ने स्थायी कार्यपालिका पर अपनी कार्यसूची का अनुसरण करने का दबाव बनाया है। सत्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान और सराहना में गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि राजनीतिक कार्यपालिका में नैतिक प्रशासनिक प्रसंगों में, जैसे कि स्थानांतरण, प्रस्थापन आदि में अंतर्ग्रस्त होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस परिदृश्य में 'अधिकारीतंत्र के राजनीतीकरण' की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति है। सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवाद और संग्रहवृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। 'अधिकारीतंत्र के इस राजनीतीकरण' के क्या-क्या परिणाम हैं? विवेचना कीजिये।

उत्तर: चुने हुए प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच सहयोग देश के लोकतांत्रिक शासन के लिये आवश्यक है। हालाँकि, 'अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण' के कारण, लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।

प्रकरण में अंतर्निहित मूल्य

- राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता
- ईमानदारी और सच्चाई
- दृढ़ विश्वास का साहस
- आचार संहिता का पालन
- वैधानिक ज़िम्मेदारी

अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण के परिणाम

- **नौकरशाहों की नैतिक प्रकृति के लिये अहितकारी:** कई बार ईमानदार लोक सेवकों को भी राजनीतिक झुकाव रखने वाले एक राजनीतिक समूह के पक्ष में पक्षपातपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं।
- **व्यक्तिगत बनाम पेशेवर जीवन में दुविधा:** भौतिक लाभों में लिप्त नौकरशाह को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ समझौता करना पड़ता है, ताकि वह बाहर की वास्तविकता से परिचित हो सके, जिससे उसकी मन की शांति और कार्य की नैतिकता में व्यवधान पड़ता है।
- **शासन प्रणाली पर प्रभाव:** लोक सेवकों के कार्य निष्पादन में निष्पक्षता की कमी का दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में या तो सार्वजनिक सेवा वितरण या सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में उनके निर्णयों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- **अराजक स्थितियों में समस्याएँ:** सांप्रदायिक दंगों जैसी जटिल परिस्थितियाँ अधिकारियों से सख्त राजनीतिक तटस्थता की मांग करती हैं। पक्षपातपूर्ण फैसलों से जान-माल की हानि हो सकती है। इसलिये, एक लोक सेवक को ऐसी स्थितियों में अपने निर्णयों के लिये जवाबदेह होना चाहिये।
- **नीतिगत पक्षाघात (निर्बलता):** गैर-सहयोगी अधिकारियों का बार-बार स्थानांतरण, पदोन्नति में देरी, राजनीतिक प्रतिशोध का भय इत्यादि; जिसका परिणाम उनके निर्णयन में लालफीताशाही और गोपनीयता की कार्यसंस्कृति के रूप में सामने आता है।
- **नागरिक समाज पर नकारात्मक प्रभाव:** सरकार में शीर्ष पदों पर पदस्थ लोक सेवक आकांक्षी युवा भारतीयों के लिये प्रेरणास्रोत होते हैं। उनका पक्षपाती रवैया बड़े स्तर पर सामाजिक नैतिकता के लिये अहितकारी है।

इसलिये, एक लोक सेवक को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिये। एक लोक सेवक के रूप में, उसकी जनता के प्रति ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और इसके लिये उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिये। उनका प्राथमिक कार्य 'निष्काम कर्म' (नि:स्वार्थ सेवा और इच्छा विहीन कर्तव्य) करना है। वे जो भी सार्वजनिक तौर पर करते हैं उसके लिये उन्हें तर्कसंगत, अनुकरणीय और प्रतिबद्ध होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त भौतिकतावादी वस्तुएँ किसी को केवल थोड़े समय के लिये सुख प्रदान कर सकती हैं और किसी व्यक्ति द्वारा अपना कार्य ईमानदारी से करने और अन्यों के जीवन में सकारात्मक योगदान देने से प्राप्त संतुष्टि लंबे समय तक रहती है। इसलिये, लोक सेवकों और यहाँ तक कि राजनेताओं को भी भौतिक लाभ से तटस्थ रहना चाहिये।

साथ ही, एक लोक सेवक को किसी भी समय किसी भी स्थिति में सेवा करने के लिये तैयार रहना चाहिये। स्थानांतरण के भय से एक लोक सेवक को सार्वजनिक कारक और समाज के व्यापक हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से नहीं बचना चाहिये।

पत्र-पत्रिकाओं का सार

जिस्ट

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || मार्च 2019 || 109

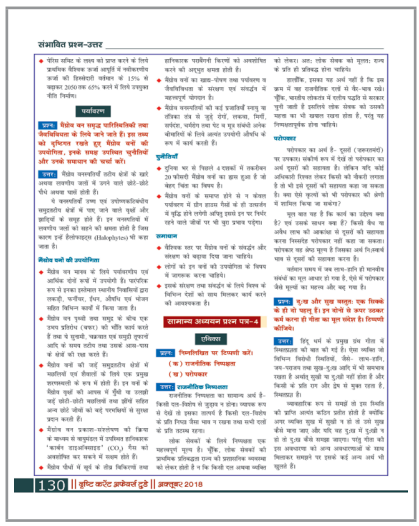

संभावित प्रश्न-उत्तर

130 || दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे || अक्तूबर 2018

प्रश्न: 11 एक सीमांत राज्य के एक ज़िले में स्वापकों (नशीले पदार्थों) का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप्प हो गई है। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है। इन अपुष्ट खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्चाधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है।

ऐसे समय में, परिस्थिति को सामान्य करने के लिये, एक महिला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये अपने कौशल के लिये जानी जाती है, को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न आयामों को चिह्नित कीजिये। अपनी समझ के अनुसार, संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाएँ।

उत्तर: उपर्युक्त ज़िले की स्थिति सामाजिक और प्रशासनिक प्रणाली के पतन की ओर अग्रसर होने के साथ कठिन प्रतीत होती है। फलतः इस तरह के परिदृश्य का प्रसार मानव और सामाजिक पूंजी के अपव्यय, अपराध दर में वृद्धि और ज़िले में उपस्थित लोगों की भविष्य की संभावनाओं को खतरे में डालने का कार्य करेगा।

ज़िला असंख्य समस्याओं से जूझ रहा है। इस संकट के विभिन्न आयाम हैं जिन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है-

- **वैधानिक आयाम:** नशीले पदार्थों के खतरे से उत्पन्न होने वाली गतिविधियाँ जैसे धन शोधन, अफीम की खेती, हथियारों की तस्करी, आदि वैधानिक रूप से संबंधित कानूनों के तहत प्रतिबंधित हैं।
- **सुरक्षा आयाम:** भारत में सीमांत ज़िले विध्वंसक समूहों के लिये अतिसंवेदनशील हैं जो लोकतंत्र और राज्य के अधिकार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हथियारों की तस्करी और धन शोधन उनकी असामाजिक गतिविधियों के वित्तपोषण को आसान साधन प्रदान करता है।
- **सामाजिक आयाम:** इस तरह की विकृतियों से ग्रस्त समाज कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सशक्तीकरण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है जो कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य है।
- **आर्थिक आयाम:** ऐसी गतिविधियों में लोगों के शामिल होने से राज्य के विरुद्ध दीमक की तरह काली अर्थव्यवस्था (Black Economy) का उदय होता है जो उस राज्य को बुरी तरह से प्रभावित करती है।
- **राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम:** कथित रूप से, स्थानीय राजनीतिक नेता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ड्रग माफिया के साथ गठजोड़ है और वे उन्हें गुप्त समर्थन प्रदान कर रहे हैं; जो सदाचार और नैतिक स्वामित्व का सवाल खड़ा करते हैं।

संकट से निपटने के उपाय

चूंकि समस्याएँ सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं में रिसाव के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं, इसलिये एक महिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर मेरी अनुक्रिया परिकलित, सटीक और तीव्र होनी चाहिये जो कि लंबी अवधि के निहितार्थों को ध्यान में रखकर होगी।

- सबसे पहले, व्यवस्था के अंदर के गुनहगार की पहचान करने के लिये स्वयं पुलिस प्रतिष्ठान के भीतर गहन जाँच की जानी चाहिये और उन्हें कानूनन सज़ा मिलनी चाहिये।
- **कानून का प्रवर्तन:** मैं मौजूदा कानूनों की जाँच और उनके सख्त क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करूँगी, जिसमें सोनितपुर ज़िले की प्रेरणादायक महिला एसपी संजुक्ता पाराशर से एक संकेत लेते हुए, जिन्होंने कुशलता से विद्रोह पर अंकुश लगाया, अवैध हथियारों और गोला-बारूद को ज़ब्त किया।
- **सीमा सुरक्षा बलों की मदद लेना:** चूंकि मेरा ज़िला एक सीमांत राज्य में है; इसमें अंतर्राष्ट्रीय तत्त्वों के शामिल होने की संभावना भी हो सकती है। इसके लिये, पुलिस बल को सीमा सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा क्योंकि कठोर गश्त (पट्रोलिंग) और तलाशी अभियान के साथ स्थानीय तत्त्वों को अलग किया जा सकता है।
- कानून लागू करने के अलावा, मैं ज़िलाधिकारी जैसे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समस्या के सामाजिक आयामों पर भी चर्चा करूँगी और अन्य सहायक कर्त्ताओं जैसे कि गैर-सरकारी संगठनों, पंचायत प्रमुखों आदि को भी इसमें सम्मलित करने को कहूँगी ताकि, शिक्षा व्यवस्था पुनः स्थापित करने और समस्या को समग्र रूप से संबोधित करने के लिये संयुक्त तरीके से कार्य किया जा सके।
- पोस्त की खेती से यदि कोई नियमित किसान जुड़ा है तो उससे यह छुड़वाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

भारत के सीमांत ज़िलों को आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से समरसता और अवैध आपराधिक नेटवर्क से मुक्त रखने की आवश्यकता है क्योंकि एक पीड़ित/व्यथित ज़िले से भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रश्न: 12 भारत में हाल के समय में बढ़ती चिंता रही है कि प्रभावी सिविल सेवा नैतिकता, आचरण संहिताओं, पारदर्शिता उपायों, नैतिक एवं शुचिता व्यवस्थाओं तथा भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरणों को विकसित किया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में, तीन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है जो सिविल सेवाओं में शुचिता और नैतिकता को आत्मसात् करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

- **सिविल सेवाओं में, नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान करना,**

- **सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करना, और**
- **सिविल सेवाओं में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की अभिवृद्धि के लिये, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का विकास करना।**

उपरोक्त तीन मुद्दों का हल निकालने के लिये संस्थागत उपाय सुझाइये।

उत्तर: हाल के समय में, लोक सेवाओं से नैतिक व्यवहार और शुचिता के उच्च मानकों के लिये आम नागरिकों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) की उम्मीद बढ़ रही है। इसे प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न विधियाँ जैसे आचार संहिता, नागरिक घोषणापत्र आदि विकसित किये गए हैं। हालाँकि, इसे और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिये लोक सेवाओं में पेशेवर नैतिकता (प्रोफेशनल एथिक्स) और शुचिता को आत्मसात करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

उपर्युक्त प्रकरण में अंतर्निहित मूल्य

- लोक सेवकों की नैतिक शुचिता
- शासन में सत्यनिष्ठा
- लोक सेवकों की नैतिक अभिवृत्ति
- जवाबदेही
- पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी

विशिष्ट मुद्दे और उन्हें संबोधित करने के उपाय

1. लोक सेवाओं में नैतिक मानकों और शुचिता के लिये विशिष्ट खतरों के पूर्वानुमान करना

- **लालफीताशाही:** प्रभावी सेवा वितरण के लिये अनावश्यक प्रशासनिक जटिलताओं की पहचान की जानी चाहिये और उन्हें हटा दिया जाना चाहिये।
- **गोपनीयता की संस्कृति:** लोक सेवकों और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा लिये गए निर्णय पारदर्शी और यथासंभव खुले (Open) होने चाहिये। साथ ही आधिकारिक निर्णयों के लिये कारण भी दिये जाने चाहिये।
- **अपर्याप्त शिकायत निवारण प्रणाली:** सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान और सार्वजनिक संगठनों को प्रदान की गई उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी तंत्र स्थापित किये जाने चाहिये। शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की निगरानी की जानी चाहिये ताकि प्रणालियों की समीक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रदर्शन में सुधार किया जा सके।
- **एकपक्षीय झुकाव और पक्षपातपूर्ण रवैया:** एक पेशेवर और गैर-पक्षपातपूर्ण लोक सेवकों के पदानुक्रम को बनाने के लिये आचरण नियमों और आचार संहिता का कार्यान्वयन होना चाहिये।
- **सिविल सेवकों का अभिजात्यवाद:** जन भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिये लोक सेवकों में सार्वजनिक उन्मुखता महत्त्वपूर्ण है। नागरिक-हितैषी व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये लोक सेवकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

2. लोक सेवकों की नैतिक क्षमता को सशक्त करना

- **प्रशिक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन:** यह ईमानदार लोक सेवकों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें दूसरों के अनुकरण के लिये प्रेरणास्रोत बनाएगा।
- **पुरस्कार और सम्मान:** यह लोक सेवाओं के लिये बेहतर और नवाचारी समाधान विकसित करने के लिये सिविल सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
- **समावेशी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना:** सेवाओं की प्रभावशीलता तथा लोक अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिये सख्त पदानुक्रम को नरम करना होगा।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक (Culture) सक्षमता:** इससे लोक सेवकों को विविधतावादी भारतीय समाज को समझने और जनता की उच्च आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।

3. लोक सेवाओं में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की अभिवृद्धि के लिये, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का विकास करना

- **जवाबदेही को बढ़ावा देना:** प्रभावी कानून, जिनके लिये लोक सेवकों को अपने आधिकारिक निर्णयों के लिये कारण देने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिये- आरटीआई अधिनियम, 2005।
- **भ्रष्टाचार को कम करना:** प्रशासनिक कार्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, विवेकाधिकार को हटाने के लिये ई-गवर्नेंस के रूप में तकनीकी हस्तक्षेप, सामाजिक अंकेक्षण आदि जैसे प्रावधानों को बढ़ावा देना।
- **मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियाँ:** प्रदर्शन-आधारित वेतन, पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry), बहु-चरण प्रशिक्षण इत्यादि सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे।
- **आंतरिक और बाह्य समितियाँ:** लोक सेवकों और जनता की शिकायतों के निवारण के लिये आंतरिक और बाह्य समितियों की स्थापना। यह कार्य संस्कृति में सुधार करता है।
- **आचार संहिता के नियम:** यह लोक सेवकों से उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये है, जो कि बिना पक्षपात के होना चाहिये।
- लोक सेवकों में नैतिक व्यवहार और शुचिता को बढ़ावा देना, और सार्वजनिक प्रशासन को सुधारना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है; यह सुनिश्चित करने के लिये कि सामाजिक कल्याण की नीतियों को सही भावना से कार्यान्वित किया जाए। इससे आम नागरिकों के प्रति लोक सेवकों की जवाबदेही में सुधार होगा। साथ ही, इससे सरकारी व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ेगा। बृहतर सामाजिक पूंजी बदले में नैतिक शासन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

संभावित प्रश्न-उत्तर

मुख्य परीक्षा विशेष

शासन में नैतिकता

सिविल सेवा में मूल्य